

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

वित्तीय व्यवस्था का सटीक एवं उद्देश्यपरक भावी रूपांतरण

**TRANSFORMING THE FUTURE OF FINANCE WITH
PURPOSE AND PRECISION.**



वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT
2024-25

KEY HIGHLIGHTS FY 2024-25

Provision
coverage
ratio 98.10%
Up by 176
bps (YOY) ↑



Net Profit Rs.
10,918 Cr up
by 35% (YoY)
↑



Operating
Profit Rs.
18,998 Cr Up
by 13% (YoY)
↑



Net Interest
Income
Rs.25,176 Cr
Up by 8%
(YoY) ↑



Total Business
Rs.13,25,294 Cr
Up by 8.5%
(YoY) ↑



Total
Deposits
Rs.7,37,154 Cr
Up by 7%
(YoY) ↑



Gross
Advances
Rs.5,88,140 Cr
Up by 10%
(YoY) ↑



RAM (Retail,
Agriculture,
MSME)
Rs.3,50,876 Cr
Up by 13%
(YoY) ↑



Gross NPA
3.09% Down
by 86 bps
(YoY) ↓



Net NPA
0.19% Down
by 24 bps
(YoY) ↓



“ग्राहक केंद्रित सेवाओं, कर्मचारियों की सहभागिता व सतत विकास के माध्यम से उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।”

“Delivering excellence in financial services through customer focus, employee engagement and sustainable growth”

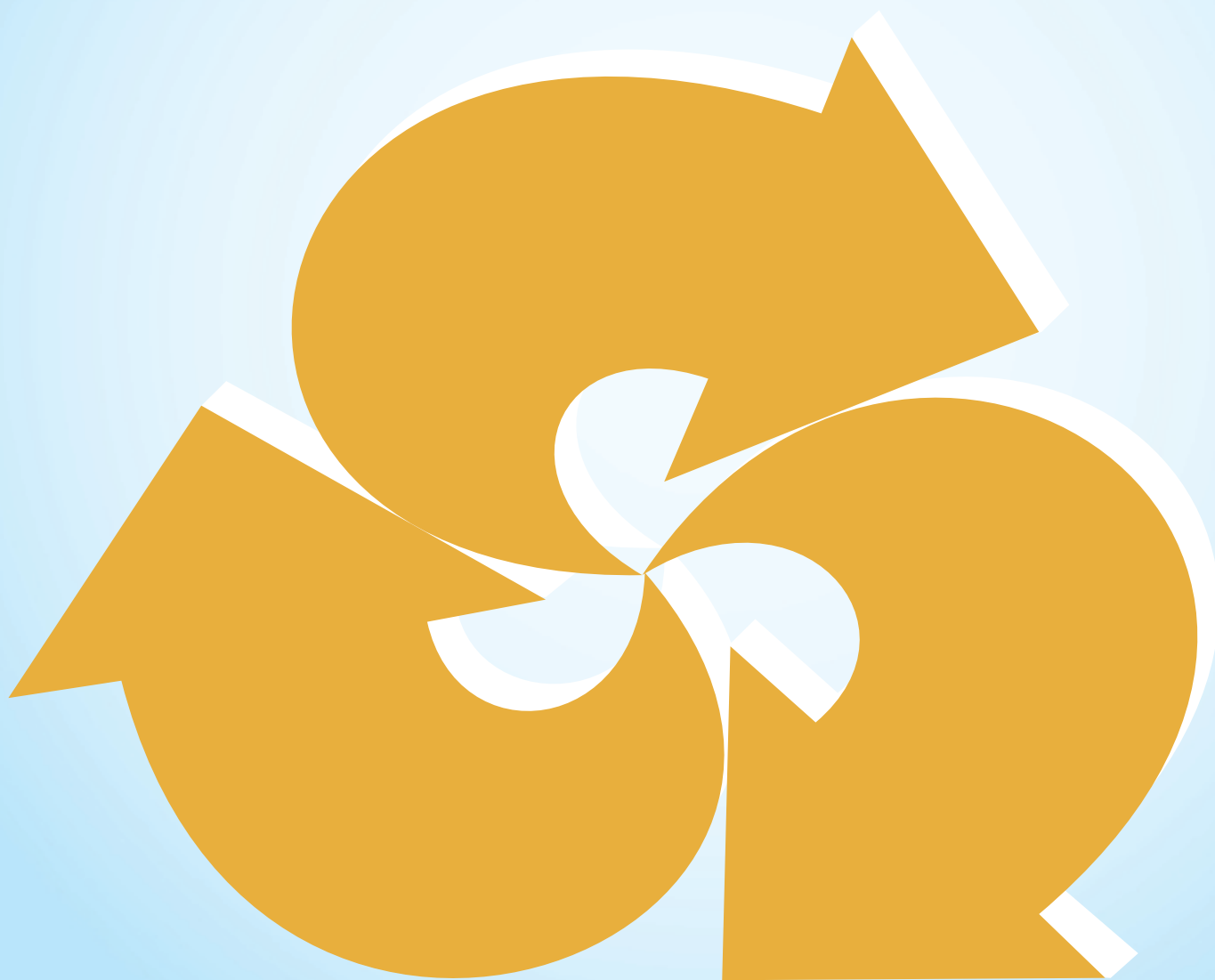


विजन / Vision:



- हमारी सेवाओं में सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना
- सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों का उचित ध्यान रखना
- कर्मचारियों को सशक्त एवं भागीदार बनाना
- Bring the best of innovation and technology in our offerings
- Be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice
- To provide value to stake holders
- Empower and engage our employees

मिशन / Mission:



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री बिनोद कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Binod Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक
Shri Mahesh Kumar Bajaj
Executive Director



श्री आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashutosh Choudhury
Executive Director



श्री शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Shiv Bajrang Singh
Executive Director



श्री ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Brajesh Kumar Singh
Executive Director



डॉ. आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Dr. Alok Pande
Government Nominee Director



श्रीमती के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
Smt K Nikhila
RBI Nominee Director



श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pradeep Kumar Malhotra
Shareholder Director



श्री संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक
Shri. Sanjeev Maheshwari
Shareholder Director



श्री बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(पुनः नामांकन दिनांक 11.04.2025 से प्रभावी)
Shri Balmukund Sahay
Part-time Non-Official Director
(Re-Nomination w.e.f. 11.04.2025)



श्री विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(पुनः नामांकन दिनांक 11.04.2025 से प्रभावी)
Shri Vishvesh Kumar Goel
Part-time Non-Official Director
(Re-Nomination w.e.f. 11.04.2025)

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) CHIEF VIGILANCE OFFICER (CVO)



श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव
(31.03.2025 तक)
Shri Vishesh Kumar Srivastava
(upto 31.03.2025)



श्री वी. आनंद
(01.04.2025 से)
Shri V Anand
(w.e.f. 01.04.2025)

मुख्य महाप्रबंधक - यथास्थिति 31.03.2025 CHIEF GENERAL MANAGERS AS ON 31.03.2025



श्री सतीश कुमार
Shri Satish Kumar



श्री सुजीत कुमार डे
Shri Sujit Kumar Dey



सुश्री माया नागराजन वी
Ms. Maya Nagarajan V



श्री दीपक सारड़ा
Shri Deepak Sarda



सुश्री वैलरी रथ
Ms. Vallery Rath



श्री सुजय मल्लिक
Shri Sujay Mallik



श्री गणेशरामन ए
Shri Ganesaraman A



श्री सुधीर कुमार गुप्ता
Shri Sudhir Kumar Gupta



श्री सुख सागर प्रसाद राय
Shri Sukh Sagar Prasad Roy



श्री अशोक पटनायक
Shri Ashok Patnaik

महाप्रबंधक- यथास्थिति 31.03.2025 General Managers as on 31.03.2025



श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur



श्री बिजय कुमार षड़ंगी
Shri Bijay Kumar Sarangi



श्री सुरेश कुमार एस
Shri Suresh Kumar S



श्री जी राजेश्वर रेड्डी
Shri G Rajeswara Reddy



श्री मनोज कुमार दास
Shri Manoj Kumar Das



श्री पंकज त्रिपाठी
Shri Pankaj Tripathi



श्री मुल्लपुडि बालाजी
सुरेश कुमार
Shri Mullapudi Balaji Suresh
Kumar



श्री वेंकटेशन एम
Shri Venkatesan M



श्री दीपक गुप्ता
Shri Deepak Gupta



श्री नरेंद्र कुमार शर्मा
Shri Narendra Kumar
Sharma



श्री राजेश कुमार सिंह
Shri Rajesh Kumar Singh



श्री सुब्रमणियन पी
Shri Subramanian P



श्री हिमांशु कंसल
Shri Himanshu Kansal



श्री चंद्रशेखरन वी
Shri Chandrasekaran V



श्री महेंद्र बाजपेयी
Shri Mahendra Bajpai



श्री अमित चौधरी
Shri Amit Chaudhari

नोट: श्री जी राजेश्वर रेड्डी को दिनांक 01.05.2025 के प्रभाव से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया।
Note: Shri G Rajeswara Reddy got promoted to Chief General Manager w.e.f. 01.05.2025.

महाप्रबंधक- यथास्थिति 31.03.2025 General Managers as on 31.03.2025



श्री सुनील जैन
Shri Sunil Jain



श्री रामकुमार दास
Shri Ram Kumar Das



श्री विस्सा वेंकट रमणा राव
Shri Vissa Venkata Ramana Rao



श्री राकेश सहगल
Shri Rakesh Sehgal



श्री संदीप कुमार घोषाल
Shri Sandeep Kumar Ghosal



श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव
Shri Navin Kumar Shrivastava



सुश्री अरुणा एम
Ms. Aruna M



श्री अजय अग्रवाल
Shri Ajay Agarwal



श्री विनोद कुमार दीक्षित
Shri Vinod Kumar Dixit



सुश्री बोचला सुधा रानी
Ms. Bochala Sudha Rani



श्री सेंदिल कुमार एस
Shri Senthil Kumar S



श्री राजशेखर के बी
Shri Rajasekhar K B



श्री शशांक जैन
Shri Shashank Jain



श्री पलनिअप्पन एस
Shri Palaniappan S



श्री विनीत बाजपेयी
Shri Vineet Bajpai



श्री बिनय भूषण दीक्षित
Shri Binaya Bhusan Dikshit



सुश्री फातिमा एस
Ms. Fathima S



डॉ. मल्लाडि वेंकट सुब्बाराव
Dr. Malladi Venkata Subbarao



श्री विवेक
Shri Vivek



श्री अन्बुकामराज पी
Shri Anbukamaraj P

नोट: श्री राम कुमार दास को दिनांक 01.04.2025 के प्रभाव से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया।
Note: Shri Ram Kumar Das got promoted to Chief General Manager w.e.f. 01.04.2025.

बैंक के निगमन से अब तक का संक्षिप्त इतिहास A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

वी. कृष्णस्वामी अय्यर
इंडियन बैंक के संस्थापक



V. Krishnaswamy Iyer
Founder of Indian Bank

- बैंक को 5 मार्च, 1907 को ₹20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया और 15 अगस्त, 1907 को बैंक ने अपना व्यवसाय शुरू किया। - वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड ने 'बरगद' वृक्ष को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया जो चतुर्दिक प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर वृद्धिशील समृद्धि का द्योतक था।	1907	- Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907 - In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree 'Banyan' as a part of its emblem denoting an all-around progress, growth (far and wide) and an ever-increasing prosperity
बैंक की पूंजी ₹20 लाख से बढ़कर ₹60 लाख हो गई।	1921	Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹20 lakhs
- बैंक ने अपनी रजत जयंती मनाई। - बैंक ने कोलंबो में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली।	1932	- Bank celebrated its Silver Jubilee - Bank opened its first overseas operations in Colombo
सिंगापुर शाखा खोली गई।	1941	Singapore branch was opened
बैंक ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।	1957	Bank celebrated its Golden Jubilee
बैंक ने अपनी हीरक जयंती मनाई।	1967	Bank celebrated its Diamond Jubilee

एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित तीन वृत्ताकार तीरों के साथ बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली।	1978	Bank's logo comprising of three circling arrows arranged around a central point was approved
बैंक ने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई।	1982	Bank celebrated its Platinum Jubilee
बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) को 157 शाखाओं के साथ बैंक में समामेलित किया गया।	1990	Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank
महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा 4 सितंबर को शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया।	2006	The centenary year celebration was inaugurated by His Excellency the President of India Shri. A P J Abdul Kalam on 4th September
बैंक ने फरवरी, 2007 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया।	2007	Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007
100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) का अनुपालन किया गया।	2008	Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant
- इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक के सफल समामेलन के बाद 1 अप्रैल, 2019 को 'तमिलनाडु ग्राम बैंक' का परिचालन आरंभ हुआ। - भारत सरकार द्वारा 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन किए जाने की घोषणा की गई।	2019	'Tamil Nadu Grama Bank' commenced its operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank - Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank - a bank with 155 years legacy into Indian Bank
बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 से समामेलित इकाई के रूप में परिचालन आरंभ किया। दोनों बैंकों के सीबीएस प्रणाली का एकीकरण 14.02.2021 को पूरा किया गया।	2020	Bank commenced its operation as an amalgamated entity from 1st April 2020. The integration of CBS systems of both the Banks was completed on 14.02.2021.
बैंक ने ₹ 10 लाख करोड़ से अधिक का वैश्विक व्यवसाय पार किया।	2022	Bank's Global Business surpassed ₹ 10 lakh Crore
बैंक ने ₹ 12 लाख करोड़ से अधिक का वैश्विक व्यवसाय पार किया।	2024	Bank's Global Business surpassed ₹ 12 lakh Crore
बैंक का वैश्विक व्यवसाय ₹13 लाख करोड़ के पार हो गया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार बैंक का निवल लाभ ₹10000 करोड़ के पार हो गया।	2025	Bank's Global Business crossed ₹ 13 lakh Crore; Surpassing a significant milestone, Bank's Net Profit crossed ₹10,000 Cr for the first time

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	13
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	16
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट	53
कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	55
कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	92
सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र	93
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट	94
एकल वित्तीय विवरण	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	101
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	114
• लेखा टिप्पणियाँ	134
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	183
समेकित वित्तीय विवरण:	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	193
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	206
• लेखा टिप्पणियाँ	229
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	255
बेसल III प्रकटीकरण	262

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
254-260 अठ्ठाई षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै - 600 014
दूरभाष सं.: 044 2813 4698; फैक्स सं.: 044 28134075
ई-मेल: investor@cameoindia.com

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिट: इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002.
दूरभाष सं.: 044 2846 0718; फैक्स सं.: 044 28460129
ई-मेल: investor@cameoindia.com

लेखापरीक्षक

कैलाश चंद जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एस. सिंघल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अरुण के अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सचिवालयीन लेखा परीक्षक
वी गोपालन एण्ड एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

Annual Report 2024-25

CONTENTS

	Page No.
MD & CEO's Message	01
Directors' Report	265
Management Discussion and Analysis	268
Business Responsibility & Sustainability Report	301
Report on Corporate Governance	302
Auditors' Certificate on Corporate Governance	338
Compliance Certificate by CEO and CFO	339
Secretarial Audit Report	340
Standalone Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	347
• Significant Accounting Policies	358
• Notes on Accounts	379
• Auditors' Report	431
Consolidated Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	441
• Significant Accounting Policies	452
• Notes on Accounts	473
• Auditors' Report	498
Basel - III Disclosures	505

Indian Bank
Investor Services Cell
No. 254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 2813 4698; Fax No. 044 28134075
E-Mail: investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E-Mail: investor@cameoindia.com

Auditors

KAILASH CHAND JAIN & CO.
Chartered Accountants

S. SINGHAL & CO.
Chartered Accountants

G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

V GOPALAN & ASSOCIATES
Practicing Company Secretaries

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



ईट-दर-ईट, हम आपके सपनों को सजाते हैं इंड डिजी होम लोन



जानकारी के लिए स्कैन करें



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



बस कुछ टैप के साथ पाएं अपना वाहन ऋण इंड डिजी वाहन ऋण



जानकारी के लिए स्कैन करें

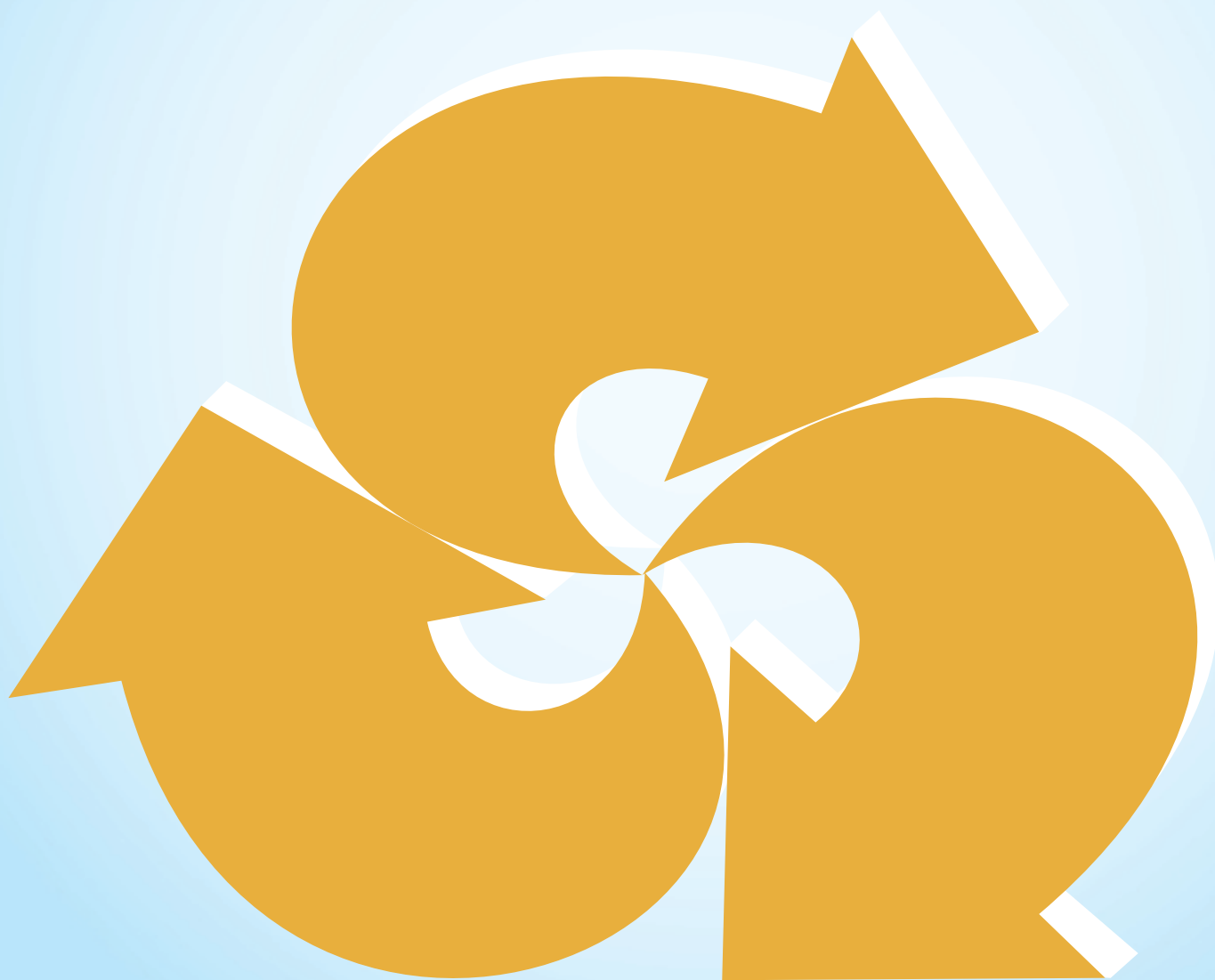
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2024-25 कार्यनिष्पादन की विशिष्टियां PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में) (₹ in Cr)

विवरण Particulars	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25
कुल व्यवसाय Total Business	928388	1009243	1094752	1221773	1325294
जमाराशि (वैश्विक) Deposits (Global)	538071	593618	621166	688000	737154
अग्रिम (वैश्विक) Advances (Global)	390317	415625	473586	533773	588140
निवेश (सकल) Investments (Gross)	181991	180235	189924	216872	226007
ब्याज आय Interest Income	39106	38856	44942	55615	62002
ब्याजेतर आय Non-Interest Income	5650*	6915	7143	7867	9223
कुल आय Total Income	44756*	45771	52085	63482	71225
ब्याज व्यय Interest Expenses	23440	22128	24717	32341	36826
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	10349	10926	12098	14301	15401
कुल व्यय Total Expenditure	33789	33054	36815	46642	52227
परिचालनगत लाभ Operating Profit	10967*	12717	15271	16840	18998
निवल लाभ Net Profit	3005	3945	5282	8063	10918
जमा लागत(%) Cost of Deposits (%)	4.44	3.97	4.09	4.88	5.12
अग्रिमों पर प्रतिलाभ(%) Yield on Advances (%)	7.45	7.21	7.76	8.72	8.75
निवल ब्याज मार्जिन(%) Net Interest Margin (%)	2.81	2.93	3.37	3.47	3.41
आस्तियों पर प्रतिलाभ(%) Return on Assets (%)	0.50	0.63	0.77	1.07	1.32
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	1129	1245	1245	1347	1347
आरक्षित निधि एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	31528	36252	40620	51066	60762
निवल मालियत Net Worth	29812	33625	37431	47491	57029
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	9.85	8.47	5.95	3.95	3.09
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	3.37	2.27	0.90	0.43	0.19
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) Capital Adequacy Ratio (Basel III)	15.71	16.53	16.49	16.44	17.94
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	26.61	32.38	42.41	63.23	81.06
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	263.98	269.98	300.55	352.58	423.39
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	2.00	6.50	8.60	12.00	16.25
शाखाओं की संख्या No. of branches (Nos.)	6007	5735	5791	5851	5905
कर्मचारियों की संख्या No. of employees (Nos.)	41629	39803	40781	40251	40071
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹लाख में) Business per employee (₹ in lacs)	2217	2520	2661	2985	3242

* जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए विगत अवधि के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है- प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण दिनांकित 30.08.21 - वित्तीय विवरणों संबंधी आरबीआई के मास्टर निर्देशों के आलोक में

* Figures of earlier period have been regrouped wherever necessary to conform to the current year classification - In the light of RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures dated 30.08.21





बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Binod Kumar

MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & CEO's Message

प्रिय सम्मानित हितधारकगण,

निदेशक मंडल, प्रबंधन टीम एवं इंडियन बैंक के सभी समर्पित सदस्यों की ओर से वित्त वर्ष 25 की हमारी वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि व्यापार एवं टैरिफ संबंधी सघन तनाव तथा वित्तीय बाजार की अस्थिरता से प्रभावित वैश्विक चुनौतियों के बीच बैंक ने उल्लेखनीय संवहनीयता का परिचय देते हुए इन कठिन परिस्थितियों का अत्यंत सफलतापूर्वक सामना किया है।

इंडियन बैंक में, हमारा मानना है कि हमारी उपलब्धियाँ उन मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम अपने हितधारकों के लिए सृजित करते हैं, जिनमें शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक और वृहत्तर समुदाय शामिल हैं। बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करने से पूर्व हम मौजूदा वैश्विक एवं आंतरिक व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं।

व्यापक आर्थिक परिदृश्य का विहंगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था: अनिश्चितता का दौर

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित घटनाओं का अनवरत एवं चुनौतीपूर्ण दौर जारी है। आईएमएफ ने 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 2.8% और 2026 में 3.0% रहने का अनुमान लगाया है, जो विगत अवधि के (2000-19) औसत 3.7% से कम है।

केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों की ओर क्रमिक, लेकिन, असमान गिरावट

Dear esteemed Stakeholders,

It is with great pride, on behalf of the Board of Directors, the Management team, and the dedicated members of Indian Bank, that I present our Annual Report for FY25. It gives me immense pleasure to share with you that amidst the backdrop of global challenges—marked by intensified trade and tariff tension and volatility in the financial markets—the Bank has demonstrated remarkable resilience and navigated these complexities with resounding success.

At Indian Bank, we firmly believe that our achievements are deeply connected to the value we create for our stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the wider community. Before we delve into the performance highlights of the Bank, let us first take a look at the prevailing global and domestic macroeconomic landscape.

Macroeconomic Overview

Global Economy: Uncertainty Prevails

The global economy continues to be characterised by prolonged and challenging period of unprecedented shocks. The IMF projects global growth at 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026, which is below historical (2000-19) average of 3.7%.

के बाद, मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्चतम स्तर से नीचे आई है। आईएमएफ के अनुसार, 2025 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए किए गए महत्वपूर्ण उर्ध्वगामी संशोधन और ईएमडीई (उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं) के लिए आंशिक अधोगामी संशोधनों के परिणामस्वरूप वैश्विक शीर्ष मुद्रास्फीति 2025 में 4.3% और 2026 में 3.6% रहने की उम्मीद है।

वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति में ढील दी है, तथापि, जमीनी कार्रवाई वैविध्यपूर्ण रही है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने-अपने परिक्रामी संवृद्धि-मुद्रास्फीति समीकरण के अनुकूल कार्रवाई की गई है। व्यापारिक तनाव में बढ़ोतरी तथा नीतिगत अनिश्चितता के आधिक्य के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भविष्य में, ऐसी संभावना है कि वैश्विक विकास की गति और कमजोर होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था: अनवरत संवहनीयता

वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, सशक्त घरेलू संवृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में सकल मांग मजबूत बने रहने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था संवहनीय बनी हुई है। देश की आर्थिक वृद्धि दर में ति3वि.व.25 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 6.15% की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही की उर्ध्वगामी संशोधित आर्थिक वृद्धि दर 5.58% से अधिक है। हालांकि, यह विगत वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 9.51% वर्ष-दर-वर्ष (संशोधित) वृद्धि दर से कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अधिरोपित टैरिफ सहित बाह्य क्षेत्र की प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2026 के लिए संवृद्धि अनुमान को 20 बीपीएस घटाकर 6.5% कर दिया है। भारत की जीडीपी संवृद्धि अपनी क्षमता से कम होने के बावजूद, यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है।

मुद्रास्फीति दबाव अब कम होने लगे हैं, मार्च 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले छः साल के लगभग निचले स्तर 3.34% पर आ गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की सहा सीमा के दायरे में बनी हुई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण सन्निकट मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। जलाशयों के बेहतर जल स्तर और फसल उत्पादन के कारण कृषि क्षेत्र में उज्ज्वल संभावनाओं को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 4.2% से घटाकर 4% कर दिया है।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, उच्चावृत्ति संकेतकों ने मिश्रित रुझान दिखाया है। औद्योगिक विकास (आईआईपी) में गिरावट आई है। विनिर्माण पीएमआई, ई-वे बिल, उच्चतर जीएसटी संग्रहण में सुधार को देखते हुए कुछ संकेतक उत्पादन गतिविधि में भी तेजी का संकेत दे रहे हैं। वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, कई महीनों की गिरावट के बाद भारतीय रुपया मार्च 2025 में मजबूत हुआ है, जो निवेशकों के विश्वास और मजबूत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का संकेत देता है।

वित्त वर्ष 26 के भावी परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, नियंत्रित मुद्रास्फीति, स्थिर मुद्रा, सक्रिय मौद्रिक सहयोग एवं सुधार-आधारित राजकोषीय संवेग के फलस्वरूप, भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत

Inflation, down from multi decade highs, followed a gradual but uneven decline toward central bank targets. As per the IMF, global headline inflation is expected to reach 4.3% in 2025 and 3.6% in 2026 with significant upward revisions for advanced economies and slightly downward revisions for EMDEs (Emerging Market and Developing Economies) in 2025.

Global central banks have cautiously eased monetary policy, but actions remain divergent as central banks responded to their own evolving growth-inflation dynamics. Escalation of trade tensions and high levels of policy uncertainty are expected to have significant impact on global economic activity. Going forward, expectations are that the global growth will weaken further.

Indian Economy: Remains Resilient

Despite the global headwinds, the Indian economy remained resilient with strong domestic growth with aggregate demand in the economy remaining strong. The country's economic growth accelerated to 6.15% Y-o-Y in Q3FY25, up from an upwardly revised economic growth of 5.58% in the previous quarter. However, it is lower than the growth rate of 9.51% Y-o-Y (revised) in the same period last year. The RBI lowered the growth projection for FY26 by 20 bps to 6.5%, taking into account headwinds from external sector, including recent tariffs imposed. While the GDP growth of India is below its potential, it remains the fastest-growing major economy in the world.

Inflationary pressures have begun to ease, with retail inflation falling to an almost six-year low of 3.34% in Mar'25 – remaining within RBI's tolerance band. The near-term inflation outlook has improved due to moderation in food prices. The RBI has brought down inflation projection for FY26 to 4% from 4.2% earlier as prospects for agriculture remain bright due to healthy reservoir levels and crop production.

During FY25, the high-frequency indicators showed mixed trends. The industrial growth (IIP) decelerated. Some indicators are also signalling uptick in production activity, with improvement noted in manufacturing PMI, e-way bill, higher GST collection. The Indian rupee, after months of depreciation, appreciated in Mar'25 even in the face of global turmoil—indicating investor confidence and strong forex reserves.

Looking ahead in FY26, with inflation under control, a stable currency, proactive monetary support, and reformed fiscal momentum, India's economic fundamentals remain solid. These factors together form a strong shield,

बनी हुई है। ऐसे सभी कारक एकसाथ एक मजबूत ढाल बनाते हैं, जो देश को बदतर वैश्विक व्यवधानों से बचाते हैं और संवहनीय, समावेशी विकास के लिए आधार तैयार करते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र

अमेरिका द्वारा ब्याज दरों की कटौती में विराम तथा जारी टैरिफ युद्ध जैसे वैश्विक कारकों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चलनिधि की स्थिति प्रभावित हुई है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में कटौती, रेपो दर में कटौती, विनियामक मानदंडों में समायोजन, मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ), परिवर्ती रेपो दर (वीआरआर) एवं मुद्रा स्वैप सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से अग्रसक्रिय कार्रवाई की गई है। समय पर किए गए इन हस्तक्षेपों ने स्थिति को प्रभावी रूप से संभाला है।

इसी के साथ, बजट में बुनियादी संरचना के विकास एवं कर में राहत के लिए सरकार द्वारा किए गए मजबूत प्रयासों के फलस्वरूप ऋण वृद्धि और जमाराशि संग्रहण में मदद मिल रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सक्रिय विनियामक उपायों का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र की शक्ति को सुदृढ़ करना है, जिसमें चलनिधि मानदंडों को सरल बनाना, एनबीएफसी के लिए जोखिम भार को संशोधित करना और आभूषण ऋण तथा दबावग्रस्त आस्ति प्रतिभूतिकरण संबंधी मसौदा दिशानिर्देश जारी किया जाना शामिल है।

मैं, इस व्यापक आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में, वित्त वर्ष 25 के दौरान बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन की विशेषताओं को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

बैंक का कार्यनिष्पादन - वित्त वर्ष 25

मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चुनौतीपूर्ण बाजार परिदृश्य के बावजूद बैंक ने रिकॉर्ड उच्चतम निवल लाभ और असाधारण आस्ति गुणवत्ता के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में मजबूत और शानदार प्रदर्शन किया है।

हमारा कुल व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 8.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ ₹ 13.25 लाख करोड़ को पार कर गया। हमारी जमाराशि 7 प्रतिशत बढ़कर ₹ 7.37 लाख करोड़ हो गई, जबकि सकल अग्रिम 10 प्रतिशत की मजबूत संवृद्धि के साथ ₹ 5.88 लाख करोड़ रहा।

हमने कुशल निधि नियोजन को रेखांकित करते हुए लगभग 80 प्रतिशत का मजबूत ऋण-जमा अनुपात बनाए रखा है। यह संवृद्धि मुख्य रूप से खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्रों पर हमारे विशेष प्रयासों पर आधारित थी, जिसका अब हमारे देशी ऋण पोर्टफोलियो में 64 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। खुदरा और कृषि ऋण के प्रत्येक खंड में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि, एमएसएमई ऋण में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो हमारी समावेशी और संतुलित विकास रणनीति को दर्शाता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत इंडियन बैंक ने पुनः एक बार उम्मीदों से बेहतर कार्यनिष्पादन किया है। हमारा प्राथमिकता प्राप्त

insulating the country from the worst of global disruptions and setting the stage for sustainable, inclusive growth.

Banking Sector

Global factors such as the pause in rate cuts by the U.S. and the ongoing tariff war led to a flight of FDI, resulting in tight liquidity conditions in the country. However, the Reserve Bank of India (RBI) responded proactively with a range of measures, including a reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR), repo rate cuts, adjustments in regulatory norms, Open Market Operations (OMO), Variable Repo Rate (VRR) and currency swaps. These timely interventions effectively stabilized the situation.

In addition, the Government's strong push for infrastructure development and tax reliefs in the budget are fuelling credit growth and deposit mobilization. The RBI's proactive regulatory measures—including easing liquidity norms, revising risk weights for NBFCs and releasing the draft guidelines on gold lending and stressed asset securitisation—are aimed at reinforcing the financial sector's strength.

Against this background of the macroeconomic scenario, I would like to highlight your Bank's financial performance during FY25.

Bank's Performance - FY25

I am happy to share that despite the challenging market scenario the Bank delivered a strong and healthy performance in the financial year 2024-25, marked by record highest net profit and exceptional asset quality.

Our total business crossed ₹13.25 lakh crore, reflecting a strong year-on-year growth of 8.5 percent. Our deposit base expanded to ₹7.37 lakh crore, up by 7 percent, while gross advances stood at ₹5.88 lakh crore, registering a healthy 10 percent growth.

We maintained a robust credit-deposit ratio of nearly 80 percent, underscoring efficient fund deployment. This growth was primarily driven by our focused thrust on the Retail, Agriculture and MSME (RAM) sectors, which now contribute over 64 percent of our domestic credit portfolio. Retail and agriculture loans grew by 14 percent each, while MSME credit rose by 12 percent, showcasing our inclusive and balanced growth strategy.

Under priority sector lending, Indian Bank has once again exceeded expectations. Our Priority Sector advances reached 44 percent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) exceeding the mandated 40 percent by RBI. Credit to agriculture formed over 19.5 percent of ANBC.

क्षेत्र अग्रिम आरबीआई द्वारा निर्धारित समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत के सापेक्ष 44 प्रतिशत हो गया। कृषि हेतु प्रदत्त ऋण एएनबीसी के 19.5 प्रतिशत से अधिक है। हमने छोटे और सीमांत किसानों, कमजोर वर्गों और सूक्ष्म उद्यमों को केंद्रित ऋण प्रदान कर समावेशी वित्त के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए रखी है।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 25 के दौरान स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को हमारा कुल संवितरण ₹ 15,210 करोड़ रहा, जिससे 3.22 लाख एसएचजी/जेएलजी को वित्तीय सहायता मिली और इससे 37.96 लाख सदस्य सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। सरकार की "लखपति दीदी" पहल के हिस्से के रूप में, इंडियन बैंक ने महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि और एमएसएमई उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया। यथास्थिति मार्च 2025 तक, इस पहल के तहत 17,931 महिला-नेतृत्व वाली इकाइयों को ₹ 191 करोड़ का वित्तपोषण प्रदान किया गया है, जिससे हम इस योजना के तहत संवितरित राशि के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गए हैं।

हमारे एमएसएमई पोर्टफोलियो में भी मजबूत वृद्धि देखी गई, बैंक ने मुद्रा ऋण में अपने वार्षिक लक्ष्य का 104 प्रतिशत प्राप्त किया तथा ₹ 8,400 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 8,760 करोड़ संवितरित किया गया। स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत हमने आर्बिट्रिट लक्ष्य का 118 प्रतिशत प्राप्त किया, जिससे जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

इस वर्ष, हमने निवल लाभ में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 10,918 करोड़ का सर्वाधिक लाभ दर्ज किया। परिचालनगत लाभ 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 18,998 करोड़ हो गया और निवल ब्याज आय 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 25,176 करोड़ हो गई।

चलनिधि की विकट परिस्थितियों के बीच हमारी जमा लागत मामूली वृद्धि के साथ 5.12 प्रतिशत हुई, परन्तु इसे अग्रिमों पर प्रतिफल 8.75 प्रतिशत तथा निवेशों पर प्रतिफल 7.17 प्रतिशत की वृद्धि ने संतुलित किया। उद्योग-व्यापी मार्जिन दबावों के बावजूद, हमने 3.51 प्रतिशत का सुदृढ़ घरेलू निवल ब्याज मार्जिन बनाए रखा।

आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सकल एनपीए घटकर 3.09 प्रतिशत तथा निवल एनपीए 0.19 प्रतिशत के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर आ गया है। तकनीकी अपलेखन सहित हमारा प्रावधान कवरेज अनुपात बढ़कर 98.1 प्रतिशत हो गया है - जो सार्वजनिक क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक है - यह हमारे सुदृढ़ तुलनपत्र को रेखांकित करता है।

आस्तियों पर प्रतिलाभ बढ़कर 1.32 प्रतिशत और इक्विटी पर प्रतिलाभ बढ़कर 20.76 प्रतिशत हो गया। प्रति शेयर आय ₹ 81.06 तक पहुंच गई, जबकि प्रति शेयर बही मूल्य बढ़कर ₹ 423 हो गई, जो शेयरधारकों को निरंतर प्रदत्त मूल्य का द्योतक है। हमारे शानदार प्रदर्शन के अनुरूप, बोर्ड ने इस वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 16.25 का लाभांश देने की संस्तुति की है।

We maintained our strong commitment to inclusive finance through focused lending to small and marginal farmers, weaker sections and micro-enterprises.

Notably, our total disbursement to Self Help Groups and Joint Liability Groups during FY25 stood at ₹15,210 crore, supporting 3.22 lakh SHG/JLGs and positively impacting 37.96 lakh members. As part of the Government's "Lakhpati Didi" initiative, Indian Bank launched a tailor-made scheme to finance women-led Agri and MSME enterprises. As of March 2025, 17,931 women-led units have been supported with ₹191 crore under this initiative, making us the top-performing public sector bank under the scheme in terms of disbursed amount.

Our MSME portfolio also saw robust traction, with the Bank achieving 104 percent of its annual target in Mudra loan, disbursing ₹8,760 crore against the target of ₹8,400 crore. Under the Stand-Up India scheme, we achieved 118 percent of the allocated target, reaffirming our commitment for fostering entrepreneurship at the grassroots level.

This year, we registered one of the highest profit as Net profit surged by 35 percent to ₹10,918 crore. Operating profit grew 13 percent to ₹18,998 crore and net interest income increased by 8 percent to ₹25,176 crore. These results reflect our sound fundamentals and prudent risk management.

Our cost of deposits rose moderately to 5.12 percent amidst tight liquidity conditions but this was balanced by an improved yield on advances at 8.75 percent and yield on investments at 7.17 percent. Despite industry-wide margin pressures, we sustained a healthy domestic net interest margin of 3.51 percent.

Asset quality improved remarkably. Gross NPA declined to 3.09 percent and net NPA fell to a record low of 0.19 percent. Our provision coverage ratio, including technical write-offs, rose to 98.1 percent—one of the best among public sector banks—underscoring our strengthened balance sheet.

Return on Assets improved to 1.32 percent and Return on Equity jumped to 20.76 percent. Earnings per share reached ₹81.06, while the book value per share increased to ₹423, reflecting the value we consistently deliver to shareholders. In line with our improved performance, the Board has recommended a dividend of ₹16.25 per share for the year.

Our capital adequacy ratio stands strong at 17.94

हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.94 प्रतिशत पर मजबूती के साथ बना हुआ है, जो संवृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, हमने दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड जारी कर दो चरणों में ₹ 10,000 करोड़ संग्रहित किया, जिससे हमारा दीर्घकालिक संसाधन और मजबूत हुए हैं।

वित्त वर्ष 2025 डिजिटल मोर्चे पर भी रुपांतरकारी रहा है। हमारा कुल डिजिटल व्यवसाय दोगुना से भी अधिक बढ़कर ₹ 1.67 लाख करोड़ हो गया। हमने खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट को कवर करते हुए 121 डिजिटल यात्राएं, उपयोगिताएं और प्रक्रियाएं शुरू कीं। आज 95 प्रतिशत नये बचत बैंक खाते डिजिटल रूप से खोले जाते हैं तथा समस्त लेनदेनों के 92 प्रतिशत लेनदेन डिजिटल माध्यम से होते हैं।

हमारे मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडस्मार्ट, जिसकी ऐप स्टोर रेटिंग 4.3 और उपयोगकर्ता 1.94 करोड़ से अधिक हैं, को 280 से अधिक कार्यक्षमताओं के साथ समुन्नत किया गया है। हमने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक समर्पित मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और हमारे फिनटेक साझेदारी नेटवर्क को 167 फर्मों तक विस्तारित किया, जिससे हमारी डिजिटल ऋण, भुगतान और विश्लेषण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

हमने एआई चैटबॉट्स, क्लाउड माइग्रेशन, सीआरएम प्लेटफॉर्मों में निवेश किया है और आरबीआईएच के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के साथ एकीकरण किया है, जिसने ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय का प्रसंस्करण किया है। ऐसे सभी पहल "प्रोजेक्ट वेव" का हिस्सा हैं - जो अपने ग्राहकों के लिए वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल इक्सपेरियंस बनाने का हमारा विज़न है।

हम अपने मुख्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ड्यूल प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के सफल संस्थापन से यह और मजबूत हुआ है। इससे वर्ष के अंत में निर्बाध परिचालन संभव हुआ और अतिरिक्त लागत के बिना अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावधान करना सफल हो पाया - जो हमारी दक्षता और कार्यकुशलता का द्योतक है।

वित्तीय समावेशन के लिए बैंक की रणनीति, औपचारिक वित्तीय सेवाओं की सर्वसुलभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने पर ज़ोर देता है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और सबसे महत्वपूर्ण, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जो असंगठित क्षेत्र के लिए एक प्रमुख पेंशन योजना है, जैसी प्रमुख पहलों द्वारा समर्थित किया जाता है।

मार्च 2025 तक, हमारे पास 235.29 लाख पीएमजेडीवाई खाते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान 18.52 लाख नए खाते जोड़े गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत, बैंक ने 31 मार्च 2025 तक पीएमजेजेबीवाई में 21.02 लाख ग्राहकों और पीएमएसबीवाई में

percent, ensuring ample headroom for growth. During the year, we raised ₹10,000 crore in two tranches through the issuance of long-term infrastructure bonds, further strengthening our long term resources.

FY25 has also been transformative on the digital front. Our total digital business more than doubled to ₹1.67 lakh crore. We launched 121 digital journeys, utilities & processes covering retail, agriculture, MSME, and corporate segments. Today, 95 percent of new savings accounts are opened digitally, and 92 percent of all transactions are conducted through digital channels.

Our mobile banking app, IndSMART, was further upgraded with more than 280 functionalities with more than 1.94 crore users and a 4.3 rating on app stores. We launched a dedicated mobile banking platform for Corporate clients and expanded our fintech partnership network to 167 firms, significantly enhancing our digital lending, payments and analytics capabilities.

We have invested in AI chatbots, cloud migration, CRM platforms, and are integrated with RBIH's Unified Lending Interface, which processed over ₹5,000 crore worth of business. All these initiatives are part of "Project WAVE"—our vision to build a World of Advanced Virtual Experience for our customers.

We have been focussing on strengthening our core IT infrastructure and this was further reinforced with the successful deployment of a dual private cloud infrastructure. This enabled seamless year-end operations and allowed for temporary infrastructure provisioning without incurring additional costs—showcasing our agility and cost efficiency.

The Bank's strategy for Financial Inclusion sets forth a vision of universal access to formal financial services. It emphasizes making financial services available, accessible and affordable in a safe and transparent manner. This multi-dimensional approach is supported by key initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and crucially, the Atal Pension Yojana (APY)—a flagship pension scheme for the unorganized sector.

As of March 2025, we operate 235.29 lakh PMJDY accounts, with 18.52 lakh new accounts added during the year. Under Social Security Schemes, Bank enrolled 21.02 Lakh Customers in PMJJBY and 33.05 Lakh Customers in PMSBY till 31st Mar'25. In Micro Pension Scheme - APY, during FY25 Bank has added 6.38 lakh fresh enrolments

33.05 लाख ग्राहकों को पंजीकृत किया। माइक्रो पेंशन योजना - एपीवाई में, वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने 31 मार्च 2025 तक 90 के आनुपातिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रति शाखा औसत खाता (एएपीबी) 106 के साथ 6.38 लाख नए पंजीकरण जोड़े हैं।

इंडियन बैंक वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि कर समुदायों को सशक्त बनाने के अपने मिशन में दृढ़ संकल्पित है। बैंक विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यक्तियों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और बेहतर आजीविका के लिए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने हेतु प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।

इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (इंडसेटी) के माध्यम से हमारे कौशल विकास पहलों ने 35,601 के लक्ष्य के सापेक्ष 36,565 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया; 1,203 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 103 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की। हमारे 42 वित्तीय साक्षरता केंद्रों ने 1.6 लाख से अधिक नागरिकों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाया है।

इंडियन बैंक में, हम मानते हैं कि बैंक की संवृद्धि हमारे कर्मचारियों के विकास में गहनतापूर्वक निहित है। इसे मान्यता प्रदान करते हुए, हम सुदृढ़ शिक्षण और विकासात्मक कार्यक्रमों में निवेश करना जारी रखे हुए हैं, जो सभी स्तरों पर क्षमताओं का निर्माण करते हैं। महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने, समावेशी और सशक्त कार्यबल के संवर्द्धन पर भी विशेष जोर दिया गया है, जो संवहनीय सफलता को बढ़ावा देता है।

इस दिशा में, हमने नेतृत्व कौशल के विकास और भावी नेतृत्वकर्ताओं की कड़ी तैयार करने हेतु "राइजिंग स्टार" नामक विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया। बैंक के पास कौशल निर्माण के दो उत्कृष्टता केंद्र हैं, जहां ऋण एवं संग्रहण के कार्य और कार्यबल की उत्कृष्टता हेतु क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने रिवाई एवं रिकॉगनिशन स्कीम के तहत एक नेतृत्व बोर्ड की भी शुरुआत की, जिसके 7 बैचों में 217 महिला नेत्रियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 1,959 प्रतिभागियों के साथ 81 क्रॉस-बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष, कुल मिलाकर 1,392 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 23,196 विशिष्ट कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

हमारे प्रयासों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

- इंडियन बैंक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी **"प्रोजेक्ट वेव"** और विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना का अनुमान लगाने और लक्षित संग्रहण यात्रा की रूपरेखा तैयार कर जोखिम को कम करने के लिए बनाए गए विशिष्ट मॉडल **"एसएमए कलेक्शन प्रोक्लिविटी प्रेडिक्टर"** के लिए बैंक को प्रतिष्ठित **स्कॉच पुरस्कार** प्राप्त हुआ है।
- तमिलनाडु लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में बैंक को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड और बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- ईज 6.0 रिफ़ॉर्मर्स इंडेक्स अवार्ड्स के तहत बैंक को 'टॉप इंप्रूवर' श्रेणी में 'सेकेंड बेस्ट इंप्रूवर' से सम्मानित किया गया

with an Average Account Per Branch (AAPB) of 106 against proportionate target of 90 as of 31st Mar'25.

Indian Bank remains steadfast in its mission to empower communities by fostering financial literacy and enhancing employability. The Bank is providing training and awareness programs to help individuals, particularly in rural areas, acquire skills and knowledge for better financial decisions and improved livelihoods.

Our skill development initiatives through Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) trained 36,565 candidates against a target of 35,601, achieving 103 percent through 1,203 training programmes. Our 42 Financial Literacy Centres reached over 1.6 lakh citizens.

At Indian Bank, we believe that the growth of the Bank is deeply rooted in the growth of its employees. Recognizing this, we continue to invest in robust learning and development programmes that build capabilities across all levels. Special emphasis has also been placed on nurturing women leaders, fostering an inclusive and empowered workforce that drives sustainable success.

In this direction, we launched special program "Rising Star" to support leadership grooming and create the future leadership pipeline. The Bank has two Centre of Excellence for skill building wherein capacity build up was done in functional of credit and collections and people excellence. We also initiated a Leadership Board under the Rewards & Recognition Scheme, trained 217 women leaders in 7 batches, and conducted 81 cross-bank training programmes with 1,959 participants. Altogether, 23,196 unique employees were trained through 1,392 training programmes this year.

Our efforts have been recognized with numerous accolades.

- The Bank received prestigious SKOCH Award for "Project WAVE", - Indian Bank's digital transformation journey and for "SMA Collection Proclivity Predictor"- a model built to predict the probability of default for Special Mention Accounts (SMA) and reduce risks by outlining a targeted collection journey.
- At Tamil Nadu Leadership Awards 2024, the Bank received CEO of the Year Award and Best Public Sector Bank Award.
- At the EASE 6.0 Reforms Index awards, the Bank was awarded as the second-best improver in the Top Improver category and it secured the third position in the People & HR Operations category.

तथा 'पीपुल एंड एचआर ऑपरेशन्स' श्रेणी में बैंक को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

- इंडियन बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी को नई दिल्ली में आयोजित 'एसोचेम थर्ड वाइब्रेंट भारत सीएफओ समिट एवं अवार्ड्स' समारोह में प्रतिष्ठित 'बेस्ट सीएफओ अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- नई दिल्ली में आयोजित एसोचेम के 11वें एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड एवं कॉन्फ्रेंस में बैंक को 'एमएसएमई के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा' तथा 'वर्ष के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी सक्षमता प्रदाता' के रूप में सम्मानित किया गया।
- इंडियन बैंक को 'ईटी नाऊ बेस्ट बीएफएसआई ब्राण्ड्स 2025 कॉन्क्लेव' के दौरान सम्मानित किया गया।
- बैंक को अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से भविष्य-सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 'द इकोनॉमिक टाइम्स सीआईओ अवार्ड फॉर एंटरप्राइज आईटी एक्सीलेंस 2025' से सम्मानित किया गया।
- बैंक ने 'माक्समैन डेली' द्वारा आयोजित 'भारत में सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रांड्स 2025-26' के 5वें संस्करण का खिताब जीता।

इंडियन बैंक केवल वित्तीय सफलता के लिए ही प्रतिबद्ध नहीं है - हम प्रभावपूर्ण सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदाय के लिए सक्रियता से योगदान करते हैं। इस वर्ष, हमने राजीव गांधी गवर्नमेंट जेनरल हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस प्रदान किया तथा पेरम्बूर, करनाल और मोड़लापुर के स्कूलों को कंप्यूटर, प्रयोगशाला संबंधी बुनियादी ढांचा आदि उपलब्ध कराया। हमने मेरठ में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के टीके प्रायोजित किए, शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं और बालिकाओं को सहायता प्रदान की, मुंबई में 750 डायलिसिस प्रक्रियाओं को वित्तपोषित किया तथा कुरिची स्थित आईबीईए स्कूल में 200 मीटर के एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त, हमने चेन्नई में जगन्नाथ मंदिर के आसपास वृक्षारोपण को प्रायोजित कर पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान दिया। इन प्रयासों के माध्यम से, हम सामाजिक दायित्व, समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं।

हमारे पर्यावरण संबंधी सतत प्रयासों के तहत, हमने 85 चिह्नित परिसरों में से 80 के छतों पर सौर पैनल स्थापित किए हैं, इससे प्रतिवर्ष बिजली लागत में ₹ 1.25 करोड़ की बचत होने की संभावना है। हमने 39 स्थानों पर वर्षा जल संचयन प्रणालियां भी स्थापित की हैं तथा 3,537 शाखाओं में अभिलेख प्रबंधन प्रणाली लागू की है तथा 2,319 अन्य शाखाओं में कार्य प्रगति पर है।

मार्च 2025 तक, हमारे भौतिक बुनियादी ढांचे में देश भर में 5,901 पारंपरिक बैंकिंग शाखाएँ, 3,078 एटीएम, 2,190 बीएनए और 3,102 पासबुक कियोस्क शामिल हैं। हम 20 कॉर्पोरेट बैंक मित्र और कुल 14,667 बैंक मित्र के माध्यम से ग्राहकों की सेवा करते हैं, जिनमें से 3,725 को वित्त वर्ष 25 में तैनात किया गया था, जिसमें शहरी और

- The Chief Financial Officer of Indian Bank was honoured with the prestigious Best CFO Award at the ASSOCHAM 3rd Vibrant Bharat CFO Summit & Awards held in New Delhi.
- The Bank was recognized at ASSOCHAM's 11th MSME Excellence Award & Conference in New Delhi, receiving accolades for Excellent Customer Service for MSMEs and being named the Best Technology Enabler of the Year for MSMEs.
- Indian Bank was honoured during the ET Now Best BFSI Brands 2025 Conclave.
- The Bank has received The Economic Times CIO Award for Enterprise IT Excellence 2025 for its exceptional achievement in implementing cutting-edge technology for a future-proof digital infrastructure.
- The Bank won the 5th edition of Most Trusted Brands in India 2025-26 by Marksmen Daily.

Indian Bank is committed to more than just financial success—we actively give back to the community through impactful CSR initiatives. This year, we donated an ambulance to Rajiv Gandhi Government General Hospital and provided computers, lab infrastructure etc to schools in Perambur, Karnal, and Mylapore. We sponsored cervical cancer vaccines in Meerut, supported physically challenged women and girls, funded 750 dialysis procedures in Mumbai and constructed a 200-meter athletic track at IBEA School, Kurichi. Additionally, we contributed to environmental sustainability by sponsoring sapling plantations around the Jagannath Shrine in Chennai. Through these efforts, we continue to promote social responsibility, inclusion and sustainable development.

Under our environmental sustainability efforts, we installed rooftop solar panels in 80 of 85 identified premises, expected to save ₹1.25 crore in electricity costs annually. We also installed rainwater harvesting systems in 39 locations and implemented a Records Management System in 3,537 branches, with work progressing in 2,319 additional branches.

As of March 2025, our physical infrastructure includes 5,901 brick and mortar branches, 3,078 ATMs, 2,190 BNAs and 3,102 passbook kiosks across the country. We serve customers through 20 Corporate Business Correspondents and a total of 14,667 BCs out of which 3,725 were deployed in FY25, supporting ease of banking

ग्रामीण भारत में बैंकिंग को आसान बनाने में सहायता मिली है।

इसके अतिरिक्त, हमने बैंक को परिचालन सहायता और सोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के रणनीतिक उद्देश्य के साथ इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में निगमित किया।

वर्तमान पहल:

हमारा बैंक कई ऐसी परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो व्यवसाय और परिचालनगत दोनों क्षमताओं में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मजबूत करेगी। ऐसी पहल विशेषीकृत कार्यक्षेत्रों, डिजिटलीकरण, प्रक्रिया और उत्पाद संवर्द्धन, परिचालन परिवर्तन और मानव संसाधन परिवर्तन में की गई है।

हमारा प्रमुख फोकस क्षेत्र, संसाधन अधिग्रहण केंद्र (आरएसी) का विस्तार है। वर्तमान में, हमारे पास 403 समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) के साथ 100 आरएसी कार्यरत हैं और हम अपने कासा पोर्टफोलियो और ग्राहक संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वित्त वर्ष 26 में 25 नए आरएसी खोलने की योजना बना रहे हैं।

हम अपने ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अंगीकृत कर रहे हैं। आने वाली प्रमुख पहलों में से एक एमएसएमई ग्राहक ऐप है, जो ऋण और ऋण से इतर सेवाओं सहित एमएसएमई की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक व्यापक ओमनी-चैनल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। एमएसएमई ऋण नवीनीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए, हम एमएसएमई ऑटो नवीनीकरण की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्राहकों की कार्यकुशलता और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

बैंक ने एआई/जेन-एआई जैसी नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है और कर्मचारियों की सहायता के लिए एक नॉलेज इंजन विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, हम एजेंटिक एआई का उपयोग कर एआई सक्षम संग्रहण और वसूली एजेंट विकसित करने की प्रक्रिया में तत्पर हैं।

इंडियन बैंक ने टेलीपरफॉर्मेंस की साझेदारी में क्लाउड आधारित एनजीसीसी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत की है। यह पहल वॉयस और डिजिटल चैनलों पर ग्राहक सेवा को बेहतर बनाती है, उन्नत सीआरएम और एनालिटिक्स को एकीकृत करती है और एकाधिक स्थानों से बहुभाषी 24x7 सेवाओं में सहयोग करती है। एनजीसीसी बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया समय, सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए तैयार है।

डिजिटल मोड में मुद्रा योजनाओं के चार वैरिएंट की शुरुआत से वित्तीय समावेशन पर हमारा ध्यान और अधिक केन्द्रित होगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए यह उत्पाद ऋण की उपलब्धता को सरल बनाएंगे। किसान क्रेडिट कार्डधारकों के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया को भी केसीसी नवीनीकरण के माध्यम से और अधिक कार्यकुशल बनाया जाएगा। हम अपने कर्मचारियों के लिए, स्टाफ वाहन ऋण और स्टाफ आवास ऋण के लिए डिजिटल ऋण प्रसंस्करण का लाभ

across urban and rural India.

Additionally, we incorporated Indbank Global Support Services Limited as a Wholly Owned Subsidiary with the strategic objective of providing operational support and sourcing services to the Bank.

Ongoing Initiatives:

Our Bank is actively working on several projects that will strengthen our competitive edge in both business and operational capabilities. These initiatives span across specialised verticals, digitisation, process and product enhancements, operational transformation and HR transformation.

One of our key focus areas is the expansion of Resource Acquisition Centre (RACs). Currently, we have 100 RACs functioning with 403 dedicated Relationship Managers (RMs) and we plan to add 25 new RACs in FY26 to further strengthen our CASA portfolio and customer reach.

We are embracing digital transformation to provide seamless banking solutions to our customers. One of the key upcoming initiatives is the MSME Customer App, which will serve as a comprehensive omni-channel platform catering to all banking requirements of MSMEs, including lending and beyond-lending services. To streamline MSME loan renewals, we are introducing MSME Auto Renewal, ensuring efficiency and ease for our customers.

The Bank is also focused on leveraging new-age tech such as AI/ Gen-AI and has developed a Knowledge Engine to assist the Employees. Additionally, we are in the process of developing an AI powered collections and recovery agent using Agentic AI.

Indian Bank has embarked on a digital transformation journey through the implementation of a cloud based NGCC platform in partnership with Teleperformance. The initiative enhances customer service across voice and digital channels, integrates advanced CRM and analytics and supports multilingual 24x7 operations from multiple locations. NGCC is poised to significantly improve response time, service quality and customer satisfaction at scale.

Our focus on financial inclusion will be further strengthened by introduction of four variants of MUDRA schemes in digital mode. For micro and small enterprises these products will simplify the credit accessibility. The renewal process for Kisan Credit Card holders will also be made more efficient through KCC Renewal. For our

प्रदान कर रहे हैं।

पीएमएवाई और एग्री स्टैक जैसी पहलों के साथ किफायती आवास और कृषि वित्तपोषण का समर्थन करना हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। हम आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण और कृषि प्रसंस्करण मॉड्यूल (ओडी/टीएल) के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता को भी मजबूत बना रहे हैं। कृषि प्रसंस्करण और भंडारण बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूलित वित्तपोषण समाधान आईबी स्टार एग्रो मिल और कोल्ड स्टोरेज (ओडी/टीएल) के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

पेशेवरों और व्यवसायों के लिए ऋण सुलभता का विस्तार करने के लिए, हम वेयरहाउस रसीदों के सापेक्ष ऋण और इंड प्रोफेशनल स्पेशल का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीएमईजीपी और वैयक्तिक ऋण के सात वैरिएंट के माध्यम से विविध ऋण उत्पाद प्रदान किए जाएंगे। आईबी हेल्थ केयर के साथ-साथ एनएससी, केवीपी और शेयरों सहित प्रतिभूति के सापेक्ष ऋण से व्यक्तियों की वित्तीय सुलभता में सुधार होगी।

उपकरण वित्तपोषण तथा कृषि विकास को और अधिक समर्थन प्रदान करते हुए, हम इंडइक्विप एंड व्हील्स तथा कृषि मीयादी ऋण का शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे ग्राहकों को विकास और सफलता के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता प्राप्त हो।

आगामी रणनीति :

भविष्य में, बैंक का जोर संवहनीय व्यवसाय संवर्द्धन, ग्राहक सेवा की उत्कृष्टता, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और अनुपालन संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर होगा। इसमें विनियामक ढांचे को मजबूत करना, बेहतर ग्राहक संपर्क और परिचालन दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग तथा एमएसएमई, कृषि और खुदरा ग्राहकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना शामिल होगा।

आभार ज्ञापन :

मैं इस अवसर पर इंडियन बैंक परिवार के सभी सदस्यों, हमारे सम्मानित ग्राहकों और विभिन्न हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बैंक के कार्यनिष्पादन और सफलता में अपना सहयोग और योगदान दिया है। मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामक निकायों द्वारा दिए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

हम भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

बिनोद कुमार
एमडी एवं सीईओ

employees, we are enhancing benefits with digital loan processing for Staff Vehicle Loan and Staff Housing Loan.

Supporting affordable housing and agricultural financing remains a priority, with initiatives such as PMAY and Agri Stack. We are also strengthening financial support for agricultural and allied sectors through Supply Chain Finance and the Agro Processing Module (OD/TL). Tailored financing solutions for agro-processing and storage infrastructure will be available through IB Star Agro Mill and Cold Storage (OD/TL).

To expand credit accessibility for professionals and businesses, we are introducing Loan Against Warehouse Receipts and Ind Professional Special. Additionally, PMEGP and Personal Loan in seven variants will offer diverse loan products to meet varied customer needs. Loan Against Security, including NSC, KVP and Shares, along with IB Health Care will enhance financial flexibility for individuals.

Further supporting equipment financing and agricultural development, we are launching IND Equip & Wheels and Agri Term Loan, ensuring that our customers have access to the financial resources they need to grow and succeed.

Way Forward:

Going ahead, the Bank's emphasis will be to adopt a multi-pronged approach focusing on Sustainable Business Growth, Customer Service Excellence, Digital Onboarding and Compliance Culture. This will include strengthening regulatory frameworks, leveraging technology for better customer outreach and operational efficiency and supporting key sectors like MSME, Agriculture and Retail customers.

Acknowledgement

I will take this opportunity to express my gratitude to all the members of Indian Bank family, our esteemed customers and various stakeholders for their support and contributions to the Bank's performance and success. I would also like to acknowledge the support and guidance given by the Government of India, RBI and other regulatory bodies.

We look forward to your continued support in achieving future goals.

With best wishes,

Yours sincerely,

Binod Kumar
MD & CEO



इरादतन रिक्त रखा गया है।



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



आपकी बचत यात्रा सिर्फ एक टैप से शुरू ऑनलाइन बचत बैंक खाता



MESSAGES

Just now

Account opened successfully. Enjoy banking!



जानकारी के लिए स्कैन करें

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



स्मार्ट तरीके से अपने पेशे को सशक्त बनाएं आईबी प्रोफेशनल चालू खाता



जानकारी के लिए स्कैन करें

निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25

सेवा में

सदस्यगण,

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखे का विवरण एवं नकदी प्रवाह के विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टियां

वित्त वर्ष 25 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:

ए) संसाधन संग्रहण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.24	31.03.25	वर्ष दर वर्ष (%)
वैश्विक जमाराशियां	688000	737154	7.14
देशी जमाराशियां	661826	702966	6.22
जिसमें से चालू	38598	39236	1.65
बचत	241414	243140	0.72
कासा	280012	282376	0.84
कासा सम्मिश्र (%)	42.31	40.17	-
विदेशी जमाराशियां	26174	34188	30.62
वैश्विक अग्रिम (सकल)	533773	588140	10.19
देशी अग्रिम (सकल)	498160	546283	9.66
विदेशी अग्रिम (सकल)	35613	41857	17.53
कुल व्यवसाय	1221773	1325294	8.47
कुल आस्तियां	792619	873411	10.19

- मार्च 2025 में वैश्विक जमाराशियां वर्ष-दर-वर्ष 7.14% वृद्धि के साथ ₹ 7.37 लाख करोड़ हो गई।
- देशी जमाराशियां 6.22% की वृद्धि के साथ ₹ 7.03 लाख करोड़ हो गई। देशी कासा बढ़कर ₹2.82 लाख करोड़ हो गया एवं कासा शेयर 40.17% रहा। कासा पोर्टफोलियो में संवर्धन के उद्देश्य से बैंक ने वित्त वर्ष 25 के दौरान 36.08 लाख नए कासा खाते (बीएसबीडी बचत खातों को छोड़कर) संग्रहण किए हैं।
- बैंक के सकल अग्रिम (वैश्विक) में 10.19% की वृद्धि हुई और यथास्थिति मार्च 31, 2024 को ₹5.33 लाख करोड़ से यथास्थिति मार्च 31, 2025 को ₹ 5.88 लाख करोड़ हो गया।
- यथास्थिति मार्च 31, 2025 को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 2.04 लाख करोड़ रहा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष वित्त वर्ष 25 के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप

में 44.12% रहा।

- कृषि ऋण (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र) ₹ 90,476 करोड़ था एवं यह 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में 19.55% रहा।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान आरबीआई द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
- सकल एनपीए एवं निवल एनपीए यथास्थिति 31 मार्च 2024 के क्रमशः ₹ 21,106 करोड़ (3.95%) एवं ₹ 2,223 करोड़ (0.43%) के सापेक्ष घटकर यथास्थिति 31 मार्च 2025 को क्रमशः ₹18,179 करोड़ (3.09%) एवं ₹ 1,110 करोड़ (0.19%) हो गई।
- एनपीए की कुल वसूली (एयूसी खातों में वसूली, उन्नयन और एमओआई सहित नकदी वसूली) विगत वर्ष में ₹ 8,799 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 25 के दौरान ₹ 7,651 करोड़ रही।
- बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्त वर्ष 24 में 96.34% के सापेक्ष वित्त वर्ष 25 में 176 बीपीएस वृद्धि के साथ 98.10% रहा।
- बैंक का देशी शाखा नेटवर्क बढ़कर 5901 हो गया, जिनमें से 1992 ग्रामीण, 1555 अर्ध-शहरी, 1182 शहरी और 1172 महानगरीय शाखाएँ हैं। इसके अलावा, बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ एवं 1 आईएफसी बैंकिंग यूनिट (गिफ्ट सिटी) है। बैंक के एटीएम और बीएनए की कुल संख्या 5268 रही, जिनमें 608 ऑफसाइट एटीएम/बीएनए और 3 मोबाइल एटीएम शामिल हैं। बैंक के 14667 बैंक मित्र (बीसी) भी हैं, जिससे पूरे भारत में टच प्वाइंट्स की संख्या 25837 हो गई है।

बी) आय एवं व्यय (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.24	31.03.25	वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत)
अर्जित ब्याज	55615	62002	11.49
व्यय किया गया ब्याज	32341	36826	13.87
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	23274	25176	8.18
अन्य आय	7867	9223	17.25
जिसमें से - शुल्क आय	3298	3528	6.96
परिचालन राजस्व (एनआईआई+अन्य आय)	31141	34399	10.46

विवरण	31.03.24	31.03.25	वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत)
परिचालनगत व्यय	14301	15401	7.69
जिसमें से कर्मचारी पर व्यय	9265	9883	6.68
अन्य परिचालनगत व्यय	5036	5518	9.57
परिचालनगत लाभ	16840	18998	12.82
कर से इतर प्रावधान	5889	4211	(28.49)
कर से पूर्व लाभ	10951	14787	35.02
कर के लिए प्रावधान	2888	3869	33.95
निवल लाभ	8063	10918	35.41

1. बैंक की ब्याज आय वित्त वर्ष 2025 में 11.49% की वृद्धि के साथ ₹ 62,002 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹ 55,615 करोड़ थी।
2. निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 25 में 8.18% की वृद्धि के साथ ₹ 25176 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 23274 करोड़ थी।
3. शुल्क आधारित आय वित्त वर्ष 25 में 6.96% की वृद्धि के साथ ₹ 3528 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 3298 करोड़ थी।
4. परिचालनगत लाभ वित्त वर्ष 25 में 12.82% की वृद्धि के साथ ₹ 18998 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 16840 करोड़ थी।
5. करपूर्व लाभ वित्त वर्ष 25 में 35.02% की वृद्धि के साथ ₹ 14787 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 10951 करोड़ थी।
6. निवल लाभ वित्त वर्ष 25 में वर्ष-दर-वर्ष 35.41% की वृद्धि के साथ ₹ 10918 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 8063 करोड़ थी।

सी) वित्त वर्ष 25 हेतु प्रमुख अनुपात (% में)

मापदंड	31.03.24	31.03.25
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.72	8.75
जमा लागत	4.88	5.12
निवल ब्याज मार्जिन	3.47	3.41
निवल ब्याज मार्जिन(देशी)	3.54	3.51
लागत-आय अनुपात	45.92	44.77
आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.07	1.32
इक्विटी पर प्रतिलाभ	19.24	20.76
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ लाख में)	2657	2922
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	20.03	27.25

1. अग्रिमों पर प्रतिफल (वाईओए) वित्त वर्ष 25 में 3 बीपीएस वृद्धि के साथ 8.75% हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में 8.72% थी।
2. आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) वित्त वर्ष 25 में 25 बीपीएस वृद्धि के साथ 1.32% हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में 1.07% थी।
3. इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) वित्त वर्ष 25 में 152 बीपीएस वृद्धि के साथ 20.76% हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में 19.24% थी।
4. प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय वित्त वर्ष 25 में ₹ 265 लाख की वृद्धि के साथ ₹ 2922 लाख हो गई जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 2657 लाख था।
5. प्रति कर्मचारी लाभ वित्त वर्ष 25 में ₹ 27.25 लाख की वृद्धि के साथ ₹ 27.25 लाख हो गई जो वित्त वर्ष 24 में ₹ 20.03 लाख था।

डी) निवल मालियत एवं सीआरएआर

1. बैंक की निवल मालियत 31 मार्च 2025 को ₹ 57,029 करोड़ हो गई, जबकि 31 मार्च 2024 में यह ₹ 47,491 करोड़ थी।
2. बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान कुल ₹ 10,000 करोड़ के दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाए थे और भारत सरकार की शेयरधारिता 73.84% है।

(% में)

बेसल III के अनुरूप सीआरएआर	यथास्थिति	
	31.03.2024	31.03.2025
सीईटी - I	13.52	15.36
टियर I - पूंजी	14.03	15.85
टियर II - पूंजी	2.41	2.09
कुल	16.44	17.94

1. बेसल III मानदंडों के अनुसार, सीईटी-I अनुपात, न्यूनतम अपेक्षाएं **8.00%** के सापेक्ष 31.03.2024 को **13.52%** की तुलना में 31.03.2025 को **15.36%** रहा।
2. टियर-I पूंजी यथास्थिति 31 मार्च 2024 को **14.03%** के सापेक्ष यथास्थिति 31 मार्च 2025 को **15.85%** रही।
3. जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में अनुपात (सीआरएआर) **11.50%** के विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप 31 मार्च, 2024 में **16.44%** की तुलना में यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को **17.94%** रहा।

ई. भर्ती/प्रशिक्षण

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने अजा/अजजा/ईडब्ल्यूएस/अपिव/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए सीधी भर्ती में

आरक्षण नियम लागू किया और अजा/अजजा/अपिव और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के कर्मचारियों को आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एफ. वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियुक्त/नामित किया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने -

- डॉ. आलोक पांडे को दिनांक 13.05.2024 के प्रभाव से भारत सरकार द्वारा बैंक के नामित निदेशक के रूप में;
- श्री बिनोद कुमार को दिनांक 16.01.2025 के प्रभाव से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में;

नियुक्त/नामांकित किया है।

- श्री संजीव के माहेश्वरी को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 21.12.2024 से 20.12.2027 तक की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया।

नियुक्ति की अवधि पूरी होने या समाप्त होने से संबंधित विवरण निम्नानुसार है,

- बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री शांति लाल जैन की नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति अवधि दिनांक 01.01.2025 को समाप्त हो गई।
- बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री विश्वेश कुमार गोयल की नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति अवधि दिनांक 21.12.2024 को समाप्त हो गई।
- बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री बालमुकुंद सहाय की नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति अवधि दिनांक 21.12.2024 को समाप्त हो गई।
- बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में सुश्री पापिया सेनगुप्ता की नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति अवधि दिनांक 29.10.2024 को समाप्त हो गई।
- भारत सरकार द्वारा बैंक के नामित निदेशक के रूप में डॉ. एम. पी. तंगिरला की नियुक्ति की अवधि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना संख्या 6/2(ii)/2022-बीओ.1 दिनांकित 13.05.2024 के माध्यम से दिनांक 13.05.2024 को समाप्त हो गई।

जी) निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी अभिकथन

सभी निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे को तैयार करने में:

1. तात्त्विक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है;
2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की वास्तविक स्थिति एवं मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ के सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन किए गए हैं।
4. भारत में बैंकों को अभिशासित करने वाली प्रयोज्य विधानों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु समुचित एवं यथेष्ट सावधानी बरती गई है; तथा
5. लेखे को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

एच) आभार ज्ञापन

बोर्ड, भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनसे प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए कोटिश: आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, वित्तीय संस्थानों और प्रतिनिधि बैंकों के प्रति उनके सहयोग और सहायता के लिए भी आभारी है। बोर्ड अपने ग्राहकों और शेयरधारकों के अनवरत समर्थन के प्रति आभार प्रकट करता है।

बोर्ड, वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्ति पर श्री शांति लाल जैन, डॉ. एम.पी. तंगिराला, सुश्री पापिया सेनगुप्ता, श्री विश्वेश कुमार गोयल और श्री बालमुकुंद सहाय द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बोर्ड, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं एवं योगदान के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करता है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ते टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता के कारण नए व्यापक अस्थिरता के चरण की ओर अग्रसर हो रही है। टैरिफ से व्यापक व्यवधान हो रहे हैं, परन्तु इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। आईएमएफ ने 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल का द्योतक है।

विशेषतः अमेरिका द्वारा अपने व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ वृद्धि के परिणामस्वरूप अनिश्चितता एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गई है। विभिन्न देशों में, इसके प्रभाव का परिणाम संरक्षणवादी उपयों, भू-राजनीतिक संबंधों और वित्तीय संबंधों से जुड़े एक्सपोजर पर निर्भर करेगी।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक शीर्ष मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, जिसमें अवस्फीति की गति में सेवा और कोर मुद्रास्फीति लगातार बाधा डाल रही है। आईएमएफ ने अपने अप्रैल 2025 के 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' में अनुमान लगाया है कि वैश्विक मुद्रास्फीति 2025 में 4.3% और 2026 में 3.6% तक पहुँच जाएगी, जिसके अनुसार 2025 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ईएमडीई (उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं) में मामूली गिरावट आएगी।

विभिन्न देशों में वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता में बढ़ते विचलन के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हो गईं। अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने प्रतिबंधात्मक रुख में कमी लाई है, परन्तु अब भी वे सतर्क और आंकड़ों पर निर्भर बने हुए हैं। फिर भी, 2024 की दूसरी छमाही और 2025 की शुरुआत में विचलन की गति और बढ़ी है, जब कुछ देशों ने सहजता चक्र प्रदान किया, कुछ ने यथास्थिति बनाए रखी, तो कुछ ने मुद्रास्फीति में किसी भी उछाल को नियंत्रित करने के लिए दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है।

भविष्य में, भू-राजनीतिक संघर्ष, टैरिफ के ईर्द-गिर्द की अनिश्चितता, अलग-अलग नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और वित्तीय बाज़ार में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण निवेश व्यय में गिरावट, उपभोक्ता के विश्वास में कमी और वैश्विक व्यापार में मंदी आ सकती है। इनसे वैश्विक आर्थिक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा हो सकता है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

व्यावसायिक विवादों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसी विभिन्न वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 5.6% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष

25 की तीसरी तिमाही में 6.2% की जीडीपी वृद्धि के साथ भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। यह वृद्धि उपभोक्ता मांग में सुधार, उच्च निर्यात वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, यह विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.51% वर्ष-दर-वर्ष (संशोधित) की वृद्धि दर से कम है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। यद्यपि देश की वर्ष-दर-वर्ष जीडीपी वृद्धि क्षमता से कम है, तथापि, भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, घरेलू मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में वर्ष-दर-वर्ष 5.36% के सापेक्ष वित्त वर्ष 25 में घटकर वर्ष-दर-वर्ष 4.63% वार्षिक हो गई है - जो समग्रतः मूल्य स्तरों में नरमी का द्योतक है। यह वित्त वर्ष 20 के बाद से न्यूनतम वार्षिक मुद्रास्फीति है। यह मील का पत्थर भारतीय रिज़र्व बैंक की विकास-समर्थक मौद्रिक नीति - विकास और मूल्य स्थिरता को संतुलित करने की प्रभावशीलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति घटकर 3.34% अगस्त 2019 के बाद से न्यूनतम मासिक मुद्रास्फीति दर है। भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि भारत की सीपीआई-मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 26 में 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ेगी। सामान्य मानसून की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति 4.0% रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान उच्च आवृत्ति संकेतकों ने मिश्रित रुझान दिखाए हैं। जबकि, औद्योगिक विकास (आईआईपी) सुस्त हुआ है, विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई विस्तारकारी क्षेत्र (50 अंक से ऊपर) में बना रहा है। कुछ संकेतकों ने वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में अच्छा कार्यनिष्पादन किया है, जो आर्थिक गतिविधि में सतत वृद्धि का संकेत देता है। उदाहरणस्वरूप, मार्च 2025 में विनिर्माण पीएमआई 8 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में ₹ 20.2 लाख करोड़ के सापेक्ष बढ़कर ₹ 22.1 लाख करोड़ हो गया है, जो वर्ष-दर-वर्ष 9.4% की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में ई-वे बिल जनरेशन में 19.4% की उच्चतम वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। यह विगत तिमाहियों की तुलना में वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में तीव्र आर्थिक गतिविधि का द्योतक है।

बाह्य क्षेत्र के मोर्चे पर, सोने के आयात में हुई वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 24 के सापेक्ष वित्त वर्ष 25 में भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ा है। सेवा अधिशेष में वृद्धि हुई है, क्योंकि आयात की तुलना

में सेवा निर्यात अधिक तेजी से बढ़ा है। भविष्य में, निवल सेवाएं और विप्रेषण प्राप्तियों के बड़े अधिशेष में रहने की उम्मीद है, जो आंशिक रूप से व्यापार घाटे की भरपाई करेगा। वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) संवहनीय स्तर के भीतर रहने की उम्मीद है। कई महीनों के अवमूल्यन के बाद, भारतीय रुपये ने मार्च 2025 में सापेक्ष मजबूती और स्थिरता का प्रदर्शन किया है। समग्रतः, भारत के प्रमुख संकेतकों के सुदृढ़ बने रहने के कारण इसका बाह्य क्षेत्र आघात-सह्य बना हुआ है।

भविष्य में, केंद्रीय बजट में घोषित उपायों के माध्यम से उपभोग और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण, कृषि क्षेत्र का मजबूत परिदृश्य, सुदृढ़ कॉर्पोरेट और बैंक तुलनपत्र, विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान करेंगे। पूर्वगामी चक्रीय सुधार, ब्याज दरों में कटौती, तरलता समर्थन के रूप में मौद्रिक नीति की सहायता और विनियामक सहजता, बढ़ती अनिश्चितताओं (विशेष रूप से अमेरिकी व्यापार नीतियों और भारत पर पारस्परिक टैरिफ के जोखिम) के बीच भारत की घरेलू संवृद्धि को मजबूत करने में मदद करेगी।

केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 25

केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास की गति में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने, घरेलू सामानों के उपभोग को बढ़ाने और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति के संवर्द्धन हेतु सरकार के प्रयासों को जारी रखने का वादा किया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि **कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात** विकास के चार इंजन हैं। बजट 2025-26 का लक्ष्य **सबका विकास** - थीम के साथ, सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है।

वित्त वर्ष 2025 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2026 में 10.1% वृद्धि के साथ अभिहित जीडीपी ₹357 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2026 का लक्ष्य 4.4% है। कम राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में राजकोषीय आवेग में कमी लाएगा। अधिक कर संग्रहण और विनिवेश राजस्व प्राप्त अंशदान तथा आरबीआई और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से व्यापक लाभांश की प्रत्याशा से राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने भारत के विकास के अग्रणी इंजन के रूप में **कृषि** पर जोर दिया है तथा उत्पादकता में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और प्रमुख वस्तुओं में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, संस्थागत और क्षमता संवर्द्धन तथा ऋण उपलब्धता को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एमएसएमई को विकास का दूसरा पावर इंजन बताया गया है, क्योंकि निर्यात में इसका योगदान 45% है। एमएसएमई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए, समस्त एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है।

निवेश को तीन प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है - जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। जनता में निवेश के तहत अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना और पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत वित्तीय सहायता में की गई वृद्धि से छात्रों के बीच सीखने के परिणामों में सुधार आएगा। इससे एआई जैसी नई प्रौद्योगिकियों में बेहतर अनुसंधान के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश के तहत, बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालय पीपीपी मोड में 3 वर्षों की प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के साथ आएंगे। नवाचार में निवेश के तहत, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए ₹20,000 करोड़ के आबंटन की घोषणा की गई है।

निर्यात को विकास का चौथा इंजन मानते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों के नेतृत्व में एक समर्पित निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 'भारत ट्रेडनेट' (बीटीएन) को व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

सरकार 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' पहल पर लगातार ध्यान केंद्रित किए हुए है, जिसमें खिलौने, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को सीमा शुल्क टैरिफ युक्तिकरण के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में, एफडीआई सीमा में हुई संवृद्धि से बीमा की पहुँच का विस्तार होगा और भारत में निवेश बढ़ेगा। यह कदम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाएगा और भारत में व्यापार करने में आसानी होगी। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और संभावित रूप से बीमा प्रीमियम कम होगा। इसके अतिरिक्त, एनएबीएफआईडी बुनियादी ढांचा कंपनियों को उनके कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने के लिए आंशिक ऋण वृद्धि प्रदान कर समर्थन करेगा।

इससे कई सुधार हुए हैं जिससे भारत में बैंकिंग क्षेत्र को बढ़त मिलेगी। बैंकिंग क्षेत्र में उभरने वाली कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार हैं:

कर का बोझ कम करना

- वैयक्तिक आयकर ढांचे में की गई संशोधन (₹ 12 लाख तक की आय पर छूट, पूर्ववर्ती ₹ 3-7 लाख के सापेक्ष ₹ 4-8 लाख के ब्रैकेट हेतु 5% का कर) शहरी मध्यम वर्ग के क्रय शक्ति को बढ़ाएगी। इन उपायों से आगामी वित्त वर्ष में व्यय योग्य आय में वृद्धि होने के कारण घरेलू उपभोग में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस वृद्धि का कुछ हिस्सा घरेलू बचत (जो हाल के वर्षों में कम हुई है) और घरेलू कर्ज की चुकौती में लगाया जाएगा।
- नए कर प्रस्तावों से 2025-26 में बैंकों द्वारा लगभग ₹ 45,000 करोड़ की अतिरिक्त जमा राशि संग्रहित की जा सकती है, जिससे ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए उनकी तरलता बढ़ेगी।

एमएसएमई को बढ़ावा देना

- समस्त एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में क्रमशः 2.5 और 2 गुना वृद्धि से दक्षता, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और रोजगार सृजन में सुधार होने की संभावना है।
- एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार हेतु स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी सीमा ₹ 10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 20 करोड़ किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कवर को ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे आगामी पांच वर्षों में ₹ 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाना और स्टार्टअप्स संबंधी योजना, एमएसएमई के समक्ष आने वाली बड़े वित्तपोषण अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव सूक्ष्म उद्यमों पर पड़ता है।

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹ 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड प्रथम वर्ष में जारी किए जाएंगे। इससे उद्यम-पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों की कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें पूरी होंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दिनांक 7-9 अप्रैल 2025 के दौरान आयोजित वित्त वर्ष 26 की अपनी पहली बैठक में **रेपो दर को 25 आधार अंकों** से घटाकर 6% करने का फैसला किया और **अपने रुख को 'समायोज्य'** रखा। यह निर्णय मुद्रास्फीति में कमी और विकास की गति में हुई गिरावट के बीच लिया गया।

यह लगातार दूसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती की है। पिछली बार फरवरी की नीति में आरबीआई ने पाँच वर्ष में पहली बार रेपो दर में कटौती की थी।

आरबीआई द्वारा हाल ही में उठाए गए विकासात्मक और विनियामक नीतिगत कदम

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पारदर्शी और डिजिटल रूप से उन्नत वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों की घोषणा की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के सीआरआर में 50 बीपीएस की कटौती की है, जो 25 बीपीएस की दो बराबर किस्तों में निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4% के बराबर है। मार्च 2020 के बाद यह पहली सीआरआर कटौती है। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में ₹ 1.16 लाख करोड़ की पूंजी आई है।

आरबीआई ने 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से संशोधित **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल)** संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं - जिसका उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता का विस्तार करना है। इनमें शामिल हैं :

- ऋण लक्ष्य में कटौती: शहरी सहकारी बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्य को समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा ऋण: विद्युत जेनेरेटर्स/सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए सीमा ₹350 मिलियन तथा अलग-अलग परिवारों के लिए ₹ 1.00 मिलियन निर्धारित की गई है।
- आवास क्षेत्र की सीमाएं: जनसंख्या के आकार के अनुसार वर्गीकृत - ₹ 5.0 मिलियन (5 मिलियन और उससे अधिक जनसंख्या), ₹ 4.50 मिलियन (1 से अधिक 5 मिलियन से कम जनसंख्या) और ₹ 3.50 मिलियन (1 मिलियन से कम जनसंख्या); कुछ अपवाद लागू होते हैं।
- कमजोर वर्ग: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वैयक्तिक महिला लाभार्थियों के लिए उधारकर्ता पात्रता का विस्तार किया गया तथा ऋण सीमा हटाई गई।
- व्यापक कवरेज: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बेहतर ढंग से लक्षित करने तथा आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संवर्द्धन।

आरबीआई ने **नए एलसीआर मानदंड** प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत बैंकों को आकस्मिक आहरण प्रबंधन करने के लिए उच्च

गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का उच्चतर स्टॉक प्रबंधित रखना होगा। इन मानदंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से खुदरा जमा के लिए अतिरिक्त 2.5% रन-ऑफ कारक था।

3 मई को जारी किए गए **मसौदा परियोजना वित्त मानदंडों** में परियोजना वित्तपोषण पर सख्त दिशानिर्देश प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत ऋणदाताओं को निर्माण के दौरान बकाया एक्सपोजर पर वर्तमान में लागू 0.4% के सापेक्ष 5% तक का प्रावधान करना होगा, जिसे आस्ति के परिचालित होने के बाद घटाकर 2.5% कर दिया जाएगा। प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, ऋणदाताओं को चरणबद्ध तरीके से 5% प्रावधान करना आवश्यक है - 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 2%, वित्त वर्ष 26 में 3.5% और वित्त वर्ष 27 में 5%।

उपर्युक्त दोनों प्रस्तावित मानदंड शुरु में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले थे। हालाँकि, इसे अब एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया है; इन मानदंडों के कारण संभावित तरलता संबंधी चुनौतियों के बारे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण अब इसे लागू करने की पहली तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है।

यूपीआई सीमा में वृद्धि का उद्देश्य यूपीआई के व्यापक रूप से अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। यूपीआई123पे के लिए प्रति-लेनदेन सीमा ₹ 5,000 से बढ़ाकर ₹ 10,000 की जा रही है और यूपीआई लाइट की सीमा भी बढ़ाई जा रही है। यूपीआई लाइट वॉलेट की मौजूदा सीमा ₹ 2000 से बढ़ाकर ₹ 5,000 कर दी गई है और प्रति-लेनदेन सीमा ₹ 500 से बढ़ाकर ₹ 1,000 कर दी गई है।

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक (एफसीएनआर (बी)) जमाराशियों से संबंधित ब्याज दरों की सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप अब बैंक निर्धारित सीमा को पार किए बिना 1 वर्ष से 3 वर्ष अवधि हेतु मौजूदा 250 बीपीएस के स्थान पर ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट (एआरआर) प्लस 400 बीपीएस एवं 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए मौजूदा 350 बीपीएस के स्थान पर एआरआर प्लस 500 बीपीएस प्रस्तावित कर सकेंगे। इस समायोजन का उद्देश्य अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करना है।

3. बैंकिंग क्षेत्र:

वैश्विक आर्थिक कारकों यथा अमेरिका द्वारा ब्याज दरों की कटौती में रोक और जारी टैरिफ युद्ध के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का बहिर्गमन शुरू हो गया है, जिससे देश में चलनिधि की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि,

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ससमय किए गए विभिन्न उपायों, जैसे सीआरआर में कटौती, रेपो दर में कटौती, विनियामक समायोजन, मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ), परिवर्ती रेपो दर (वीआरआर) एवं मुद्रा स्वैप आदि के परिणामस्वरूप स्थिति प्रभावी रूप से स्थिर हो पायी है।

चलनिधि संकट एवं उच्चतर आधार ने बैंकों में ऋण वृद्धि को प्रभावित किया है। सरकार द्वारा संचालित पूंजीगत व्यय तथा आवास एवं वाहन ऋण की सशक्त मांग से बैंक ऋण को गति मिली है। हालांकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए बैंक ऋण से संबद्ध जोखिम भारिता परिपत्र को वापस लेने, रेपो दर में कमी लाने, चलनिधि की स्थिति को बेहतर बनाने एवं केंद्रीय बजट में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 26 में ऋण विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पिछले दशक में, पारिवारिक बचत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति ने इस बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसने पारंपरिक बैंक जमा के प्रति आकर्षण को कम कर दिया है और बचतकर्ताओं को पूंजी बाजार, रियल एस्टेट एवं सोने जैसे उन वैकल्पिक आस्ति क्षेत्रों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो बेहतर प्रतिफल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने ग्राहकों को बेहतर सुविधाओं के साथ अपनी निधि का प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे जमा वृद्धि और धीमी हो गई है।

ऋण वृद्धि और जमा संचयन के बीच अंतर को संतुलित करने के लिए, बैंकों द्वारा हरित जमा, ऑटो-स्वीप सुविधा एवं अस्थायी जमा दर जैसे अभिनव जमा उत्पाद पेश किए गए हैं और साथ ही मीयादी जमा के ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में केंद्रीय बजट में किए गए कर संबंधी पहलों से जमा वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बैंकों के सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) में सुधार हुआ है, जिसका श्रेय कम स्लिपेज एवं ज्यादा वसूली को जाता है। बेहतर आस्ति गुणवत्ता ने बैंकों के जोखिम-भारित आस्ति पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

भावी परिदृश्य में, औसत आस्तियों पर ब्याज आय में अनुमानित गिरावट के कारण बैंकों को वित्त वर्ष 26 में मार्जिन संबंधी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जमाराशि में धीमी वृद्धि ने बैंकों को मीयादी जमा पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश करने के लिए बाध्य किया है, जिससे जमा दरें ऊंची बनी हुई है। इसके साथ ही, इस राजकोषीय वर्ष के अंत तक अपेक्षित रेपो दर में कमी से ब्याज आय पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।

आगामी वर्ष

समग्रतः, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सकारात्मक रहा है। अशांत वैश्विक माहौल के बावजूद, हमारा देश प्रतिकूल परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर रहा है। मुद्रास्फीतिकारक दबाव में कमी, स्थिर मुद्रा, सक्रिय मौद्रिक सहयोग, बढ़ती उपभोग मांग, राजकोषीय अनुशासन एवं आघात-सह्य वित्तीय क्षेत्र के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास की गति को सहयोग मिल रहा है। इन सबके बावजूद, वैश्विक घटनाक्रमों से जुड़ी अनिश्चितताएं, वित्त वर्ष 26 में घरेलू विकास परिदृश्य के लिए एक प्रमुख जोखिम का कारण बनी हुई हैं।

4. विस्तृत व्यावसायिक विहंगावलोकन

- बैंक के वैश्विक व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई और मार्च 2024 में ₹12,21,773 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2025 में यह ₹13,25,294 करोड़ पर पहुंच गया। देशी व्यवसाय में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई और मार्च 2024 में ₹11,59,986 करोड़ के सापेक्ष यह ₹12,49,249 करोड़ तक पहुंच गया।
- वैश्विक जमाराशि विगत वर्ष के ₹6,88,000 करोड़ की तुलना में मार्च 2025 में 7.1% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹7,37,154 करोड़ हो गई। देशी जमाराशि भी मार्च 2024 में ₹6,61,826 करोड़ की तुलना में मार्च 2025 में 6.2% की वृद्धि के साथ ₹7,02,966 करोड़ हो गई। विदेशी जमाराशि 30.6% (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि के साथ 31.03.24 को ₹26,174 करोड़ के सापेक्ष 31.03.25 को ₹34,188 करोड़ हो गई।
- बचत बैंक जमा (देशी) 31.03.24 के ₹2,41,414 करोड़ के सापेक्ष 0.7% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31.03.25 को ₹2,43,140 करोड़ हो गई।
- कासा जमा राशि 31.03.24 के ₹2,80,487 करोड़ के सापेक्ष 0.8% की मामूली वृद्धि के साथ 31.03.25 को ₹2,82,854 करोड़ रही। कासा अनुपात 38.37% (वैश्विक) और 40.17% (घरेलू) रहा।
- कुल मीयादी जमा 31.03.24 के ₹4,07,513 करोड़ के सापेक्ष 11.5% (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि के साथ 31.03.25 को ₹4,54,300 करोड़ हो गई।
- वैश्विक अग्रिम राशि, एक वर्ष पूर्व ₹5,33,773 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2025 में 10.2% की वृद्धि के साथ ₹5,88,140 करोड़ हो गई। देशी ऋण राशि वर्ष-दर-वर्ष 9.7% की वृद्धि के साथ ₹5,46,283 करोड़ (यथास्थिति 31 मार्च, 2024 को ₹4,98,160 करोड़) हो गई। मानक अग्रिम राशि में वर्ष-

दर-वर्ष 11.18% की वृद्धि हुई है।

- वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 79.79% रहा।

4(ए) घरेलू जमाराशि :

- देशी जमा ₹702966 करोड़, कासा ₹282376 करोड़ और मीयादी जमा ₹420590 करोड़ है।
- देशी जमा में 6.22% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, कासा में 1% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और कासा अनुपात 40.17% रहा।
- बचत बैंक के अंतर्गत, वैयक्तिक जमा में 2.41% की वृद्धि, संस्थागत जमा में 41.11% की वृद्धि और सरकारी जमा में 15.98% की कमी आई; एनआरआई जमा में 3.65% की वृद्धि हुई, एफआई एसबी सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष 10.06% की वृद्धि हुई।
- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 के दौरान 18.51 लाख बीएसबीडी खाते सहित 54.59 लाख नए कासा खाते खोले गए।
- बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए बैंक "ग्राहक केंद्रित - डिजिटल केंद्रित" उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- सरकार, संस्थानों, व्यक्तियों, एनआरआई और एफआई सेगमेंट के आधार पर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देयता वर्टिकल का पुनर्निरूपण किया गया है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 के दौरान शिमला, जयपुर और रायपुर में 3 नए आरएंडजीआर कक्ष खोलकर आरएंडजीआर कक्ष का विस्तार किया है। उत्पाद सुइट्स, भुगतान सोल्युशन, डैशबोर्ड की पेशकश के माध्यम से सरकारी खंड से संसाधन जुटाने के लिए सभी महत्वपूर्ण राज्य की राजधानियों में 18 आरएंडजीआर कक्ष कार्यरत हैं।
- देश भर में 100 आरएसी स्थापित किए गए हैं जिनमें समर्पित 403 रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम), एचएनआई, एनआरआई, वरिष्ठ नागरिकों, राज्य / केंद्र सरकार / रेलवे / पीएसयू / आईटी कर्मचारियों और संस्थानों के वेतनभोगी खातों से घरेलू / व्यक्तिगत ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों से बचत बैंक के तहत जमा जुटाना लक्षित किया गया है।
- बैंक ने पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों जैसे शहरी स्थानीय निकायों (15 नगर निगमों को संग्रह सुविधा के लिए भुगतान गेटवे के साथ अनुकूलित फिनटेक सोल्यूशंस प्रदान किए गए हैं) आदि के साथ साझेदारी की है।
- टैब बैंकिंग का लाभ: अतिरिक्त 36 बचत खाता उत्पाद, 15 चालू खाता उत्पाद, 4 आरटीडी उत्पाद, 15 नई सेवाएं; शाखाओं में टैब की पहुंच 100% है और टैब के माध्यम से एनटीबी ग्राहक ऑन-बोर्डिंग 94% तक पहुंच गई है।

4(बी) खुदरा ऋण:

₹ करोड़ में

खुदरा	31.03.2024	31.03.2025	वर्ष -दर-वर्ष (%)
गृह ऋण (बंधक ऋण सहित)	66423	74480	12%
ऑटो ऋण	8016	11536	44%
शिक्षा ऋण	4485	4503	0.40%
व्यक्तिगत ऋण	8566	7288	-15%
आभूषण ऋण (गैर-प्राथमिकता)	5366	9706	81%
अन्य खुदरा ऋण	11879	11584	-2%
कुल	104735	119097	14%

प्रमुख विशेषताएं:

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 में खुदरा अग्रिम के रूप में ₹45,742 करोड़ संवितरित किए हैं।
- सभी खुदरा उत्पादों में ग्राहकों के लिए बाजार के रुझान के अनुरूप प्रतिस्पर्धी ब्याज दर (आरओआई) और आकर्षक उत्पाद सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- गृह ऋण, वाहन ऋण, होम लोन प्लस और इंड मॉर्गेज ऋण के लिए ऋण राशि के निरपेक्ष ब्याज दर सिबिल स्कोर पर आधारित है।
- मॉर्गेज ऋण पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, बैंक ने 11 प्रमुख स्थानों पर बिल्डर रिलेशनशिप टीम (बीआरटी) की स्थापना की है, जो उच्च गुणवत्ता वाले आवास ऋण अवसरों के लिए साझेदारी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
(स्थान: मुंबई, दिल्ली/गुडगांव, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, चेन्नै, लखनऊ, कोयंबटूर, पुणे, अहमदाबाद)
- शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के व्यक्तियों के लिए गृह ऋण योजना शुरू की गई है, जिसमें अधिकतम ऋण राशि ₹35 लाख और ऋण गारंटी कवर ₹20 लाख तक है।

- शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस- ₹3.00 लाख तक की आय), निम्न आय वर्ग (एलआईजी- ₹6.00 लाख तक की आय) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी- ₹9.00 लाख तक की आय) के व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई 2.0 गृह ऋण ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई, जिससे पहले घर के लिए अधिकतम ₹1.80 लाख की ब्याज सब्सिडी की सुविधा मिलेगी।
- सरकार द्वारा 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचआई) के छात्रों के लिए एक नई शिक्षा ऋण योजना पीएम विद्यालक्ष्मी शुरू की गई है, जो बैंक को शिक्षा ऋण व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बैंक ने पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के साथ एकीकृत शिक्षा ऋण डिजिटल यात्रा का शुभारंभ है।
- पूल/को-लेंडिंग मॉडल पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने हेतु फिनटेक पार्टनर को ऑनबोर्ड किया गया है।

4(सी) कृषि

कृषि अग्रिमों के तहत कार्यनिष्पादन

- बैंक का कृषि ऋण 13.68% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि से ₹121062 करोड़ (मार्च 24) से ₹137627 करोड़ (मार्च 25) हो गया

कृषि संवितरण:

- कृषि के लिए बुनियादी आधार दी जाने वाली ऋण (जीएलसी) के तहत, वित्तीय वर्ष 25 के दौरान ₹90000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹119679 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए गए।
- उपर्युक्त में से, ₹ 90132 करोड़ 61.57 लाख छोटे और सीमांत किसानों को संवितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 25 में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत आरबीआई के अनिवार्य लक्ष्यों के तहत कार्यनिष्पादन

- दिनांक 31.03.2025 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹204230 करोड़ था। समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र 40% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 44.12% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि ऋण 31.03.2025 को ₹90476 करोड़ था और एएनबीसी का प्रतिशत 18% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 19.55% रहा।

- लघु किसान /सीमांत किसानों को दिया गया ऋण 31.03.2025 को ₹57679 करोड़ था और 10% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.46% रहा।
- कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण 31.03.2025 को ₹67315 करोड़ था जो 12% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 14.54% रहा।
- एमएसई-सूक्ष्म उद्यमों (पीएसएल सहित) को 31.03.2025 तक ₹58832 करोड़ का ऋण दिया गया, जो 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.71% रहा।
- गैर-कॉर्पोरेट किसानों को 31.03.2025 तक ₹ 83759 करोड़ का ऋण दिया गया, जो 13.78% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.10% रहा।

स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋण प्रवाह :

- स्वयं सहायता समूह भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण देना ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होती है और इस तरह ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि होती है।
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अवधारणा के आगमन ने गरीबों को ऋण की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित की गई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। इंडियन बैंक एसएचजी लिंकेज में अग्रणी है और काफी पहले वर्ष 1989 में एसएचजी को वित्तपोषित करने वाला पहला बैंक था।
- मार्च 2025 तक 5.04 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी का बकाया ऋण ₹22224 करोड़ था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 3.22 लाख एसएचजी (37.96 लाख सदस्य) को ₹15210 करोड़ संवितरित किया।
- बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः ₹10499 करोड़ और ₹16861 करोड़ के सापेक्ष संवितरण ₹13822 करोड़ और बकाया ₹20908 करोड़ दोनों को पार कर लिया है।

माइक्रोसेट शाखाएँ:

- वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने 5 नई माइक्रोसेट शाखाएँ खोली हैं। यथास्थिति 31.03.2025 तक, कुल 57 माइक्रोसेट शाखाएँ कार्यरत हैं, जो एसएचजी के तहत केंद्रित ऋण देने के लिए विशेष शाखाएँ हैं और इन शाखाओं में बकाया राशि

बैंक के कुल एसएचजी पोर्टफोलियो का 20% है।

- ये शाखाएँ 'वन स्टॉप शॉप' - ऋण के साथ-साथ प्रशिक्षण, खातों/बही आदि को बनाए रखने जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से 49789 एसएचजी को ₹3245 करोड़ का ऋण दिया गया है। मार्च 2025 तक 65508 एसएचजी को कवर करते हुए इन माइक्रोसेट शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम ₹4461 करोड़ रहा।

लखपति दीदी

- सरकारी पहल के अनुरूप, बैंक ने वैयक्तिक कृषि/एमएसएमई व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए वैयक्तिक महिला सदस्यों को वित्तपोषित करने हेतु "लखपति दीदी" के तहत एक विशिष्ट उत्पाद लॉन्च किया है।
- बैंक ने 17931 महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को ₹191 करोड़ की राशि वित्तपोषित की है और वित्तीय वर्ष 25 के लिए "लखपति दीदी योजना" के तहत हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष निष्पादन करने वाला बैंक है।

कमजोर वर्ग अग्रिम:

बैंक लगातार कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित अनिवार्य अग्रिम लक्ष्य को पार कर रहा है जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

- मार्च 2025 के अंत तक कमजोर वर्गों को ऋण ₹67315 करोड़ था, जो 12% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 14.54% है।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक ऋण अभियान का पालन: अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को ऋण में सुधार के लिए तिमाही आधार पर विशेष अभियान चलाए गए।
- 31.03.2025 तक प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण क्रमशः ₹7212 करोड़ और ₹15878 करोड़ दिया गया।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

- वर्ष 2010 से लगातार तमिलनाडु राज्य सरकार से एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार।
- विगत 23 वर्षों से लगातार नाबार्ड से सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन पुरस्कार



नाबार्ड द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इंडियन बैंक को स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन का पुरस्कार प्रदान किया गया।



तमिलनाडु सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुरस्कार।

4(डी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो मार्च '24 के ₹84,121 करोड़ के सापेक्ष मार्च '25 को 12% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹94,152 करोड़ हो गया।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई खंडों में क्रमशः 6.25%, 24.87% और 11.05% की वृद्धि हुई।
- मानक एमएसएमई मार्च 2024 के ₹75,539 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2025 को 14.75% वार्षिक वृद्धि के साथ ₹86,682 करोड़ हो गया।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माइक्रो एमएसएमई (पीएसएलसी सहित) दिनांक 31.03.2025 को ₹58,832 करोड़ था और यह एएनबीसी के 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 12.71% रहा।
- एमएसएमई पोर्टफोलियो के तहत एनपीए प्रतिशत मार्च '24 के 10.20% के सापेक्ष मार्च '25 को 227 बीपीएस की कमी के साथ घटकर 7.93% हो गया।
- बैंक के पास 85 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्र हैं, जिन्होंने टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को बेहतर बनाने और गुणवत्तापूर्ण ऋण सुनिश्चित करने में मदद की है। जिनमें से बहराइच, मैसूर,

कुंभकोणम और ब्राह्मपुर में "4" नए एमएपीसी खोले गए हैं।

- वित्त वर्ष 25 के दौरान एमएसएमई खंड के तहत ₹11119 करोड़ की राशि के कुल 3.12 लाख खाते डिजिटल रूप से मंजूर/नवीनीकृत किए गए हैं।
- डीलरों/विक्रेताओं को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए सप्लाय चैन वित्तपोषण (एससीएफ) शुरू किया गया है। यथास्थिति 31.03.2025 को एससीएफ (एमएसएमई) के तहत यह व्यवसाय ₹909 करोड़ का हो गया है।
- एमएसएमई की तरलता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारा बैंक सभी '3' टीआरडीडीएस प्लेटफॉर्म में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वित्त वर्ष 25 के दौरान ₹5062 करोड़ की बिल राशि भुनाई गई।

एमएसएमई क्लस्टर:

- उत्तर-पूर्व क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों सहित दक्षिणी राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 74 जिलों को कवर करने वाली व्यापक क्लस्टर योजनाएं तैयार की गई हैं, ताकि उन क्षेत्रों के अप्रयुक्त पोटेंशियल का उपयोग किया जा सके।
- क्लस्टर योजनाओं के तहत ब्याज दर को समकक्ष बैंकों के अनुरूप तर्कसंगत बनाया गया है। सभी क्लस्टरों में निकट और निरंतर निगरानी के लिए "74" रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) की पहचान की गई है।
- मार्च 2025 तक एमएसएमई क्लस्टर के तहत व्यवसाय ₹6,782 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18% की वृद्धि दर्शाता है।

पीएम स्वनिधि योजना - फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण

बैंक ने 7.47 लाख फुटपाथ विक्रेताओं को 891 करोड़ रुपये की संस्वीकृत राशि और 881 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ ऋण सुविधा प्रदान की है।

मुद्रा योजना

वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक ने ₹8400 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹8.760 करोड़ की राशि के मुद्रा ऋण वितरित किए हैं और मार्च 2025 के लिए लक्ष्य का 104% हासिल किया है।

स्टैंड अप इंडिया योजना

बैंक ने 11,384 के लक्ष्य के सापेक्ष 13,393 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की है और लक्ष्य का 118% हासिल किया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना:

बैंक ने इस योजना के तहत 11944 कारीगरों को 65 करोड़ रुपये की राशि के ऋण संस्वीकृत किए हैं। ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए डिजिटल यात्रा शुरू की गई है।

एमएसएमई प्रेरणा

यथास्थिति मार्च'25, **एमएसएमई प्रेरणा** - एमएसएमई के लिए व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम है। मार्च 2025 तक एमएसएमई प्रेरणा के 64 बैच आयोजित किए गए हैं और 1956 उद्यमियों (जिनमें से 897 महिलाएँ हैं) को 8 भाषाओं में 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में प्रशिक्षण दिया गया है।

स्टार्टअप वित्तपोषण

- 'इंड स्प्रींग बोर्ड' को स्टार्टअप कंपनियों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार ऋण सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- बैंक ने देश के प्रमुख स्टार्टअप हब अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नै, कोयंबटूर, दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई में "10" अभिनव स्टार्टअप कक्ष खोले हैं।
- बैंक ने 13 प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम आदि) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप के तहत व्यवसाय 31.03.24 के ₹207 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2025 को 59% की वृद्धि के साथ ₹330 करोड़ हो गया।

पुरस्कार और प्रशस्तियां:

- चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा **"बेस्ट बैंक सीएसआर इनिशिएटिव एंड बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी - विनर"** के रूप में सम्मानित -
- चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा **"बेस्ट बैंक फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस - रनर अप"** के रूप में सम्मानित

वित्त वर्ष 25 के दौरान की गई नई पहल:

ए. डिजिटल पहल:

- वित्त वर्ष 25 के दौरान, 8 जर्नी शुरू की गई हैं, जैसे, एमएसएमई लैप, इंड एसएमई सिक्योर, जनरल एमएसएमई, इंड एमएसएमई डिजी, जीएसटी सहाय, आईबी ट्रेड वेल, पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई एसएचजी।
- एमएसएमई सेगमेंट के तहत कुल 14 डिजिटल जर्नी लाइव हैं, जो एमएसएमई पोर्टफोलियो का 60% हिस्सा है।
- इंड एमएसएमई डिजी जर्नी (बिजनेस रूल इंजन) को बजट घोषणा के अनुरूप लॉन्च किया गया है - इकोसिस्टम में डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का लाभ उठाकर स्कोर कार्ड आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल।
- ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए पीएम विश्वकर्मा के लिए डिजिटल जर्नी शुरू की गई।

बी. अन्य पहल:

- बैंक ने एमएसएमई सरकार प्रायोजित योजनाओं के प्रसंस्करण और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 स्थानों पर सरकार प्रायोजित योजना प्रसंस्करण केंद्र (जीएसएसपीसी) खोले हैं। (भोपाल, गोंडा, गोरखपुर, सेलम और तिरुनेलवेली)
- कस्टमाइज्ड ऋण योजनाएं शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एमएसएमई की विशिष्ट वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करना था, जैसे उपकरण वित्त, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और व्यावसायिक विशेष।
- एमएसएमई खंड के तहत पार्टनरशिप संचालित कारोबार विकास को बढ़ावा देने के लिए डन एंड ब्रैड स्ट्रीट और सिबिल के साथ सहयोग किया।
- वाणिज्यिक वाहन लेनेवाले एमएसएमई को किफायती वित्तपोषण प्रदान करने और एमएसएमई पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **ग्रीन फाइनेंसिंग:** पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एमएसई स्पाइस और एमएसई गिफ्ट योजनाओं के तहत सूचीबद्ध विक्रेताओं को वित्तपोषित करने के लिए नया एमएसएमई ऋण उत्पाद "सौर पैनलों के निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं के वित्तपोषण के लिए योजना" शुरू की गई है, ताकि सर्कुलर अर्थव्यवस्था और ग्रीन लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा सके।
- एमएसएमई की तरलता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के तहत "71" नए कॉर्पोरेट को शामिल किया गया है, जिनकी कुल संख्या 369 कॉर्पोरेट्स (एंकर) है।

4(ई) कॉर्पोरेट ऋण

- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण ₹1,95,407 करोड़ (मार्च 2025) रहा, जो बैंक के समग्र घरेलू ऋण का 36% है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, कॉर्पोरेट ऋण में वर्ष-दर वर्ष आधार पर 4% की वृद्धि हुई है। उच्च व्यवसाय संभाव्य केंद्रों पर स्थित 9 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएँ और 29 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ कॉर्पोरेट ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं।
- उभरते और नामोद्विष्ट चैंपियन सेक्टर जैसे डेटा सेंटर, केमिकल, फार्मा, पर्यटन, आतिथ्य, रक्षा, तेल और गैस, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि ऋण पोर्टफोलियो मूल्यवृद्धि हो सके और वृद्धि हासिल की जा सके। सौर मॉड्यूल निर्माण, सिटी गैस वितरण (सीजीडी), स्मार्ट मीटरिंग और नकदी प्रवाह-आधारित ऋण जैसे अन्य बुनियादी ढाँचे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

4(एफ) विदेशी ऋण

बैंक की सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में तीन विदेशी शाखाएँ हैं और गिफ्ट सिटी गांधी नगर, गुजरात में एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) है। 31 मार्च, 2025 तक विदेशी शाखाओं (आईबीयू सहित) का कुल बकाया अग्रिम (सकल) ₹ 41857 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष ₹35613 करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष 17.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।

4(जी) विदेशी मुद्रा व्यवसाय

- बैंक के मर्चेट विदेशी मुद्रा व्यवसाय चौथी तिमाही में 10% तिमाही दर तिमाही बढ़कर ₹26,415/- करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 25 के दौरान कुल मर्चेट व्यवसाय ₹85,752 करोड़ रहा।
- मार्च 2025 में बैंक का निर्यात ऋण (मानक) व्यवसाय 5% तिमाही दर तिमाही बढ़कर ₹2,869 करोड़ हो गया।
- ग्राहक लेनदेन के त्वरित निपटान के लिए कई पोर्टलों को एकीकृत करके विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रसंस्करण को नया रूप दिया गया है। सभी शाखाएँ अब विदेशी मुद्रा लेनदेन करने में सक्षम हैं और इस प्रकार ग्राहक विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए दस्तावेज़ अपनी गृह शाखा में जमा कर सकते हैं।

4(एच) अनिवासी व्यवसाय

अनिवासी (एनआर) व्यवसाय एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। एनआर और निधि प्रेषण व्यवसाय के भविष्य को ध्यान रखते हुए, बैंक ने एक अलग एनआर वर्टिकल बनाने का सक्रिय कदम उठाया। वित्तीय वर्ष के

दौरान, एनआर वर्टिकल ने बैंक की एनआर सेवाओं और व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कदम ये हैं:

1. सभी विनियामक दिशानिर्देशों का ध्यान रखने के लिए रिफाईंड प्रक्रियाएँ और सिस्टम क्षमताएँ।
2. मोबाइल/इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनिवासी ग्राहकों की लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटलीकरण अभियान। एनआरआई ग्राहक अब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक को आवक और जावक निधि प्रेषण निर्देश भेज सकते हैं, इन डिजिटल चैनलों के माध्यम से मीयादी जमा खोल एवं बंद कर सकते हैं।
3. डिजिटल चैनल के माध्यम से नए एनआरआई/एनआरओ एसबी खाते खोलने के अनुरोध को स्वीकार करना आसान है।
4. ज्ञान के स्तर और बिक्री कौशल में सुधार के लिए शाखाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक लगभग 3000 एनआर केंद्रित शाखाओं को कवर किया गया है।
5. वर्ष में शुरू किया गया 24x7 ग्राहक सहायता केंद्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित ग्राहकों के लिए एक वरदान है।
6. बैंक ने नए उत्पाद पेश किए हैं जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे अभिनव इंड रुपी गेन, जो विदेशी मुद्रा जमा और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के संयोजन वाला एक उत्पाद है जो पारंपरिक जमा की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान करता है।
7. बैंक ने आरडीए के लिए एक रुपी प्रेषण पोर्टल विकसित किया है और चैनल भागीदारों के रूप में विदेशों में एक्सचेंज हाउस/बैंकों को शामिल किया है।
8. इंड एनआर कनेक्ट - देश भर में आयोजित अनिवासी ग्राहकों की एक बैठक जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों ने भाग लिया।
9. ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित रिलेशनशिप प्रबंधकों की भर्ती की गई और उन्हें एनआर केंद्रित केंद्रों में रखा गया।

4(आई) वित्तीय समावेशन

पीएमजेडीवाई खाते खोलने में प्रगति:

- 31.03.2025 तक बैंक के पास 235.29 लाख पीएमजेडीवाई खाते हैं।
- 31.03.2025 तक पीएमजेडीवाई खातों में बकाया शेष



एनआर कनेक्ट नई दिल्ली 09.01.2025



एनआर कनेक्ट मुंबई 10.01.2025



एनआर कनेक्ट चंडीगढ़ 21.12.2024



एनआर कनेक्ट एनकुलम 27.12.2024

राशि 10% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹12,223.36 करोड़ है।

- बैंक के पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि ₹5,195 है जो 31.03.2025 तक उद्योग औसत ₹4,719 से अधिक है।

बीसी नेटवर्क

- 31.03.2025 तक बैंक के पास कुल 14,667 बीसी के साथ 20 कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (सीबीसी) हैं।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान बैंक ने 3,725 नए बीसी तैनात किए हैं।

मार्च 2024 से प्रमुख एफआई मापदंडों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है:

आईबी संचयी (एकल): (संख्या लाख में)

योजना का नाम	मार्च '24	दिसंबर '24	मार्च '25	वर्ष-दर-वर्ष
पीएमजेडीवाई	224.25	235.22	235.29	5%
पीएमजेजेबीवाई	64.35	79.78	85.52	33%
पीएमएसबीवाई	157.39	183.77	190.81	21%
एपीवाई	38.44	43.28	44.82	17%

उद्योग की तुलना में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में बाजार हिस्सेदारी:

योजना का नाम	मार्च '24	दिसंबर '24	मार्च '25	बीपीएस में सुधार (वाईटीडी)
पीएमजेजेबीवाई	3.24%	3.60%	3.64%	40
पीएमएसबीवाई	3.60%	3.78%	3.76%	16

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंक ने 31.03.2025 तक पीएमजेजेबीवाई में 21.02 लाख ग्राहकों और पीएमएसबीवाई में 33.05 लाख ग्राहकों को पंजीकृत किया है।
- माइक्रो पेंशन योजना - एपीवाई में, वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने यथास्थिति 31.03.2025 तक 90 के आनुपातिक लक्ष्य के मुकाबले प्रति शाखा औसत खाता (एएपीबी) 106 के साथ 6.38 लाख नए पंजीकरण किए हैं।

कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता

- इंडसेटी (इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान), वित्त वर्ष 25 के दौरान, 1,203 कार्यक्रमों के माध्यम

से 35,601 के लक्ष्य के मुकाबले 36,565 उम्मीदवारों (उपलब्धि-103%) को प्रशिक्षित किया गया।

- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)** वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं जैसे बैंक खातों के संचालन के तरीके और लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग उत्पाद, साइबर सुरक्षा आदि पर जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं। वित्त वर्ष 25 के दौरान, 42 एफएलसी ने 3,184 शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें 1,62,351 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)**, वित्त वर्ष 25 के दौरान 142 सीएफएल द्वारा कुल 40,285 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 12,52,629 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पुरस्कार/प्रशस्तियां

क्रम संख्या	अभियान	अवधि	उपलब्धि %	पुरस्कार के लिए अहर्ता
1	एपीवाई ट्रेडसेटर	5 जून- 31 जुलाई'24	107.62%	ट्रेडसेटर ऑफ द इयर
2	एपीवाई मेगा माइलस्टोन पुरस्कार	5 जून - 5 अक्टूबर'24	110.28%	पार एक्सलेन्स माइलस्टोन
3	रिटायरमेंट रिवोल्यूशनरी	5 अगस्त - 5 अक्टूबर'24	107.02%	एक्जैम्प्लरी रिवोल्यूशनरी
4	एपीवाई ओलंपिक	20 नवंबर -31 दिसम्बर 24	115.89%	गोल्ड मेडल विनर
5	वार्षिक पुरस्कार अभियान	वि.व.25	118%	एपीवाई एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सिलेन्स अचिवर

4(जे) बैंकएशोरेंस एवं म्यूचुअल फंड

- बैंक ने बैंकएशोरेंस व्यवसाय से वित्त वर्ष 2024 में रु.163 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2025 में रु.181 करोड़ की आय अर्जित की है।
- बैंक ने इंडस्मार्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड वितरण और डीमैट एवं ट्रेडिंग सेवाओं के लिए



25.04.25 को पीएफआरडीए से एपीवाई मेगा माइलस्टोन के लिए पार एक्सिलेन्स माइलस्टोन अवार्ड



21.06.24 को पीएफआरडीए की ओर से वित्त वर्ष 24 के लिए एपीवाई एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सिलेन्स अचिवर

मेसर्स फिसडम और मेसर्स आईबीएमबीएस के साथ टाईअप किया है।

- बैंक के बोर्ड ने बैंक एश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट संबंधी नीति को मंजूरी दी है, जो बीमा और वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों के लिए ग्राहक अनुरोध, सेवा, शिकायत निवारण की पद्धति को परिभाषित करती है।
- डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म (आईएसएनपी प्रमाणन) की शुरुआत करके बैंकएश्योरेंस वर्टिकल का स्वचालन करना, जिसका उद्देश्य इस चैनल का 100% डिजिटलीकरण करना है। वर्तमान में, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं बैंक के डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं।

4(के) सरकारी जमा/बचत योजनाएं

सुकन्या समृद्धि योजना

वित्त वर्ष 25 के दौरान 30179 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 174766 हो गई। वित्त वर्ष 25 के दौरान संग्रहीत राशि ₹27.71 करोड़ और बकाया राशि ₹1618.53 करोड़ रही।

लोक भविष्य निधि

वित्त वर्ष 25 के दौरान 16745 नए खाते खोले गए, जिससे खातों

की संख्या कुल 544469 हो गई। वित्त वर्ष 25 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 43.64 करोड़ और बकाया राशि ₹ 11458.13 करोड़ रही।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

वित्त वर्ष 25 के दौरान 14194 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 160650 हो गई। वित्त वर्ष 25 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 2194.09 करोड़ और बकाया राशि ₹ 10732.39 करोड़ रही।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी)

वित्त वर्ष 25 के दौरान 3173 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 8488 हो गई। वित्त वर्ष 25 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 32.79 करोड़ और बकाया राशि ₹ 92.24 करोड़ रही।

किसान बचत प्रमाण पत्र

वित्त वर्ष 25 के दौरान 2277 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 3122 हो गई। वित्त वर्ष 25 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 16.08 करोड़ और बकाया राशि ₹ 24.38 करोड़ रही।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII अंक (एनएससी)

वित्त वर्ष 25 के दौरान 2643 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 3933 हो गई। वित्त वर्ष 2025 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 27.07 करोड़ और बकाया राशि ₹ 36.44 करोड़ रही।

5. शाखा नेटवर्क एवं प्रसार

यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक का देशी शाखा नेटवर्क 5901 शाखा है, जिसमें 1992 ग्रामीण, 1555 अर्ध शहरी, 1182 शहरी और 1172 महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ, यथा सिंगापुर, कोलंबो, जाफ़ना और एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) गिफ्ट सिटी गांधी नगर, गुजरात में है।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक ने 65 ग्राहक इंटरफेस बैंकिंग आउटलेट (64 शाखाएँ और एक एक्सटेंशन काउंटर) द्वारा अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किया है, जिसमें 2 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ एवं एसएचजी के लिए 4 माइक्रोसेट शाखाएँ तथा 5 विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएँ एवं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 7 शाखाएँ, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 6 शाखाएँ और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 1 शाखा शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने बैंकिंग आउटलेट्स के समेकन की दिशा में 10 शाखाओं को युक्तिसंगत बनाया।

6. डिजिटल परिवर्तन और स्वीकार्यता

- बैंक ने 121 डिजिटल जर्नी/उपयोगिताओं/प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 24 के दौरान

₹ **81,250.34** करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025 में ₹ **1,67,390.39** करोड़ का डिजिटल व्यवसाय हासिल किया है।



- वित्तीय वर्ष 24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में डिजिटल व्यवसाय में वार्षिक आधार पर 2 गुना से अधिक वृद्धि (2.06) दर्ज की गई।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए खुदरा, कृषि एवं डिजिटल देयता खंडों के अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्य को पार कर लिया है।
- वित्तीय वर्ष 25 में डिजिटल खुदरा आस्ति व्यवसाय ₹ **26670.91** करोड़, डिजिटल कृषि व्यवसाय ₹ **94,444.59** करोड़ और डिजिटल एमएसएमई व्यवसाय ₹ **15,848.27** करोड़ रहा।
- देयता खंड के तहत, वित्तीय वर्ष 25 के दौरान डिजिटल व्यवसाय में वर्ष दर वर्ष 2.7 गुणा वृद्धि दर्ज करते हुए, बैंक ने ₹ **29,439.11** करोड़ का डिजिटल देयता व्यवसाय किया।
- वित्तीय वर्ष 2025 में समग्र रूप से डिजिटल अंगीकरण की दर **84%** (खातों के संदर्भ में) और **68%** (राशि के संदर्भ में) है।
- रिटेल, एग्री और एमएसएमई खंड के अंतर्गत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 के दौरान क्रमशः 81%, 90% और 81% डिजिटल अंगीकरण हासिल किया है।
- बैंक ने ग्राहकों को उनकी पसंद के डिवाइस पर सहज और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी मोबाइल बैंकिंग क्षमताओं को उन्नत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें त्वरित और सुविधाजनक लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई, बीबीपीएस, डिजिटल मार्केट प्लेस आदि जैसे एकीकृत मोबाइल भुगतान समाधान एवं उन्नत ओमनी-चैनल अनुभव सहित यूआई/यूएक्स प्रदान करना शामिल है। खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन दोनों के सभी चैनलों मोबाइल बैंकिंग, टैब बैंकिंग, कियोस्क और इंटरनेट बैंकिंग में इसका कार्यान्वयन किया जाना है।



- बैंक कर्मचारी सहभागिता सत्रों के माध्यम से आंतरिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा विभिन्न चैनलों के माध्यम से **नई डिजिटल पेशकशों** को अपनाने के लिए ग्राहक

जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहा है। मार्च '25 को समाप्त वर्ष के दौरान डिजिटल **अंगीकरण** की दर 68% है।



- कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा उनके नकदी प्रवाह को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने एवं पारंपरिक बैंकिंग से इतर निधि का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'कैश मैनेजमेंट

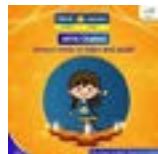
सर्विसेस' (सीएमएस) का कार्यान्वयन किया है। वर्तमान में, इसे सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) को उपलब्ध कराया गया है एवं उन्नत कार्यक्षमताओं जैसे वर्चुअल खाता, द्वारस्थ बैंकिंग सेवा, नकदी पूर्वानुमान आदि सुविधाओं के साथ इसे चरणबद्ध रूप में इसे रॉल-आउट करने की योजना है।



- बैंक ने एनबीएफसी के साथ साझेदारी में पूल बाय-आउट और ऋणों के सह-उधार को शामिल करने के लिए **डिजिटल को-लेंडिंग और पूल बाय-आउट**

प्लेटफॉर्म लागू किया है। पूल डेटा माइग्रेशन सफलतापूर्वक किया गया और नई ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया प्रगति पर है।

- बैंक ने **मौजूदा चैटबॉट "आद्या" में उन्नत सुविधाओं के साथ** कई सुधार किए हैं। यूआई/यूएक्स, व्हाट्सएप एकीकरण, निर्देशित मेनू, स्वचालित आवाज, खाता विवरण देखना, खाता शेष, ईमेल के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक के लिए आवेदन करना, चेक रोकना, मीयादी जमा पूछताछ, चेक भुगतान रोकना, डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग और सीआईएफ ब्लॉकिंग के लिए सुधार किए गए हैं।



- डिजिटल उधार जर्नी को एक मजबूत और आघात-सत्य प्रणाली के साथ व्यापक परिचालन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक **माइक्रो-**

सर्विसेज सक्षम क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

- **डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म** को बैंकएश्योरेंस उत्पादों की बिक्री और सर्विसिंग के लिए अगस्त 2024 से इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल



बैंकिंग/ओमनीचैनल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। स्वास्थ्य और सामान्य बीमा उत्पाद में (वाहन सहित: दो पहिया/चार पहिया/वाणिज्यिक वाहन, भारत गृह रक्षा, वाणिज्यिक बीमा: भवन/स्टॉक) शामिल हैं।

- हमारी डीएलपी जर्नी के साथ **आरबीआईएच के यूएलआई प्लेटफॉर्म एकीकरण** के माध्यम से ₹5100 करोड़ से



अधिक का डिजिटल व्यवसाय किया गया है।



- डिजिटल यात्रा के लिए क्षेत्र पदाधिकारियों की सहायता के लिए एक जनरेटिव एआई संचालित संवादी चैटबॉट "एम्पलॉयी असिस्ट" लॉन्च किया गया है।

बॉट की कार्यक्षमता को अन्य उत्पादों और प्रक्रियाओं में भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

- डिजिटल ज्वेल अप्रेजल प्रक्रिया के लिए ज्वेल अप्रेजर ऐप जारी किया गया, ताकि नियंत्रण को मजबूत लायी जा सके और टीएटी में सुधार किया जा सके।



7. एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई)

डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

आईबीए ईएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क लागू किया गया है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- डेटा गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों पर डेटा गवर्नेंस नीति और एसओपी का निरूपण
- कॉर्पोरेट स्तर पर डेटा गवर्नेंस/डेटा प्रबंधन के लिए एक समर्पित कक्ष का निर्माण
- नए और पुराने सीआईएफ/खातों में डेटा गुणवत्ता सूचकांक पर नज़र रखने के लिए समर्पित डैशबोर्ड का विकास

डेटा-संचालित निर्णय लेने और व्यवसाय आसूचना हेतु उठाए गए कदम:

- व्यवसाय विकास, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लागत इष्टतमीकरण आदि के क्षेत्रों में 40 से अधिक डेटा विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किए गए हैं।
- विभिन्न मैट्रिक्स और केपीआई में बैंक के प्रदर्शन को ट्रैक

करने के लिए 200 से अधिक पावर बीआई प्रबंधन डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं।

- डेटा विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग करते हुए प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसीर हैं:
- लीड जनरेशन से संबंधित एआई/एमएल मॉडल जैसे क्रॉस/अप सेल, चर्न प्रेडिक्शन, विन-बैक मॉडल, रिटेल एसेट्स - लीड नेट आदि ने वित्तीय वर्ष 25 के दौरान बैंक के व्यवसाय को ~ ₹8186 करोड़ तक बेहतर बनाने में मदद की है।
- विश्लेषणात्मक क्षमता पर ईएएसई मूल्यांकन में बैंक के समग्र प्रदर्शन में 45% (बेसलाइन मार्च 2024) से 75% (चौथी तिमाही वित्त वर्ष 25) तक सुधार हुआ।
- संदिग्ध मनी म्यूल खातों की पहचान के लिए मनी म्यूल पहचानकर्ता विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया गया है।

8. ऋण निगरानी

ऋण निगरानी की शुरुआत ऋण के पूरे जीवन चक्र को कवर करने वाली मंजूरी की जांच से होती है। नए स्लिपेज को रोकना और नए एनपीए को अपग्रेड करना, साथ ही ऋण के वितरण से लेकर ऋण बंद होने तक या एनपीए के चरण तक आस्ति की जीवन अवधि के दौरान आस्ति की गुणवत्ता को बनाए रखना ऋण निगरानी विभाग के दायरे में आता है।

एसएमए अनुपात					₹ करोड़
वित्तीय वर्ष =>	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-25
कुल एसएमए	75,694	74,932	72,061	79,931	45,923
मानक अग्रिम	351862	380411	445408	512666	569962
मानक अग्रिम में हिस्सा	21.51%	19.70%	16.18%	15.59%	8.06%

- तिमाही-दर-तिमाही और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुल एसएमए अनुपात में कमी आ रही है। यह सालाना आधार पर 15.59% से घटकर 8.06% और तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 11.88% से घटकर 8.06% हो गया है। आस्तियों की गुणवत्ता में वर्ष-दर-वर्ष सुधार हो रहा है।

स्लिपेज अनुपात					₹ करोड़
वित्तीय वर्ष =>	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-25
नया एनपीए	9,152	9,807	6,642	6,636	5,683
मानक अग्रिम पिछला वित्तीय वर्ष	326666	351862	380411	445408	512666
मानक अग्रिम में हिस्सा	2.80%	2.79%	1.75%	1.49%	1.11%

- वित्तीय वर्ष 25 के दौरान नया एनपीए 1.11% के स्लिपेज अनुपात के साथ ₹5683 करोड़ है।
- एसएमए संग्रह प्रोक्लिविटी प्रिडिक्टर के लिए स्कॉच कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड गोल्ड प्राप्त - यह एसएमए खाते के एनपीए बनने की संभावना का पूर्वानुमान लगाने का एक उपकरण है, ताकि इन खातों को एनपीए में जाने से रोकने के लिए उधारकर्ता विशिष्ट जोखिम आधारित अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- ओटीपी-मान्य फीडबैक तंत्र के माध्यम से हमारी ग्राहक सेवा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल लागू की गई है, ताकि ग्राहक सेवा को और अधिक कुशल तरीके से बेहतर बनाया जा सके।
- बैंक के पूर्व स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था आईजीएसएसएल के माध्यम से संग्रहण एजेंटों को शामिल करके 8 एफजीएमओ में न्यू जेन कॉल सेंटर और 30 अंचल कार्यालयों में फीट ऑन स्ट्रीट का कार्यान्वयन, जिसे चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा।

9. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जी.एन.पी.ए. मार्च 24 को 3.95% के सापेक्ष में मार्च 25 को 3.09% रहा तथा निवल एन.पी.ए. अनुपात मार्च 24 को 0.43% के सापेक्ष में मार्च 25 को सुधार के साथ 0.19% रहा है।
- बैंक का प्रोविजन कवरेज अनुपात मार्च 24 को 96.34% से सुधर कर मार्च 25 तक 98.10% हो गया है।

- बैंक ने एनसीएलटी द्वारा अनुमत खातों से वित्तीय वर्ष 25 के दौरान ₹486 करोड़ की वसूली की है।
- सरफेसी अधिनियम के तहत, वर्ष के दौरान ₹14133.58 करोड़ के आरक्षित मूल्य वाली 9726 संपत्तियां बिक्री के लिए लाई गईं और ₹1398.12 करोड़ के बिक्री मूल्य की 1501 संपत्तियां बेची गईं।
- बैंक ने सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अंचल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का आयोजन किया। 34657 खातों का निपटारा किया गया, जिसमें ₹245.35 करोड़ की निपटान राशि प्राप्त हुई।
- वर्ष के दौरान अशोध्य ऋणों के बट्टे खाते में डाले गए खातों (एयूसी) से ₹3019 करोड़ की राशि वसूल की गई।

10. नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

वित्तीय वर्ष 25 की उपलब्धियां

- कुल आय में 129% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (वित्तीय वर्ष 24 - ₹ 102 करोड़)
- स्पलाई चेन वित्तपोषण प्रबंधाधीन आस्तियां (एयूएम) में 218% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹1,316 करोड़ हो गई (वित्तीय वर्ष 24 - ₹414 करोड़)।
- स्पलाई चेन वित्तपोषण ब्याज आय लक्ष्य को 40% से पार कर ₹68.84 करोड़ हो गया।
- शुल्क आय (प्रत्यक्ष डेबिट/एनएसीएच) वर्ष-दर-वर्ष 74% वृद्धि के साथ ₹162 करोड़ (वित्तीय वर्ष 24 - ₹93 करोड़)।
- प्रत्यक्ष डेबिट और एनएसीएच लेनदेन की मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष 78% वृद्धि के साथ 3.81 करोड़ (वित्तीय वर्ष 24 - ₹ 2.14 करोड़)
- प्रत्यक्ष डेबिट और एनएसीएच सहित सभी संग्रह उत्पादों के लिए संसाधित लेनदेन के कुल मूल्य में 22% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होकर ₹ 72,000 करोड़ (वित्त वर्ष 24 - ₹59000 करोड़) हो गई।
- ₹ 837 करोड़ की औसत कासा वृद्धि हासिल की गई।

ए) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

- वित्त वर्ष 25 के दौरान कुल कार्यक्रम सीमा ₹1300 करोड़ के साथ 10 नए एससीएफ कार्यक्रम शुरू किए गए।
- नए डीलरों की ऑन-बोर्डिंग में 132% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 172 (वित्तीय वर्ष 24-74) तक पहुंच गई है, जबकि

स्वीकृत सीमा 82% की के साथ ₹1038 करोड़ (वित्तीय वर्ष 24-₹569 करोड़) हो गई है। इसके अतिरिक्त, 33 डीलरों की ऑन-बोर्डिंग प्रगति पर है, जिनकी संस्वीकृत सीमा ₹200 करोड़ है।

- नई आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण कार्यक्रमों के लिए ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस) का शुभारंभ मार्च 25 में किया गया।

बी) इंड कैश ऑप्टिमा

- **इंड कैश ऑप्टिमा - एमवीपी -1** को मार्च 2025 के महीने में सीयूजी ग्राहकों के लिए शुरू किया गया। यह उत्पाद बड़े कॉर्पोरेट और सरकारी व्यवसाय के लिए निम्नलिखित बाज़ार विभेदक सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर पर निर्मित क्लाउड-** नेटिव एप्लिकेशन वाले केवल 3 बैंकों में से एक
- **नया कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल**
- **जटिल "प्रोक्योर-टू-पे" प्रक्रिया में अपेक्षित अलर्ट सहित भुगतान वर्कफ़्लो**
- **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत वित्तीय बजट के सापेक्ष भुगतान की ट्रेकिंग**
- **वर्चुअल अकाउंट वॉलेट से बड़ी संख्या में खाते रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है**
- **संग्रहण डैशबोर्ड**, प्राप्य राशि के संबंध में त्वरित जानकारी प्रदान करता है
- **अनुकूलन में आसानी के लिए रिपोर्ट राइटर क्षमता के साथ संग्रहण और भुगतान रिपोर्ट**
- **नई चालान और बिलिंग क्षमता**
- **उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत।**
- **कासा की निगरानी के माध्यम से मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण**
- नकदी पिक-अप के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कॉर्पोरेट नकदी प्रबंधन सेवाओं का सितंबर 2024 में शुभारंभ।

सी) प्रत्यक्ष डेबिट एवं एनएसीएच

- **कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ नए प्रत्यक्ष डेबिट / एनएसीएच / ई-एनएसीएच संबंध शुरू किए गए।**

डी) संग्रहण व्यवसाय

- **18% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ नये व्यापारियों की ऑन-बोर्डिंग 400 (वित्तीय वर्ष 24 - 339) हो गई तथा संग्रहण राशि 300% की वृद्धि के साथ 6000 करोड़ रुपये**

(वित्तीय वर्ष 24 - 1500 करोड़ रुपये) तक पहुंच गई।

- मौजूदा भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ पुनः बातचीत के बाद मर्चेट एक्वायरिंग व्यवसाय के लिए मानक मूल्य निर्धारण स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹50 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।
- क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए व्यवसायिक लेनदेन, कासा, सक्रिय/निष्क्रिय खातों आदि की प्रभावी निगरानी के लिए डायनामिक एमआईएस डैशबोर्ड बनाया गया है।
- कुल बड़े भुगतान एग्रीगेटर्स की संख्या 15 हो गई।
- सीएमएस कलेक्शन उत्पादों के संबंध में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 350 से अधिक क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

11. जोखिम प्रबंधन

जोखिम, बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और प्रतिफल के बीच उचित संतुलन हासिल करना है। संवहनीय और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक ठोस जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित किया है। बैंक परिभाषित जोखिम क्षमता सीमाओं और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियाँ करता है।

बोर्ड ने एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों का पर्यवेक्षण करती है। बैंक ने जोखिमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां बनाई हैं, जैसे एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति। सभी नीतियों की बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है।

विभिन्न जोखिमों पर केंद्रित निगरानी की सुविधा के लिए निम्नलिखित विशिष्ट समितियों का गठन किया गया है: (i) आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) (ii) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) (iii) परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) (iv) बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) और (v) नई उत्पाद प्रक्रिया अनुमोदन समिति (एनपीपीएसी)। यह समितियाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र दिशा-निर्देशों और नीतियों के अंतर्गत काम करती हैं।

ऋण जोखिम:

क्रेडिट जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानि की संभावना है। हानियाँ प्रत्यक्ष डिफॉल्ट या पोर्टफोलियो मूल्य में कमी से उत्पन्न होती हैं। बैंक के पास अपने

खुदरा और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक क्रेडिट जोखिम संरचना, नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रणालियां हैं। क्रेडिट गुणवत्ता सुनिश्चित करने और फ्रंट और बैक-एंड पर डिफॉल्ट नुकसान को कम करने के लिए प्रणालियां मौजूद हैं। खुदरा ऋणों की हामीदारी के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में समुचित सावधानी, आय विशेषताएँ, बैंकिंग व्यवहार, जनसांख्यिकी, क्रेडिट इतिहास, ऋण अवधि, मूल्य सापेक्ष में ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पोर्टफोलियो व्यवहार के आधार पर ग्राहकों के विभिन्न खंडों का आकलन करने के लिए कई क्रेडिट जोखिम स्कोर कार्ड मॉडल विकसित और उन्हें उपयोग में लाया जाता है। बैंक द्वारा ऑन बोर्डिंग में प्राइम सीआईसी स्कोर वाले उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है। कॉर्पोरेट ऋणों में, ऋण जोखिम का प्रबंधन उधारकर्ता समूह, उद्योग, रेटिंग ग्रेड, सुविधा और देश आदि के आधार पर एक्सपोज़र की सीमा निर्धारण एवं प्रवेश बाधाओं के माध्यम से किया जाता है। ऋण जोखिम प्रबंधन को पोर्टफोलियो विविधीकरण, जोखिम रेटिंग, कठोर क्रेडिट अनुमोदन प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की जांच, ऋण संवितरण पश्चात आवधिक निगरानी उपायों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। उद्योग के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए मजबूत मॉडल मौजूद है, ताकि यह तय किया जा सके कि किस सेक्टर को नकारात्मक माना जाए या किस उद्योग को वित्तीयपोषण के लिए केंद्रित किया जाए। पोर्टफोलियो के दबाव परीक्षण के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक/सेक्टरल और अन्य रुझानों जैसे विनियामक उपायों से परे विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों को अपनाया जा रहा है। पोर्टफोलियो में निर्मित दबाव को समझने और सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए नियमित आधार पर पोर्टफोलियो अध्ययन किया जा रहा है। बैंक में क्रेडिट पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है, जिसमें किसी एक उद्योग का उच्च संकेंद्रण नहीं है। बैंक के पास एनपीए पर विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ मानक आस्तियों के लिए विनियामक निर्धारणों से परे अतिरिक्त प्रावधानों के लिए एक संतुलित और विवेकपूर्ण नीति है। डिजिटल ऋण ग्राहकों के लिए केवल बटन दबाकर ऋण प्राप्त करने का एक सुविधाजनक और त्वरित तरीका बनकर उभरा है। बैंक ने ऋण पात्रता के उचित मूल्यांकन के माध्यम से इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उचित उपायों को लागू किया है। उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल तक पहुँचने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए एपीआई के एकीकरण के साथ व्यवसाय नियम इंजन को मजबूत बनाया गया है। पोर्टफोलियो को समझने और व्यवसाय नियम इंजन में सुधारात्मक उपायों को पेश करने के लिए तिमाही आधार पर डिजिटल ऋण पोर्टफोलियो विश्लेषण किया जा रहा है।

क्रेडिट समीक्षा संरचना:

पीएसबी सुधार एजेंडा - इज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेंस (ईएसई) के तहत - बैंकों को क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और उक्त में सुधार के लिए निर्धारित कार्रवाई बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए अधिदेशित किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में गतिशील और अस्थिर बाजार के माहौल और क्रेडिट प्रस्तावों में निहित बाहरी और आंतरिक जोखिम कारकों की अधिकता को देखते हुए, बैंक ने अपनी प्रक्रिया को मजबूत करने और क्रेडिट प्रस्तावों के जोखिम स्तर को कम, मध्यम, उच्च और नो-गो (बहुत अधिक) श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए क्रेडिट समीक्षा संरचना को अपनाया है। इस संरचना के तहत, सात व्यापक मापदंडों जैसे उधारकर्ता, प्रमोटर और समूह संस्थाएं, गतिविधि/उद्योग, सुरक्षा कवरेज, सुविधाओं का संचालन, रेटिंग और व्यक्तिपरक मापदंडों के साथ अनुपालन स्थिति में निहित जोखिम कारकों पर मैट्रिक्स के आधार पर जोखिम का आकलन किया जा रहा है। यह फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट्स हेतु रु. 50 करोड़ एवं उससे अधिक तथा एमएसएमई खंड हेतु रु. 10 करोड़ और उससे अधिक के ऋण प्रस्तावों के लिए लागू है, जो प्रसंस्करण/स्वीकृति में अतिरिक्त उपकरण/आयाम प्रदान करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन संरचना बैंक को अपनी तुलन पत्र पर तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम को मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आस्ति देयता प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीति प्रदान करने में मदद करता है। आस्ति देयता प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं:

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलन पत्र और बेसल III तरलता अनुपात
- दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण
- आकस्मिक निधि योजना

आस्ति-देयता प्रबंधन का लक्ष्य निम्न सूचीबद्ध दो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

अल्पावधि उद्देश्य:

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को इष्टतम करना
- पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन

दीर्घकालिक उद्देश्य:

- शेयरधारक की संपत्ति को बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन करना आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) का कार्य है। यह बोर्ड और/या बोर्ड की जोखिम प्रबंधन उप-समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करती है। ब्याज दर परिदृश्य, जमा और अग्रिम के उत्पाद मूल्य निर्धारण की समीक्षा, आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों की मांग, बैंक के नकदी प्रवाह और समग्रतः, तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर समिति की बैठक आयोजित की जाती हैं।

एएलएम रिपोर्ट का स्वचालन पूरा हो चुका है, ताकि इसे दैनिक आधार पर निधि और निवेश समिति (एफआईसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को प्रस्तुत किया जा सके। बैंक ने बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) की गणना प्रक्रिया को भी स्वचालित कर दिया है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन:

बाजार जोखिम बाजार चर में प्रतिकूल प्रवृत्ति के कारण होने वाले नुकसान की संभावना है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम, पोर्टफोलियो प्रदर्शन बनाम जोखिम और तुलनीय बेंचमार्क के बारे में विश्लेषणात्मक संचालित इनपुट प्रदान करके जोखिम समायोजित प्रतिफल को अधिकतम करने में व्यावसायिक इकाइयों की सहायता करना है। बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है:

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- इक्विटी मूल्य जोखिम

कमोडिटी की कीमतों में बदलाव और अस्थिरता से भी बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हालाँकि, बैंक का कमोडिटी से जुड़े बाज़ारों में कोई जोखिम नहीं है। बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) फ्रेमवर्क में जोखिम पहचान, जोखिम मापन और सीमाएँ, जोखिम निगरानी और जोखिम रिपोर्टिंग शामिल हैं।

मिड ऑफिस दैनिक आधार पर ट्रेजरी परिचालन की निगरानी करता है। साप्ताहिक सारांश नोट मुख्य जोखिम अधिकारी को और कम से कम तिमाही आधार पर एमआरएमसी को प्रस्तुत किया जाता है।

परिचालन जोखिम:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) स्थापित किया है, ताकि पूरे बैंक में परिचालन जोखिमों की एक आम जानकारी विकसित की जा सके और जोखिम संस्कृति/जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे विभिन्न परिचालन जोखिम प्रबंधन उपकरणों/तकनीकों के उपयोग से प्रभावी प्रशासन, पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और जोखिम नियंत्रण/शमन सुनिश्चित हो सके। परिचालन जोखिम को उचित गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके, दिन-प्रतिदिन की प्रबंधन प्रक्रियाओं में स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन रणनीतियों को अपनाकर अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम धारणाओं का गंभीरता से विश्लेषण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसी) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन का उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए किया जाता है। आरसीएसी प्रक्रिया के परिणाम उच्च अवशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने और नियंत्रण अंतराल का निराकरण करने के लिए नियंत्रण बनाने में मदद करते हैं। आरसीएसी प्रक्रिया के दौरान पहचानी गई नियंत्रण कमियों से, प्रक्रिया की निगरानी और सुधार के लिए केआरआई विकसित किए गए हैं। केआरआई प्रारंभिक चेतावनी संकेत हैं, जो परिचालन जोखिमों की निगरानी करते हैं जो स्वीकार्य स्तरों से परे पहुंच रहे हैं।

हानि डेटा विश्लेषण प्रमुख जोखिमों की पहचान का एक स्रोत है। परिचालन जोखिम की अंतर्निहित जोखिम रेटिंग और अवशिष्ट जोखिम रेटिंग केआरआई की पहचान में एक संकेतक के रूप में काम करेगी।

जोखिम संकेतकों की पहचान करने के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की भी निगरानी की जाती है जो अनिवार्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले संभावित जोखिम चालकों को ट्रैक करते हैं। प्रमुख परिचालन हानि घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण कार्यप्रणाली, विफल नियंत्रण और नियंत्रण अंतराल का पता लगाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षों के आधार पर, उपयुक्त शमन रणनीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे कि जहां भी संभव हो प्रक्रिया का स्वचालन, दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति और घटना से सीखे गए सबक से ऐसी पुनरावृत्तियों से बचने के लिए सतर्क रहने के लिए क्षेत्र पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना आदि।

प्रत्येक अंचल, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और विदेशों में जोखिम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करेंगे तथा प्रथम रक्षा पंक्ति और द्वितीय रक्षा पंक्ति के बीच सेतु का काम करेंगे।

जोखिम अधिकारियों की प्राथमिक भूमिका जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करना होगा, ताकि व्यवसाय इकाइयों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, पोर्टफोलियो निगरानी, परिचालन जोखिम, पूंजी संरक्षण, आस्ति देयता प्रबंधन का समर्थन और प्रबंधन किया जा सके। अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाती है, ताकि वे क्षेत्र में जोखिम संस्कृति को समझ सकें और उसका प्रसार कर सकें।

मॉडल शासन, मॉडल सूची का रखरखाव, मॉडल पहचान मानदंड, मॉडल दस्तावेजीकरण, मॉडल जोखिम स्तरीकरण, मॉडल सत्यापन, मॉडल की सतत निगरानी, मॉडल स्वास्थ्य मूल्यांकन आदि को मॉडल जीवन चक्र में शामिल करते हुए मॉडल जोखिम प्रबंधन संरचना लागू है और मॉडल जोखिम मूल्यांकन, जिसमें आंतरिक और बाह्य मॉडल सत्यापन समय-समय पर किया जाएगा।

परिचालनगत आघातसह्य फ्रेमवर्क को परिचालनगत जोखिम और परिचालनगत लचीलापन संबंधी आरबीआई के मार्गदर्शन नोट के अनुरूप तैयार किया गया है।

परिचालनगत आघातसह्य नीति दस्तावेज का उद्देश्य बैंक की व्यवधानों से उबरने और उनसे उबरने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करना है, जिससे ग्राहकों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके और विनियामक दायित्वों को पूरा किया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम:

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और डिजिटल माध्यम ने बैंक के व्यवसाय संचालन, संचालन और ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के तरीके को बदल दिया है। जैसे-जैसे नई उभरती सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है, आईटी के उपयोग से संबंधित जोखिम भी बढ़ रहे हैं। आईटी जोखिम बैंक के आईटी सिस्टम, एप्लिकेशन, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग, स्वामित्व, संचालन/प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल घटनाओं या परिणामों की संभावना को संदर्भित करता है।

आईटी से संबंधित जोखिमों की निगरानी, आकलन, प्रबंधन और नियंत्रण तथा जोखिम संस्कृति विकसित करने के लिए, बैंक ने

आरबीआई के नवीनतम निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुरूप आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। आईटी से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नई पहल और उपाय लागू किए गए हैं:

- जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पृथक आईटी वर्टिकल बनाया गया है, जो अब कार्यात्मक है तथा आईटी जोखिम प्रबंधन ढांचे, नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास/प्रबंधन के लिए कार्यरत है।
- बैंक ने नई सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति भी बनाई और प्रकाशित की है, जिसमें रक्षा की तीन पंक्तियों यथा भूमिका/जिम्मेदारियां, आईटी से संबंधित जोखिम मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और अपनाए जाने वाले तरीके/मॉडल शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के जोखिम मूल्यांकन के लिए नई प्रक्रियाएं परिभाषित और कार्यान्वित की गई हैं।
- नए केआरआई शुरू करके और/या आईटी से संबंधित क्षेत्रों के लिए मौजूदा केआरआई को विकसित करके आईटी से संबंधित जोखिम की निगरानी को बढ़ाना।

जलवायु जोखिम:

बैंकिंग उद्योग को कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के संबंध में जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों में काफी जोखिम है। ये जोखिम उन्हें नई जलवायु नीतियों, तेजी से आगे बढ़ रही कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकी और बदलती बाजार स्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। बैंक थोक ऋण के तहत सौर / पवन / अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे हरित ऊर्जा पहलों को सक्रिय रूप से ऋण प्रदान कर रहा है।

बैंक जिम्मेदारी से ऋण देने, प्रभाव को अधिकतम करने और समावेशी तथा टिकाऊ तरीके से जलवायु जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाने के लिए लघु/मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों/दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है।

मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्य और रणनीति निर्धारित करने के लिए ईएसजी संचालन समिति का गठन किया गया है। प्रारंभ में, अल्पावधि में, बैंक जिम्मेदार उधार को

बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और ₹250 करोड़ (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से अधिक के ऋण प्रस्ताव के लिए जलवायु जोखिमों का आकलन करेगा। बैंक ने उधारकर्ता के क्षेत्रीय राजस्व के आधार पर उनके

स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की गणना के लिए एक जीएचजी कैलकुलेटर का भी प्रयोग किया है। बैंक ने क्षेत्रीय संक्रमण जोखिम के साथ-साथ जिला स्तर पर भौतिक जोखिम भेद्यता (बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन आदि) का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय हीट मैप के रूप में एक जलवायु जोखिम आकलन उपकरण विकसित किया है। यह हीट मैप सुविधाओं के ऑन-बोर्डिंग या नवीनीकरण के समय उधारकर्ताओं पर ऋण निर्णय के लिए स्वीकृति बाधा का सांकेतिक कारक होगा।

ईएसजी जोखिमों को अपनी उधार रणनीति में शामिल करते हुए, बैंक ने जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है जो शीर्ष पांच ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जक उद्योगों में कार्यरत उधारकर्ताओं पर एक क्षेत्र प्रीमियम लागू करता है। उच्च कार्बन क्षेत्रों में जोखिम को धीरे-धीरे कम करने के अपने रणनीतिक इरादे को दर्शाते हुए, बैंक ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र के लिए अपनी आंतरिक जोखिम सीमाओं को 5% से घटाकर 4% कर दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जोखिम सीमा 0.5% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है, बैंक ने खनन और उत्खनन जैसे पर्यावरण गहन क्षेत्रों के लिए सीमित जोखिम केवल 0.52% बनाए रखा है। कुछ प्रमुख उद्योग क्षेत्र जिन्हें वित्तीयपोषण के लिए केंद्रित किया गया है, वे हैं नवीकरणीय ऊर्जा- सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन, जलविद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल।

बेसल III पूंजी विनियम:

बेसल III पूंजी विनियम भारत में 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हो गए तथा 1 अक्टूबर, 2021 से पूरी तरह कार्यान्वित हो गए। यथा 31.03.2025 को बैंक की सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी

15.36%, अतिरिक्त टियर-1 0.49 % और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.94% है।

आवश्यकता पड़ने पर बैंक के पास सभी रूपों में पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।

बेसल III पूंजी नियमों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर विस्तृत प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे बैंक की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक बेसल III प्रकटीकरण के एक भाग के रूप में लीवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) का भी प्रकटीकरण कर रहा है।

पूंजी संरक्षण की निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंक द्वारा एक समग्र पूंजी संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

12. मानव संसाधन प्रबंधन

ए) यथास्थिति 31.03.2025 तक श्रम शक्ति की स्थिति:

संवर्ग/श्रेणी	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पुरुष	महिला
अधिकारी	25496	7754	4880	1980	18223	7273
लिपिक	12299	3965	2698	640	7897	4402
अधीनस्थ कर्मचारी	1983	485	942	121	1716	267
पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी*	224	21	175	10	170	54
कुल	40002	12225	8695	2751	28006	11996

*देशी- अंशकालिक सफाई कर्मचारी को छोड़कर

बी) भर्ती अभियान

बैंक द्वारा वित्त वर्ष 25 के दौरान 1357 कर्मचारियों (पीओ - 184, विशेषज्ञ अधिकारी - 177, लिपिक- 947, अधीनस्थ कर्मचारी - 49) की भर्ती की गई है।

सी) अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपाय

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएस) उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में एससी/एसटी हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- बैंक में अजा/अजजा/ दिव्यांग /भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी और अपिव के लिए महाप्रबंधक स्तर का एक मुख्य संपर्क अधिकारी है, जो अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों (यदि कोई हो) का निवारण करता है। एक पृथक समर्पित कक्ष अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु कॉर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कार्य कर रहा है।
- अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिक संवर्ग और लिपिक संवर्ग से कप्रग्रे वेतनमान-1 के पदोन्नति में दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण संख्या में बढ़ोतरी की गई है।

डी) वर्ष के दौरान मानव संसाधन संबंधी पहल:

- न्यू एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस): इसका उद्देश्य इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और मजबूत व्यक्तिगत विकास

योजना के साथ कार्यनिष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन करना है। प्रदर्शन-उन्मुख संस्कृति विकसित करने के लिए एक डिजिटल पहल शुरू की गई है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, निम्नलिखित पहलों को लागू किया गया है:

- बैंक में भावी नेतृत्व के विकास हेतु फ्लैगशिप एलडीपी प्रोग्राम "राइजिंग स्टार" के साथ इंड प्राइड का एकीकरण किया गया है।
- एलडीपी प्रतिभागियों हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो उनके लीडरशिप गुमिंग जर्नी में सहायता करेगा।
- अनुपालन कर्तव्य का समय पर आबंटन सुनिश्चित करने के लिए इंड-प्राइड के साथ एनआईसीई का निर्बाध एकीकरण किया गया है।
- पुरस्कार एवं मान्यता योजना के अंतर्गत मान्यता आधारित लीडरशिप बोर्ड को लाइव किया गया है।
- हेल्थ केयर-** सेवारत एवं सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन हेतु मेसर्स प्रैक्टो के साथ टाईअप किया गया: 40726 पंजीकृत
- कर्मचारी कल्याण योजनाओं की समीक्षा-** नए हॉलिडे होम्स/मेड ट्रांजिट गेस्ट हाउस खोला गया तथा सेवा के दौरान 40 वर्ष से कम आयु के दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों हेतु मासिक वित्तीय राहत की शुरुआत की गई है।

13. मानव संसाधन विकास

- वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड कार्यपालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और नेतृत्व विकास से संबंधित 11 जॉब फैमिली से जुड़े 09 उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण के क्रम में लखनऊ में इंडियन बैंक लर्निंग अकादमी - ऋण और संग्रहण का शुभारंभ किया गया।
- स्केल-III तक के अधिकारियों तथा लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 45 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (ज़ेडटीसी) खोले गए।
- समिट 1 ऑफ राइजिंग स्टार - 420 अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- महिला व्यवसाय नेतृत्व कार्यक्रमों में चेन्नै और लखनऊ में 203 महिला अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- अनवरत अध्ययन संस्कृति - वित्त वर्ष 25 में 21023 कर्मचारियों ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से स्व-शिक्षण कार्यक्रम पूरा किया।

- 2024-25 के दौरान 782 कर्मचारियों को एएमएल, केवाईसी और अनुपालन के संबंध में आईआईबीएफ द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान 23196 विशिष्ट कर्मचारियों को कक्षा/ऑनलाइन माध्यम (2 दिन या अधिक) से प्रशिक्षित किया गया है।

14. ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्राहक संतुष्टि के स्तर को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उत्पाद और सेवाओं का शुभारंभ कर रहा है।

शिकायत निवारण पद्धति:

- राष्ट्रीय स्तर पर 24x7 सहायता उपलब्ध है, जिसका टोल फ्री नंबर 1800 425 00000 है।
- ग्राहक सीजीआरएस पोर्टल पर 24x7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का यदि 24 घंटे के भीतर समाधान नहीं किया जाता है, तो इसे निवारण के लिए ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (सीजीआरएस) में पंजीकृत किया जाता है।

शिकायतों की स्थिति:

विव 24	विव 25		
लंबित (यथास्थिति 31.03.2024)	प्राप्त	निस्तारित	लंबित (यथास्थिति 31.03.2025)
569	111167	108719	3017

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005:

कॉर्पोरेट कार्यालय में ग्राहक सेवा विभाग के अंतर्गत आरटीआई कक्ष आवेदनों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों का निपटान कर रहा है। सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है।

15. सूचना प्रणाली सुरक्षा

इंडियन बैंक बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ग्राहक डेटा सुरक्षा को सर्वोपरि लक्ष्य बनाकर अपने ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से सेवाएँ प्रदान करने में विश्वास करता है। गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता का सीआईए त्रय व्यापक सूचना सुरक्षा ढांचे को तैयार करने का केन्द्रबिन्दु है। बैंक

हैकटिविस्ट प्रयासों की अधिकता से सुरक्षा पर भी जोर देता है और उसे लागू करता है, जिसमें फ़िशिंग सिमुलेशन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और जागरूकता पहल शामिल हैं, और ग्राहकों को सरल और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है।

बैंक में सुरक्षा रणनीति के प्रमुख तत्वों में निम्न शामिल हैं:

- 'डिफेंस-इन-डेप्थ' रणनीति जो प्रौद्योगिकी परत में प्रतिरक्षा के बहुविध स्तर प्रदान करती है।
- प्रौद्योगिकी परिदृश्य में अभिशासन के लिए मजबूत रूपरेखा बनाई गई है।
- साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली विशेष टीमें स्थापित की गई हैं।
- शून्य-विश्वास संरचना और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की दिशा में काम करना।
- साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के माध्यम से प्रणालियों की 24x7 निगरानी और कैमरा निगरानी।
- नए अनुप्रयोगों या सर्वरों को शामिल करते समय कड़े सुरक्षा और गेटिंग नियंत्रण।
- आंतरिक नियंत्रण में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए एसईआरटी-इन सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा आवधिक बाहरी सुरक्षा आकलन।
- बैंक को आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया है।
- एनसीआईआईपीसी द्वारा घोषित अनुसार बैंक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा है।
- बैंक कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें उभरते साइबर खतरों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जा सके।

16. आंतरिक नियंत्रण

क) निरीक्षण

- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में शाखाएँ और व्यावसायिक इकाइयाँ शामिल हैं।
- कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी विशेषीकृत कार्यक्षेत्रों और चुनिंदा विभागों के अलावा, 1382 शाखाओं को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 73.85% घरेलू अग्रिम शामिल हैं।
- समवर्ती लेखापरीक्षकों ने बैंक के कुल वित्तपोषित ऋण

जोखिम के 90% तक लेखापरीक्षा कवर करने के लिए 1772 शाखाओं में वित्त वर्ष 25 के लिए आस्ति वर्गीकरण का सत्यापन भी किया है।

- आय के रिसाव की पहचान करने के लिए मार्च 2025 को समाप्त छमाही के लिए 5813 शाखाओं और सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए 5778 शाखाओं (₹10 करोड़ और उससे अधिक के व्यवसाय वाली शाखाएँ) में राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान 90 अंचल कार्यालयों, 14 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों, 14 निरीक्षण केंद्रों और 2 आरआईसी और कॉर्पोरेट कार्यालय के 34 विभागों में प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा अवधि के दौरान बाहरी ऑडिट फर्म द्वारा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एप्लिकेशन, नेटवर्क, सुरक्षा उपकरण और प्रक्रिया एवं लोगों सहित समामेलन पश्चात आईटी बुनियादी ढांचे की सूचना प्रणाली ऑडिट, भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण किया गया।
- शाखाओं को 47 प्रकार के अलर्ट क्रियान्वयन के लिए ऑफसाइट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
- बैंक ने सभी आभूषण ऋण वित्तीयन शाखाओं को कवर करते हुए आभूषण ऋण का 100% सत्यापन किया है।

ख) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

एंटरप्राइज धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (ईएफ़आरएम):

सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग लेनदेन प्रदान करने के लिए, बैंक ने वास्तविक समय निवारक पद्धति में सभी डिजिटल बैंकिंग चैनलों के साथ एंटरप्राइज धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सॉल्यूशंस को एकीकृत किया है जो संदिग्ध धोखाधड़ी वाले लेनदेन और साइबर धोखाधड़ी की निगरानी और रोकथाम करता है। संदिग्ध लेनदेन के मामले में ग्राहक को सचेत करने और वास्तविक समय के आधार पर उनके इनपुट लेने के लिए ईएफ़आरएम को आईवीआरएस के साथ एकीकृत किया गया है। ग्राहकों को आईवीआरएस, एसएमएस, इंडस्मार्ट, कॉल सेंटर और शाखाओं के माध्यम से सभी डिजिटल बैंकिंग चैनलों को ब्लॉक करने का विकल्प दिया गया है। ईएफ़आरएमएस जोखिम स्कोर और एमएल मॉडल का उपयोग करके, म्यूल खातों का पता लगाने का भी काम किया जा रहा है।

साइबर पुलिस पोर्टल प्रबंधन (सीपीपीएम) कक्ष:

साइबर अपराधों से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक विशेष साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov).

in) और एक हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सीपीपीएम कक्ष 24x7 आधार पर कई शिफ्टों में काम कर रहा है। बैंक के साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के एपीआई एकीकरण के माध्यम से साइबर पुलिस पोर्टल पर अलर्ट देखने की प्रक्रिया को स्वचालित किया गया है।

साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए नियमित ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया पर शैक्षिक वीडियो, बैंक की वेबसाइट, ग्राहक बैठक आदि के माध्यम से ग्राहकों के बीच साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

17. अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में महाप्रबंधक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है जो बैंक के कामकाज को अभिशासित करने वाले विभिन्न सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है।

18. सतर्कता

क) बैंक में सतर्कता पदानुक्रम

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) बैंक के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सीवीओ द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सतर्कता कार्य व्यापक हैं और इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए या किए जाने की संभावना वाले भ्रष्ट आचरण के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है। सतर्कता तंत्र का नेतृत्व करने वाला सीवीओ सतर्कता से संबंधित मामलों में उचित निवारक और दंडात्मक उपाय करने में मदद करता है।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त करते हैं तथा उनकी जांच करते हैं और आवश्यक दिशानिर्देश देते हैं तथा जहां कहीं भी सतर्कता की कमी मिलती है, वहां विस्तृत जांच के लिए शिकायतों पर विचार किया जाता है।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी को सहायक मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में उप महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कार्यकारी/अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रत्येक क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय में 14 क्षेत्र सतर्कता इकाइयां (एफवीयू) हैं तथा इनका नेतृत्व मुख्य प्रबंधक

- करते हैं तथा विभिन्न सतर्कता कार्यों के लिए एक या अधिक सतर्कता अधिकारी होते हैं।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में वरिष्ठतम महाप्रबंधक (न्यूनतम कोरम 3) की अध्यक्षता में एक आंतरिक सलाहकार समिति भी होती है। समिति अपनी सिफारिशें मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रत्येक मामले पर निर्णय लेते समय समिति की सलाह पर विचार करते हैं।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी मामले के तथ्यों पर विचार करके तथा सीवीसी द्वारा दिए गए व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर सतर्कता या गैर-सतर्कता के रूप में केस वर्गीकरण का सलाह (सीसीए) प्रदान करते हैं।
- सीवीओ रु.3 करोड़ या उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि बैंक अधिकारियों की आपराधिकता की जांच की जा सके।
- सीवीओ सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसियों के साथ बातचीत के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

सतर्कता कार्यान्वयन के तीन पहलू:

- निवारक सतर्कता
- निगरानी और पता लगाना
- दंडात्मक सतर्कता

ख) सीवीओ द्वारा निवारक सतर्कता दौरा:

सीवीओ ने निगरानी सतर्कता के माध्यम से प्राप्त इनपुट के आधार पर चुनिंदा निवारक सतर्कता क्षेत्र दौरे किए थे। दौरे के दौरान, सतर्कता प्रशासन की समीक्षा की गई।

ग) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 की प्रस्तावना के रूप में, बैंक द्वारा निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन महीने का अभियान (16 अगस्त 2024 - 15 नवंबर 2024) आयोजित किया गया है:

- क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम
- प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
- परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल का अद्यतनीकरण
- दिनांक 30.06.2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान
- गत्यात्मक डिजिटल उपस्थिति

- बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन बहुत जोश और उत्साह के साथ किया गया, जिसका विषय था “राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति।”
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा “इंड-विजिल” पत्रिका का विशेष बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें सीवीसी के निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता अभियान 2024 के दौरान की गई पहलों और निवारक सतर्कता गतिविधियों पर आधारित विभिन्न रिपोर्ट और आलेख शामिल हैं।

19. सुरक्षा

- सभी शाखाएँ इलेक्ट्रॉनिक बर्गलर अलार्म सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम, हाई-डेफिनिशन डीवीआर/एनवीआर आधारित सीसीटीवी सॉल्यूशंस से सुसज्जित हैं। अत्यधिक आभूषण ऋण शाखाओं पर विशेष जोर देते हुए अंचल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शाखाओं का सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है।
- चुनिंदा अत्यधिक आभूषण ऋण शाखाओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए 24X7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है।
- शाखा/एटीएम परिसर और डीआर साइट जैसे विशेष कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से केंद्रित कार्य स्थानों में आग के खतरों को कम करने के लिए स्वचालित (मॉड्यूलर) पाउडर आधारित अग्निशामक यंत्र/गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली स्थापित की गई है।
- बैंक के कैश वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं। करेंसी चेस्ट में बैंक के अपने गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी करेंसी चेस्ट में द्वि-वार्षिक अग्नि ऑडिट आयोजित किए जाते हैं।
- देशभर में बैंक के अपने एटीएम में केंद्रीकृत निगरानी के साथ 24 x 7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ई-निगरानी) लागू की गई है।
- बैंक के इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी के माध्यम से शाखाओं की दूरस्थ निगरानी को एक बेहतर सुरक्षा उपाय के रूप में 5877 शाखाओं में लागू किया गया है।
- मुख्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर में प्रतिवर्ष अग्निशमन प्रदर्शन सहित मॉक निकासी अभ्यास किया जाता है।

20. परिसर

हरित पहल:

बैंक ने कई हरित पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:

- बैंक की अपनी इमारतों में भारत भर में 85 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर पैनल की स्थापना की गई, जिसकी कुल क्षमता 1252 केडबल्यूपी है, जिससे प्रति वर्ष 17.52 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी।
- सभी शाखाओं/कार्यालयों/एटीएम में ऊर्जा बचत करने वाली एलईडी लाइटिंग लगाई गई है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय और चेन्नै के प्रधान कार्यालय में लाइटिंग सेंसर लगाए गए हैं। इसे देश भर के अन्य नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं में भी लागू किया जाएगा।
- विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं को सभी भुगतान अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल जैसे प्रत्यक्ष क्रेडिट/एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- ऊर्जा खपत और लागत को कम करने के अवसरों की पहचान करने के लिए शाखाओं और कार्यालयों में समय-समय पर ऊर्जा लेखापरीक्षा किया जा रहा है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल जनरेटर को वापस करना।

21. मार्केटिंग:

सोशल मीडिया ब्रांडिंग पहल

बैंक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंकडइन पर सक्रिय रूप से मौजूद है, ताकि, अपने उत्पादों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही विभिन्न उपलब्धियों, स्मारक कार्यक्रमों और ग्राहक से जुड़ी गतिविधियों को साझा करके उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ सके। इसने बैंक को वित्त वर्ष 25 के अंत तक 3.83 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स की संख्या पार करने में मदद मिली है।

डिजिटल मार्केटिंग अभियान

बैंक ने ब्रांड जागरूकता पैदा करने, ब्रांड रिकॉल बढ़ाने और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आज तक लाइव टीवी, डिज्नी हॉटस्टार प्लेटफॉर्म, आईआरसीटीसी, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ़ पोर्टल्स आदि पर उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल मार्केटिंग अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं।

स्वचालित डिजिटल साइनेज (एडीएस) कार्यान्वयन

बैंक ने अपने उत्पादों, सेवाओं, विनियामक अद्यतन और साइबर

सुरक्षा पहलुओं के बारे में आंतरिक और बाहरी व्यक्तियों को अद्यतन रखने के लिए महत्वपूर्ण शाखाओं और कार्यालयों में 2229 एडीएस इकाइयों को कार्यनीतिक रूप से स्थापित किया है।

इंड नव्या न्यूज़लेटर

बैंक इंड नव्या नाम से एक मासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है। यह एक सूचनात्मक मासिक न्यूज़लेटर है जिसमें बैंक के उत्पाद/सेवाएँ/सलाह और ग्राहक-केंद्रित पहल/विकास जैसे नए उत्पादों और सेवाओं का लॉन्च, सुविधाएँ, प्रचार प्रस्ताव, अभियान, उपलब्धियाँ, कार्यक्रम, सरकारी निर्देश, सलाह आदि शामिल हैं।

साइबर सुरक्षा फिल्म श्रृंखला

साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, बैंक ने नवीनतम वित्तीय घोटालों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'खबर नहीं खबरदार बनो' नामक एक लक्षित विज्ञापन अभियान शुरू किया। इस अभियान में पांच फिल्मों शामिल हैं जो विभिन्न घोटालों पर केंद्रित हैं जिनमें ओटीपी घोटाला, क्यूआर कोड घोटाला, केवाईसी घोटाला, एआई वॉयस क्लोनिंग घोटाला और डिजिटल गिरफ्तारी एवं पार्सल घोटाला शामिल हैं।

कॉर्पोरेट ब्लॉग

बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बैंकिंग और वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए ब्लॉग्स प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य हमारे ग्राहकों के लिए जानकारीपूर्ण और आकर्षक सामग्री प्रदान करना है। इसमें हमारे उत्पाद/सेवाएँ, उद्योग के रुझान, वित्तीय रणनीतियाँ, बैंकिंग की बुनियादी बातें और नवीनतम बाजार समाचार शामिल हैं।



22. कॉर्पोरेट सम्प्रेषण:

बाह्य सम्प्रेषण

- वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक ने ग्राहक केंद्रित उत्पादों और सेवाओं के द्वारा ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कीं; सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और बैंक की उपलब्धियों का प्रचार किया।
- बैंक ने विभिन्न अवसरों पर भौतिक और आभासी प्लेटफार्मों का उपयोग करके विभिन्न हितधारकों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकों और शीर्ष प्रबंधन के विशेष साक्षात्कारों के माध्यम अपनी बात रखी।
- वित्तीय परिणामों की घोषणा, उत्पादों के लॉन्च, जनसंपर्क गतिविधियों, स्वच्छता पखवाड़ा, सीएसआर गतिविधियों, 118वें स्थापना दिवस समारोह आदि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से व्यापक कवरेज प्राप्त हुई।
- एलईडी डिजिटल स्क्रीन, होर्डिंग्स, ट्राइविजन बोर्ड, ग्लो बॉल

टावर्स आदि के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों में आउट ऑफ होम (ओओएच) विज्ञापन अभियान चलाए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

- देश में समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- सीएसआर गतिविधियों के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र समावेशी विकास, वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना, हरित पहल और पर्यावरण स्थिरता कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और कल्याण हैं।

सीएसआर गतिविधियाँ:

बैंक की विभिन्न सीएसआर पहल समुदायों के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण की बेहतरी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं।

बैंक द्वारा आयोजित किए गए कतिपय सीएसआर गतिविधियों की तस्वीरें नीचे साझा की गई हैं:



चेन्नै स्थित द लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल फॉर ब्लाइंड को ब्रेल स्टाइलस, मोबिलिटी केन और अंकगणितीय टाइप सेट तथा अन्य ब्रेल सामग्री प्रदान करके उनकी सहायता की गई।



अक्षय ट्रस्ट, चेन्नै की शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं और बालिका लाभार्थियों को सहायता एवं उपकरण प्रदान किए गए।



राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नै को एम्बुलेंस प्रायोजित किया गया।



दिव्यांग महिलाओं और दिव्यांग बच्चों की माताओं को सिलाई मशीन प्रदान करके सहायता की गई।



जिला कलेक्टर कार्यालय, तिरुवल्लूर में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन के लिए तीन बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रायोजित किया गया।



पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में आए चक्रवात तूफान 'फेंगल' से प्रभावित 5000 परिवारों को सहायता प्रदान किया गया।



कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस), भुवनेश्वर को एम्बुलेंस प्रदान किया गया।



गुरुप्रिया विजन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नै को फेको इमल्सीफायर मशीन प्रायोजित किया गया।



अंबिका हायर प्राइमरी स्कूल, श्रवणबेलगोला को स्कूल बस प्रायोजित किया गया।



शंकर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चेन्नै को वेंटिलेटर प्रायोजित किया गया।



'टिम टिम तारे' परियोजना के अंतर्गत छात्रों को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपराजिता फाउंडेशन को सहायता प्रदान किया गया।



इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस), पटना को दो 15-सीटर ई-वाहन प्रायोजित की गई।



देहरादून स्थित वृद्धाश्रम के निवासियों को उपयोगी वस्तुएँ प्रदान की गई।



खेल शिविर के प्रायोजन द्वारा जिला प्रशासन, अलप्पुझा को सहयोग प्रदान किया गया।

23. खेल

बास्केटबॉल

अंतरराष्ट्रीय स्तर

1. बैंक के बास्केटबॉल खिलाड़ी श्री एच. मुइनबेक, श्री पी. बालाधनेश्वर, श्री प्रणव प्रिंस, श्री प्रशांत सिंह रावत ने एफआईबीए (फीबा) एशिया कप 2025 एशियाई क्वालीफायर में भारतीय सीनियर पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व किया।
2. हमारे इंडियन बैंक बास्केटबॉल टीम के श्री प्रणव प्रिंस ने एफआईबीए (फीबा) 3x3 एशिया कप 2024 के लिए सीनियर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर

1. बैंक की टीम ने अप्रैल 2024 में चेन्नै में राइजिंग स्टार बास्केटबॉल क्लब द्वारा आयोजित 18 वें राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट; नुजविद, आंध्र प्रदेश (मार्च 2024) में प्रथम अखिल भारतीय आमंत्रण श्री बोब्बिली कोंडाला राव मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट; मई 2024 में पेरियाकुलम, थेनी में पुरुषों के लिए 63वीं पी डी चिदंबर सौर्य नारायणन मेमोरियल एवर रोलिंग ट्रॉफी; पीएसजी ट्रॉफी (अगस्त 2024) के लिए 58वें अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट और जून 2024 में कोयंबटूर में आयोजित नचिमुथु गौंडर ट्रॉफी के लिए 57वें अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में विजेता का खिताब जीता।
2. बैंक के 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी श्री एच. मुइनबेक, श्री पी. बालाधनेश्वर, श्री प्रशांत सिंह रावत, श्री प्रणव प्रिंस और श्री आर कार्तिक जिन्होंने सीनियर तमिलनाडु टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तमिलनाडु के रजत पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन खिलाड़ियों ने तमिलनाडु राज्य टीम का भी प्रतिनिधित्व किया, जिसने जनवरी 2024 में गुजरात के भाव नगर में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती, जिसमें श्री प्रणव प्रिंस को सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का खिताब दिया गया।



राइजिंग स्टार बास्केटबॉल क्लब, चेन्नै द्वारा 18वां राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट (विजेता)



20वीं वार्षिक राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता - मेयर राधाकृष्णन मेमोरियल ट्रॉफी, एम्नोर, चेन्नै (विजेता)



नचिमुथु गौडर ट्रॉफी, कोयंबटूर के लिए 57वां अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट (विजेता)

क्रिकेट

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर



श्री करण शिंदे

श्री करण शिंदे 2024-25 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिताओं में आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया।



बैंक की क्रिकेट टीम ने अक्टूबर 2024 में वेल्लोर क्रिकेट अकादमी 25 ओवर स्टेड लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है।

हॉकी

1. बैंक की हॉकी टीम ने जुलाई 2024 में मदुरै में रिजर्व लाइन स्पोर्ट्स क्लब स्टेट लेवल हॉकी टूर्नामेंट में रनर स्थान प्राप्त कर ख्याति अर्जित की है।
2. बैंक ने दिसंबर 2024 में केरल में आयोजित मेजो मेमोरियल एक्सिलेटरज़ कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक हासिल किया।
3. बैंक की हॉकी टीम ने फरवरी 2025 में मदुरै के थिरुनगर में बीएमजेपी स्टेट लेवल हॉकी टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया।



रिजर्व लाइन स्पोर्ट्स क्लब राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट, मदुरै 2024 (रनर स्थान)

पैराशूटिंग



दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में सुश्री पूजा अग्रवाल ने रजत पदक जीता।

वॉलीबॉल

अंतरराष्ट्रीय



श्री एम. कबीलन

बैंक के वॉलीबॉल खिलाड़ी श्री एम. कबीलन ने जुलाई 2024 में इंडोनेशिया में आयोजित 14वीं अंडर-20 अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर

1. बैंक की वॉलीबॉल टीम ने जून 2024 में बरगुर में आयोजित दक्षिण क्षेत्र आमंत्रण अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में दूसरा रनर अप स्थान प्राप्त किया।
2. बैंक की वॉलीबॉल टीम ने जुलाई 2024 के महीने में इंडियन बैंक के लिए राज्य स्तरीय आमंत्रण वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीता।
3. बैंक की वॉलीबॉल टीम ने फरवरी 2025 में कुमता उप्पिना गणपति फ्रेंड्स मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कुमता जीता।
4. बैंक की वॉलीबॉल टीम ने मार्च 2025 में कीरामंगलम में 7वां राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया।
5. बैंक की वॉलीबॉल टीम ने फरवरी 2025 में सी भास्करन मेमोरियल ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, वेंगड, कन्नूर में उपविजेता स्थान प्राप्त किया।
6. बैंक के दो वॉलीबॉल खिलाड़ियों (श्री एल एम मनोज और श्री मिथुन कुमार) ने जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में तमिलनाडु वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक हासिल किया।



कुमता उप्पिना गणपति फ्रेंड्स मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कुमता - फरवरी 2025 कर्नाटक

शतरंज



बैंक की शतरंज खिलाड़ी सुश्री राजसूर्या ने 5 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025 तक अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 10 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक न्यू प्रिंस श्री भवानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नै में आयोजित श्री एम एस वेंकटरमन मेमोरियल 9वीं अंतर्राष्ट्रीय फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट-2024 भी जीती। श्रीमती राजसूर्या ने नवंबर 2024 के दौरान तिरुपत्तूर में आयोजित सेक्रेड हार्ट इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में प्रथम स्थान (महिला) हासिल किया।

24. राजभाषा विभाग



इंडियन बैंक को 22.08.2024 को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 'ग' क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।



राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा इंडियन बैंक को 14.09.2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान वर्ष 2023-24 हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत 'तृतीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।



राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक द्वारा दिनांक **10.02.2025** को लखनऊ में **अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन** का आयोजन किया गया।



बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान 'आओ ओडिया सीखें', 'ग्राहक सेवा एवं व्यवसाय के विस्तार में भारतीय भाषाओं की भूमिका', 'संवाद चालीसा' (द्वितीय संस्करण), 'नूतन शब्द संकलन', 'इंड-छवि' आदि पुस्तक-पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया।



क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु दिनांक 05.03.2025 को गुवाहाटी में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान **अंचल कार्यालय, सिलीगुड़ी** को **प्रथम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।



क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.03.2025 को गुवाहाटी में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची के संयोजक हमारे **अंचल कार्यालय, रांची** को **द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

25. पुरस्कार एवं प्रशस्ति



ईज़ 6.0 रिफॉर्म इंडेक्स

टॉप इंप्रूवर #2 और पिपुल एण्ड एचआर ऑपरेशन #3



प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार

"प्रोजेक्ट वेव" एवं "एसएमए कलेक्शन प्रोक्लिविटी प्रेडिक्टर"



• सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड • बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड
तमिलनाडु लीडरशिप अवार्ड 2024



आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, 2024 - बड़े बैंक खंड में
विशेष उल्लेख

- बेस्ट डिजिटल सेल, पेमेंट एंड एंगेजमेंट; बेस्ट टेक-टैलेंट एंड ऑर्गनाइजेशन
- बेस्ट एआई एंड एडॉप्शन; एंड बेस्ट एफआई



इंडियन बैंक सीएफओ को सर्वोत्तम एसएफओ पुरस्कार
एशोचैम तृतीय वार्षिक भारत सीएफओ समिट एंड अवार्ड, नई दिल्ली



द इकोनोमिक टाइम्स सीआईओ अवार्ड फॉर इंटरप्राइज़ आईटी एक्सिलेंस 2025
- एक्सिसेंस इन टेक्नालॉजी इम्प्लिमेंटेशन - फ्युचर प्रूफ डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर

26. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):

- यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक के पास तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, यथा तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी) जिसका मुख्यालय सलेम (तमिलनाडु) में है, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय चिचूर (आंध्र प्रदेश) में है और पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय पुदुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी) में है।
- तीनों आरआरबी के संबंध में, शाखा नेटवर्क 955 (मार्च 2024) से 13 बढ़कर 968 शाखाएँ (मार्च 2025) हो गया है। मार्च 2025 तक तीनों आरआरबी का कुल व्यवसाय ₹80,696 करोड़ था, जबकि मार्च 2024 तक यह ₹74,534 करोड़ था (वार्षिक आधार पर 8.27% की वृद्धि)।
- तीनों ही लाभार्जक आरआरबी हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक व्यवसाय की स्थिति (अलेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरआरबी के नाम	शाखाओं की संख्या	जमाराशि	अग्रिम	व्यवसाय	निवल लाभ	निवल एनपीए %	सीआरएआर %
1	तमिलनाडु ग्राम बैंक	675	23255	27509	50764	357	0	13.49
2	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	246	13528	13244	26772	387	0	22.71
3	पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक	47	1518	1642	3160	27	0	10.39
	Total	968	38301	42395	80696	771	0	-

*भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सप्तगिरि ग्रामीण बैंक को 1 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में समाहित कर दिया गया है।

- आरआरबी भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तीनों आरआरबी पीएमजेडीवाई के तहत 1210 एसएसए गांवों को कवर कर रहे थे और उन्होंने इस योजना के तहत 18.24 लाख खाते खोले हैं। आरआरबी ने पीएमएसबीवाई के तहत 22.24 लाख लाभार्थियों, पीएमजेजेबीवाई के तहत 10.87 लाख लाभार्थियों और एपीवाई योजना के तहत 4.40 लाख लाभार्थियों को भी कवर किया है।

27. अनुषंगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस (पी) लिमिटेड:

- भारत की विश्वसनीय सार्वजनिक और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं और जापान की सोम्पो का एक संघ, जो प्रमोटर है - 2007 में निगमित और लाइसेंस प्राप्त।
- बैंक की शेयरधारिता 28.52% है।
- निवल लाभ मार्च 2024 में ₹182 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2025 में 4.52% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹189 करोड़ हो गया।

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

- स्टॉक ब्रोकिंग और डीपी के व्यवसाय में
- एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध
- बैंक की शेयरधारिता 64.84% है।
- अनुषंगी कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में ₹8.28 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया और स्टॉक ब्रोकिंग के तहत ₹16.57 करोड़ की आय अर्जित की।

इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड

- आरबीआई द्वारा अनुमत विभिन्न बैंकिंग परिचालनों के लिए व्यापक आउटसोर्सिंग समाधान करने के लिए यह इंडियन बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डबल्यूओएस) है, जिसे दिनांक 09.02.2024 को ₹10 करोड़ की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी के साथ निगमित किया गया था।
- डबल्यूओएस ने 13 महीने का लाइव परिचालन पूरा कर लिया है और देश भर में कार्यालय स्थापित किए हैं।
- डबल्यूओएस जमाराशि जुटाने, हाउसिंग, वाहन ऋण प्राप्त करने, डिजिटल पैठ और एसएमए खातों की वसूली में सुधार करने में सक्रिय है।
- इस अनुषंगी कंपनी ने दिनांक 31.03.25 (फरवरी'24 - मार्च'25) को समाप्त पहले वित्त वर्ष के लिए ₹2.59 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



सौर बिजली से करें अपने घर को रोशन पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना रूफ टॉप सोलर ऋण योजना



जानकारी के लिए स्कैन करें

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



इंड हेल्थ केयर के संग चिकित्सा सुविधाओं की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं



जानकारी के लिए स्कैन करें

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: <https://www.indianbank.in/departments/annual-reports/>



इरादतन रिक्त रखा गया है।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन :

कॉरपोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि, नैतिक ढंग से उनकी धन-सृजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य हितधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, ताकि, संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को संवहनीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रणाली का क्रमागत विकास है जिससे मूल्यों, सिद्धान्तों, नीतियों और प्रक्रियाओं को अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं क्रियान्वित किया जाता है।

बैंक, कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानक की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णायक नेतृत्व के जरिए बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता के संधान में नैतिक व्यवहार में पूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित अपने उत्तरदायित्व के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्वयं को सभी हितधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त उनके धन का सृजन एवं रक्षण कर नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ लाभप्रद संवृद्धि सृजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत सुदृढ़ रूप से सुस्थापित हैं।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित है। निदेशकगण बोर्ड को विशेषज्ञों की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होते हैं।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक मण्डल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अंतर्गत जारी प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के इतर निदेशक को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

2.2 नीतियों का निर्धारण, कॉरपोरेट रणनीति और योजना, नई पहल, कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे मामलों की संस्वीकृति देना बोर्ड के दायित्वों में शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.3 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.4 यथास्थिति 31.03.2025 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नवत है :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/ नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों/संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री बिनोद कुमार	एमडी एवं सीईओ	16-01-2025	1. प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 2. ग्राहक सेवा समिति (अध्यक्ष) 3. आईटी स्ट्रेटजी समिति 4. वसूली की निगरानी हेतु समिति (अध्यक्ष) 5. एच आर समिति (अध्यक्ष) 6. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (अध्यक्ष) 7. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 8. निदेशकों की समिति -सतर्कता (अध्यक्ष) 9. ऋण अनुमोदन समिति (अध्यक्ष)		
2	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी स्ट्रेटजी समिति 4. वसूली की निगरानी हेतु समिति 5. शेयर अंतरण समिति (अध्यक्ष) 6. एच आर समिति 7. हितधारक संबंध समिति 8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 9. निदेशकों की समिति -सतर्कता 10. ऋण अनुमोदन समिति	(i) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ii) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	1290

3	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी स्ट्रेटजी समिति 4. वसूली की निगरानी हेतु समिति 5. शेयर अंतरण समिति 6. एच आर समिति 7. हितधारक संबंध समिति 8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 9. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 10. ऋण अनुमोदन समिति 11. जोखिम प्रबंधन समिति	(i) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (ii) इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (आईजी एसएस)	-
4.	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09-10-2023	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी स्ट्रेटजी समिति 4. वसूली की निगरानी हेतु समिति 5. शेयर अंतरण समिति 6. एच आर समिति 7. हितधारक संबंध समिति 8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 9. निदेशकों की समिति -सतर्कता 10. ऋण अनुमोदन समिति	(i) इंड बैंक हाउसिंग लमिटेड	-
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10-03-2024	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी स्ट्रेटजी समिति 4. वसूली की निगरानी हेतु समिति 5. शेयर अंतरण समिति 6. एच आर समिति 7. हितधारक संबंध समिति 8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 9. निदेशकों की समिति -सतर्कता 10. ऋण अनुमोदन समिति	-	-

6	डॉ. आलोक पांडे	सरकार नामित निदेशक	13-05-2024	- कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (अध्यक्ष) - आईटी स्ट्रेटजी समिति - वसूली की निगरानी हेतु समिति - एच आर समिति - धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति - निदेशकों की समिति (सतर्कता) - जोखिम प्रबंधन समिति	- आईटीसी लिमिटेड - स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटी आई)	-
7	श्रीमती के निखिला	आरबीआई नामित निदेशक	14-07-2023	- प्रबंधन समिति - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - निदेशकों की समिति- सतर्कता	-	-
8	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	09-03-2024	- ग्राहक सेवा समिति - आईटी स्ट्रेटजी समिति (अध्यक्ष) - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - हितधारक संबंध समिति (अध्यक्ष) - इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति - कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति - धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (अध्यक्ष) - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - जोखिम प्रबंधन समिति	- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड - ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया - टीएआई	205
9	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	21-12-2024	- ग्राहक सेवा समिति - शेयर अंतरण समिति - एच आर समिति - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष) - इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति - कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति - धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति - आईटी स्ट्रेटजी समिति	- ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड - एमएसएस बीएल ट्रेडर एलएलपी	250

नोट :

- बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के सदस्य नहीं है अथवा कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 5 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते, जिनमें वे निदेशक हैं।
- निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

- (iii) निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है और बैंक की औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्टिंग संरचना इसी के अनुरूप होती है।
- (iv) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- (v) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र देने के मामला सामने नहीं आया है।
- (vi) श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- (vii) श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- (viii) श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- (ix) श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।

2.6. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किए गए और पदभार ग्रहण करने वाले निदेशकों के प्रोफाइल निम्नानुसार हैं :-

2.6.1 श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ

श्री बिनोद कुमार ने 16 जनवरी 2025 को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, आपने 21 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2025 तक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री कुमार, रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और आपने एनआईबीएम से बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। आप जीएआरपी (यूएसए) द्वारा प्रमाणित वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) और भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं।

1994 में पीएनबी में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत करने वाले श्री कुमार के पास 30 से अधिक वर्षों का व्यापक और वैविध्यपूर्ण बैंकिंग अनुभव है। शाखा और प्रशासनिक कार्यालय परिचालन, जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट क्रेडिट सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपकी विशेषज्ञता है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यपालक निदेशक के रूप में आप कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी डिवीजन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग डिवीजन, वित्त डिवीजन, डेटा एनालिटिक्स और डेटा वेयरहाउसिंग का उत्तरदायित्व निभा रहे थे।

आपने पीएनबी की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) शाखा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया है और इससे पहले आप पीएनबी के कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन के प्रमुख के रूप में मुख्य महाप्रबंधक का पदभार संभाल रहे थे।

श्री कुमार ने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से ट्रेजरी, निवेश एवं जोखिम प्रबंधन तथा बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा किया है। इसके अतिरिक्त, आपने भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलोर से नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।

2.6.2 डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. आलोक पांडे एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं जो वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आप भारतीय डाक सेवा (लोक सेवा परीक्षा, 1993) के 1994 बैच के अधिकारी रहे हैं। डॉ. पांडे वर्तमान में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में सेवारत हैं। आप इससे पहले वित्त मंत्रालय में दीपम (2019-23) के संयुक्त सचिव और वित्तीय सेवाएं विभाग (2011-16) के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

डॉ. पांडे एनआईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) में स्नातक हैं, जहाँ उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। आप पूंजी बाजार के क्षेत्र में आईआईएम बैंगलोर से एफपीएम (डॉक्टरेट) हैं। आपकी एफपीएम थीसिस को "वित्तीय अर्थशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ थीसिस" के रूप में एनएसई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टरेट के दौरान आपको मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल (यूके) जाने के लिए मैरी क्यूरी फैलोशिप भी प्रदान किया गया था।

अपने वर्तमान सेवाक्रम में, आप आईडीबीआई बैंक के माध्यम से सरकार और एलआईसी की इक्विटी विनिवेश का महत्वपूर्ण कार्य देख रहे हैं।

संयुक्त सचिव के रूप में, आपने मई 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिष्ठित आईपीओ का प्रबंधन किया, जो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था। वर्ष 2020-21 में, कोविड के समय, आपने तीन कंपनियों - मझगांव डॉक लिमिटेड, आईआरएफसी और रेलटेल की लिस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनतीस से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, डॉ पांडे ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की है। वित्त मंत्रालय से जुड़ने से पहले, आप डाक विभाग की आईटी परियोजना में उप महानिदेशक का पदभार संभाल रहे थे। इस आईटी परियोजना ने देश के 128000 से अधिक गांवों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया है।

इससे पहले, आपने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुभारंभ और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन-धन आधार मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी ने आज न केवल भुगतान प्रक्रिया को बदल दिया है, बल्कि इसने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में भी क्रांति लाई है जिससे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में उभरकर सामने आया है।

आप 2011-16 तक इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड सदस्य रहे हैं और वर्तमान में आप स्पेसीफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) के बोर्ड में सदस्य हैं।

वित्तीय क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित जर्नल - जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में डॉ पांडे के आलेख प्रकाशित हुए हैं।

2.6.3 श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक:

श्री संजीव माहेश्वरी एक सनदी लेखाकार हैं और उन्हें लेखापरीक्षा, कर-निर्धारण और प्रबंधन परामर्श के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। आप 9 वर्षों तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य और 3 वर्षों तक आईसीएआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। इस दौरान आपने इंड एस के निरूपण और मानकों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। आपने आईसीएआई की अधिकांश तकनीकी समितियों में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दी हैं एवं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की अनेक समितियों के सदस्य रहे हैं।

आप दिनांक 20.12.2019 से 19.12.2022 तक भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रह चुके हैं।

2.7 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक पद के कार्यकाल की समाप्ति के विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	समाप्ति की तिथि	कारण
1.	श्री शांति लाल जैन	एम डी एवं सीईओ	01.01.2025	सेवानिवृत्ति / नियुक्ति की अवधि का समापन
2.	डॉ. एम पी तंगिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	13-05-2024	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, डीएफएस अधिसूचना संख्या 6/2 (ii)/2022-बी.ओ.आई दिनांक 13.05.2025 के अनुसार
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्त	शेयरधारक निदेशक	29-10-2024	नियुक्ति कार्यकाल का समापन
4.	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21-12-2024	नियुक्ति कार्यकाल का समापन
5.	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21-12-2024	नियुक्ति कार्यकाल का समापन

*दिनांक 11.04.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत।

3 निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय (यथास्थिति 11.04.2025) :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक की श्रेणी	शैक्षिक /व्यावसायिक योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता
1	श्री बिनोद कुमार	एमडी एवं सीईओ	कार्यपालक	बी.एससी (एच), बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वित्तीय जोखिम प्रबंधक, बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा, ट्रेजरी में डिप्लोमा, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा, सीएआईआईबी	बैंकर
2	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बी.एससी, एप्लाइड मैथमेटिक्स में एम.एस.सी, बी.एड., सीएआईआईबी, आईआईएम बेंगलुरु से लीडरशिप प्रोग्राम, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान द्वारा संचालित कॉर्पोरेट अफेयर्स कार्यक्रम	बैंकर
3	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एमबीए, आईआईएम बेंगलुरु से एक्जीक्यूटिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकर
4	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एमए, एमबीए, सीएआईआईबी, ग्रामीण बैंकिंग में प्रमाणपत्र, आईआईएम बेंगलुरु से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकर
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बीएससी(एग्री), एमबीए(फाइनेन्स), सीएआईआईबी, आईआईएम बेंगलुरु से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप प्रोग्राम	बैंकर
6	डॉ. आलोक पांडे	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर- कार्यपालक भारत सरकार नामिती निदेशक	बी.ई. (मैकेनिकल), एफपीएम (डॉक्टरेट)	सरकारी सेवा, अपर सचिव, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय
7	सुश्री के निखिला	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	गैर- कार्यपालक भारत सरकार नामिती निदेशक	एम. एससी, आईआईबी एंड एफ की प्रमाणित सदस्य	प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, आरबीआई, परिसर विभाग
8	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	बीई (सिविल), फेलो ऑफ इन्शुरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफआईआईआई), एनसीएफएम(लेवल 5), सीएस (एक्जीक्यूटिव लेवल)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

9	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम.(ऑनर्स), एफसीए, डीआईएसए	सेवारत चार्टर्ड अकाउंटेंट
10	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	एम. कॉम.	सामाजिक कार्यकर्ता
11	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम., सीए	सेवारत चार्टर्ड अकाउंटेंट

3.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक के विवरण :

उन बैठकों का विवरण जिनमें वर्तमान और पूर्व निदेशकों द्वारा भाग लिया गया (01.04.2024-31.03.2025)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	एम सी बी	आर एम सी	सी ओ डी (सतर्कता)	एस आर सी	आइ टी समिति	एस सी बी एम एफ	सी एस सी	एचआर समिति	एस आर सी	सी ए सी	सी एफ एम आर	एन आर सी	आर सी डबल्यूडी	बी सी पी डी
1	श्री एस. एल. जैन*	11	18	-	7	3	-	3	3	4	2	-	20	2	-	3	-
2	श्री बिनोद कुमार**	4	5	-	-	1	-	3	1	1	3	-	10	1	-	1	-
3	श्री महेश कुमार बजाज	15	23	12	6	4	1	6	4	5	5	1	31	3	-	-	-
4	श्री आशुतोष चौधरी	16	23	12	7	4	1	6	4	4	5	1	31	2	-	-	-
5	श्री शिव बजरंग सिंह	14	20	12	6	4	1	6	4	5	5	1	29	3	-	-	-
6	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	16	22	12	7	4	1	6	4	5	5	1	30	2	-	-	-
7	डॉ. एम पी तंगिराला #	1	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	डॉ. आलोक पांडे##	14	-	-	3	3	-	5	3	-	4	-	-	2	-	-	2
9	सुश्री के निखिला	16	20	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्री बालमुकुंद सहाय^	10	3	6	7	-	1	1	3	4	2	1	-	-	2	1	-
11	श्री विश्वेश कुमार गोयल^^	10	-	9	7	-	-	3	-	1	-	-	--	2	2	-	1
12	सुश्री पापिया सेनगुप्ता@	6	15	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	1
13	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	9	-	12	1	-	-	5	4	1	2	-	-	-	2	4	2
14	श्री संजीव माहेश्वरी @@	6	-	3	-	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-	1	-

*एमडी एवं सीईओ 31.12.2024 तक

**एमडी एवं सीईओ 16.01.2025 से प्रभावी

#भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक 12.05.2024 तक

##भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक 13.05.2024 से

^अंशकालिक एनओडी 20.12.2024 तक

^^अंशकालिक एनओडी 20.12.2024 तक

@शेयरधारक निदेशक 28.10.2024 तक

@@शेयरधारक निदेशक 21.12.2024 से

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की न्यूनतम 16 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। इसके विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	06-05-2024	11	11
2	22-05-2024	11	10
3	31.05.2024 और 01.06.2024* (स्ट्रेटजी बोर्ड मीटिंग)	11	10
4	24-06-2024	11	11
5	29-07-2024	11	11
6	26-09-2024	11	10
7	26.09.2024 अनुक्रमात्मक बोर्ड #	11	9
8	28-10-2024	11	11
9	24.11.2024 और 25.11.2024** (स्ट्रेटजी बोर्ड मीटिंग)	10	9
10	20-12-2024	10	9
11	27-12-2024	9	8
12	06-01-2025	8	8
13	29-01-2025	9	9
14	20-03-2025	9	7
15	20.03.2025 अनुक्रमात्मक बोर्ड#	9	7
16	31-03-2025	9	8

*स्ट्रेटजी बोर्ड बैठक 31.05.2024 को शुरू हुई और 01.06.2024 को समाप्त हुई

**स्ट्रेटजी बोर्ड बैठक 24.11.2024 को शुरू हुई और 25.11.2024 को समाप्त हुई

#बोर्ड की अनुक्रमात्मक बैठक 26.09.2024 एवं 20.03.2024 को हुई।

4. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों के अभिशासन के प्रति विशिष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण हेतु बैंक के कार्य को उचित दिशा प्रदान करने, प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विभिन्न समितियों का गठन किया है :

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- आईटी स्ट्रेटजी समिति (आईटी समिति)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- निदेशकों की समिति (सतर्कता) (सीओडी सतर्कता)
- धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) { पूर्ववर्ती: विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)}
- शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
- एच आर समिति (एचआर समिति)

- (xi) वसूली की निगरानी हेतु समिति (सीएमआर)
- (xii) इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडबल्यूडी)
- (xiii) गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)-इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार से संबद्ध आरबीआई के दिनांक 30.07.2024 के मास्टर निर्देश के अनुसार इस समिति को निरस्त कर दिया गया है।
- (xiv) ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- (xv) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
- (xvi) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)
- (xvii) पूंजी जुटाने के लिए निदेशकों की समिति

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करती है। समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकती है:

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिक और अनिधिक) ;
- ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबद्ध मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश;
- दान और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित कोई अन्य मामला

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड की प्रबंधन समिति का संघटन निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.1.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 23 बैठकें हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29-04-2024	7	7
2	15-05-2024	7	6
3	27-05-2024	7	7
4	11-06-2024	7	7
5	26-06-2024	7	6
6	28-06-2024	7	6

7	11-07-2024	7	7
8	25-07-2024	7	6
9	17-08-2024	7	7
10	29-08-2024	7	6
11	10-09-2024	7	7
12	20-09-2024	7	6
13	25-09-2024	7	7
14	16-10-2024	7	7
15	26-10-2024	7	7
16	30-11-2024	7	6
17	13-12-2024	7	7
18	19-12-2024	7	7
19	22-01-2025	6	6
20	17-02-2025	6	6
21	27-02-2025	6	6
22	06-03-2025	6	6
23	26-03-2025	6	6

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

लेखापरीक्षा समिति 13 अक्टूबर 1995 को गठित की गयी और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है। इसके निबंधन में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक का समग्र लेखापरीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन तथा आंतरिक बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा व निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में बकाया, धोखाधड़ियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों/मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना और
- लेखे, लेखा नीतियों, प्रकटीकरणों की नियमित पुनरीक्षा करना
- प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा करना एवं लेखापरीक्षा के दौरान उभरे विशेष समायोजनों की पुनरीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप की अर्हता
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक बात का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना
- आंतरिक लेखापरीक्षा का स्कोप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना

- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय-समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का संघटन:

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री के निखिला, आरबीआई नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

1. श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक
2. श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक
3. श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक
4. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक

4.2.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 12 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	06-05-2024	4	4
2	11-06-2024	4	3
3	29-07-2024	4	4
4	10-09-2024	4	4
5	26-09-2024	4	4
6	28-10-2024	4	4
7	13-11-2024	3	3
8	07-12-2024	3	3
9	08-12-2024	3	3
10	29-01-2025	3	3
11	27-02-2025	3	3
12	25-03-2025	3	3

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 18 जनवरी, 2003 को किया गया था और समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति की क्रियाकलाप/उत्तरदायित्व निम्नवत हैं:

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल हैं, नीति और रणनीति तैयार करना।
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) एवं अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- बाजार जोखिम मापन, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (व्यक्तियों, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति का अनुपालन करती हैं।
- व्यापार और उपचय संविभाग हेतु ट्रिगर या हानि रोकने सहित बाजार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधकों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संघटन:

दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संगठन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

आमंत्रित सदस्य:

1. श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक
2. श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक
3. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक
4. श्री हिमाद्री भट्टाचार्य, डोमेन विशेषज्ञ (विशेष आमंत्रिती)

4.3.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में 7 बार समिति की बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	03-05-2024	6	5
2	06-06-2024	6	5
3	20-06-2024	6	5
4	25-07-2024	6	6
5	06-09-2024	6	6
6	26-10-2024	6	5
7	06-12-2024	6	6

4.4 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) :

सतर्कता समिति 12 जनवरी 1991 को गठित की गई थी। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.4.1 सतर्कता पर निदेशकों की समिति (सीओडी) का संघटन:

दिनांक 31.03.2025 को सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) के सदस्य निम्नवत थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.4.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशकों की समिति (सीओड सतर्कता) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	22-05-2024	7	7
2	19-09-2024	7	7
3	27-12-2024	7	6
4	25-02-2025	7	6

4.5 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति:

23 नवंबर, 2006 से समिति का गठन ऐसे कार्यों को करने के लिए किया गया था जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शेयरों का हस्तांतरण, लाभांश की प्राप्ति न होना, वार्षिक रिपोर्ट और कोई अन्य शिकायत शामिल है, जो कि बैंक के किसी शेयरधारक या निवेशक की बैंक के प्रति हो सकती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.5.1 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड हितधारक संपर्क समिति का संघटन निम्नवत है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष /सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.5.2 हितधारक संबंध से संबंधित बोर्ड की समिति के क्रियाकलाप :

समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

4.5.3 बैठकों का विवरण

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक समिति की 1 बैठक का आयोजन हुआ जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	22-05-2024	6	5

4.5.4 अनुपालन अधिकारी:

श्री दीना नाथ कुमार, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

4.6 आईटी स्ट्रेटजी समिति :

आईटी स्ट्रेटजी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.6.1 आईटी स्ट्रेटजी समिति का संघटन (आईटी समिति):

दिनांक 31.03.2025 को आईटी स्ट्रेटजी समिति (आईटी समिति) का संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/ सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
7.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
8.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

आईटीआरबीटी के प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ और आईटी कंसल्टेंट समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सीआईएसओ भी समिति में आमंत्रित सदस्य हैं।

4.6.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 6 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की आईटी स्ट्रेटजी समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	24-06-2024	9	9
2	21-08-2024	9	9
3	05-12-2024	8	8
4	17-02-2025	8	8
5	15-03-2025	8	7
6	26-03-2025	8	8

4.7 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति पूर्ववर्ती: विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)}:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2024 को अधिसूचना संख्या डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी. सं.5/23.04.001/2024-25 जारी की गई है, जिसके द्वारा "विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)" एवं इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी सभी प्रासंगिक पिछले परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति' (एससीबीएमएफ) के पुनर्गठन हेतु निर्देश दिया गया है। यह समिति, मौजूदा विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी) को प्रतिस्थापित करेगी। उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुरूप, दिनांक 29.07.2024 को धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का पुनर्गठन किया गया।

एससीबीएमएफ द्वारा बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के प्रभावशीलता का पर्यवेक्षण किया जाएगा; मूल कारणों के विश्लेषण को समाहित करते हुए धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा एवं उसकी निगरानी की जाएगी; तथा आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाए जाएंगे। इसके अलावा, इसमें धोखाधड़ी की श्रेणियों/प्रवृत्ति, धोखाधड़ी का औद्योगिक/क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण, धोखाधड़ी का पता लगाने/वर्गीकरण में देरी और कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच/निष्कर्ष में देरी आदि को शामिल किया जाएगा।

4.7.1 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) पूर्ववर्ती विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)} का संघटन :

दिनांक 31.03.2025 को धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
7	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
8	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.7.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) पूर्ववर्ती : विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)} की 4 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.04.2024	8	8
2	11.06.2024	8	8
3	21.08.2024	8	8
4	17.02.2025	8	8

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

24 अगस्त 2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है। ग्राहक सेवा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के सरलीकरण पर विचार करना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा करना और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जो बैंकों की ग्राहक सेवा को प्रभावित करते हैं।

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का संघटन:

दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का संघटन निम्नवत है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.8.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	05.06.2024	6	5
2	11.09.2024	6	6
3	25.09.2024	6	6
4	26.11.2024	7	7
5	27.02.2025	7	7

4.9 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की “उपयुक्त और उचित” स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 27.11.2019 को बैंक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

4.9.1 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का संघटन निम्नवत है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

नोट: एनआरसी का पुनर्गठन 19.04.2025 को किया गया है, जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं।

4.9.2 बैठक का विवरण

01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	29.04.2024	4	4
2.	20.12.2024	3	3

4.10 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति :

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का केआरए तैयार करने तथा महाप्रबन्धकों, मुख्य महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों के केआरए को अनुमोदित करने के लिए तथा बोर्ड को अनुशंसा करने हेतु एमडी एवं सीईओ के केआरए के निर्धारण के लिए दिनांक 27.11.2019 को यह समिति गठित की गई थी। समय समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.10.1 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति का संघटन :

यथास्थिति दिनांक 31.03.2025 को कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति का संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.10.2 बैठक का विवरण :

01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान समिति की 2 बैठक संपन्न हुई जिनका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	19.09.2024	3	3
2	07.12.2024	3	3

4.11 शेयर अंतरण समिति:

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 के विनियम संख्या 2ए के अनुसरण में बैंक द्वारा दिनांक 13 मार्च 2007 को शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया गया है।

4.11.1 शेयर अंतरण समिति का संघटन :

यथास्थिति दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.11.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान समिति की 1 बैठक संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र सं	बैठक की तिथि	शेयर अंतरण समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	20.12.2024	6	5

4.12 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस. ओ. 2736 (ई) दिनांकित 05.12.2011 के अनुसरण में दिनांक 04.04.2012 को बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जोकि एमसीबी से एक स्तर नीचे की वह संस्वीकृति निकाय है जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों/समझौता प्रस्तावों/बट्टा खाता प्रस्तावों का अनुमोदन करने के संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना है। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया गया है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2025 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष /सदस्य
1	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट)	सदस्य
7.	महाप्रबंधक (सीएफओ)	सदस्य
8.	ऋण / व्यय / अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सीजीएम / जीएम / डीएच	सदस्य
9.	सीजीएम / जीएम (सीआरओ) एवं सीसीओ - प्रतिभागी	

4.12.2 बैठक का विवरण :

01.04.2024 से 31.03.2025 तक ऋण अनुमोदन समिति की कुल 31 बैठकें संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में डबल्यूटीडी की संख्या	बैठक में उपस्थित डबल्यूटीडी की संख्या
1	20.04.2024	5	5
2	08.05.2024	5	5
3	23.05.2024	5	5

4	07.06.2024	5	5
5	27.06.2024	5	5
6	16.07.2024	5	5
7	31.07.2024	5	5
8	16.08.2024	5	5
9	31.08.2024	5	5
10	05.09.2024	5	5
11	23.09.2024	5	5
12	27.09.2024	5	4
13	08.10.2024	5	5
14	19.10.2024	5	5
15	29.10.2024	5	5
16	13.11.2024	5	5
17	29.11.2024	5	5
18	05.12.2024	5	5
19	24.12.2024	5	5
20	30.12.2024	5	4
21	13.01.2025	4	4
22	21.01.2025	5	4
23	30.01.2025	5	5
24	06.02.2025	5	5
25	14.02.2025	5	5
26	19.02.2025	5	5
27	28.02.2025	5	5
28	07.03.2025	5	5
29	15.03.2025	5	5
30	27.03.2025	5	5
31	29.03.2025	5	5

4.13 असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ता एवं बड़े चूककर्ताओं के मामलों में कार्रवाई से संबंधित दिनांक 30.07.2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश (पृष्ठ संख्या 4, अध्याय 1 खंड 2, बिंदु संख्या 05) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर. संख्या सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/ 2014-15, दिनांक 22 दिसंबर, 2014 में निहित असहयोगी उधारकर्ताओं के संबंध में जारी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। तदनुसार, असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति को निरस्त किया जाता है।

4.14 एचआर समिति:

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.14.1 एचआर समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2025 को एचआर समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.14.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	एचआर समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1	17.10.2024	8	8
2	05.12.2024	8	8
3	25.02.2025	7	7
4	15.03.2025	7	6
5	26.03.2025	7	7

4.15 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति दिनांक 23.01.2015 को गठित की गई। यह समिति उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.15.1 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति का संघटन:

यथास्थिति 31.03.2025 को इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.15.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1	29.04.2024	3	3
2	11.09.2024	3	3
3	07.12.2024	3	3
4	14.02.2025	3	3

4.16 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति:

दिनांक 18.12.2012 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है बैंक द्वारा एनपीए में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे एसएसी, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.16.1 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति का संघटन:

यथास्थिति 31.03.2025 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.16.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1	05.06.2024	8	6
2	19.09.2024	8	7
3	18.03.2025	6	6

4.17 पूंजी संग्रहण हेतु निदेशकों की समिति:

सेबी, आरबीआई और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हुए तथा इक्विटी पूंजी संग्रहण हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समग्र सीमा का ध्यान रखते हुए, इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए उसे जारी करने की पद्धति/प्रकार, उसकी राशि, समय, अनुपात, आबंटन का आधार और निर्गम मूल्य के विषय में निर्णय लेने के उद्देश्य से तथा एक या एक से अधिक चरणों में बेसल III के अनुरूप एटी1/टियर 2 बांड जारी करके संग्रहीत पूंजी की मात्रा, कूपन, परिपक्वता, कॉल विकल्प, समय, आबंटन का आधार, आबंटन की तिथि और सभी निर्गम-पूर्व/ निर्गम के पश्चात औपचारिकताओं, बांड जारी करने की निबंधन एवं शर्तों में संशोधन, रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, व्यवस्थापक/सलाहकार, मध्यस्थ, निर्गम रजिस्ट्रार और अन्य अपेक्षित मध्यस्थों की नियुक्ति का अनुमोदन करने/अंतिम रूप देने के बारे में निर्णय लेने और एटी1/टियर 2 बांड जारी करने के लिए आवश्यक और समीचीन, सभी ऐसे कार्यों एवं उपायों को करने तथा ऐसे मामलों एवं बातों का ध्यान रखने के लिए बैंक द्वारा दिनांक 28.10.2024 को पूंजी संग्रहण हेतु निदेशकों की समिति का गठन किया गया था।

4.17.1 पूंजी संग्रहण हेतु निदेशकों की समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2025 को पूंजी संग्रहण हेतु निदेशक समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.17.2 बैठक का विवरण:

01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. वरिष्ठ प्रबंधन

(ए) यथास्थिति 31.03.2025 तक वरिष्ठ प्रबंधन (मुख्य महाप्रबंधक/वर्टिकल हेड) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सतीश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक - कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग
2.	श्री सुजीत कुमार डे	मुख्य महाप्रबंधक - मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) एवं एफ़आरएमसी
3.	सुश्री वी एन माया	मुख्य महाप्रबंधक - वसूली एवं विधि
4.	श्री दीपक सारड़ा	मुख्य महाप्रबंधक - आईटी तथा पार्टनरशिप (मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी / मुख्य सूचना अधिकारी)
5.	सुश्री वैलरी रथ	मुख्य महाप्रबंधक - टीएमओ एवं डिजिटल व्यवसाय, योजना एवं व्यवसाय आसूचना, विपणन एवं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन
6.	श्री गणेशरामन ए	मुख्य महाप्रबंधक - सीडीओ एवं सीएलओ (एचआरएम एवं एचआरडी)
7.	श्री सुजय मल्लिक	मुख्य महाप्रबंधक - खुदरा आस्तियां, मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं एमएसएमई
8.	श्री सुधीर कुमार गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक - क्षेत्र महाप्रबंधक - लखनऊ
9.	श्री सुख सागर प्रसाद राय	मुख्य महाप्रबंधक - बीओडी, संपदा, एमडी एवं सीईओ के कार्यपालक सचिव एवं बोर्ड के सचिव
10.	श्री अशोक पटनायक	मुख्य महाप्रबंधक - आर एंड जीआर
11.	श्री रामकुमार दास*	महाप्रबंधक - वसूली
12.	श्री सुरेश कुमार एस.	महाप्रबंधक - अनुपालन / सीसीओ (मुख्य अनुपालन अधिकारी)
13.	श्री सुनील जैन	महाप्रबंधक - मुख्य वित्तीय अधिकारी
14.	श्री राकेश सहगल	महाप्रबंधक - निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा
15.	श्री शशांक जैन	महाप्रबंधक - ट्रेजरी
16.	श्री दीपक गोविंद	वर्टिकल प्रमुख - एनआरआई व्यवसाय
17.	श्री सौरभ डालमिया	वर्टिकल प्रमुख - सीएमएस
18.	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)
19.	सुश्री एम स्वराज्य लक्ष्मी	आंतरिक लोकपाल

*दिनांक 01.04.2025 के प्रभाव से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत

(बी) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पूर्व समनुदेशन	परिवर्तन/नया समनुदेशन	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
1.	श्री गणेशरामन ए	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- क्षेत्र महाप्रबंधक (एफजीएम) हैदराबाद	सीजीएम-सीडीओ और सीएलओ (एचआरएम और एचआरडी)	15.04.2024
2.	श्री विकास कुमार	मुख्य महाप्रबंधक (खुदरा आस्ति और एमएसएमई)	अधिवर्षिता पर पदमुक्ति	01.07.2024
3.	श्री सुधीर कुमार गुप्ता	महाप्रबंधक- एफजीएम लखनऊ	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- एफजीएम लखनऊ	09.07.2024
4.	श्री सतीश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- कॉर्पोरेट क्रेडिट	05.08.2024
5.	श्री सुजय मल्लिक	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- कॉर्पोरेट क्रेडिट	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- खुदरा आस्तियां, एमएसएमई एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग	06.08.2024
6.	श्री सुधाकर राव के एस	मुख्य महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय/ आर एंड जीआर/चालू खाता/केवाईसी/ एएमएल/ग्राहक सेवा)	अधिवर्षिता पर पदमुक्ति	01.09.2024
7.	श्री सुख सागर प्रसाद राय	महाप्रबंधक (जीएम)-एफजीएम मुंबई	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- एफजीएम मुंबई	02.09.2024
8.	श्री अशोक पटनायक	महाप्रबंधक (जीएम)-सरकारी व्यवसाय/ आर एंड जीआर/चालू खाते	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- सरकारी व्यवसाय/ आरएंडजीआर/चालू खाते	04.11.2024
9.	श्री राकेश सहगल	क्षेत्र महाप्रबंधक - एफजीएमओ पटना	महाप्रबंधक, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा	13.11.2024
10.	श्री अशोक पटनायक	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)-सरकारी व्यवसाय/आर एंड जीआर/चालू खाते	सीजीएम (डीएच)- आर एंड जीआर	28.11.2024
11.	श्री सतीश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)- कॉर्पोरेट क्रेडिट	सीजीएम- कॉर्पोरेट क्रेडिट और आईबीडी	28.11.2024
12.	श्री सुजय मल्लिक	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)-खुदरा आस्ति, एमएसएमई और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग	सीजीएम- खुदरा आस्तियां, एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट	28.11.2024
13.	श्री सुख सागर प्रसाद राय	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)-एफजीएम मुंबई	सीजीएम - बीओडी, संपदा, एमडी एवं सीईओ के कार्यपालक सचिव एवं बोर्ड के सचिव	02.12.2024
14.	श्री दीपक गुप्ता	महाप्रबंधक- कॉका: बीओडी और संपदा	क्षेत्र महाप्रबंधक (एफजीएम)-मुंबई	11.12.2024
15.	सुश्री वैलेरी रथ	मुख्य महाप्रबंधक, टीएमओ और डिजिटल व्यवसाय और एमडी और एमडी एवं सीईओ के कार्यपालक सचिव एवं बोर्ड के सचिव	मुख्य महाप्रबंधक- टीएमओ एवं डिजिटल बिजनेस	01.01.2025
16.	श्री बालाजी एस	उप महाप्रबंधक, कॉका: विपणन	डीजीएम/डीएच (विपणन और सीसीडी)	13.01.2025
17.	सुश्री वैलेरी रथ	मुख्य महाप्रबंधक- टीएमओ और डिजिटल व्यवसाय	मुख्य महाप्रबंधक- टीएमओ एवं डिजिटल बिजनेस तथा योजना एवं व्यवसाय आसूचना	21.01.2025

18.	श्री राम कुमार दास	महाप्रबंधक- कॉका: वसूली	मुख्य महाप्रबंधक- कॉका: रिकवरी	01.04.2025
19.	श्री वेंकटचलम आनंद	-	मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति	01.04.2025
20.	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता	-	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नियुक्ति	17.01.2025
21.	सुश्री एम स्वराज्य लक्ष्मी	-	आंतरिक लोकपाल के रूप में नियुक्ति	10.03.2025

6. निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दिए जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (यथासंशोधित) के खंड 17 के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	मूल वेतन (रु.)	महंगाई भत्ता (रु.)	बकाया (रु.)	प्रोत्साहन राशि/अन्य भत्ते (रु.)	पीएम राहत कोष में 1 दिन छुट्टी नकदीकरण (रु.)	कुल (रु.)	बैंक का पीएफ/एनपीएस अंशदान (रु.)	कुल योग (रु.)
1	श्री बिनोद कुमार (एमडी एवं सीईओ)	529212.90	280482.84	4896.00	0.00	0.00	814591.74	53241.29	867833.03
2	श्री एस.एल. जैन (पूर्व एमडी एवं सीईओ)	2000100.00	1020246.00	46344.00	5171780.00	0.00	8238470.00	200010.00	8438480.00
3	श्री महेश कुमार बजाज	2234700.00	1151118.00	38736.00	1962842.00	0.00	5387396.00	223470.00	5610866.00
4	श्री आशुतोष चौधरी	2406000.00	1239360.00	41790.00	1962356.00	0.00	5649506.00	512857.80	6162363.80
5	श्री शिव बजरंग सिंह	2301600.00	1185576.00	39900.00	865462.00	0.00	4392538.00	230160.00	4622698.00
6	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	2201700.00	1134123.00	27049.77	106832.00	0.00	3469704.77	220546.13	3690250.90
7	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी*	0.00	0.00	0.00	1706208.00	0.00	1706208.00	0.00	1706208.00
8	श्री अश्वनी कुमार#	0.00	0.00	0.00	309120.00	0.00	309120.00	0.00	309120.00

श्री शांति लाल जैन के लिए प्रोत्साहन राशि/अन्य भत्ता में उनकी सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण, उपदान, पीएफ एवं पेंशन संराशीकरण के लिए उन्हें भुगतान किए गए राशि शामिल है।

*दिनांक 09.03.2024 तक कार्यपालक निदेशक

#दिनांक 31.05.2023 तक कार्यपालक निदेशक

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टाक ऑप्शन प्लान नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

भारत सरकार ने दिनांक 30.08.2019 को सूचित किया कि 10 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल कारोबार (बैंक के सकल ऋण और अग्रिम एवं कुल जमा का योग, बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार गणना) वाले बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), अपने बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों को देय सिटिंग शुल्क तय कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने 25.04.2023 को आयोजित अपनी बैठक में सहभागिता शुल्क (प्रति बैठक) को निम्नानुसार मंजूरी दी :

1.	बोर्ड की बैठक के लिए	रु. 70,000.00
2.	बोर्ड स्तरीय समितियों के लिए	रु. 35,000.00
3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए	रु. 20,000.00
4.	बोर्ड स्तरीय समितियों की अध्यक्षता के लिए	रु. 10,000.00

प्रति वर्ष 25 लाख रुपये की समग्र सीमा के अधीन।

राष्ट्रीयकृत बैंक ;प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध योजना 1970 के साथ पठनीय बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों को सहभागिता शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान की गई सहभागिता शुल्क का विवरण निम्नानुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्रम सं.	निदेशक का नाम	(राशि रु.)
01	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	22,95,000
02	श्री बालमुकुंद सहाय	21,50,000
03	श्री विश्वेश कुमार गोयल	18,05,000
04	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	17,95,000
05	श्री संजीव माहेश्वरी	7,30,000

7. आम सभा की बैठकें:

7.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	तिथि और समय	स्थान	उद्देश्य
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	बुधवार, 22 जून, 2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम स	- यथास्थिति 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। - इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। - क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से (विशेष संकल्प द्वारा पारित) रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।

सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	सोमवार, 19 जून, 2023	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से	- यथास्थिति 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। - इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। - श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक (डीआईएन: 08080244) की नियुक्ति का अनुमोदन। - श्री मारुती प्रसाद तंगिराला, गैर-कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) (डीआईएन:03609968) की नियुक्ति का अनुमोदन। - क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।
अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	शनिवार, 15 जून, 2024	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- यथास्थिति 31 मार्च, 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। - इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। - श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने हेतु। - आलोक कुमार पांडे, गैर-कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) की नियुक्ति का अनुमोदन। - क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।

7.2 22 जून, 2022 एवं 19 जून, 2023 को आयोजित क्रमशः सोलहवीं व सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया था। 15 जून, 2024 को आयोजित अठारहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

7.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा अथवा असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7.4 दिनांक 15.06.2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे::

श्री एस. एल. जैन	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक
श्रीमती के निखिला	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक
श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक
श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष
श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

8. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक, प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिन्दी) तथा चेन्नै स्थित क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों अर्थात बिजनेस स्टैंडर्ड ए अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण तथा दिनामणि (तमिल) में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों हेतु बनाए गए प्रेजेंटेशन, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध हैं।

9. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी :

9.1 19वीं वार्षिक आम बैठक का विवरण :

दिन और दिनांक	मंगलवार, 17 जून, 2025
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	वार्षिक आम बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जाएगी, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय - 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 को वार्षिक आम बैठक आयोजित किए जाने का स्थान माना जाएगा।

9.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर:

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

9.3 लाभांश भुगतान तिथि:

लाभांश भुगतान तिथि: घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर

9.4 लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी 16.25 रुपए के लाभांश अर्थात बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 162.50 प्रतिशत, की अनुशंसा की है।

9.5 सूचीबद्धता:

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीबद्ध करने की तारीख
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी- ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	INDIANB	01.03.2007
बी एस ई लिमिटेड (बीएसई), पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001	INDIANB/ 532814	01.03.2007

वित्त वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

9.6 बाजार मूल्य आंकड़े:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल परिमाण (सं. लाख में)
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	परिमाण (सं. लाख में)	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	परिमाण (सं. लाख में)	
अप्रैल 2024	565.75	500.40	343.23	565.15	496.10	14.66	357.89
मई 2024	596.90	500.40	527.29	596.70	500.80	24.44	551.73
जून 2024	632.70	481.45	549.56	626.35	481.85	22.29	571.85
जुलाई 2024	610.90	524.80	366.71	610.00	521.65	13.83	380.54
अगस्त 2024	613.20	531.05	277.10	612.90	531.30	11.43	288.53
सितंबर 2024	574.30	504.15	422.81	573.80	504.25	15.96	438.77
अक्टूबर 2024	597.00	487.35	377.89	597.45	488.00	13.86	391.75
नवंबर 2024	598.00	504.50	285.77	597.75	504.60	9.74	295.51
दिसंबर 2024	615.15	525.70	355.55	615.00	525.95	10.79	366.34
जनवरी 2025	561.30	473.90	447.83	561.10	474.05	10.89	458.72
फरवरी 2025	559.80	496.80	245.34	559.45	497.40	5.43	250.77
मार्च 2025	558.00	478.00	238.56	557.65	478.35	5.57	244.13

9.7 इंडेक्स (निफ्टी-50 एवं एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स) के संचलन की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है :

दिनांक	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (रु.)	निफ्टी-50 (अंतिम)	एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स (अंतिम)
अप्रैल 2024	548.25	22604.85	74482.78
मई 2024	567.50	22530.70	73961.31
जून 2024	545.50	24010.60	79032.73
जुलाई 2024	608.80	24951.15	81741.34
अगस्त 2024	567.30	25235.90	82365.77
सितंबर 2024	524.05	25810.85	84299.78
अक्टूबर 2024	592.55	24205.35	79389.06
नवंबर 2024	574.30	24131.10	79802.79
दिसंबर 2024	529.95	23644.80	78139.01
जनवरी 2025	555.75	23508.40	77500.57
फरवरी 2025	510.80	22124.70	73198.1
मार्च 2025	541.30	23519.35	77414.92

9.8 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट:

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै-600 002 बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

9.9 शेयर अंतरण प्रणाली :

- सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 40(1) यथासंशोधित के अनुसार, शेयर/प्रतिभूतियों के अंतरण या स्थानान्तरण के अनुरोधों पर बैंक के आरटीए/बैंक द्वारा तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि शेयर/प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है।
- जिन निवेशकों के पास भौतिक रूप में शेयर उपलब्ध हैं एवं वे शेयरों का अंतरण करने के इच्छुक हैं तो वे शेयर के डीमेटेरियलाइज्ड होने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

9.10. यथास्थिति 31.03.2025 तक शेयरधारिता का वितरण:

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत (%)	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत (%)
1 - 500	307389	94.5757	22437883	1.6658
501 - 1000	11550	3.5536	8224208	0.6105
1001 - 2000	3711	1.1417	5188808	0.3852
2001 - 3000	852	0.2621	2114883	0.1570
3001 - 4000	347	0.1067	1220994	0.0906
4001 - 5000	241	0.0741	1117604	0.0829
5001 - 10000	343	0.1055	2493298	0.1851
10001 और उससे अधिक	586	0.1802	1304166303	96.8226
कुल	325019	100.00	1346963981	100.00

9.11 शेयरों का डिमेटेरियलाइजेशन:

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड INE562A01011 है।

यथास्थिति 31.03.2025 तक बैंक के 134,55,52,591 इक्विटी शेयर, डिमेटेरियलाइज्ड हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.90% है।

यथास्थिति 31.03.2025 तक को शेयरधारकों द्वारा डीमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

शेयरधारिता की प्रकृति	शेयरधारकों की संख्या		शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक रूप	40,909		12.59	1411390	0.10
डिमेटेरियलाइज्ड	एनएसडीएल	1,64,354	50.57	328057852	24.36
	सीडीएसएल	1,19,756	36.84	1017494739	75.54
कुल	3,25,019		100.00	1346963981	100.00

यथास्थिति 31.03.2025 तक भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/- के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 99,45,49,600 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 73.84 प्रतिशत है।

9.12 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य संपरिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

9.13 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां :

ओवरसीज़ उपस्थिति के कारण बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिमों के एक्सपोजर की संभावना है। तथापि बैंक का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कम महत्व का है एवं मुद्रा अंतराल आंतरिक विवेकपूर्ण परिधि में ही है। तुलनपत्र की तिथि का बकाया विदेशी मुद्रा स्पोट और वायदा अनुबंधों और व्यापार के लिए धारित का पुनर्मूल्यांकन एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पोट और फॉरवर्ड दरों पर और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है। अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संदर्भ में बैंक ने अपनी देयताओं का आकलन उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर किया है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसे ही

उपलब्ध करवाया गया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं जहां कहीं भी उधारकर्ताओं से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं, इन सभी के आधार पर बैंक ने आरबीआई निदेशों आरबीआई/2022-23/131:डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांकित 11 अक्टूबर, 2022 के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक अपने घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में कुल 40.50 करोड़ रुपए (विवृत वर्ष 35.10 करोड़ रुपए) देयताओं का प्राक्कलन किया है। संपूर्ण प्राक्कलित राशि के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

9.14 यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक द्वारा जारी बांड/ऋण लिखतों और बकाया का विवरण:

यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक द्वारा जारी बॉन्ड और बकायों का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	आईएस आईएन	राशि (रुपए करोड़ में)	यथास्थिति 31.03.2025 को बकाया	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम	बांड ट्रस्टी का नाम एवं पता
बेसल II अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज II	INE562A08057	1048	केयर एए+/स्थिर क्रिसिल एए+/स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028
बेसल II अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज II	INE562A08065	560			
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज IV	INE562A08073	392			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बॉन्ड सीरीज II	INE428A08044	1000	क्रिसिल एएए / स्थिर	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	
			बीडब्ल्यूआर एएए / स्थिर	ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	
			केयर एएए / स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बॉन्ड सीरीज III	INE428A08051	1000	केयर एएए / स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	
			क्रिसिल एएए / स्थिर	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बॉन्ड सीरीज V	INE562A08081	2000	केयर एएए / स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सीरीज I	INE562A08099	5000			
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सीरीज II	INE562A08107	5000	क्रिसिल एएए / स्थिर	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	
कुल		16000.00			

अन्य क्रेडिट रेटिंग:

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक ने अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए क्रिसिल रेटिंग्स से क्रेडिट रेटिंग तथा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स लिमिटेड से जारीकर्ता रेटिंग भी प्राप्त की है। विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	इंस्ट्रुमेंट / रेटिंग का प्रकार	राशि (रुपए करोड़ में)	31.03.2025 को यथास्थिति उत्तम रेटिंग
1	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स	45,000	क्रिसिल ए1+
2	एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	-	बीबीबी-/पॉजिटिव/ए-3
3	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	-	एएए/स्थिर

10. अन्य प्रकटीकरण:

- (ए) यथास्थिति दिनांक 31.03.2025 के तुलन-पत्र की अनुसूची 18 की लेखा टिप्पणियों में बैंक के संबंधित पार्टी के लेन-देन का प्रकटीकरण किया गया है। बैंकिंग व्यवसाय से संबद्ध सामान्य कार्यों के अलावा, बैंक द्वारा अपने प्रमोटर, निदेशकों, प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जिससे सामान्यतया बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना उत्पन्न हो।
- (बी) विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।
- (सी) राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते बैंक ने यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का पालन किया है।
- (डी) बैंक ने 'अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।
- (ई) बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड तथा एक असूचीबद्ध अनुषंगी इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड है। इनमें से कोई भी "महत्वपूर्ण अनुषंगी" नहीं हैं। तीन अनुषंगियों के अतिरिक्त बैंक के पास युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम भी हैं।
- (एफ) बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 और नियमों के अनुरूप एक नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त एवं निपटान की गई शिकायतों का विवरण एवं दिनांक 31.03.2025 को लंबित शिकायतें निम्नानुसार हैं

	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निस्तारित	31.03.2025 को लंबित
प्राप्त शिकायतों की संख्या	07	03	04

- (जी) हमने व्यवहारिक रूप में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्यकाल जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और यह प्रमाण पत्र संलग्न है एवं यह इस रिपोर्ट का भाग है।
- (एच) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- (आई) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय की राशि रु.615.87 लाख है।
- (जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(2) के साथ पठित विनियम 17(8) में निर्धारित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा एक अनुपालन प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(के) कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां - लागू नहीं।

(एल) विवेकसम्मत आवश्यकताएं:

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015, यथा संशोधित, की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकसम्मत आवश्यकताओं के अंगीकरण से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड: गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार: पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों तक पहुंचाया जाए।	अर्द्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं एवं यह स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसई व बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
सी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई गैर आशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में अग्रसर हो सकती है।	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में गैर आशोधित अभिमत है।
डी. अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद: सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, ताकि अध्यक्ष : (क) गैर- कार्यपालक निदेशक रहे; और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'संबंधी' की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों	वर्तमान में बैंक में कोई नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है। बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970, के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग: आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बैंक द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से बैंक की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

(एम) व्हिसल ब्लोअर नीति / सतर्कता तंत्र:

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/आधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ कर्मचारियों/आधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है 'व्हिसल ब्लोअर पालिसी' जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

(एन) दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके बैंक द्वारा संग्रहीत निधि का उपयोग:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बीएसई (बीएसई-ईबीपी) के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निजी स्थान के जरिए दो चरणों में 10 वर्ष की अवधि वाले कुल रु.10,000 करोड़ की राशि संग्रहित की, जिसमें दिनांक 13.09.2024 (दूसरी तिमाही) को 7.24% प्रति वर्ष के कूपन पर रु.5000 करोड़ और दिनांक 25.10.2024 (तीसरी तिमाही) को 7.12% प्रति वर्ष के

कूपन पर रु.5000 करोड़ संग्रहित किया गया।

इस निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आधारभूत संरचना के उप-क्षेत्रों एवं किफायती आवास संबंधी दीर्घकालिक परियोजनाओं के निधीयन/पुनर्वित्तपोषण करने के लिए किया गया है।

(ओ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां बोर्ड के अनुमोदन हेतु अनिवार्य, बोर्ड समिति की सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार न किया हो।

11. बैंक ने सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ 2015 की अनुसूची V के उप पैरा-सी के उप पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

11.1 बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत यथानिर्धारित निदेशक मंडल की संरचना, नामांकन एवं परिलब्धि समिति के गठन, बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक की अनुपलब्धता एवं 50% स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम 2 के खंड (बी) से (आई) में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

12. लाभांश वितरण नीति:

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट के इस लिंक <https://indianbank.in/investors-services-ib/> पर उपलब्ध है।

13. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण:

बैंक ने केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में भी स्वीकार की जाती हैं। सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण हेतु अनुरोधों को 01.04.2019 से संसाधित नहीं किया जा रहा है।

डीमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए, पते और/या बैंक मैडेट (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड आदि) में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने के लिए, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए शेयरधारकों को सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं :-

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड (इकाई : इंडियन बैंक) पी सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै- 600 002 टेलीफोन : 044-28460718 ई-मेल: investor@cameoindia.com	कंपनी सेक्रेटरी निवेशक सेवाएं कक्ष इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै रॉयपेट्टा, चेन्नै - 600014 टेलीफोन : 044-28134484/4698 ई-मेल: investors@indianbank.co.in

13.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु बैंक के आरटीए को अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2025 को लंबित अनुरोधों शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	यथास्थिति 01.04.2024 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2025 को लंबित
	0	120	120	0

14. डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण :

डीमैट उचंत खाते में रखे अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01.04.2024 को शेयरधारकों एवं उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के अंत में अर्थात् 31.03.2025 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमैट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

15. शेयरधारिता संरचना (यथास्थिति 31.03.2025):

शेयरधारक श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) - प्रमोटर	1	994549600	73.84
म्युचुअल फंड*	32	170908925	12.69
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एवं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)*	222	63793865	4.74
वैकल्पिक निवेश निधियां	16	4573199	0.34
बीमा कंपनियाँ *	16	63666007	4.73
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	5	267472	0.02
निवासी व्यक्ति	290556	38709872	2.87
निगमित निकाय	1387	2478995	0.18
निदेशक एवं उनके संबंधी	3	1745	0.00
कर्मचारी	17074	4887526	0.36
क्लियरिंग सदस्य	6	11674	0.00
हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	3240	982783	0.07
अनिवासी भारतीय	4897	2031042	0.15
न्यास	23	93393	0.01
केंद्र सरकार / राज्य सरकार(ओं)/ भारत के राष्ट्रपति - नॉन प्रमोटर	1	4021	0.00
अदावी शेयर डीमैट उचंत खाता	2	3862	0.00
कुल	317481	1346963981	100.00

*सामान्य पैन के आधार पर समेकित

16. नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश:

नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करवाता है। तथापि, शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

17. अदावी लाभांश, यदि कोई हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, कोई भी पैसा जो अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरित किया जाता है और अंतरित की तारीख से सात साल की अवधि के लिए भुगतान/दावा नहीं किया जाता है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' को अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक की अप्रदत्त और दावा न की गई लाभांश राशि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुपालन के अंतर्गत केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश वारंट, यदि कोई हो, का नकदीकरण नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना वैध दावा उनके बैंक विवरण के साथ, एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से उसे अवैतनिक लाभांश वारंट की आय के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं. 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नई - 600 002 को प्रेषित करें। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में उन सभी शेयरों को अंतरित करेगा, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट ब्यौरा सहित विवरण भी शामिल होंगे

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावी या अदा न किए गए धन को उप-धारा (3) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया गया है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अन्तरण का दावा करने के लिए हकदार होगा।”

अदत्त लाभांश वारंट का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध कराया गया है।

18. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्त्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पालिसी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

19. आचार संहिता:

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट का अंश है।

20. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

कृते निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक : 03.05.2025

स्थान : चेन्नै

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् मुख्य महाप्रबंधकगण/ वर्टिकल हेड) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है

दिनांक : 03.05.2025

स्थान : चेन्नै

(बिनोद कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46 (2) (बी) से एल एवं टी) में यथा निर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन बैंक, के कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है, और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

(ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के पैरा 11.1 में उल्लिखित अपवाद सहित, निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का सामान्य रूप से अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।

(बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित एवं स्टिकधारक संपर्क समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 112318W

कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 001526C

कृते मेसर्स जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. नं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTC7667

मुकेश कुमार खण्डेलवाल
पार्टनर
(एम. नं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJT1940

राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. नं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUM4270

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. नं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEL3675

अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. नं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRV1842

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 03.05.2025

सीईओ एवं सीएफओ द्वारा प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसार)

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

- (ए) हमने वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
- (i) इन विवरणों में तात्त्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं है या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गए हैं या भ्रामक विवरण नहीं है।
 - (ii) यह विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यपालकों को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं, जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियां, यदि कोई हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने हेतु उठाए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को दे दी है।
- (डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:
- (i) यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही और वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;
 - (ii) पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसरण की गई लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 सितम्बर 2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023, जो दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी है, से संबंधित मास्टर निदेश संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर. एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 के अनुसार है, निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन, सिवाय इसके 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। (बी) विदेशी मुद्रा लेनदेन के अभिलेखन साप्ताहिक औसत दर की बजाय पूर्ववर्ती व्यावसायिक कार्यदिवस दिन की समापन दर पर प्रचलित विनियम दर पर किया जाना।
 - (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि कोई हो, की जानकारी।

(सुनील जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(बिनोद कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थाना: चेन्नै
दिनांक: 03.05.2025

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक (एतदपश्चात बैंक कहा जाएगा)** द्वारा सदभावनापूर्ण कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा एक ऐसे व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इंडियन बैंक के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बहियों, फॉर्म और दाखिल की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखरखाव किए गए अन्य अभिलेखों एवं सचिवालयीन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का, हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र विद्यमान हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंडियन बैंक ("बैंक") द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बहियों, प्रपत्रों और दाखिल की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निरूपित विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक नियम और विनियमन; **(लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009, 2018 में यथा संशोधित **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021;

एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993; **(लागू नहीं)**

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियमन, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधिके दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियमन, 2018

बैंक पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून निम्नानुसार है:

(vi) बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

(vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खंड के अनुपालन की जांच भी की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक **(बैंक के लिए अप्रयोज्य क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है)**

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन।

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है और इसे कंपनी अधिनियम के तहत निगमित नहीं किया गया है।

बैंक के बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों के संघटन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत अधिशासित होते हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित प्रेक्षणों के अध्यधीन है:

1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) के अनुसार, बैंक के कर्मचारियों में से बैंक को एक निदेशक रखना आवश्यक था, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (एस) के तहत कामगार है, उसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना था, लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।

2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के अनुसार, बैंक के कर्मचारियों में से बैंक को एक निदेशक रखना आवश्यक था, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (एस) के तहत जो कामगार नहीं हैं, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना था, लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।

3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के अनुसार, बैंक को रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक रखने की आवश्यकता थी, जिसके सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत रहने की अवधि 15 वर्ष से कम न हो, परन्तु, बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।

4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित दो निदेशकों, श्री विश्वेश कुमार गोयल और श्री बालमुकुंद सहाय की कार्यवधि दिनांक 20.12.2024 को समाप्त हो गई। इस प्रकार, यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक के बोर्ड में इस श्रेणी के तहत निदेशक का पद रिक्त था। केंद्र सरकार ने दिनांक 11.04.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से श्री विश्वेश कुमार गोयल और श्री बालमुकुंद सहाय को दिनांक 11.04.2025 के प्रभाव से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया है।

5) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई होने के कारण बैंक द्वारा एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, जो बैंक का पूर्णकालिक नियोजित एक अधिकारी होगा और जो निदेशक मंडल से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं होगा। वर्तमान में, बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित कंपनी सचिव सहायक महाप्रबंधक (बैंक के वर्तमान संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार बोर्ड से चार स्तर नीचे) है।

6) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी। यथास्थिति 31.03.2025 को, बैंक के बोर्ड में श्रीमती के निखिला नाम की एक महिला गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड का संघटन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

7) बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.जीओवी. आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसार, बैंक की नामांकन और परिलब्धि समिति (एनआरसी) में कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे और समिति के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे। यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक की एनआरसी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक की एनआरसी का संघटन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और आरबीआई परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। चार स्वतंत्र निदेशकों के साथ बैंक की एनआरसी का पुनर्गठन दिनांक 19.04.2025 को किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जाता है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली प्रचलन में है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप निगरानी के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बीएसई (बीएसई-ईबीपी) के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर निजी प्लेसमेंट के माध्यम से दो किस्तों में 10 वर्ष की अवधि हेतु कुल रु.10,000 करोड़ की लंबी अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड संग्रहित किए हैं, जो दिनांक 13.09.2024 (ति2) को रु.5000 करोड़ 7.24% प्रति वर्ष के कूपन दर और दिनांक 25.10.2024 (ति3) को रु.5000 करोड़ 7.12% प्रति वर्ष के कूपन दर पर संग्रहित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने दिनांक 27.12.2024 को रु.1500 करोड़ की राशि के टियर 2 बॉन्ड सीरीज

IV (ISIN-INE428A08101) पर कॉल ऑप्शन का उपयोग किया है और दिनांक 20.01.2025 को टियर 2 बॉन्ड सीरीज-I (ISIN- INE428A08028) की परिपक्वता पर रु. 500 करोड़ (अवधि 10 वर्ष) की राशि को भुनाया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना

- रु. 0.46 करोड़ (257 मामले), जिनमें से रु. 0.29 करोड़ (163 मामले) गंदे नोटों के विप्रेषण में विसंगतियों से संबंधित हैं, रु. 0.01 करोड़ (02 मामले) ई-कुबेर में देरी/गलत रिपोर्टिंग और रु. 0.12 करोड़ (52 मामले) करेंसी चेस्टों में आरबीआई के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं तथा रु. 0.03 करोड़ (26 मामले) आरबीआई द्वारा शाखाओं के गुप्त दौरे में पाई गई अनियमितताओं के कारण हैं।
- रु. 0.01 करोड़ (मामलों की संख्या: 14) कैश आउट एटीएम से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका - वित्तीय आसूचना इकाई ने श्रीलंका के वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम, 2006 के नं. 6 (एफटीआरए) और उसके तहत जारी नियमों, विनियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने हेतु बैंक पर श्रीलंकाई रुपये (LKR) दो मिलियन (LKR 2,000,000) अर्थात् लगभग पांच लाख पचासी हजार भारतीय रुपये (INR 5.85 लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक श्रीलंका में अपनी दो शाखाओं के माध्यम से परिचालन करता है। इसमें एक कोलंबो और एक जाफना में है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25.04.2025 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन, निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि अंतरित न करने और 'अग्रिमों पर ब्याज दर', 'किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना' और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने' संबंधी आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने हेतु बैंक पर रु.1,61,40,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

कृते वी गोपालन एवं एसोसिएट्स
सेवारत कंपनी सचिव

गोपालन वरदाराजन
एम. नं. F12087/सीओपी नं.24926
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 5361/2023
यूडीआईएन: F012087G000257321

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
चेन्नै- 600014

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयीन अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन, जांच के आधार पर किया गया, ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के क्रियाकलापों का संचालन किया है।

कृते वी गोपालन एवं एसोसिएट्स
सेवारत कंपनी सचिव

गोपालन वरदाराजन
एम. नं. F12087/सीओपी नं.24926
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 5361/2023
यूडीआईएन: F012087G000257321

दिनांक: 03.05.2025
स्थान: चेन्नै

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची 5 पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

हमने इंडियन बैंक के निदेशकों, जिनका पंजीकृत कार्यालय 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600001 (एतदपश्चात 'बैंक' के रूप में संदर्भित) है, से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जांच की है, जो बैंक द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन हेतु, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी जिसे अनिवार्य माना गया है तथा बैंक एवं उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन/पैन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री बिनोद कुमार	07361689	16.01.2025
2	श्री महेश कुमार बजाज	08080244	21.11.2022
3	श्री आशुतोष चौधरी	09245804	03.05.2023
4	श्री शिव बजरंग सिंह	10597820	09.10.2023
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	ANBPS0315E	10.03.2024
6	डॉ. आलोक पांडे	10631871	13.05.2024
7	सुश्री के निखिला	AAMPK5889M	14.07.2023
8	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	09817764	09.03.2024
9	श्री संजीव माहेश्वरी	02431173	21.12.2024

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के क्रियाकलापों का संचालन किया है।

कृते वी गोपालन एवं एसोसिएट्स
सेवारत कंपनी सचिव

गोपालन वरदाराजन
एम. नं. एफ12087/सीओपी नं.24926
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 5361/2023
यूडीआईएन: F012087G000258124

दिनांक: 03.05.2025
स्थान: चेन्नै

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



स्मार्ट वित्तपोषण से अपने एमएसएमई को सशक्त बनाएं! इंड ईक्विपमेंट एंड व्हील्स(सीई/सीवी)



जानकारी के लिए स्कैन करें

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



जीएसटी सिर्फ फाइल क्यों करें? इससे अपना व्यवसाय बढ़ाएँ ! इंड जीएसटी एडवांटेज



जानकारी के लिए स्कैन करें

एकल तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु एकल लाभ एवं हानि लेखा

(₹ हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2025 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 तक (लेखापरीक्षित)
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	1346 96 40	1346 96 40
आरक्षित निधियां और अधिशेष	2	67962 97 67	57041 15 97
जमाएं	3	737153 56 39	688000 00 37
उधार	4	41507 92 45	23131 48 70
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	25439 23 21	23099 50 83
कुल		873410 66 12	792619 12 27
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	31947 64 88	32702 75 93
बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	22920 22 73	9406 37 45
निवेश	8	225303 12 38	212554 47 66
अग्रिम	9	571071 19 09	514889 06 82
अचल आस्तियां	10	8826 69 30	7515 47 29
अन्य आस्तियां	11	13341 77 74	15550 97 12
कुल		873410 66 12	792619 12 27
समाश्रित देयताएं	12	280676 21 35	334247 11 14
संग्रहण के लिए बिल	-	14159 47 18	15934 58 28

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 112318W
सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. सं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTF8234

कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 001526C
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(एम. सं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJR8226

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073
राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. सं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUK7042

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N
नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. सं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEJ7885

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N
अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. सं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRT1772

दिनांक: 03.05.2025
स्थान: चेन्नै

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु एकल लाभ एवं हानि लेखा

(₹. हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	62002 15 80	55614 77 76
अन्य आय	14	9223 48 10	7866 72 06
कुल		71225 63 90	63481 49 82
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	36825 78 82	32341 49 51
परिचालनगत व्यय	16	15401 64 46	14300 45 59
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	-	8079 91 22	8776 60 81
कुल		60307 34 50	55418 55 91
III. लाभ / हानि			
अवधि हेतु निवल लाभ / हानि (-)		10918 29 40	8062 93 91
अग्रानित लाभ / हानि (-)		329 34 23	133 23 45
कुल		11247 63 63	8196 17 36
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित निधियां		2729 58 00	2015 74 00
पूंजीगत आरक्षित निधियां		29 19	0
आईटी अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		467 34 00	362 22 00
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		199 20 78	328 11 00
निवेश आरक्षित निधि		0	254 40 45
राजस्व आरक्षित निधि		5250 00 00	3250 00 00
स्टाफ कल्याण निधि		60 00 00	40 00 00
इक्विटी लाभांश		2188 81 65	1616 35 68
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष		352 40 01	329 34 23
कुल		11247 63 63	8196 17 36
प्रति शेयर अर्जन, रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		81.06	63.23

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 112318W
सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. सं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTF8234

कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 001526C
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(एम. सं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJR8226

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073
राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. सं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUK7042

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N
नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. सं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEJ7885

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N
अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. सं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRT1772

दिनांक: 03.05.2025
स्थान: चेन्नै

अनुसूची 1 - पूंजी

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. प्राधिकृत पूंजी		
रु. 10/- प्रत्येक के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी:		
ए. केंद्र सरकार द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994 54 96	994 54 96
बी. जनता द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	352 41 44	352 41 44
कुल	1346 96 40	1346 96 40

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां व अधिशेष

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. सांविधिक आरक्षित निधियां		
ए) अधिशेष	12972 13 51	10956 39 51
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	2729 58 00	2015 74 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल I	15701 71 51	12972 13 51
II. आरक्षित पूंजी		
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां		
ए) अधिशेष	5975 19 08	6106 89 86
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	1510 27 80	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	284 69 33	131 70 78
कुल (ए)	7200 77 55	5975 19 08
बी) अन्य		
ए) अधिशेष	1060 90 74	1060 90 74
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	29 19	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (बी)	1061 19 93	1060 90 74
कुल II (ए + बी)	8261 97 48	7036 09 82
III. शेयर प्रीमियम		
ए) अधिशेष	6290 02 15	2391 54 44
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	3898 47 71
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल III	6290 02 15	6290 02 15
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां		
ए) राजस्व आरक्षित निधियां		
ए) अधिशेष	21183 15 65	17826 86 85
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	5250 00 00	3250 00 00
सी) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से अंतरित	284 69 33	106 28 80
डी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	213 62 98	0
कुल (ए)	26504 22 00	21183 15 65

बी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	2837 82 00	2475 60 00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	467 34 00	362 22 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (बी)	3305 16 00	2837 82 00
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	58 20 00	58 20 00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (सी)	58 20 00	58 20 00
डी) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	1360 01 00	1031 90 00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	639 99 00	328 11 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (डी)	2000 00 00	1360 01 00
ई) निवेश आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	440 78 22	186 37 77
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	254 40 45
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	440 78 22	0
कुल (ई)	0	440 78 22
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	524 77 21	490 56 66
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	58 48 80	34 20 55
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (एफ)	583 26 01	524 77 21
जी) आईआरएस आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	1 90 63	1 90 63
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (जी)	1 90 63	1 90 63
कुल IV (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी)	32452 74 64	26406 64 71
V. समामेलन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	4006 91 55	4006 91 55
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल V	4006 91 55	4006 91 55
VI. एएफएस आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	0	0
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	897 20 33	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल VI	897 20 33	0
VII. लाभ एवं हानि खाता		
ए) अथशेष	329 34 23	133 23 45
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	10918 29 40	8062 93 91
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	10895 23 62	7866 83 13
कुल VII	352 40 01	329 34 23
कुल (I + II + III + IV + V + VI + VII)	67962 97 67	57041 15 97

अनुसूची 3 - जमाएँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
ए. I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	179 17 68	138 46 54
ii. अन्य से	39451 19 32	38854 56 63
कुल	39630 37 00	38993 03 17
II. बचत बैंक जमाराशियां	243223 13 76	241494 02 33
III. सावधि जमाराशियाँ		
i. बैंकों से	25875 83 16	19947 53 38
ii. अन्य से	428424 22 47	387565 41 49
कुल	454300 05 63	407512 94 87
कुल (I+II+III)	737153 56 39	688000 00 37
बी. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियां	702965 68 20	661825 86 15
II. भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	34187 88 19	26174 14 22
कुल (I+II)	737153 56 39	688000 00 37

"कुल जमाराशियों में से, जिन जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार अंकित है, उनकी राशि 48567 03 41 रुपये है (पिछले वर्ष 37564 24 54 रुपये)

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. भारत में उधार		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	8178 00 00	0
ii. अन्य बैंक	1 99	1 94
iii. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां*	31827 06 20	20441 40 20
कुल	40005 08 19	20441 42 14
II. भारत के बाहर उधार**	1502 84 26	2690 06 56
कुल (I+II)	41507 92 45	23131 48 70
उपर्युक्त उधारों को शामिल किया गया।	23002 22 00	12272 38 00

*एटी-1 पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु. 2000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 2000 00 00) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 4000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 6000 00 00) को शामिल करते हुए।

** नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
i. देय बिल	1995 01 67	1663 84 44
ii. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
iii. उपचित ब्याज	1777 03 10	1846 00 13
iv. अन्य (प्रावधान सहित)*	21667 18 44	19589 66 26
कुल (I+II +III+IV)	25439 23 21	23099 50 83

*रु. 8883 20 21 (पिछले वर्ष रु.8026 39 38) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित

अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी एवं जमाशेष

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1312 60 97	1304 15 13
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष -	30635 03 91	31398 60 80
(i) चालू खातों में	24768 03 91	31134 60 80
(ii) अन्य खातों में	5867 00 00	264 00 00
कुल (I+II)	31947 64 88	32702 75 93

अनुसूची 7 - बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
ए. चालू खातों में	133 40 38	4 20 32
बी. अन्य जमा खातों में	1249 05 00	1573 60 00
कुल (i)	1382 45 38	1577 80 32
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों के साथ)	0	1997 06 53
कुल (ii)	0	1997 06 53
कुल (i+ii)	1382 45 38	3574 86 85
II. भारत के बाहर		
i) चालू खाता में	1638 14 04	743 35 55
ii) अन्य जमा खातों में	19895 37 47	5084 57 73
iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	4 25 84	3 57 32
कुल II (i+ii +iii)	21537 77 35	5831 50 60
कुल योग (I+II)	22920 22 73	9406 37 45

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	223371 33 96	214662 93 45
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	567 59 62	4177 55 01
निवल निवेश	222803 74 34	210485 38 44
i. सरकारी प्रतिभूतियां	196565 38 97	180453 94 00
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
iii. शेयर	1253 42 93	775 26 62
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	16246 11 18	15772 54 15
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	256 75 25	256 75 25
vi. अन्य (जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड्स)	8482 06 01	13226 88 42
कुल	222803 74 34	210485 38 44
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2635 17 33	2209 48 31
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	135 79 29	140 39 09
निवल निवेश	2499 38 04	2069 09 22
i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2498 66 63	2068 87 26
ii. अन्य निवेश		
ए. शेयर	71 41	21 96
बी. ऋण प्रतिभूतियाँ	0	0
कुल	2499 38 04	2069 09 22
सकल योग (I+II)	225303 12 38	212554 47 66

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
ए. i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल	4243 19 53	5886 14 36
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	294077 40 84	252022 14 37
iii) मीयादी ऋण	272750 58 72	256980 78 09
कुल (ए)	571071 19 09	514889 06 82
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	436378 07 10	425795 49 69
ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	64082 89 13	41042 06 28
iii) अरक्षित	70610 22 86	48051 50 85
कुल (बी)	571071 19 09	514889 06 82
सी. I. भारत में अग्रिम		
i. प्राथमिकता प्राप्त #	220040 51 84	199112 44 30
ii. सार्वजनिक क्षेत्र	74627 61 46	71191 35 87
iii. बैंक	0	0
iv. अन्य	234695 72 07	209056 18 01
कुल (सी I)	529363 85 37	479359 98 18
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	27439 63 53	22002 07 43
ii) अन्य से देय		
क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2203 83 63	2150 02 44
ख) सामूहिक ऋण	7312 79 87	6617 87 67
ग) अन्य	4751 06 69	4759 11 10
कुल (सी II)	41707 33 72	35529 08 64
कुल योग (सी I+ सी II)	571071 19 09	514889 06 82

*आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	7452 85 13	7460 62 43
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	1332 08 32	0
उप योग	8784 93 45	7460 62 43
अवधि के दौरान घटाव	183 60 76	7 77 30
उप योग	8601 32 69	7452 85 13
उक्त तारीख तक मूल्यहास	1661 05 62	1580 89 69
कुल	6940 27 07	5871 95 44
II. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पूनर्मूल्यन पर	505 10 80	530 52 79
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	178 98 40	0
उप योग	684 09 20	530 52 79
अवधि के दौरान घटाव	0	25 41 99
उप योग	684 09 20	505 10 80
उक्त तारीख तक मूल्यहास	105 70 23	76 83 10
कुल	578 38 97	428 27 70
III. निर्माणाधीन परिसर	28 10 53	14 98 43
IV. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर / फ़िक्सचर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पूनर्मूल्यन पर	5627 71 41	5087 93 85
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	507 30 02	604 39 18
उप योग	6135 01 43	5692 33 03
अवधि के दौरान कटौती	61 37 98	64 61 62
उप योग	6073 63 45	5627 71 41
उक्त तारीख तक मूल्यहास	4796 33 62	4428 76 07
कुल	1277 29 83	1198 95 34
V. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	2 62 90	1 30 38
कुल योग (I + II + III + IV + V)	8826 69 30	7515 47 29

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	128 03 58	239 94 20
II. उपचित ब्याज	4758 34 54	4251 78 49
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	0	2913 46 33
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	6 72 12	12 62 98
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	51 38 26	51 38 26
VI. अन्य*	8397 29 24	8081 76 86
कुल	13341 77 74	15550 97 12
*जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/ एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/ एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	389 24 33	582 09 61

अनुसूची 12 - समाश्रित देयताएँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2221 57 72	2177 15 38
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	264 12 31	281 95 06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	229350 45 07	279768 99 15
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां*		
क. भारत में	26618 50 26	29491 56 10
ख. भारत के बाहर	194 56 86	198 56 58
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य देयताएं*	7365 85 82	9081 75 70
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	14661 13 31	13247 13 17
कुल	280676 21 35	334247 11 14

*समाश्रित देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /मितीकाटा	44856 39 03	40618 84 59
II. निवेशों पर आय	15315 39 44	13401 85 32
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में जामा शेष पर ब्याज	1585 42 74	1386 20 36
IV. अन्य	244 94 59	207 87 49
कुल	62002 15 80	55614 77 76

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1066 47 88	1018 29 76
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1050 90 10	1010 73 50
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि	142 86 62	147 88 16
निवल	908 03 48	862 85 34
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	137 50 36	444 94 91
घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	1 14	0
निवल	137 49 22	444 94 91
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ*	2 95 22	2 82 30
घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि*	1 25 90	4 71 85
निवल	1 69 32	-1 89 55
V. विनिमय संव्यवहारों संबंधी लाभ (निवल)	369 08 29	451 51 04
VI. विदेश/भारत में अनुषंगी कंपनियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	26 03 33	29 27 27
VII. विविध आय	6714 66 58	5061 73 29
कुल	9223 48 10	7866 72 06

*सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित राशि

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. जमाराशियों पर ब्याज	34701 98 43	30493 66 47
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	361 72 10	330 78 02
III. अन्य	1762 08 29	1517 05 02
कुल	36825 78 82	32341 49 51

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	9883 97 94	9264 58 80
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	674 34 25	635 64 07
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	97 74 61	87 80 55
IV. विज्ञापन और प्रचार	44 20 07	30 62 68
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	532 15 16	524 28 76
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1 59 67	1 88 56
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	49 01 05	48 70 87
VIII. विधि प्रभार	22 98 24	17 31 17
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	130 09 17	109 35 94
X. मरम्मत और रखरखाव	271 15 30	250 42 94
XI. बीमा	930 90 27	873 98 26
XII. अन्य व्यय	2763 48 73	2455 82 99
कुल	15401 64 46	14300 45 59

अनुसूची -17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (एकल)

1. लेखांकन प्रथा

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा गया हो, परंपरागत लागत परिपाटी पर कार्यशील संस्था अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शी नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं से संबंधित लेखांकन संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को यथास्थिति वित्तीय विवरणियों की तिथि को रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुए आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में उपयोग किये गये प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उपयुक्त हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा लेनदेन विगत कार्यदिवस की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली दर समापन दर होती है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक सप्ताहांत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक माह/तिमाही/वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित समापन दरों/पून्मूल्यन दरों पर अंतरित किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताओं और गारंटियों को माह/तिमाही/वर्षांत पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर

अंतरित किया जाता है।

- तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतर को, उस अवधि में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में यह अंतर पाया जाता है।
- बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का प्रकटीकरण संविदागत दरों पर किया जाता है तथा एफईडीएआई की समापन दरों पर उनका पून्मूल्यन किया जाता है एवं उसके परिणामी प्रभाव को लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात किया जाता है।

3.2 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया जाता है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

- समाश्रित देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन एफईडीएआई द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन एफईडीएआई द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक होनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक लेखे में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1 निवेशों का वर्गीकरण

बैंक संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को छोड़ कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात्, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)।

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) को एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी के तहत रखा जाएगा। निवेश की श्रेणी बैंक द्वारा अधिग्रहण से पहले या उसके समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा। अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों

और एसोसिएट्स में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग ऐसे निवेशों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। सभी निवेशों को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा:

- i. परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- ii. बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- iii. लाभ और हानि माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
 - i. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)
- iv. अनुषंगी कंपनियां, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम (एसएजेवी)

बैंक, बीआर अधिनियम की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) में यथानिर्धारित अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगा:

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii. शेयर
- iv. डिबेंचर और बॉन्ड
- v. अनुषंगी कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम
- vi. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा

- i. प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है, अर्थात् वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के उद्देश्य से धारित किया जाता है; और
- ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं, जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') हैं।

(बी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि वह अंश, जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

- i. वर्गीकरण के लिए निर्धारित किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय साधनों के अंतर्निहित पूल को दृष्टिगत रखे बिना) नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

- ii. वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।
- iii. अंश का ऋण जोखिम संयुक्त अंतर्निहित आस्तियों के पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।

बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस):

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा

- i. प्रतिभूति को एक ऐसे उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों के बिक्रय, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 में दिए गए 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव कर सकता है, जिसे ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है।

(बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां शामिल होंगी, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

(सी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस आशय के साथ अधिग्रहित किया गया है, उसके निरपेक्ष वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे:

- i. अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या समाश्रित रूप से संपरिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत।
- ii. संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले लिखत जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमन के तहत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लिखत।
- iii. ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के नहीं हैं।
- iv. अधिमानी शेयर और इक्विटी शेयर

एफवीटीपीएल

(ए) प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i.(ए) अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयर, जहाँ प्रारंभिक मान्यता पर एएफएस में वर्गीकृत करने के अप्रतिसंहरणीय विकल्प का प्रयोग किया गया है, के अलावा इक्विटी शेयर।
- ii. म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।
- iii. प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेश की एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।
- iv. बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहाँ भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक के उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ है।

एचएफटी

बैंक, एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाएगा। बैंक को एचएफटी के तहत निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। विवरण अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं।

अनुषंगी कंपनियों,, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एसोसिएट्स, अनुषंगी कंपनियों, और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग, ऐसे निवेशों के लिए एक अलग विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

4.2 प्रारंभिक मान्यता

4.2.1 सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के साथ उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ अनुमान का परीक्षण किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(ए) जब लेनदेन संबंधित पक्षों के बीच हो।

(बी) जब लेनदेन दबाव में हो रहा हो, जहाँ एक पक्ष को लेनदेन में मूल्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।

(सी) लेनदेन उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।

(डी) अन्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान के परीक्षण की मांग करती हैं।

4.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से अधिग्रहित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।

4.2.3 जहाँ प्रतिभूतियाँ उद्धृत की जाती हैं या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी 1 दिन की लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

4.2.4 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दिन 1 की हानि को तुरंत मान्यता दी जाएगी।

4.2.5 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी 1 दिन के लाभ को आस्थगित कर दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, दिन 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

4.3 परिवर्ती मापन

4.3.1 एचटीएम

(ए) एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया जाएगा (एमटीएम)। हालांकि, वे आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

(बी) एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर किसी छूट या

प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।

(डी) केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ ऊपर बताए अनुसार संशोधित वहन मूल्य की गणना करना व्यावहारिक नहीं है, 31 मार्च, 2024 तक प्रतिभूतियों का उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है।

4.3.2 एएफएस

(ए) एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन, यदि निरंतर नहीं किया जाता तो, कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(बी) एएफएस के तहत रखे गए सभी लाभार्जक निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, बॉण्ड और डिबेंचर इत्यादि) के मूल्यांकन लाभ और हानि का सकाल योग किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस-रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या नामे किया जाएगा।

(सी) एएफएस के तहत प्रतिभूतियां आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

(डी) एएफएस-रिजर्व को इन निर्देशों के खंड 28 के अधीन कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एएफएस-रिजर्व में अंतरित अप्राप्त लाभ

अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

(ई) एएफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस-रिजर्व से अंतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ मद II के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

(एफ) प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। इसकी बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-आरक्षित निधि से पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित किया जाएगा।

4.3.3 एफवीटीपीएल

(ए) एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, यदि निरंतर नहीं किया जाता है।

(बी) बैंक सभी एचएफटी लिखतों का दैनिक उचित मूल्यांकन करेगा और लाभ और हानि खाते में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को मान्यता देगा।

(सी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखतों के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 'अर्जित ब्याज' के मद II: 'निवेश पर आय' अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(डी) एफवीटीपीएल के तहत प्रतिभूतियां आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

4.3.4 अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

(ए) अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (यानी, ऋण और इक्विटी सहित) आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार आवश्यकताओं के अधीन अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाएंगे।

(बी) अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: अर्जित ब्याज के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) ऐसे मामले में, जहां पहले से ही किसी इकाई में निवेश है जो अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं है, और बाद में निवेशित इकाई एक अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- I. जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा जाता है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- II. जहां निवेश एएफएस के तहत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ-साथ संशोधित वहन मूल्य की गणना के लिए निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा।
- III. जहां निवेश एफवीटीपीएल में रखा जाता है, वहां निवेशक के अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(डी) जब कोई निवेशक अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित

श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

- I. जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी भी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
- II. जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

(ई) किसी अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी प्राप्ति/लाभ को पहले लाभ और हानि लेखे में मान्यता दी जाएगी और फिर इसे लाभ और हानि लेखे के नीचे 'पूंजी आरक्षित निधि लेखे' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार, विनियोजित राशि करों को घटाकर होगी और सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की जाएगी।

(एफ) बैंक, यदि निरंतर नहीं, तो कम से कम तिमाही आधार पर अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश में मूल्यहास का मूल्यांकन करेगा। संभावित हानि के संकेतकों की एक अपरिपूर्ण सूची निम्नानुसार है:

- I. इकाई ने अपने ऋण दायित्वों की चुकौती में चूक की है।
- II. किसी बैंक के साथ इकाई की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- III. इकाई की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- IV. इकाई ने लगातार तीन वर्षों तक घाटा उठाया है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- V. छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए

उल्लेखनीय शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी। बैंक, अपने बोर्ड की मंजूरी से, और भी अधिक रूढ़िवादी सीमा लागू कर सकते हैं।

VI. इकाई की कोई या सभी बकाया प्रतिभूतियाँ असूचीबद्ध हो गई हैं, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्धता अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने के खतरे में हैं।

VII. किसी नई इकाई/परियोजना के मामले में जहाँ ब्रेक-ईवन पॉइंट को प्राप्त करने की मूल रूप से पूर्वानुमानित तिथि बढ़ा दी गई है, अर्थात्, इकाई/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित निर्माण-पूर्व-अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है।

(जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या किसी अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करेगा। इस तरह की कमी को लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। यदि इस ह्रास को प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो इसे बाद में लाभ और हानि लेखा के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

4.4 श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

(ए) बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेशों को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

(बी) पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(सी) जब कोई बैंक एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन उपचार नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार होगा। बैंक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण प्रकट करेगा।

क्रम सं.	से	तक	लेखांकन माप
ए	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में अभिज्ञात किया जाएगा।
बी	एचटीएम	एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और विगत वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।

सी	एएफएस	एचटीएम	निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ/हानि को वहाँ से निकाल लिया जाएगा और पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के सापेक्ष समायोजित करके संशोधित वहन मूल्य का परिकलन किया जाएगा। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वैसा ही होगा जैसे कि बैंक ने निवेश को एचटीएम में आरंभ से ही वर्गीकृत किया हो।
डी	एएफएस	एफवीटीपीएल	निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से अभिज्ञात संचयी लाभ या हानि को उसमें से निकाल लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद III: 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।

ई	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रेनीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।
एफ	एफवीटीपीएल	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रेनीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।

4.5 एचटीएम से निवेशों की बिक्री

- (ए) एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम से बिक्री का विवरण आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट प्ररूप में वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
- (बी) किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से परे किसी भी बिक्री के लिए डीओएस, आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (सी) नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्धारित पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखी जाएगी।
- आरबीआई के तरलता प्रबंधन संचालन जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत आरबीआई को बिक्री।
 - भारत सरकार द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
 - संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
 - जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनःखरीद, बायबैक या कॉल ऑप्शन का प्रयोग।
 - क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।

VI. वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के तहत समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।

VII. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

(डी) एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि, अनुसूची 14 के मद II 'अन्य आय' के तहत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात की जाएगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि लेखा से नीचे 'पूँजी आरक्षित निधि खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करें से मुक्त होगी तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि होगी।

(ई) किसी अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा तथा फिर उसे लाभ और हानि खाते से नीचे 'पूँजी आरक्षित निधि लेखा' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करें से मुक्त होगी तथा सांविधिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाएगी।

4.6 निवेशों का उचित मूल्य

इन निर्देशों के अनुसार निवेशों की प्रारंभिक मान्यता और आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से उचित मूल्य इस अध्याय में यथानिर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4.6.1 उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत भाववाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा 31 मार्च, 2018 को आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी-डीआईआरडी-7/14.03.025/2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोटेशन से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

4.6.2 अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

(ए) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(बी) अनउद्धृत केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।

(सी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर मार्क-अप करके वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाएगा।

4.6.3 अनउद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ

I. अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड

ए) अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप लागू करके किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर/बॉण्ड को दी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

- रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर मार्क-अप होगा।
- बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप, समान परिपक्वता वाले रेटेड डिबेंचर या बॉण्ड पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से प्रदर्शित करें।

- जहां डिबेंचर/बॉण्ड उद्धृत किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले लेन-देन हुए हैं, वहां अपनाया गया मूल्य उस दर से अधिक नहीं होगा जिस पर आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन दर्ज किया गया है।

बी) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (यूडीएवाई) बॉण्ड और वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी किए गए बॉण्ड।

- I. यूडीएवाई बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाएगा।
- II. डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं डिस्कॉम के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।
- III. डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्डों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।
- IV. राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं राज्य सरकार के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

सी) विशेष प्रतिभूतियां, जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, और जिनकी एसएलआर प्रास्थिति नहीं हैं, उनका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंकों के अंतर पर किया जाएगा।

डी) जीरो कूपन बॉन्ड (ज़ेडसीबी): बाजार मूल्य के अभाव में, जेडसीबी को इसके वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जानी चाहिए।

II. अधिमानी शेयर

ए) जब अधिमानी शेयर का मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले एक्सचेंज पर क्रय-विक्रय किया गया हो, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का क्रय-विक्रय किया गया था।

बी) गैर-उद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ वाईटीएम आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक न हो। मार्क-अप को रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमानी शेयरों को दी गई रेटिंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अधीन होगा:

- I. मार्क-अप नकारात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात्, वाईटीएम दर समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार भारत प्रतिभूति के लिए कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी।
- II. बिना रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों के लिए वाईटीएम हेतु उपयोग की जाने वाली दर, समतुल्य परिपक्वता के रेटेड अधिमानी शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी और बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी।
- III. जहां अधिमानी शेयरों में निवेश किसी समाधान के हिस्से के रूप में किया जाता है, वहां मार्क-अप 1.5 प्रतिशत अंकों से कम नहीं होना चाहिए।

सी) जहां अधिमानी लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां उपचित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और वाईटीएम आधार पर ऊपर बताए अनुसार निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, तो 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों के लिए है, तो इसी तरह आगे (यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि मूल्यांकन को जोखिम को दर्शाने के लिए उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी आकलन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। अनर्जक शेयरों के संबंध में प्राप्त

मूल्यहास/प्रावधान आवश्यकता, जहां लाभांश बकाया हैं, को अन्य निष्पादित अधिमानी शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डी) परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में अधिमानी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन उत्पादन शुरू होने के दो वर्ष बाद या अभिदान के पांच वर्ष बाद, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए सममूल्य पर किया जाएगा।

III. इक्विटी शेयर

इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं, अर्थात्, जिन्हें अंतरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इन निर्देशों के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य ब्रेक-अप मूल्य ('पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) होगा, जिसे कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से पता लगाया जाना है। जिस तिथि को नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तिथि से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी ₹ 1 पर किया जाएगा।

IV. म्यूचुअल फंड यूनिट

ए) अन-कोटेड एमएफ यूनिट्स में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

बी) लॉक-इन अवधि वाले फंड या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि के अंत तक लागत पर किया जाएगा।

V. वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

VI. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश एआरसी द्वारा जारी एसआर और अन्य लिखतों में निवेश के संबंध में, बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

VII. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश

ए) बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयर, बॉन्ड, एआईएफ की इकाइयों का मूल्यांकन उद्धृत प्रतिभूतियों

के लिए इन निर्देशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाएगा।

बी) एआईएफ के अनकोटेड उपकरणों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :

I. इकाइयाँ: मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाएगा। जहां एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 द्वारा अनिवार्य आवृत्ति के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेशों का नवीनतम प्रकटित मूल्यांकन, इसके मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।

II. अन्य लिखत: एआईएफ द्वारा जारी अनकोटेड इक्विटी और अन्य लिखतों का मूल्यांकन, ऐसे लिखतों के लिए ऊपर निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार होगा।

III. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24/140, दिनांक 27.03.2024
डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048 /2023-24 के प्रावधान केवल एआईएफ योजना में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश की सीमा तक आवश्यक होगा जिसे एआईएफ द्वारा देनदार कंपनी में आगे निवेश किया जाता है, न कि एआईएफ योजना में आरई के संपूर्ण निवेश पर।

VIII. मूलधन और अदत्त ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना मूलधन और अवैतनिक ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के मामले में बैंक समय-समय पर संशोधित परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के माध्यम से जारी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा की आवश्यकताओं का पालन करेगा।

IX. उचित मूल्य मापन और संबंधित प्रकटीकरण में स्थिरता और तुलनीयता बढ़ाने के लिए, बैंक

अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि ऊपर खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। निवेश पोर्टफोलियो का विवरण उनके वित्तीय विवरणों के खातों में उनके टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा। ये प्रकटीकरण आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्रभावी होंगी।

- X. बैंक अपने तुलनपत्र पर स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखे या एएफएस-आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त स्तर 3 निवेशों पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम जोखिम भारित होना आवश्यक है।

4.7 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

4.7.1 आय निर्धारण

- ए) बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपचय आधार पर आय निर्धारण करेगा:

- I. सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्ड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं है।
- II. कॉर्पोरेट निकायों के शेयर बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वामित्व का अधिकार स्थापित हो।

- बी) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

- सी) उप-खंड (ए) के अधीन, एएफएस के तहत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को लाभ और हानि लेखा में मान्यता दी जाएगी।

4.7.2 खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन: बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेगा तथा प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में इसे लाभ एवं हानि लेखा के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में मानेगा।

4.7.3 अनर्जक निवेश (एनपीआई)

- ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का उपयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा। इसी तरह, किसी एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाएगा जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

- I. बॉण्ड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है।
- II. उप-खंड (ए) (i) उन वरीयता शेयरों पर लागू होगा, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी वर्ष में अधिमानी शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया/अदत्त माना जाएगा और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता की तुलनपत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए देय तिथि के रूप में माना जाएगा। इस तरह के निवेश को गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में बकाया और चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान पर बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।
- III. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार नवीनतम तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण प्रति कंपनी ₹1 है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गिना जाएगा।
- IV. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा। हालांकि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई

और इसके विपरीततः के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक ऋण सुविधा को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

- V. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड आदि में परिवर्तित करने के मामले में, ऐसे उपकरणों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा। रूपांतरण के बाद, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाएगा।

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को कम करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेगा। आय की पहचान केवल उसी की प्राप्ति पर की जाएगी। इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम वृद्धि को अनदेखा कर दिया जाएगा।

डी) चाहे जिस भी श्रेणी (यानी, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल(एचएफटी सहित)) में निवेश रखा गया हो, हानि के प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि लेख में निर्धारित किया जाएगा। एनपीआई पर किया जाने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर होगा:

- एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशियां और
- एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर उसके

वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यहास।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ऊपर विनिर्दिष्ट एनपीआई के लिए प्रावधान के अलावा मूल्यहास के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं होगा।

बशर्ते कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, आवश्यक प्रावधान ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एएफएस-निधि में प्रभारित करके बनाया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके सापेक्ष एएफएस-आरक्षित निधि में संचयी घाटा है, संचयी घाटे को एएफएस-आरक्षित निधि से लाभ और हानि लेख में अंतरित की जाएगी।

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश।

- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के कहने पर गारंटी को अस्वीकार नहीं कर दिया गया हो। एएफएस और एफवीटीपीएल में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एएफएस-आरक्षित निधि और लाभ में एमटीएम लाभ/हानि को निर्धारण किया जाना जारी रखेगा। तथापि, किसी भी आय को केवल प्राप्ति के आधार पर ही मान्यता दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करेगा, जब ब्याज/मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो।

4.7.4 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

ए) बैंक, आईएफआर में निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि अंतरित करके नियमित आधार पर तब तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाएंगे, जब तक आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए:

- I. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
- II. वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।

बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि को टियर II पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं है।

सी) बैंक को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि लेखा में बताए गए लाभ/हानि के शेष में क्रेडिट के लिए अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि आहरण की अनुमति होगी।

डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरण की अनुमति होगी:

- I. आहरित राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्बंध आरक्षित निधियों में विनियोजन या हानि के शेष को कम करने के लिए किया जाता है।
- II. आहरित राशि उक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधानों/घाटों की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक है।

4.7.5 व्युत्पन्नी

ए) बैंक भारतीय सनदी लेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्नी संविदा के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन

करेगा। बैंक अपनी व्युत्पन्नी आस्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के तहत अलग-अलग लाइन मद के रूप में प्रस्तुत करेगा। बैंक हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकता है।

बी) बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और अपने वित्तीय विवरणों के लेखों में टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया जाएगा।

सी) बैंक अपने तुलनपत्र में स्तर 3 व्युत्पन्नी आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखों में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

4.7.6 संक्रमण और निरसन प्रावधान

ए) इन निर्देशों में संक्रमण के समय (यानी, 1 अप्रैल, 2024 को), बैंक आरबीआई के अनुदेशों में निर्धारित निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को अपने निवेश पोर्टफोलियो को फिर से वर्गीकृत करेगा। 31 मार्च, 2024 तक मूल्यहास के लिए प्रावधान में शेष राशि को राजस्व/सामान्य रिजर्व में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षित निधि लेखा (आईआरए) में शेष राशि, यदि कोई हो, तो बैंक आईएफआर की न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने पर राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित कर दी जाएगी। यदि बैंक न्यूनतम आईएफआर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो आईआरए में शेष राशि आईएफआर में अंतरित कर दी जाएगी। पिछले ढांचे से संशोधित ढांचे में संक्रमण के लिए विशिष्ट निरूपण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

पूर्ववर्ती फ्रेमवर्क	संशोधित फ्रेमवर्क	1 अप्रैल को प्रारंभिक लेखांकन विनियोजन
एचटीएम	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचटीएम	एएफएस	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
एचटीएम	एफवीटीपीएल	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एएफएस	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

एएफएस	एएफएस	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस- आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एएफएस	एफवीटीपीएल	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचएफटी	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचएफटी	एएफएस	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस- आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचएफटी	एफवीटीपीएल	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

बी) बैंक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में अपने टिप्पणियों में किए गए संक्रमणकालीन समायोजन का समुचित प्रकटीकरण करेंगे।

सी) इन निर्देशों के कार्यान्वयन के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021 को निरस्त हो जाएंगे।

डी) सभी निरस्त परिपत्र इन निर्देशों के प्रभावी होने से पहले लागू माने जाएंगे।

ई) आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश) 2023 के अनुसार, परिपत्र में संशोधन, आरबीआई ने सलाह दी कि संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस- आरक्षित निधि के बजाय राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

• रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन:

आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार चलनिधि समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेनदेनों को शामिल करते हुए आरबीआई के साथ सभी प्रकार के रेपो रिवर्स रेपो लेनदेनों का लेखांकन किया जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो लेखों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जाएगा। रेपो लेखों में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो लेखों में शेष, निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत है।

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक में निहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो, वे भी जो तरलता समायोजन सुविधा के तहत शामिल हैं, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और जमा शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष' की मद (II) 'अन्य खातों में' की उप-मद (II) के तहत प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन तक और समावेशी है, को 'बैंकों में

जमा शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (II) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(सी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, को 'अग्रिम' की अनुसूची 9 के तहत निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

- ए(ii) 'नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण'
- बी(i) 'मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूत'
- सी (I), (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा भी मामला हो)

5. पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को उनके मोचन मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद को एससी/आरसी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण आनुमानिक रूप से बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय का निर्धारण, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व

बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ और हानि लेखा में नामे किया जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -
ए) अवमानक:

- कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान, जो प्रारम्भ से ही अप्रतिभूत है।
(अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:

- प्रतिभूत भाग के लिए 25 प्रतिशत
- अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:

- प्रतिभूत भाग के लिए 40 प्रतिशत
- अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

- पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि, मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश अनर्जक/ह्रासित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशायित होगा।

- अनर्जक आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खातों में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं भुनाये गए बिलों के लिए प्रकट किए गए अग्रिमकृत प्रावधानों का निवल हैं।

7 अचल आस्तियां/ मूल्यहास

7.1 संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यन राशि पर वहन किया जाता है।

7.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और आस्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

7.3 भारत में भवनों का मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से, जैसा कि नीचे वर्णित है, मूल्यहास दरों/ उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाएगा:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/ उपयोगी जीवनकाल
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है: परिसर: 60 वर्ष तिजोरियां / लॉकर / दरवाजे (स्टील): 20 वर्ष वाहन: 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर: 10 वर्ष मोबाइल फोन: 1 वर्ष सोने की निवलता जांचने की मशीन: 7 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान बेची गई/अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

7.5 रु.5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

7.6 पुनर्मूल्यन के समय मूल्यांकित की गई आस्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि लेखा के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यन हेतु आरक्षित निधि लेखा में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार,

पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के सापेक्ष प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

7.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाएगा और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।

7.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाएगा और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

7.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाएगी।

7.10 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

8. राजस्व निर्धारण

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8.2 अनर्जक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है। पीएसएलसी की बिक्री पर अर्जित कमीशन/शुल्क आय को उपचय आधार पर गणना लेखांकित किया जाता है और पीएसएलसी की शेष अवधि को तिमाही के दौरान आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना जाता है।

8.4 एनपीए खातों में किसी भी वसूली को पहले बही शेष (मूलधन) में और फिर अदत्त कानूनी व्यय (एमएलई), अदत्त अन्य व्यय (एमओएक्स), अदत्त शुल्क और उसके बाद अदत्त ब्याज (एमओआई) में विनियोजित किया जाना चाहिए। हालांकि, पुनर्गठित एनपीए खातों के मामले में, जहां

मंजूरी की शर्तों के अनुसार, ब्याज तुरंत चुकाया जाना है और मूलधन की चुकौती के बाद की तारीख में शुरू होनी है, ऐसे खातों में किए गए ब्याज की वसूली को आय खाते में लिया जाना चाहिए और इसे मूलधन की चुकौती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में एनपीए प्रबंधन नीति में तत्पश्चात् हुए बदलावों के संदर्भ में, यह बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का एक हिस्सा होगा।

9. क्रेडिट कार्ड रिवाइड प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित रिवाइड प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ/हानि

लाभ और हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात हैं:

- अनर्जक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i. भविष्य निधि

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

ii. उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। उपदान देयता का बैंक द्वारा निधीयन

किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii. पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 को या उसके बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

iv. प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जैसे विशेषाधिकार छुट्टी और चिकित्सा छुट्टी, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखांकित किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों, उनकी कीमत में वृद्धि सहित, को पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के आधार पर लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

13. समाश्रित देयताएँ और प्रावधान:

13.1 समाश्रित देयताएं: संभावित या वर्तमान दायित्वों के कारक विगत घटनाओं को निम्नलिखित स्थितियों में समाश्रित देयता के रूप में अभिज्ञात किया जाता है:

(ए) ऐसे दायित्वों की पुष्टि नहीं की गई है

(बी) ऐसे बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन अपेक्षित नहीं है

(सी) ऐसे दायित्वों की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं,

13.2(ए) वर्तमान दायित्वों के संबंध में तब प्रावधान का निर्धारण किया जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें दायित्वों के निपटारे के लिए बहुत छोटे दावों को छोड़कर, शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़े।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा किए गए फ्लोटिंग निर्धारण के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

- अनर्जक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों की हानि:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि, यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 "आस्तियों की हानि" के अनुरूप अभिज्ञात किया जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है, जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

15. आय पर कर:

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हों, की पहचान, तुलन-पत्र की

तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर कानूनों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती, जब तक यह "वास्तविक निश्चितता" न मिल जाए कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की प्राप्ति हो जाएगी।

अनुलग्नक I

क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी)

- क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की एक उप-श्रेणी है, में वे सभी लिखत शामिल होंगे जो निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित एचएफटी लिखतों के विनिर्देशों को पूरा करते हैं। अन्य सभी लिखत एचएफटी से बाहर रखे जाएंगे।
- बैंक केवल उन वित्तीय लिखतों को एचएफटी में शामिल करेगा जब इसे बेचने या पूरी तरह से बचाव करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा नहीं है।
- बैंक सभी एचएफटी लिखतों का दैनिक उचित मूल्य निर्धारण करेगा और लाभ और हानि लेखा में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को अभिज्ञात करेगा।
- कोई भी लिखत जिसे बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए रखता है, जब इसे पहली बार अपनी बहियों में मान्यता दी जाती है, तो इसे एचएफटी लिखत के रूप में नामित किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न हो:
 - अल्पकालिक पुनर्विक्रय
 - अल्पकालिक मूल्य संचालन से लाभार्जन
 - मध्यस्थता लाभ को लॉक करना या
 - उपरोक्त (ए),(बी) या (सी) को पूरा करने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से बचाव
- निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में शामिल किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए:
 - सहसंबंध ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लिखतों
 - उपकरण जो बैंकिंग बही में निवल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे या
 - हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न लिखत, जहां हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताएं केवल प्रतिभूतियों के हामीदारी अंकन को संदर्भित करती हैं, और केवल उन प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जिन्हें निपटान तिथि पर बैंक द्वारा वास्तव में खरीदे जाने की उम्मीद है।
- कोई भी लिखत जो आरबीआई परिपत्र के अनुसार सूचीबद्ध

- किसी भी उद्देश्य के लिए शुरू में नहीं रखा गया है, और न ही इन उद्देश्यों के अनुसार रखा गया माना जाता है, उसे एचएफटी में शामिल नहीं किया जाएगा।
7. निम्नलिखित लिखत एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे:
- (ए) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश,
 - (बी) प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए नामित उपकरण,
 - (सी) अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग और अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग पर डेरिवेटिव
 - (डी) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा नहीं करता है:
 - i. बैंक फंड के माध्यम से अपने व्यक्तिगत घटकों को देखने में सक्षम है और फंड की संरचना के बारे में बैंक को पर्याप्त और लगातार जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है, या
 - ii. बैंक फंड के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और उसके पास फंड के अधिदेश में या ऐसे निवेश फंडों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय विनियमों में निहित जानकारी तक पहुंच है,
 - (ई) व्युत्पन्न लिखत और निधि जिनके पास अंतर्निहित आस्तियों के रूप में ऊपर (ए) से (डी) तक निर्दिष्ट लिखत श्रेणियाँ हैं, या
 - (एफ) किसी स्थिति के किसी विशेष जोखिम से बचाव करने के उद्देश्य से रखे गए लिखत, जो ऊपर (ए) से (ई) तक निर्दिष्ट उपकरणों की श्रेणियों में हैं।
8. निम्नलिखित उपकरणों को एचएफटी में माना जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो:
- ए) बाजार-निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न लिखत,
 - बी) एचएफटी के समनुदेशन से छूट प्राप्त को छोड़कर किसी फंड में इक्विटी निवेश, या
 - सी) सूचीबद्ध इक्विटी
 - डी) ट्रेडिंग से संबंधित रेपो-शैली लेनदेन या
9. बैंक के पास नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई परिपत्र में निर्दिष्ट अनुमानित सूची से विचलित होने का विकल्प होगा।

- ए) यदि कोई बैंक मानता है कि उसे किसी लिखत के लिए आरबीआई परिपत्र में स्थापित अनुमानित सूची से विचलित होने की आवश्यकता है, तो उसे आरबीआई के विनियमन विभाग को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अपने अनुरोध में, बैंक यह साक्ष्य प्रदान करेगा कि लिखत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया है।
- बी) ऐसे मामलों में जहां यह अनुमोदन नहीं दिया जाता है, उपकरण को एचएफटी के रूप में नामित किया जाएगा। बैंक प्रकल्पित सूची से किसी भी विचलन का निरंतर आधार पर विस्तृत दस्तावेजीकरण करेगा।

पंजीकृत हित और मूल प्रतिभूतियों (स्ट्रिप्स) का पृथक क्रय विक्रय

1. बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो के एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणियों के तहत रखे गए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और लेखांकन शून्य-कूपन बॉण्ड के रूप में और इन निर्देशों में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
2. आरंभ में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें बाजार आधारित होंगी। हालाँकि, यदि ट्रेडेड शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसकी बजाय एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य-कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।
3. स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्रिप्स को प्रतिभागी के खाते की बहियों में उनके छूट वाले मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी प्रतिभूति को मान्यता से हटा दिया जाएगा। पुनर्गठन के लिए लेखांकन उपचार स्ट्रिपिंग के बिल्कुल विपरीत होगा।
4. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई लाभ या हानि नहीं होगी। जीरो कूपन यील्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) का उपयोग करके छूट प्राप्त स्ट्रिप्स (कूपन और मूलधन) के वर्तमान मूल्य को एक कारक का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति के वहन मूल्य या प्रतिभूति के बाजार मूल्य (जो भी कम हो) का अनुपात प्रतिभूति से निर्मित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के योग के कुल योग से होगा।
5. पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (यहां तक कि जब स्ट्रिप्स बाजार से प्राप्त की जाती हैं)।
6. इन निर्देशों के अनुसार, स्ट्रिप्स (ज़ेडसीवाईसी) के बही मूल्य का मूल्यांकन और प्रतिचिह्न बाजार मूल्य के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स के बही मूल्य को एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

अनुसूची 18- एकल वित्तीय विवरणों संबंधी लेखा टिप्पणियाँ (2024-25)

1. विनियामक पूँजी

ए. विनियामक पूँजी की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1)	62983.29	53031.19
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	2000.00	2000.00
iii)	टियर 1 पूँजी (i + ii)	64983.29	55031.19
iv)	टियर 2 पूँजी	8588.08	9453.25
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)	73571.37	64484.44
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	410098.03	392245.58
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप सीईटी 1)	15.36%	13.52%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 1 पूँजी)	15.85%	14.03%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 2 पूँजी)	2.09%	2.41%
x)	पूँजी की तुलना में जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप कुल पूँजी)	17.94%	16.44%
xi)	लिवरेज अनुपात	7.03%	6.50%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.84%	73.84%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूँजी की राशि	--	101.52
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूँजी की राशि,	--	--
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि	--	--

बी. आरक्षित निधि से आहरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	आहरण की गई राशि		प्रयोजन
	2024-25	2023-24	
आरक्षित निधि का पुनर्मूल्यन	₹.284.69	₹.106.29	परिसर के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास रु. 100.21 करोड़ तथा परिसर की बिक्री के कारण रु.184.48 करोड़

*लेखा मानक-10 के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए. आस्ति और देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	30815.35	28395.61	14767.32	25202.24	37833.93	32554.77	59074.02	86553.68	71957.74	56445.77	293553.13	737153.56
अग्रिम	4739.57	32677.83	8849.51	23741.18	20509.93	21698.14	47457.51	88125.28	183832.92	45039.03	94400.29	571071.19
निवेश*	59145.02	9675.39	8718.42	11208.27	6937.78	6288.49	12374.55	15299.53	17586.90	16223.51	61813.17	225271.03
उधार	221.19	8186.65	183.67	0.72	183.39	2413.00	2649.23	9131.81	8510.17	28.11	10000.00	41507.92
उपरोक्त में से												
विदेशी मुद्रा आस्तियां	349.40	5700.18	2276.42	3772.23	5575.40	6612.42	10304.35	3815.54	3850.69	2278.56	306.27	44841.46
विदेशी मुद्रा देयताएं	271.05	7206.49	1629.71	3777.97	3652.89	3850.03	7944.19	3830.39	3598.59	1044.65	1014.27	37820.22

*रु. 32.09 करोड़ की पूंजीबद्ध इक्विटी को छोड़कर

बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मानदंड	तिमाही 1: 2024-25		तिमाही 2: 2024-25		तिमाही 3: 2024-25		तिमाही 4: 2024-25	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		157707.81		170451.08		175193.89		169525.26
नकदी का बहिर्वाह									
2	खुदरा जमा और छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमा जिसमें से :	3,88,680.73	33,060.23	4,14,601.76	34,455.00	4,20,367.40	34,929.97	428410.66	35,596.86
(i)	स्थिर जमा	1,16,156.95	5,807.85	1,40,103.45	7,005.17	1,42,135.40	7,106.77	144884.05	7,244.20
(ii)	अल्प स्थिर जमा	2,72,523.78	27,252.38	2,74,498.31	27,449.83	2,78,232.00	27,823.20	283526.61	28,352.66
3	अप्रतिभूत थोक फंडिंग जिसमें से	1,95,738.41	1,09,195.56	2,12,365.82	1,25,499.24	2,03,297.58	1,22,528.07	1,99,997.91	1,21,586.48
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	1,45,351.53	58,808.68	1,44,777.64	57,911.06	1,34,615.84	53,846.33	1,30,685.72	52,274.29
(iii)	अरक्षित ऋण	50,386.88	50,386.88	67,588.18	67,588.18	68,681.74	68,681.74	69,312.19	69,312.19
4	सुरक्षित थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से	64,458.79	46,438.24	71,090.26	52,118.82	56,115.46	37,097.02	74,261.38	56,496.39
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	44,324.59	44,324.59	49,649.49	49,649.49	34,805.58	34,805.58	54,736.60	54,736.60
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधि की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	20,134.20	2,113.64	21,440.77	2,469.33	21,309.88	2,291.44	19,524.78	1,759.79
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	5,011.68	5,011.68	7,077.06	7,077.06	5,839.54	5,839.54	4,965.09	4,965.09

7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	1,07,172.43	4,495.61	1,15,267.53	4,867.66	1,16,765.53	4,941.80	1,12,438.13	4,765.87
8	कुल नकद बहिर्वाह		1,98,201.31		2,24,017.77		2,05,336.40		2,23,410.69
नकदी का अंतर्वाह									
9	प्रतिभूत उधार (यथा प्रतिवर्ती रेपो)	1,946.32	0.00	1,980.94	0.00	1,049.10	0.00	462.85	0.00
10	पूर्ण अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	35,879.30	22,429.66	44,681.17	29,954.42	38,990.01	25,693.40	44,983.01	31,687.13
11	अन्य नकदी प्रवाह	46,810.47	45,891.98	55,115.51	52,644.17	39,244.30	37,313.00	59,762.73	57,833.33
12	कुल नकद अंतर्वाह	84,636.09	68,321.64	1,01,777.62	82,598.58	79,283.41	63,006.40	1,05,208.59	89,520.45
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		1,57,707.81		1,70,451.08		1,75,193.89		1,69,525.26
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		1,29,686.96		1,41,419.19		1,42,330.00		1,33,890.24
15	चलनिधि कवरेज अनुपात		121.61%		120.53%		123.09%		126.62%

* औसत भारित और गैर-भारित राशियों की गणना संबंधित तिमाही के लिए दैनिक टिप्पणियों के आधार पर साधारण औसत को समाहित करते हुए की जाती है।

गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों (अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए) के भीतर परिपक्व या प्रतिदेय बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है, सिवाय जहां परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में अन्यथा उल्लिखित है।

संबंधित मार्जिन (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्वाह और बहिर्वाह दर (अंतर्वाह और बहिर्वाह नकदी के लिए) के प्रयोग के बाद भारित मूल्यों की गणना की जाती है।

समायोजित मूल्यों की गणना (i) मार्जिन एवं अंतर्वाह और बहिर्वाह दरें और (ii) लागू अन्य कैप्स (अर्थात एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर कैप एवं अंतर्वाह पर कैप) दोनों के प्रयोग के बाद की जाती है।

एलसीआर को बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल के अल्पकालिक आघातसहनीयता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल संसाधन हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दैनिक आधार पर एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। एलसीआर को आकलन करने की पद्धति आरबीआई द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है।

इस एलसीआर की गणना उच्च गुणवत्ता की तरल अप्रभावित आस्तियों (एचक्यूएलए) की मात्रा को तीस कैलेंडर दिनों की अवधि में अनुमानित शुद्ध बहिर्वाह से विभाजित करके की जाती है। निवल नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (जमा जैसे खुदरा, लघु कारोबारी ग्राहक (जमा ₹ 7.50 करोड़ तक), अप्रतिभूत और प्रतिभूत थोक उधार) साथ ही साथ अनाहरित स्वीकार्य राशियों और 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों के अंतर्वाह द्वारा आंशिक रूप से प्रतिबलित डेरिवेटिव से संबंधित एक्सपोजर में उपयोग करके की जाती है।

बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान औसत एचक्यूएलए ₹1,69,525 करोड़ (मार्जिन के बाद) बनाए रखा। एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षाओं से अधिक हैं एवं सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत सीमा से अधिक अपेक्षा की और एलसीआर (एफएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा अनुमत है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई और विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष राशि लेवल 1 एचक्यूएलए का हिस्सा है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 126.62% था।

बैंक की तरलता की जरूरतों को हर समय पूरा करने के लिए बैंक के एलसीआर के मुख्य चालक पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं। भारित नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से असुरक्षित थोक फंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें कुल भारित नकदी बहिर्वाह का योगदान 54.42% था। लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा सहित खुदरा जमा कुल भारित नकदी बहिर्वाह का 15.93% था। अन्य समाश्रित निधीयन दायित्वों में मुख्य रूप से बैंक गारंटी (बीजी) और बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी किए गए ऋण पत्र (एलसी) शामिल हैं।

यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक का कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी (जमा/उधार) नहीं है। 31.03.2025 तक शीर्ष 20 बड़े घरेलू जमाकर्ताओं का योगदान कुल जमाओं का 5.31% है। महत्वपूर्ण घरेलू उत्पाद / लिखतों में बचत जमा, चालू जमा और सावधि जमा शामिल हैं, जो बैंक की कुल जमा का क्रमशः 32.99%, 5.38% और 61.63% है, जिसका निधीयन अत्यंत व्यापक है एवं बैंक को तरलता फ्रंट के अंतर्गत कोई प्रमुख संकेंद्रन जोखिम नहीं है।

सी. निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि ₹ करोड़ में)

		30.06.2024				30.09.2024					
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य					
		परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
एसएसएफ मद											
1	पूँजी: (2+3)	59003.14	0.00	0.00	6000.00	65003.14	59549.56	0.00	0.00	6000.00	65549.56
2	नियामक पूँजी	59003.14	0.00	0.00	4600.00	63603.14	59549.56	0.00	0.00	4600.00	64149.56
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00
4	खुदरा जमा और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा: (5+6)	197781.45	101730.05	125441.18	946.89	390483.42	199563.98	76923.88	154840.62	920.35	396257.33
5	स्थिर जमा	75834.56	32730.14	33017.68	0.00	134503.27	76317.86	26421.16	40087.90	0.00	135685.58
6	अल्प स्थिर जमा	121946.89	68999.91	92423.50	946.89	255980.15	123246.11	50502.72	114752.72	920.35	260571.75
7	थोक निधीयन : (8+9)	67709.09	118425.28	68994.03	155.30	103319.23	69369.10	131758.93	59623.51	5115.08	107375.91
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	67709.09	118425.28	68994.03	155.30	103319.23	69369.10	131758.93	59623.51	5115.08	107375.91
10	अन्य देयताएं: (11+12)	22552.48	17794.34	4717.03	5316.06	7424.57	26530.24	10777.80	5793.27	5796.77	8443.41
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं और डिविडेंडी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	22,552.48	17794.34	4717.03	5316.06	7424.57	26530.24	10777.80	5793.27	5796.77	8443.41
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					566230.37					577626.21
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)					8479.28					8596.17
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	68.60	307.28	0.00	0.00	187.94	54.48	299.26		0.00	176.87
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियाँ : (17+18+19+21+23)	1638.19	222187.24	103168.07	244600.19	361003.54	2297.97	219539.34	116010.92	244244.20	363500.22
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अर्जक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अप्रतिभूत अर्जक ऋण	0.00	46044.37	13004.04	38319.02	51727.77	0.01	47410.00	15014.70	34503.57	49122.46



	30.06.2024				30.09.2024			
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य			
	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त अर्जक ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से : क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35: से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	168129.21	84913.05	130970.97	237449.92	0.00	160918.79
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35: से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	15118.42	1578.37	18598.32	20437.34	0.00	3131.82
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:	0.00	1130.25	1017.79	44567.77	32957.26	0.00	1127.82
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35: से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	919.33	848.56	34487.14	24128.80	0.00	931.62
23	प्रतिभूतियां जो चुक के अंशगत नहीं हैं एवं एचक्वएलए में नहीं आती हैं, सहित एक्सचेंज-ट्रैडेड इक्विटी	1638.19	6883.41	4233.20	30742.42	38868.60	2297.96	10082.72
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)	25614.10	1795.54	43.30	2159.19	29343.33	22600.86	2305.99
25	कारोबार की भौतिक वस्तुएं स्वर्ण सहित	0.00				0.00	0.00	
26	डेरिवेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी	0.00	1791.90	0.00	0.00	1523.11	0.00	2292.33
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	0.00	-8.06	39.71	32.48	64.13	0.00	5.12
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	11.70	3.59	0.15	15.44	0.00	8.54
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	25614.10	0.00	0.00	2126.55	27740.65	22600.86	0.00
30	तुलन पत्र बाह्य मदें	126012.67	0.00	0.00	0.00	5394.29	129306.28	0.00
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					404408.39		
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					140.01%		
								142.96%

(राशियाँ करोड़ में)

	31.12.2024				31.03.2025						
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य						
	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	भारित मूल्य		
एसएसएफ मद											
1	पूँजी: (2+3)	59651.38	0.00	0.00	3000.00	62651.38	69371.37	0.00	1000.00	70371.37	
2	विनियामक पूँजी	59651.38	0.00	0.00	2400.00	62051.38	69371.37	0.00	200.00	69571.37	
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	800.00	800.00	
4	खुदरा जमाराशि और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशि: (5+6)	200877.41	80979.11	155930.31	888.66	402154.33	206034.46	112045.60	130919.95	412269.80	
5	स्थिर जमाएं	77587.96	27380.24	40182.25	0.00	137892.93	70190.01	34704.52	42824.77	0.00	140333.34
6	अल्प स्थिर जमाराशि	123289.45	53598.87	115748.06	888.66	264261.40	135844.46	77341.08	88095.17	783.82	271936.46
7	थोक निधीयन: (8+9)	68303.99	139096.18	55876.95	10329.69	102955.83	76825.30	135394.19	74510.91	10639.33	113488.27
8	परिचालन जमाराशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	68303.99	139096.18	55876.95	10329.69	102955.83	76825.30	135394.19	74510.91	10639.33	113488.27
10	अन्य देयताएं: (11+12)	28307.13	6723.77	6624.71	6188.86	8032.94	25377.80	13837.82	9131.81	7538.30	9604.20
11	एनएसएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	52.99	-2.41	-30.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	28307.13	6670.78	6627.12	6219.38	8032.94	25377.80	13837.82	9131.81	7538.30	9604.20
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					575794.48					605733.64
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियाँ(एचक्यूएएल)					8867.18					8909.11
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियाँ	54.72	1867.70	0.00	0.00	961.21	170.54	1525.10	0.00	0.00	847.82
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियाँ : (17+18+19+21+23)	3485.93	213163.44	130647.11	245244.23	367861.67	4326.66	243790.47	138071.23	250594.18	385772.29
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अर्जक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अप्रतिभूत अर्जक ऋण	0.20	49678.85	12862.29	33356.38	47239.58	0.00	68235.41	13541.42	37304.12	54310.15

31.12.2024					31.03.2025						
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य			भारित मूल्य		
	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष		परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक		≥ 1 वर्ष	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त अर्जक ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से :	425.15	154455.32	113068.68	133683.73	244861.47	1943.22	163853.88	120938.27	133337.05	253804.99
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	425.15	16402.34	5016.47	16528.28	21729.21	365.33	23478.41	4692.06	17012.50	25326.33
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:	0.00	1136.21	1109.45	48063.07	35592.82	0.00	1125.21	1156.77	49724.02	36575.77
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	931.98	929.41	36998.45	25928.77	0	919.45	963.05	37855.25	26227.59
23	प्रतिभूतियां जो चूक के अंतर्गत नहीं है एवं एक्च्यूएलएं में नहीं आती हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज-ट्रेंडेड इक्विटी	3060.58	7893.06	3606.68	30141.06	40167.80	2383.43	10575.96	2434.77	30228.98	41081.38
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)	23256.90	2111.07	807.45	1100.97	26847.46	22144.90	3229.59	821.37	1150.26	26793.56
25	कारोबार की भौतिक वस्तुएं स्वर्ण सहित	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी के चूक फंड में अंशदान	0.00	2064.70	794.84	0.00	2430.61	0.00	2886.84	796.85	0.00	3131.13
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.25	2.15	40.28	354.67
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	46.37	12.61	0.00	58.98	0.00	30.50	22.37	0.42	53.30
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	23256.90	0.00	0.00	1100.97	24357.87	22144.90	0.00	0.00	1109.56	23254.46
30	तुलन पत्र बाह्य मर्दे	128205.70	0.00	0.00	0.00	5504.92	124753.58				5406.49
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					410042.44					427729.25
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					140.42%					141.62%

परिपक्वता रहित टाइम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों में परिपक्वता नहीं बताई गई है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूँजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं हैं।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) बेसल III सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्तपोषित करने की लंबी अवधि की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसएफआर 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)

एएसएफ को पूँजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके एनएसएफआर द्वारा मानी गई समय सीमा (अर्थात् 1 वर्ष तक) पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है। एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के वित्तपोषण स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के वित्तपोषकों की अपनी निधि वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है।

अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ)

आरएसएफ तरलता विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र बाह्य(ओबीएस) एक्सपोजर के आधार पर अपेक्षित स्थिर निधीयन आरएसएफ है। आरएसएफ की गणना निर्दिष्ट घटक की बकाया राशि को निर्धारित और संबद्ध आरएसएफ फैक्टर के गुणन द्वारा किया जाता है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों की संरचना और तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफाइल बनाए रखें। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक निधि पर अति-निर्भरता को सीमित करता है, तुलन पत्र बाह्य की सभी मदों में वित्तपोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और वित्त पोषण स्थिरता को बढ़ावा देता है।

दिनांक 31.03.2024 को बैंक का एनएसएफआर 138.84% और 31.03.2025 को 141.62% था। एनएसएफआर 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। यथास्थिति 31.03.2025 को, उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) रु. 605734 करोड़ और आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) रु. 427729 करोड़ था।

बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना भी करता है और बैंक की तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है।



3. निवेश

ए. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना (यथास्थिति 31.03.2025 को)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
	133887.15	0.00	0.00	2794.62	262.10	0.00	136943.88	132.71	0.00	0.00	132.71	137076.59
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
प्रावधान												
निवल	133887.15	0.00	0.00	2794.62	256.75	0.00	136938.53	132.71	0.00	0.00	132.71	137071.24
विक्रय के लिए उपलब्ध												
	54754.47	0.00	730.27	8370.30	0.00	4307.89	68162.93	2365.95	0.00	128.66	2494.61	70657.54
	0.00	0.00	10.55	56.11	0.00	68.46	135.13	0.00	0.00	127.98	127.98	263.11
प्रावधान												
निवल	54754.47	0.00	719.72	8314.18	0.00	4239.43	68027.80	2365.95	0.00	0.68	2366.63	70394.43
व्यापार के लिए धारित												
	7923.77	0.00	536.87	5511.43	0.00	4292.46	18264.54	0.00	0.00	7.85	7.85	18272.39
	0.00	0.00	3.16	374.12	0.00	49.83	427.12	0.00	0.00	7.81	7.81	434.93
प्रावधान												
निवल	7923.77	0.00	533.71	5137.31	0.00	4242.63	17837.42	0.00	0.00	0.04	0.04	17837.46
कुल निवेश	196565.39	0.00	1267.15	16676.35	262.10	8600.35	223371.34	2498.66	0.00	136.51	2635.17	226006.51
	0.00	0.00	13.72	430.24	5.35	118.29	567.60	0.00	0.00	135.79	135.79	703.39
	196565.39	0.00	1253.43	16246.11	256.75	8482.06	222803.74	2498.66	0.00	0.72	2499.38	225303.12



यथास्थिति 31.03.2024 को

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
	149985.66	0.00	0.00	813.98	262.10	162.89	151224.63	293.53	0.00	0.08	293.61	151518.24
घटाएँ : अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
निवल	149985.66	0.00	0.00	813.62	256.75	149.06	151205.09	293.53	0.00	0.08	293.61	151498.70
विक्रय के लिए उपलब्ध												
सकल	30037.61	0.00	1734.13	17054.67	0.00	13498.96	62325.37	1775.34	0.00	140.53	1915.87	64241.24
घटाएँ : मूल्यहास और अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	963.35	2234.81	0.00	959.78	4157.94	0.00	0.00	140.39	140.39	4298.33
निवल	30037.61	0.00	770.78	14819.86	0.00	12539.18	58167.43	1775.34	0.00	0.14	1775.48	59942.91
व्यापार के लिए धारित												
सकल	430.67	0.00	4.49	139.14	0.00	538.64	1112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.94
घटाएँ : मूल्यहास और अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
निवल	430.67	0.00	4.49	139.07	0.00	538.64	1112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.87
कुल निवेश	180453.94	0.00	1738.62	18007.78	262.10	14200.49	214662.93	2068.87	0.00	140.61	2209.48	216872.41
घटाएँ : अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	140.39	140.39	159.93
घटाएँ : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	963.35	2234.88	0.00	959.78	4158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.01
निवल	180453.94	0.00	775.27	15772.54	256.75	13226.88	210485.38	2068.87	0.00	0.22	2069.09	212554.47

बी. मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
i) निवेश मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
ए) अथ शेष	4210.37	3837.57
बी) घटाएँ: मूल्यांकन संबंधी नई आरबीआई नीति के अनुसार, एनपीएआई निवेश का बही मूल्य और निवेश पर मूल्यहास प्रावधान घटा दिया गया	3159.27	-
सी) निवल शेष (ए -बी)	1051.10	3837.57
डी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	45.12	3045.70
ई) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	503.26	2672.89
एफ) अंतिम शेष	592.96	4210.37
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियों का संचलन		
ए) अथ शेष	1360.01	1031.90
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	639.99	328.11
सी) घटाएँ: आहरण	0.00	0.00
डी) अंतिम शेष	2000.00	1360.01
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश* के अंतिम शेष	2.33%	2.29%

* निवल मूल्य हास (निवल मूल्य वृद्धि को नहीं माना गया है) को घटाने के बाद निहित मूल्य अर्थात तुलन पत्र में प्रदर्शित निवल राशि

सी. एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी में / से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के मामले में, यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रु. 0.16 करोड़ (पिछले वर्ष 0.16 करोड़ रुपये) का परिशोधन किया गया है और इसे 'निवेश पर आय' से कटौती के रूप में दर्शाया गया है

डी. अनर्जक एसएलआर निवेश संविभाग

(i) गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
ए)	अथ शेष	2658.38	2821.92
बी)	घटाएँ : मूल्यांकन संबंधी नई आरबीआई नीति के अनुसार, एनपीआई निवेश का बही मूल्य कम किया गया	1546.36	0.00
सी)	निवल शेष (ए -बी)	1112.02	2821.92
डी)	1 अप्रैल 2025 से वर्ष के दौरान परिवर्धन	42.03	468.92
ई)	उक्त अवधि के दौरान घटत	495.20	632.46
एफ)	अंतिम शेष	658.85	2658.38
जी)	धारित कुल प्रावधान	658.85	2658.38

(ii) गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी स्थानन की सीमा		'निवेश स्तर से निम्न वर्ग' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'दर निर्धारण नहीं की गई' प्रतिभूतियों की मात्रा		सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24
ए)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	22725.41	23825.42	20007.95	19818.91	39.00	0.00	1289.38	348.57	19175.10	573.22
बी)	वित्तीय संस्थाएं	9514.08	8568.38	2974.11	1051.80	0.00	0.00	538.80	748.60	1224.56	923.59
सी)	बैंक	8928.90	14293.95	1081.83	1413.87	0.00	0.00	23.57	0	4549.30	374.42
डी)	निजी कॉर्पोरेट	1908.44	4300.74	1220.84	3354.39	208.99	248.61	978.49	532.49	910.17	632.15
ई)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	262.10	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	183.23	183.23
एफ)	अन्य	4029.19	3094.87	1381.56	215.93	0.00	0.00	1530.53	611.38	948.99	0.00
जी)	घटाएँ: मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	703.39	4317.94	135.79	132.32	135.79	132.32	135.79	132.32	135.79	132.32
	कुल	46664.73	50027.52	26792.60	25984.68	112.20	116.29	4224.98	2108.72	26855.55	2554.29

ई. रेपो लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		यथास्थिति 31 मार्च 2025 को बकाया	
	एफ वी	एम वी	एफ वी	एम वी	एफ वी	एम वी	एफ वी	एम वी
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	2479.00	2514.84	101.57	103.94	0.00	0.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	9286.58	9454.27	695.67	702.65	0.00	0.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(एफ) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	विगत वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	विगत वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दौरान दैनिक औसत बकाया	चालू वर्ष के दौरान लेन.देन की कुल मात्रा	विगत वर्ष के दौरान लेन.देन की कुल मात्रा	चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया	विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. आस्ति गुणवत्ता
ए. धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	2024-25						2023-24					
	मानक	अनर्जक				कुल	मानक	अनर्जक				कुल
		अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम			अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए												
अथ शेष	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.53	473586.50
जोड़: वर्ष के दौरान जोड़					5786.46	5786.46					6769.93	6769.93
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					8713.91	8713.91					13843.15	13843.15
अंतिम शेष	569961.64	1727.22	7663.89	8787.75	18178.86	588140.50	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80
सकल एनपीए में कमी के कारण:												
(i) उन्नयन					921.24	921.24					1026.19	1026.19
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर और अन्य को विनिमय अंतर के रूप में शामिल करें)					2917.83	2917.83					4095.74	4095.74
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन					4169.54	4169.54					7952.82	7952.82
iv) इनके अलावा अन्य अपलेखन (iii) उपरोक्त					705.30	705.30					768.40	768.40
V) कोविड अधिस्थगन किस्त रिवर्सल					0.00	0.00					0.00	0.00
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)												
धारित प्रावधानों का अथ शेष	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					3444.03	3444.03					3652.87	3652.87
घटाएं: अतिरिक्त प्रत्यावर्तित प्रावधान / अपलिखित ऋण					5043.25	5043.25					8745.47	8745.47
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	8857.97	543.84	7596.30	8671.95	16812.09	25670.06	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45
निवल एनपीए												
अथ शेष		2210.30	12.29	0.00	2222.58			2723.44	1319.64	0.00	4043.07	

		2024-25				2023-24			
मानक	अनर्जक			कुल	मानक	अनर्जक			कुल
कुल मानक अग्रिम	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम
जोड़: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन				2342.43					3117.06
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती				3455.45					4937.55
अंतिम शेष	1109.56	0.00	0.00	1109.56		2210.30	12.29	0.00	2222.58
अस्थायी प्रावधान									
अथ शेष									
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान					70.76				70.76
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि					0.00				0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष					0.00				0.00
					70.76				70.76
तकनीकी अपलेखन और उस पर की गई वसूली									
तकनीकी / प्रूडेंशियल अपलेखन खातों का अथ शेष				39695.05					37217.67
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन				4169.54					7952.82
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन खातों से की गई वसूली				3607.45					5475.44
अंतिम शेष				40257.14					39695.05

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2025	31.03.2024
सकल अग्रिम के सापेक्ष सकल एनपीए	3.09	3.95
निवल अग्रिम के सापेक्ष निवल एनपीए	0.19	0.43
एयूसी सहित प्रावधान कवरेज अनुपात	98.10	96.34
एयूसी रहित प्रावधान कवरेज अनुपात	93.90	89.47

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	31.03.2025			31.03.2024		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	135202.70	8582.31	6.35%	119813.51	8484.49	7.08%
बी)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत पात्र उद्यमों को अग्रिम	35837.11	2940.65	8.21%	31584.21	3139.19	9.94%
सी)	सेवाएं	53325.39	3817.28	7.16%	50783.53	5429.76	10.69%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	10818.42	432.89	4.00%	12463.67	814.43	6.53%
	उप-योग (i)	235183.62	15773.13	6.71%	214644.92	17867.87	8.32%
ii)	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2424.76	19.87	0.82%	1248.94	26.86	2.15%
बी)	उद्योग	84859.59	411.13	0.48%	125311.37	1487.05	1.19%
सी)	सेवाएं	157393.46	841.58	0.53%	63648.34	298.11	0.47%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	108279.07	1133.16	1.05%	128919.23	1426.42	1.11%
	उप-योग (ii)	352956.87	2405.73	0.68%	319127.88	3238.44	1.01%
	कुल (i+ii)	588140.50	18178.86	3.09%	533772.80	21106.31	3.95%

सी. विदेशी आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
कुल आस्तियाँ	44873.37	38853.91
कुल एनपीए	1324.37	1265.52
कुल राजस्व	2432.53	2063.45

डी. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19 /2013 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/21.04.048 /2018 - 19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव - संशोधित रूपरेखा निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित हुई ऋण की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2025 को ऋण की राशि	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान	31.03.2025* तक पहले से ही (डी) में से प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(इ)
9799.12	9481.87	9481.87	557.75	557.75

* 31.03.2025 को एनपीए खाते के गैर-निधि बकाया पर 276.15 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित।

पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों का अधिग्रहण और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूँजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर नियामक सीलिंग/प्रतिबंध से छूट दी गई है : शून्य

ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

हमारे बैंक में विचलन, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21/4/018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (दिनांक 11.10.2022 को अद्यतित) में निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन संबंधी कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

एफ. ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021-22 (दिनांक 28 दिसंबर 2023 को अद्यतित) के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित / अधिग्रहीत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. डिफाल्ट वर्ग में न रखे गए ऋणों के अधिग्रहण का विवरण :

अधिग्रहण की विधि : प्रत्यक्ष समनुदेशन

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	शून्य	1500.00	603.69
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य	15.61	4.64
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	शून्य	3.22	0.93
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	शून्य	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	शून्य	131%	174%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	शून्य	एएए: 1500.00 करोड़	एएए: रु.458.90 करोड़ एए: रु.97.28 करोड़ ए: रु.47.51 करोड़

31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहीत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	199.54	2507.75	1631.15
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	1.75	5.52	4.75
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.25	0.31	0.41
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	10%	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	शून्य	140.58%	55%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	एए -	एएए रु.258.21 करोड़ एए: रु.2106.22 करोड़ ए : रु.143.32 करोड़	एएए: 297.91 करोड़ एए: रु.1033.87 करोड़ ए: रु.299.37 करोड़

24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र नंबर डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021-22 (दिनांक 28 दिसंबर 2023 को अद्यतित) के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित / अधिग्रहीत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिग्रहण की विधि : सह-उधार / ऋण भागीदारी

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य	शून्य
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	शून्य	शून्य	शून्य
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान हस्तांतरित/प्राप्त किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	0.60	270.98	शून्य
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	5	6.64	शून्य
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.00	0.00	शून्य
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	20%	20%	शून्य
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	125%	60.62%	शून्य
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	ए+	एएए 59.68 करोड़ एए: 96.32 करोड़ ए : 114.98 करोड़	शून्य

ii. डिफॉल्ट रूप से अंतरित नहीं किए गए ऋणों का विवरण: शून्य

iii. दबावग्रस्त ऋण अंतरण का विवरण:

(खातों की संख्या को छोड़कर राशि ₹ करोड़ रुपये में)

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए खाते) का विवरण			
विवरण	एआरसी को	अंतरित करने वालों के लिए अनुमत	अन्य अंतरित करने वालों के लिए
खातों की संख्या	7	शून्य	शून्य
अंतरित सकल मूलधन बकाया ऋण	716.06		
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-		
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-		
सकल राशि	615.54		
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की प्राप्ति	-		

बैंक ने दबावग्रस्त ऋण की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान के 194.30 करोड़ रुपये की राशि को प्रत्यवर्तित कर दिया है।

iv. वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण: शून्य

- v. 31.03.2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण निम्नानुसार है:

आरबीआई द्वारा 29 मार्च, 2025 को जारी सरकारी गारंटीकृत धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को परिवर्तित कर सकते हैं, यदि कोई ऋण निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, और बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं। ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य की गणना करके ऐसे एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को बैंक के पास सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर हैं, जिनका अंकित मूल्य रु. 491.95 करोड़ है। बैंक एसआर में अपने निवेश का मूल्यांकन एआरसी को अंतरित करने के समय दबावग्रस्त ऋणों के निवल बही मूल्य या ऐसे एआरसी द्वारा घोषित एनएवी में से जो भी कम हो, उस पर कर रहा है। बैंक विवेकपूर्ण आधार पर इस तरीके से एसआर का मूल्यांकन करना जारी रखेगा और एसआर पर राजस्व केवल वसूली/मोचन या सरकार द्वारा दावों की स्वीकृति, यदि कोई हो, की वास्तविक प्राप्तियों पर दर्ज करेगा।

वसूली रेटिंग	बही मूल्य	
	राशि रुपयों में	राशि करोड़ में
आरआर 1+ (150% से अधिक)	7.45	0.00
आरआर 1 (100% से अधिक 150% तक)	97.99	0.00
आरआर 2 (75% से अधिक 100% तक)	7.48	0.00
आरआर 3 (50% से अधिक 75% तक)	12.14	0.00
आरआर 4 (25% से अधिक 50% तक)	5.74	0.00
आरआर 5 (25% तक)	7.47	0.00
रेटिंग रहित एसआर एनपीएआई	331.35	0.00
बंद	5.00	0.00
रेटिंग रहित	3.06	0.00
पूर्णतः मोचित	10.33	0.00
कुल	488.01	0.00

जी. प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	891.31
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	शून्य
कुल	0.00	891.31

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	विगत 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों में जारी एसआर	8 वर्षों से भी पहले जारी एसआर
(i)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
(ii)	अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	0.00	0.00	0.00

एच. धोखाधड़ी खाते

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	2169*	6059
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	2112.39*	204.91
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	228.08*	158.89
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधि' से नामे किए गए परिशोधित प्रावधान की राशि	0	0

*इसमें ₹2080.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹152.88 करोड़) की राशि की अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी के 113 मामले (पिछले वर्ष 96 मामले) शामिल हैं। ऐसे खातों में 31.03.2025 तक बकाया राशि ₹210.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹148.15 करोड़) है, जिसके लिए ₹209.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹132.84 करोड़) का पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

आई. एमएसएमई प्रकटीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020, और डीओआर.एसटीआर. आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के आधार पर योजना के तहत एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	31.03.2025 को बकाया (रुपए करोड़ में)
28981	1449.16

जे. कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2022-23/31 डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2022-23 दिनांक 5 मई, 2021 उधारदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋणों को मानक वर्ग में वर्गीकृत करते हुए इनके संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत विशेष विंडो को विस्तारित किया गया था। कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण इस प्रकार है

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- 30.09.2024 को स्थिति (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो 31-03-2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) 31-03-2025 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) 31-03-2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- 31-03-2025 को स्थिति
1	व्यक्तिगत ऋण	4097	84	0	288	3725
2	कॉर्पोरेट व्यक्ति*	992	41	0	464	487
	जिसमें से एमएसएमई	320	41	0	43	236
3	अन्य	736	56	0	113	567
	कुल (1+2+3)	5825	181	0	865	4779

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

के. कोविड उपाय:

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, और बैंक सभी मोर्चों पर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड -19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह से होंगी। बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान बैंक के लिए फोकस क्षेत्र बना रहेगा।

5. एक्सपोजर

ए. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2025	31.03.2024
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
ए) आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूति उधार दिया जाना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा ले लिया गया है या ले लिया जाएगा या किराए पर लिया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋणों में से **	68824.09 (8694.68)	60395.04 (9037.83)

बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट- वाणिज्यिक रियल एस्टेट (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि)** पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार।	18575.93	19132.00
सी) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश		
i) आवासीय	शून्य	शून्य
ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि एक्सपोजर	19386.61	19902.89
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	106786.63	99429.93

** एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं;

बी. पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i) प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि विशिष्ट रूप से मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	1289.57	2032.61
ii) वैयक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) संपरिवर्तनीय बॉण्डों एवं संपरिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बॉण्डों /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष या निर्बंध रूप में अग्रिम;	0.04	0.70
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	शून्य	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्वक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात जहां शेयरों/ संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती है ;	शून्य	शून्य
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	964.91	919.21
vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के सापेक्ष कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य

ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन;	शून्य	शून्य
x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर।	190.06	173.58
पूँजी बाजार को कुल एक्सपोजर	2444.58	3126.10

सी. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2025 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2025 तक धारित प्रावधान	31.03.2024 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2024 तक धारित प्रावधान
नगण्य	19814.45	12.57	17686.84	12.57
न्यून	7847.27	-	3467.50	-
मामूली न्यून	789.87	-	701.40	-
मामूली	517.13	-	50.92	-
मामूली अधिक	595.17	-	596.79	-
अधिक	0.61	-	1.53	-
अत्याधिक	636.71	-	383.47	-
कुल	30201.21	12.57	22888.44	12.57

देशीय का जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने 31.03.2025 तक, विभिन्न देशों में अपने निवल वित्तपोषित एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर के अलावा अन्य देशों में इस तरह का एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% की शर्त के भीतर है।

सिंगापुर के संबंध में, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा "नगण्य" जोखिम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है, 'नगण्य' जोखिम श्रेणी के लिए रु. 12.57 करोड़ (विगत वर्ष रु 12.57) का प्रावधान उपलब्ध है।

बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल), यदि हो, के अतिक्रमण का विवरण

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
शून्य				

डी. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र:

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। 31.03.2025 को बकाया राशि शून्य है। अतः कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

31.03.2025 समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर और कोलंबो) और गिफ्ट सिटी शाखा द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है और यथास्थिति 31.03.2025 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को दिए गए उत्तरदायित्व पत्र के अनुसार, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंगापुर शाखा हर समय अच्छी तरलता और मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखे। तदनुसार, बैंक ने सिंगापुर शाखा में यूएसडी 43.00 एमआईओ (भारतीय मुद्रा में रु. 367.54 करोड़ के समकक्ष) की जमा राशि बनाए रखना जारी रखा है।

बैंक ने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के पक्ष में श्रीलंकाई शाखाओं के लिए एलओयू जारी किया है। बैंक श्रीलंका में अपने व्यवसाय के संबंध में या उससे संबंधित सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का वचन देता है। इस जारी एलओयू के कारण तत्काल निकट भविष्य में हमें किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

बैंक ने आईएफएससी की अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार आईएफएससी, एसईजेड गिफ्ट सिटी, गुजरात में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससी) के पक्ष में एलओसी जारी किया है। बैंक आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए पूंजी और तरलता सहायता के रूप में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का वचन देता है। बैंक को जारी एलओसी के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

ई. अप्रतिभूत अग्रिम

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	70610.23	48051.51
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

एफ. फैक्टरिंग एक्सपोजर:

31 मार्च 2025 तक बैंकों का फैक्टरिंग एक्सपोजर शून्य है। (विगत वर्ष : रु. 2400 करोड़)

जी. इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

क्र सं	विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
1	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1311.85	1311.85
2	शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1311.85	1311.85
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.17%	0.18%
4	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, संबंधी सीमा के उल्लंघन का विवरण, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

एच. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाई है। जिन मामलों में कोई स्वाभाविक बचाव नहीं है, आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को वायदा बीमा का सुझाव दिया जाता है। वायदा बीमा, विनिमय जोखिम पर अरक्षित जोखिम को कम करने के रूप में कार्य करेगा। सुविधाओं को मंजूरी देते समय, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि विदेशी मुद्राओं में सभी एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जिसमें चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र शामिल है) वायदा बीमा द्वारा कवर किया गया है। वायदा बीमा की छूट पर विचार करने का अनुरोध, यदि कोई हो, पर केवल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों की समीक्षा करते समय, अरक्षित एक्सपोजर को कैप्चर कर लिया जाता है और क्रेडिट प्रस्तावों में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

बैंक ने अपने घटकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के 11 अक्टूबर, 2022 के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर ₹40.50 करोड़ का प्रावधान और ₹ 107.27 करोड़ की पूंजी प्रदान की है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेन्द्रण

ए) जमा का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा स्थिति 31.03.2025	यथा स्थिति 31.03.2024
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	39204	40833
बैंक की कुल जमाराशियों के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	5.32%	5.92%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	65616.89	71196.34
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	8.83%	10.39%

सी. एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	69839.83	75935.87
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत/	9.04%	10.56%

डी. एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
शीर्ष बीस खातों में कुल एक्सपोजर	1069.83	1791.34
कुल सकल एनपीए के सापेक्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	5.89%	8.49%

7. व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)

ए) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
i) स्वैप समझौतों का आनुमानिक मूलधन	शून्य	896.60
ii) यदि समझौते के तहत प्रतिपक्षी, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	शून्य	896.60
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	-0.96

बी) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी

(राशि रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी का अनुमानित मूलधन (लिखत वार)	शून्य	425.00
ii)	यथास्थिति 31 मार्च को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार)	400.00	425.00
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार)	शून्य	200.00
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के बाजार मूल्य की बही में अंकित राशि का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार)	0.08**	0.07*

**सकारात्मक एमटीएम रु. 2.29 करोड़ और नकारात्मक एमटीएम रु. 2.21 करोड़ है।

*सकारात्मक एमटीएम रु. 0.85 करोड़ और नकारात्मक एमटीएम रु. 0.78 करोड़ है।

सी) व्युत्पन्नो में ऋण जोखिम संबंधी प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ-साथ देयताओं की हेजिंग की अनुमति देती है। हेजिंग लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैंक-ऑफिस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्नी उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक की नीति ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्वकारी लेनदेन की अनुमति देती है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्नी उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ एवं हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला-बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र की तिथि को अदला-बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे उत्पन्न हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्नी उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ और हानि, बैंक के लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि रु करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
ए)	व्युत्पन्नी (आनुमानिक मूलधन)				
	क) हेजिंग के लिए	0.00	0.00	0.00	746.60
	ख) व्यापार के लिए	0.00	400.00	0.00	575.00
बी)	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	2.29	0.00	0.85
	ख) देयता (-)	0.00	2.21	0.00	0.78
सी)	ऋण एक्सपोजर	0.00	3.98	0.00	10.30
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 पीवी 01)				
	i) हेजिंग व्युत्पन्नी पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार व्युत्पन्नी पर	0.00	0.06	0.00	0.06
ई)	वर्ष के दौरान पाए गए 100 * पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	i) हेजिंग पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार पर	0.00	0.00	0.00	0.00

डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप: शून्य

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2	एसपीई की बुक के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	ए) तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलन पत्र के एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	ए) तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलन पत्र के एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात ऋण में वृद्धि, लिक्विडिटी सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से उल्लेख करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) प्रदत्त राशि (बी) चुकौती प्राप्त (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य

8	अतीत में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	शून्य	शून्य
10	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
डीईएफ को अंतरित राशियों की प्रारंभिक शेष राशि	3234.22	2510.66
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि को अंतरित राशि	513.76	911.64
घटाए : दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	113.99	188.08
डीईए निधि को अंतरित राशि का अंतिम शेष	3633.99	3234.22

नोट: दिनांक 31.03.2025 को डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष रु 3633.99 रुपये; 31.03.2024 के अनुसार रु 3234.22) है, जिसका प्रकटीकरण ऊपर किया गया है, इसे अनुसूची -12 'आकस्मिक देयताएं-अन्य' के तहत भी शामिल किया गया है, जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों संबंधी संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	569	838
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	111167	89229
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	108719	89498
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	10081	3301
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3017	569
बैंकिंग लोकपाल से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या			
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	5118	5165
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निराकृत शिकायतों की संख्या	4958	5099
5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से निराकृत शिकायतों की संख्या	99	77
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद निराकृत शिकायतों की संख्या।	3	0
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णय के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

* पूर्व में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायत के विषय)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(5) में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2024-25					
एटीएम डेबिट कार्ड	135	29796	-5.55%	337	14*
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	193	45610	150.37%	1764	48*
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	60	12990	65.62%	301	0
ऋण और अग्रिम	54	6090	40.38%	166	0
क्रेडिट कार्ड	7	1998	92.85%	7	0
अन्य	120	14683	-44.06%	442	0
कुल	569	111167	24.58%	3017	62
2023-24					
एटीएम डेबिट कार्ड	411	31547	-38.20%	135	0
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	71	18217	60.61%	193	0
ऋण और अग्रिम	35	7843	116.47%	60	0
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	23	4338	74.63%	54	0
क्रेडिट कार्ड	2	1036	-7.74%	7	0
अन्य	296	26248	-21.67%	120	0
कुल	838	89229	-10.14%	569	0

नोट: 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित प्रौद्योगिकी शिकायतें नियामकों (एनपीसीआई/आरबीआई) द्वारा निर्धारित टीएटी के अंतर्गत हैं।

12.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2024-25		वि.व. 2023-24	
	घटनाओं की संख्या	राशि	घटनाओं की संख्या	राशि
गंदे नोटों के विप्रेषण में विसंगतियाँ	163	0.29	102	0.08
आरबीआई द्वारा मुद्रा तिजोरी का निरीक्षण	52	0.12	56	0.11
आरबीआई द्वारा शाखाओं का गुप्त दौरा	26	0.03	23	0.04
ई-कुबेर में विलंबित/गलत रिपोर्टिंग	02	0.01	6	0.03
एटीएम कैश आउट	14	0.01	23	0.02
कुल	257	0.46	210	0.28

12.2 भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सरकार ने शून्य जुर्माना लगाया है (वित्त वर्ष 2023-24 में 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना - सरकार द्वारा वर्ष 2005-2023 से संबंधित 19 मामलों में लगाया गया था, जिसके लिए बैंक ने विभिन्न मंत्रालयों को अभ्यावेदन दिया था। अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, दंडात्मक ब्याज राशि घटाकर 85.86 लाख रुपये कर दी गई है, जिसके लिए बैंक ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को फिर से अभ्यावेदन दिया है)।

12.3 सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका - वित्तीय आसूचना इकाई ने श्रीलंका के वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम, 2006 की संख्या 6 (एफटीआरए) और इसके तहत जारी नियमों, विनियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए बैंक पर श्रीलंकाई रुपए (एलकेआर) दो मिलियन (एलकेआर 2,000,000) यानी लगभग पांच लाख अस्सी हजार भारतीय रुपए (आईएनआर 5.85 लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

13. नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2025	31.03.2024
लाभ और हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ	10918.29	8062.94
निम्न हेतु समायोजन :		
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	3444.03	3652.87
निवेश हेतु प्रावधान	(252.65)	(382.06)
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	853.44	1936.53
कर हेतु प्रावधान	3868.64	2888.20
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	28.96	236.12
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	532.15	524.29
पूँजी लिखत पर ब्याज	600.04	710.85
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(1.69)	1.90
अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	(2.63)	(2.63)
आयकर प्रदत्त	0.00	(870.00)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व लाभ	19988.58	16759.01
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(11812.43)	(26184.17)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(59626.15)	(69245.20)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	2209.20	2943.14
	(69229.38)	(92486.23)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमा में वृद्धि / (कमी)	49153.56	66834.25
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	20376.44	2058.46
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(2938.17)	(1778.58)
	66591.83	67114.13
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	17351.03	(8613.09)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	2.63	2.63

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2025	31.03.2024
अचल आस्तियों की खरीद	(522.54)	(616.88)
अचल आस्तियों की बिक्री	191.14	8.85
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(328.77)	(605.40)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(1616.36)	(1071.08)
टियर 2 बांडों का मोचन	(2000.00)	(1000.00)
पूँजी लिखत पर ब्याज	(647.15)	(733.88)
अवधि के दौरान जारी इक्विटी पूँजी (शेयर प्रीमियम सहित)	0.00	4000.00
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	(4263.51)	1195.04
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	12758.75	(8023.45)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1304.15	1242.48
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	31134.61	26670.15
(बी) अन्य जमा खातों में	264.00	4780.00
बैंकों में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	4.20	18.13
(बी) अन्य जमा खातों में	1573.60	1573.64
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	1997.07	5007.04
भारत के बाहर बैंकों में जमा शेष		
(ए)चालू खातों में	743.35	693.49
(बी) अन्य जमा खातों में	5084.58	10144.91
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	3.57	2.74
	42109.13	50132.58
अवधि के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1312.61	1304.15
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष		
(ए) चालू जमा खातों में	24768.04	31134.61
(बी) अन्य जमा खातों में	5867.00	264.00
बैंकों में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	133.40	4.20
(बी) अन्य जमा खातों में	1249.05	1573.60
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	0.00	1997.07
भारत के बाहर बैंकों में जमा शेष		
(ए)चालू खातों में	1638.14	743.35
(बी) अन्य जमा खातों में	19895.38	5084.58
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	4.26	3.57
	54867.88	42109.13
नकदी और नकदी तुल्य के अथशेष और इतिशेष में अंतर	12758.75	(8023.45)

नोट :

1. पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
2. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया गया है।

14. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

i. परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने रु 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1.07 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने रु 387.42 करोड़ (पिछले वर्ष रु 353.34 करोड़) का अंशदान दिया है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है :

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2025	31/03/2024
बट्टे की दर -जी -सेक रेट	पेंशन एवं उपदान के लिए 6.82% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.21% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पलायन की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.95% पेंशन के लिए और 7.90% उपदान के लिए	7.88% पेंशन के लिए और 7.89% उपदान के लिए
प्रयुक्त प्रणाली	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (2012-14) अल्टीमेट	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी नकदीकरण पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान अत्यंत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि अत्यंत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी नकदीकरण की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(राशि रु करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - अथशेष एवं इतिशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
ब्याज लागत	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
वर्तमान सेवा लागत	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात/ निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अनअभिज्ञात / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.36	-279.14
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1115.23	1010.11	498.82	139.12	227.18	328.14
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19

(राशि रु करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - अथशेष एवं इतिशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19070.08	17282.98	1940.98	1764.27	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
अंशदान	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.26	279.14
प्रदत्त लाभ	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.26	-279.14
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00

(राशि रु करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1531.58	1408.52	162.98	141.19	0.00	0.00

(राशि रु करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	-1115.23	-1010.11	-498.82	-139.12	-227.18	-328.14
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- योजना आस्तियां	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
वर्ष के दौरान अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
वर्ष के अंत में अनअभिज्ञात गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14

(राशि रु करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में अभिज्ञात आस्ति	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19
अनअभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनअभिज्ञात विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात देयता	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19

(राशि रु करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सेवा लागत	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
ब्याज लागत	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1529.11	-1398.59	-162.97	-139.89	0	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में अभिज्ञात है	1112.76	990.46	498.81	137.84	227.18	328.14
इस वर्ष में अभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात व्यय	2176.00	2286.69	633.74	268.46	617.94	669.87

(राशि रु करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकादीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
निवल देयता का अथ शेष	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46
उपर्युक्तानुसार व्यय	-2176.00	-2286.69	-633.74	-268.46	-617.94	-669.87
प्रदत्त अंशदान	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.36	279.14
अंतिम निवल देयता	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	-1876.77	-1580.19

(राशि रु करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं संबंधी अनुभव समायोजन (i) पिछले वर्ष 2020-25 - पेंशन	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61
योजना आस्तियां	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29
अधिशेष/ (घाटा)	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85	-579.32
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11	-1115.23
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93	2.47

(राशि रु करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं संबंधी अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2020-25 - उपदान	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49
योजना आस्तियां	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74
अधिशेष/ (घाटा)	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28	-172.75
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12	-498.82
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01

(राशि रु करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं संबंधी अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2020-25- छुट्टी नगदीकरण	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
अधिशेष/(घाटा)	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19	-1876.77
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14	-227.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(राशि रु करोड़ में)

X. योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2024-25		2023-24	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	21.48%	16.81%	23.43%	21.62%
उच्च गुणवत्तावाले कॉर्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	15.06%	10.26%	17.33%	13.02%
विशेष जमा योजना	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	63.34%	72.90%	58.67%	65.12%
इक्विटी और म्युचुअल फंड	0.07%	0.00%	0.52%	0.20%
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

iii) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹ 93.87 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 41.96 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु किए गए अतिरिक्त प्रावधान/(अवलिखित) प्रावधानों का विवरण:

(राशि रु करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2025	31.03.2024
1.	चिकित्सा छुट्टी	9.39	4.55
2.	आकस्मिक छुट्टी	1.54	0.97
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	82.94	36.44
कुल		93.87	41.96

नोट: शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एस-10)

15.1 बैंक के परिसर में भूमि एवं भवन शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त उचित बाजार मूल्य के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यन किया है। परिसर के पुनर्मूल्यन की राशि में ₹1510.28 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाता" में जमा किया गया है। वर्ष 2024-25 हेतु ₹107.07 करोड़ (विगत वर्ष ₹105.56 करोड़) की मूल्यहास राशि व्यय के तहत ली गई थी और पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर ₹100.21 करोड़ (विगत वर्ष ₹98.79 करोड़) की मूल्यहास राशि को "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाता" के सापेक्ष समायोजित किया गया है। परिसर की बिक्री से प्राप्त ₹184.48 करोड़ (विगत वर्ष ₹7.50 करोड़) को भी पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित किया गया था।

15.2 परिसर में 9 (7+2*) परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनकी मूल लागत ₹ 8.38 करोड़ है (विगत वर्ष 9 (7+2*) परिसंपत्तियां जिनकी लागत ₹ 8.38 करोड़ थी) जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य ₹ 83.77 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 63.71 करोड़) है, जो मूल्यहास घटाकर ₹ 0.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.44 करोड़) हो गयी हैं, की पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं।

* हैदराबाद स्थित ₹ 1.61 करोड़ की संपत्ति, जो नियमितीकरण के लिए तेलंगाना सरकार के यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी हेतु लंबित है और चैन्नै स्थित ₹ 2.32 करोड़ की संपत्ति, जहाँ कानूनी मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।

16. पट्टा (एस 19)

- ए. पट्टा/किराए के आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत/रद्द किया जा सकता है।
- बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टा करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेंडर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।
- सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबंधित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रुपए 456.93 करोड़ है। (विगत वर्ष - रुपए 426.22 करोड़)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि एवं भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-निरसनयोग्य होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
घटाएं : भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

17. इंडियन बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट

बैंक द्वारा ग्रामीण विकास पहलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 22.09.2008 को इंडियन बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट (आई.बी.टी.आर.डी.) की स्थापना की गई। आई.बी.टी.आर.डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार देश भर में निम्नलिखित संस्थानों को प्रायोजित करता है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के निर्देशानुसार, हमारे बैंक ने ग्रामीण युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(इंड सेटी) के नाम से 38 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी) स्थापित किए हैं। ये संस्थान प्रशिक्षित उम्मीदवारों के नियोजन के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने और उम्मीदवारों को उद्यमशील उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक शाखाओं के माध्यम से ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं।
- जिला स्तर पर मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 42 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले गए हैं। ये एफएलसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किए जाते हैं और विभिन्न लक्षित समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, स्कूली बच्चों, एसएचजी सदस्यों, किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों आदि को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं जैसे बैंक खातों के परिचालन के तरीके और उनके लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग चैनल, बैंकिंग उत्पाद, साइबर सुरक्षा आदि के बारे में जागरूक करते हैं।
- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार चयनित जिलों में आरबीआई द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से 142 वित्तीय साक्षरता संबंधी केंद्र (सीएफएल) स्थापित किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर संचालित ये सीएफएल आंशिक रूप से आरबीआई/नाबाई द्वारा वित्तपोषित हैं। वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव और सहभागी दृष्टिकोणों की खोज के उद्देश्य से स्थापित किए गए सीएफएल, महिलाओं, युवा वयस्कों, कामकाजी आबादी के साथ-साथ आबादी के कमजोर वर्गों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के बीच खाता खोलने, डेबिट/एटीएम कार्ड के उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर सत्र आयोजित करते हैं।

ट्रस्ट पैन-इंडिया द्वारा प्रायोजित इंडसेटी, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता संबंधी केंद्रों (सीएफएल) की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है

विवरण	केंद्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवार / भाग लेने वाले प्रतिभागी
इंडसेटी	38	36565
एफएलसी	42	162351
सीएफएल	142	1252629

आईबीटीआरडी के न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकगण द्वारा स्वतंत्र रूप से ट्रस्ट की लेखा बहियों का लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

31.03.2025* को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम आय और व्यय लेखा

(राशि रु करोड़ में)

व्यय		आय	
इंडसेटी के लिए परिचालन व्यय	19.14	सीएसआर के लिए बैंक द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00
एफएलसी संबंधी व्यय	0.86	विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण लागत प्रतिपूर्ति	20.58
सीएफएल संबंधी व्यय	5.28		
लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.05		
व्यय से अधिक आय	5.25		
कुल	30.58		30.58

31.03.2025* को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रु करोड़ में)

प्राप्ति		भुगतान	
अथ शेष	9.17	इंडसेटी के लिए पूँजीगत व्यय	0.37
बैंक से सीएसआर अंशदान	10.00	इंडसेटी, एफएलसी और सीएफएल को प्रतिपूर्ति	24.91
प्रत्यक्ष आय	20.58	लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.05
प्राप्त ब्याज	0.25	अंतिम जमा शेष	14.67
कुल	40.00		40.00

* ट्रस्ट की अंतिम लेखापरीक्षा के उपरांत आंकड़े परिवर्तन के अधीन हैं

18. विधि

आकस्मिक देयताओं में एक खाता मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड शामिल है, कंसोर्टियम बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में कुल रु.1602.44 करोड़ की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने कंसोर्टियम बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के विरुद्ध कुल रु.406.47 करोड़ का दावा किया गया। मुकदमे में, बचाव के लिए रु.400 करोड़ का भुगतान करने पर सशर्त छूट दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे बैंक के रु.100 करोड़ के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर को किया गया था। सारांश वाद बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। बैंक द्वारा किया गया उ० 100 करोड़ रुपये का विप्रेषण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चालू खाते और एफडी खाते (84.09 करोड़ रुपये) को डेबिट करके समायोजित किया गया है जिसमें 31.03.2025 को 15.94 करोड़ के बकाया शेष को शामिल नहीं किया गया है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध इस दावे के लिए, बैंक के पास कुल प्रावधान 31.26 करोड़ रुपये (विगत वर्ष-रुपए 31.26 करोड़) है।

19. लेखा मानक - 17 “खंडवार परिणाम”

1. खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :-

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग*
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

इसके अलावा, 7 अप्रैल 2022 के आरबीआई सर्कुलर डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 के अनुसार रिटेल बैंकिंग खंड को डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष -

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग-

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-राजकोष संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

- (i) डिजिटल बैंकिंग - 7 अप्रैल, 2022 के आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू कर दिया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के परिचालन से संबंधित है।
- (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

i. देशी परिचालन - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफ बैंकिंग इकाइयां

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट/थोक और खुदरा बैंकिंग परिचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजन्य नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

(राशि रु करोड़ में)

भाग ए व्यवसाय खंड	राजकोष		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
	राजस्व	17176.79	15616.08	23857.74	22165.82	29125.71	24927.68	1.30	0.18	29124.41	24927.50	1065.40	771.92	63481.50
	परिणाम	6136.63	5658.69	5427.66	5046.07	6519.33	5545.69	0.26	(0.27)	6519.07	5545.96	914.58	589.10	16839.55
अनाबंटित व्यय														
परिचालनगत लाभ														
अन्य गैर आबंटनीय आय														
आयकर														
अपवाद स्वरूप मदें														
निवल लाभ														
अन्य जानकारी														
खण्डीय आस्तियां	264753.70	233839.17	272792.42	259620.22	330784.34	291324.65	23.85	9.88	330760.49	291314.77	0.00	0.00	868330.46	784784.04
अनाबंटित आस्तियां														
कुल आस्तियां														
खण्डीय देयताएं	243744.04	216613.46	251144.84	240495.35	304534.78	269864.28	23.59	10.15	304511.19	269854.13	0.00	0.00	799423.66	726973.09
अनाबंटित देयताएं														
पूँजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष														
कुल देयताएं														

भाग बी - भौगोलिक खण्ड						
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24		
राजस्व	68793.11	61418.05	2432.53	2063.45	71225.64	63481.50
आस्तियां	828537.29	753765.21	44873.37	38853.91	873410.66	792619.12

खंड राजस्व और व्यय को खंड संपत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है, जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

20. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

20.1. अनुषंगी संस्थाएं:

क्र.सं.	अनुषंगी संस्था का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	बैंक की शेयरधारिता	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	11/08/1989	64.84%	मेसर्स ब्रह्मय्या एण्ड कं	19.09.2024
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	28/01/1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	19.09.2024
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड	भारत	09.02.2024	100.00%	मेसर्स सूरी एंड शिवा	09.12.2024

20.2. सहयोगी संस्थाएं :

क्र सं	सहयोगी संस्था का नाम	शेयरधारिता पैटर्न
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	35%
सी	पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक	35%

*केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के तहत एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो अब आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक कहा जाएगा में समामेलन अधिसूचित किया है। तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सप्तगिरि ग्रामीण बैंक को 1 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया गया है।

20.3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

इकाई का नाम	देश / निवास	सम्बन्ध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एसएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

20.4.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्री बिनोद कुमार	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	16.01.2025
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024

20.4.2 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

	नाम	वर्ग	समाप्ति की तिथि	कारण
1	श्री शांति लाल जैन	एमडी एंड सीईओ	01.01.2025	अधिवर्षिता/नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
2	डॉ. एम पी तंगिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	13.05.2024	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6/2 (ii)/2022-बीओ.आई दिनांक 13.05.2024
3	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	29.10.2024	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
4	श्री विश्वेश कुमार गोयल *	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21.12.2024	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
5	श्री बालमुकुंद सहाय *	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21.12.2024	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति

* दिनांक 11.04.2025 से एक वर्ष की अवधि हेतु या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक, गैर-सरकारी के रूप में पुनः नामित किया गया।

20.5 गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता:

क्र	नाम	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	205
2	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	250

20.6 संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 314.07 लाख (गत वर्ष रुपए 232.60 लाख) पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं :

विवरण	2024-25	2023-24
श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (16.01.2025 से 31.03.2025)	₹ 8.68 लाख	-
श्री शांति लाल जैन, पूर्व एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.12.2024)	₹ 84.38* लाख	₹ 47.53 लाख
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 56.11 लाख	₹ 35.17 लाख
श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 61.62 लाख	₹ 45.82 लाख **
श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 46.23 लाख	₹ 19.70 लाख
श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 36.90 लाख	₹ 1.96 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दिकी^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	₹ 17.06 लाख ^	₹ 67.30 लाख \$
श्री अश्विनी कुमार ^^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	₹ 3.09 लाख ^^	₹ 15.12 लाख #

* छुट्टी, ग्रेजुटी, पीएफ और पेंशन संराशिकरण के नकदीकरण सहित

\$ रुपये 30.00 लाख के नकदीकरण सहित

पीएलआई और अन्य भत्ते सहित

** रुपये 10.47 लाख का मकान किराया भत्ता सहित

^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 09.03.2024 तक, प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

^^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 01.06.2023 तक, प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

20.7 संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है

(राशि रु करोड़ में)

मद / संबंधित पक्ष	संयुक्त उद्यम
सेवाएं प्रदान करना	20.10
सेवाएं प्राप्त करना	0.38

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार “सरकार-नियंत्रित उद्यम” हैं। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंधों के लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

21. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	10918.29	8062.94
इक्विटी शेयरों की संख्या	1346963981	1346963981
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1346963981	1275121314
प्रति शेयर मूल अर्जन	81.06	63.23
कम की गई आय प्रति शेयर आय	81.06	63.23
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00

22. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

ए) **चालू कर** - चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालन के लिए आयकर हेतु प्रावधान की राशि ₹ 4015.69 करोड़ है, इसमें विगत वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में आय कर हेतु प्रदान किए गए ₹ 48.91 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में आयकर के लिए किया गया प्रावधान ₹11.53 करोड़ है। चालू कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर** - बैंक के पास ₹ 5080.20 करोड़ की निवल कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹4921.62 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति), जिसमें ₹ 1243.51 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹ 1116.56 करोड़) और ₹ 6323.71 करोड़ की आस्थगित कर देयता (विगत वर्ष ₹6038.18 करोड़) शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए)/आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	521.69	376.55
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि)	145.89	131.17
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.04
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3864.41
5	पुनर्चित आस्तियों, एक्जुआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1694.40	1569.60
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	97.28	96.41
	कुल डीटीए	6323.71	6038.18
	आस्थगित कर देयताएं		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.41	44.41
2	अपलिखित लेखा हेतु प्रावधान	363.15	363.15

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
3	स्टाफ कल्याण पुनःप्राप्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i) (Viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि	831.84	704.90
	कुल - डीटीएल	1243.51	1116.56
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	5080.20	4921.62

सी) वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कराधान के लिए प्रावधान-वैश्विक (आस्थगित कर सहित आयकर)	3868.64	2888.20

दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न विगत मूल्यांकन वर्षों हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त / समायोजित विवादित आयकर मांग ₹ 3953.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3953.36 करोड़)। यथास्थिति दिनांक 31.03.2025 तक विवादित कर मामलों से संबंधित ₹ 10,522.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 9761.82 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी इसमें शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

23. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस-27):

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है:

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत		38.26%	37.50

एएस 27 के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
देयताएं		
पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	561.82	496.03
जमा	0.00	0.00
उधार	44.38	11.40
अन्य देयताएँ और प्रावधान	1389.20	1211.02
कुल	1995.40	1718.45
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	0.00	0.01
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	46.00	33.95
निवेश	1554.88	1393.41
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	25.44	21.08

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
अन्य आस्तियां	369.08	270.00
कुल	1995.40	1718.45
पूँजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य आकस्मिक देयताएं	61.57	63.65
आय		
अर्जित ब्याज	10.06	6.42
अन्य आय	799.74	731.00
कुल	809.80	737.42
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	3.59	1.81
परिचालन व्यय	714.93	645.43
प्रावधान और आकस्मिकताएं	22.59	29.58
कुल	741.11	676.82
लाभ	68.69	60.60

24. आस्तियों की हानि (एएस-28):

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 "आस्तियों की हानि" लागू होता है।

25. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और समाश्रित आस्तियां (एएस-29):

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2024 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान प्रत्यावर्तित /समायोजित	दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष
अस्वीकृत ऋण के लिए बैंक के विरुद्ध दावे के लिए प्रावधानों का संचलन	223.64	6.71	0.12	230.23

26. अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यवसाय अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹	7.51	7.37
ii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय ¹	1.12	1.04
iii) जमा की लागत (%)	5.12	4.88
iv) निवल ब्याज मार्जिन (%) ²	3.41	3.47
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ¹	2.30	2.23
vi) आस्तियों पर प्रतिफल (%) ³	1.32	1.07
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) ⁴ (₹ करोड़ में)	32.42	29.85
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.27	0.20

- 1 वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।
- 2 निवल ब्याज आय / औसत अनर्जक आस्तियां। निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय
- 3 आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।
- 4 प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक जमा को शामिल नहीं किया जाएगा।

बी) बैंक-बीमा व्यवसाय

चालू वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न बैंक-बीमा उत्पादों/म्यूचुअल फंडों की बिक्री/विपणन पर रु. 180.58 करोड़ तक का कमीशन आदि अर्जित किया है (विगत वर्ष रु. 163.21 करोड़)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	आय की प्रकृति	2024-25	2023-24
1	जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए	144.30	127.03
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	31.88	32.17
3	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	4.40	4.01
	कुल	180.58	163.21

सी) विपणन और वितरण

बैंक अन्य संस्थाओं (बैंक-बीमा कारोबार के तहत उत्पादों के अलावा) के किसी भी उत्पाद का विपणन और/या वितरण नहीं करता है। इसलिए, बैंक ने कथित गतिविधियों से कोई शुल्क/पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	पीएसएलसी श्रेणी	क्रय की स्थिति		विक्रय की स्थिति	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	पीएसएलसी कृषि	-	-	10000	2500
2	पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान	-	-	169976	42494
3	पीएसएलसी सामान्य	28000	7000	-	-
4	पीएसएलसी सूक्ष्म	28000	7000	-	-
	कुल	56000	14000	179976	44994

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि लेखा में नाम किया गया प्रावधान	2024-25	2023-24
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	(115.16)	62.89
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	3444.03	3652.87
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	3868.64	2888.20
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		
1. मानक अग्रिम	853.44*	1936.53*
2. पुनर्चित अग्रिम	(66.88)	172.95
3. अन्य	95.84	63.17
कुल	8079.91	8776.61

*वित्त वर्ष 2025 के लिए, बैंक ने मानक आस्तियों पर न्यूनतम नियामक आवश्यकता के अतिरिक्त ₹ 1074.94 करोड़ रुपए (निवल) (पिछले वर्ष ₹ 1871.52 करोड़) (निवल) का वृद्धिशील प्रावधान किया है।

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस)

- भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11.02.2016 के निदेशों के अनुसार, बैंक, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इंड-एस का अनुपालन करेंगे।
- आरबीआई ने बैंकों को 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए इंड-एस के अनुसार 01.04.2016 के रूप में संक्रमण तिथि के साथ प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार करने की सूचना दी और इसे तैयार किया गया और आरबीआई को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड-एस वित्तीय प्रोफार्मा भी आरबीआई को प्रस्तुत किया गया था।
- तत्पश्चात्, आरबीआई ने अवगत कराया कि बैंक 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही के लिए इंड एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। इसका विधिवत पालन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष से 2021-22 के बाद, आरबीआई ने अवगत कराया कि इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक कर दी जाए। उसका अनुपालन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को समय-समय पर इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया है।
- आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अनुसार, बैंकों में इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक को इंड एस वित्तीय प्रोफार्मा प्रस्तुत करना जारी रखा गया है और बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2024-25	2023-24
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	820.06	776.42
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

एच) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 13.09.2024 को 7.24% प्रति वर्ष के वार्षिक कूपन पर 10 वर्ष की अवधि के साथ ₹ 5000 करोड़ के दीर्घावधि अवसंरचना बांड श्रृंखला I और 25.10.2024 को 7.12% प्रति वर्ष के वार्षिक कूपन पर 10 वर्ष की अवधि के साथ ₹ 5000 करोड़ के दीर्घावधि अवसंरचना बांड श्रृंखला II संग्रहित किए गए हैं।

आई) (ए) विविध आय में शामिल मद जो कुल आय के 1% से अधिक है

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24
अशोध्य ऋणों से वसूली	2547.61	1879.43
पीएसएलसी आय	843.19	656.77
प्रसंस्करण प्रभार*	678.87*	746.67

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रसंस्करण प्रभार आय कुल आय के 1% से अधिक नहीं है।

(बी) अनुसूची 5(IV)-अन्य देयताएं और प्रावधान-"अन्य (प्रावधानों सहित)" में शामिल मदें जो कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान*	8883.20	8026.39

टिप्पणी:

i) "अनुसूची 16-परिचालन व्यय" शीर्ष के अंतर्गत "अन्य व्यय" उपशीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

ii) अनुसूची 11(VI)-अन्य संपत्ति-"अन्य" के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

जे) पोर्टफोलियो - हरित जमा से जुटाई गई धनराशि के उपयोग संबंधी पोर्टफोलियो स्तरीय जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्ष	संचयी
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (ए)	9.25	शून्य	9.25
हरित जमा निधि का उपयोग**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	9.25	शून्य	9.25
(2) ऊर्जा दक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
(3) स्वच्छ परिवहन	शून्य	शून्य	शून्य
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	शून्य	शून्य	शून्य
(5) संवनीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन	शून्य	शून्य	शून्य
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	शून्य	शून्य	शून्य
(7) हरित इमारतें	शून्य	शून्य	शून्य
(8) जीवांत प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	शून्य	शून्य	शून्य
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	शून्य	शून्य	शून्य
आबंटित कुल हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का योग)	9.25	शून्य	9.25
आबंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए - बी)	0	शून्य	0
हरित जमा आय के अस्थायी आबंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आबंटन लंबित है	शून्य	शून्य	शून्य

के) लेखा समाधान एवं समायोजन

- कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2025 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक के विभिन्न प्रभावी कदमों के माध्यम से बकाया में कमी आई है।
- यथास्थिति 31.03.2025 को अंतर-शाखा लेखा में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया लेखा असमाधानकृत प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। हालांकि, बैंक अंतर शाखा खाते में ₹ 263.79 करोड़ (वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 263.79 करोड़) की सकल नामे शेष राशि पर 100% प्रावधान बनाए हुए है।
- देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।
- कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

एल) लाभांश

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु ₹ 16.25 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश अर्थात् बैंक के प्रदत्त पूंजी का 162.50% प्रस्तावित

एम) बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा अभिज्ञात एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया देय नहीं है, जो एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान के कोई मामले सामने नहीं आए हैं।

एन) चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ मिलान के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
इंडियन बैंक के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इंडियन बैंक ("बैंक") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें यथास्थिति 31 मार्च, 2025 का तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित एकल वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध टिप्पणियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचना में उस तिथि को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की शामिल विवरणियाँ समाहित है:

- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित कॉर्पोरेट कार्यालय एवं उसके विभाग, ट्रेजरी शाखा और 20 भारतीय शाखाएं;
- संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1972 भारतीय शाखाएं (गिफ्ट सिटी शाखा सहित) और
- संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 3 विदेशी शाखाएं;

हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित भारतीय शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया है। साथ ही, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण में 4443 भारतीय शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं रखी गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 25.53 प्रतिशत अग्रिम, 53.02 प्रतिशत जमा, 18.10 प्रतिशत का ब्याज आय एवं 45.24 प्रतिशत ब्याज व्यय है।

2. हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना बैंक के लिए अपेक्षित रूप में एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है एवं :

ए. तुलनपत्र, को उस पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित समस्त आवश्यक जानकारी को समाहित करते हुए एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र के रूप में भलीभांति बनाया गया है, जो यथास्थिति 31 मार्च, 2025 की बैंक की वास्तविक स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाता है।

बी. लाभ एवं हानि लेखा के साथ पठित उस पर दी गई टिप्पणियाँ लाभ का सही शेष दर्शाता है; और

सी. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाता है।

अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ ही भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की गई एकल वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों और प्रावधानों के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश भी शामिल हैं। हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

4. लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी

राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को किस रूप में दर्शाया गया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 65.38% है, जो एकल वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां स्थापित किया जाना शामिल है। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) तात्विक रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि या तो अलग-अलग या सकल रूप में, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेनदेन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा व्यावसायिक माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह एकल वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है, इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में चिह्नित किया है।	नियंत्रण के परीक्षण ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। वस्तुपरक परीक्षण ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आबंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की : - आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। - चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। - इन पक्षों के बारे में उपलब्ध वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। - आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। - आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। - आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। - एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। - अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।

2.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान - निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। - निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 25.80 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। - पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, निवेश की मात्रा और नियामक फोकस में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है। - तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, - हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। - हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने शामिल हैं। - हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; - हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की जांच की। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; - उक्त भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

अन्य मामले

- (ए) हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1975 शाखाओं (जिनमें 03 विदेशी शाखाएं हैं) के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 तक रु. 3,11,810.30 करोड़ की कुल आस्तियों और उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 20,628.19 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में माना गया है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2025 को 42.07% अग्रिम, 40.99% जमा और 51.71% अनर्जक आस्तियां और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.77% कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के मामले में राशियों और प्रकटीकरणों से सम्बंधित है, हमारी राय केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(बी) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा जांच की गई थी, उनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने दिनांक 06.05.2024 की रिपोर्ट के तहत ऐसे एकल वित्तीय विवरणों पर अपरिशोधित राय व्यक्त की है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों एवं तत्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी करने के समय प्राप्त किया है (किंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं तत्संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट, हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध करवाया जाना प्रत्याशित है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, अध्ययन करते हैं, यदि हम ऐसा मानते हैं कि उक्त में महत्वपूर्ण असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारियों को बताया जाना अपेक्षित है।

एकल वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व :

7. बैंक का निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत निर्धारित मान्यता और लेखा सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जिसमें एकल वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है, जो सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर उपयोग करें, जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने के सिवाय कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा लक्ष्य, वार्षिक एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हो, से पूर्णतः मुक्त, उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है, लेकिन, यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी मिथ्याकथन, यदि हो, की हमेशा ही पहचान कर सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन हो सकते हैं और इन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब यह एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के लेखापरीक्षा के अंश के रूप में अनुसार हम पेशेवर निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, उन जोखिमों की संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करते हैं तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण हुई महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) के अनुसार यथाअपेक्षित रूप में, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोज्य लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखा एवं प्राप्त लेखासाक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस पर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखासाक्ष्यों के आधार पर होते हैं। इसके बावजूद भविष्य की घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करते हैं और इसका भी जायजा लेते हैं कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रदान करती हैं।

एकल वित्तीय विवरणों में तात्विकता का तात्पर्य मिथ्याकथन की अधिकता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे को निर्धारित करने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हमने अभिशासकों को, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रस्तुत करते हैं।

हम अभिशासकों को विवरण प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें एतदसंबंधित एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और जहाँ कहीं प्रयोज्य हों, एहतियात से संबंधित होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अति महत्वपूर्ण थे और वे तदनुसार लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक विधि या विनियमन, मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि, ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से, इस तरह के संदेश से सार्वजनिक हितलाभों को अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

- एकल तुलनपत्र एवं एकल लाभ एवं हानि का लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं। उपरोक्त **5, 7 एवं 8 पैराग्राफों** में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्ष और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्ष, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया;
 - (बी) बैंक के लेनदेन, जोकि हमारे समक्ष आए हैं वह बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं, और
 - (सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
- "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" संबंधी दिनांक दिनांक 17 मार्च 2020 को जारी पत्र सं. डीओएस.एआरजी.संख्या.6270/08.91.001/2019-20 में यथा अपेक्षित और उसके साथ आरबीआई द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी तदसंबंधी निर्देश के साथ पठित, हम उपरोक्त

पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों के अपेक्षानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:

- (ए) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- (बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई प्रेक्षण या टिप्पणियां नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (सी) बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, अतएव कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।
- (डी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबंध, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (ई) एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट यथास्थिति 31 मार्च 2025 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि,

- (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा यथाअपेक्षित लेखे की समुचित बहियां बैंक द्वारा अनुरक्षित की गई हैं जहां तक यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित एकल तुलनपत्र, एकल लाभ एवं हानि लेखे और एकल नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ, जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
- (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखापरीक्षित किए हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है; और
- (डी) हमारी राय में तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 112318W

कृते एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 001526C

कृते जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. नं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTF8234

मुकेश कुमार खण्डेलवाल
पार्टनर
(एम. नं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJR8226

राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. नं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUK7042

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. नं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEJ7885

अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. नं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRT1772

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि: 03.05.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से सम्बद्ध अनुबंध 'ए'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट (यथा संशोधित) ("आरबीआई द्वारा सूचित")

अभिमत

हमने, 31 मार्च, 2025 तक इंडियन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संलग्न है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष मामलों में बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण यथास्थिति 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिन्हें आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर बैंक द्वारा स्थापित किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित बैंक की नीतियों के अनुपालन में अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू "आईसीएआई" द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना और जोखिम का आकलन करना है कि क्या इसमें तात्त्विक कमियां हैं, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें मानक वित्तीय विवरणों के तात्त्विक मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए 'अन्य

मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो समुचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना है, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित ढंग से अधिरोहण, त्रुटि या धोखाधड़ी सहित तात्त्विक मिथ्याकथन शामिल हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जो 1972 भारतीय शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन की प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई परिशोधन नहीं किया गया है।

कृते कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 112318W

कृते एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 001526C

कृते जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. नं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTF8234

मुकेश कुमार खण्डेलवाल
पार्टनर
(एम. नं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJR8226

राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. नं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUK7042

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. नं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEJ7885

अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. नं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRT1772

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि: 03.05.2025

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



आपका सोना, आपकी खुशहाली तुरंत और डिजिटल इंड डीजी केसीसी गोल्ड पल्स



जानकारी के लिए स्कैन करें

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



कृषि क्षेत्र के सच्चे नायकों के लिए डिजिटल सहयोग इंड डिजी ट्रेक्टर



जानकारी के लिए स्कैन करें



समेकित तुलन पत्र लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां

यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को समेकित तुलन पत्र

(रु. करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2025 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 तक (लेखापरीक्षित)
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	1346.96	1346.96
आरक्षितियां और अधिशेष	2	70165.95	58901.24
अल्पांश पूंजी	2A	32.23	29.31
जमा राशि	3	737098.32	687953.07
उधार	4	41552.30	23142.88
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	26842.84	24335.36
कुल		877038.60	795708.82
आस्तिyaं			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	31947.65	32702.76
बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	23013.75	9474.15
निवेश	8	228420.86	215241.82
अग्रिम	9	571071.18	514889.07
अचल आस्तिyaं	10	8857.33	7539.90
अन्य आस्तिyaं	11	13727.83	15861.12
कुल		877038.60	795708.82
आकस्मिक देयताएं	12	280758.37	334331.17
संग्रहण के लिए बिल		14159.47	15934.58

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं 112318W

कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं 001526C

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं 000376S/S200073

सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. सं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTG2186

मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(एम. सं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJS2607

राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. सं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUL6111

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं 000112N

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं 003917N

नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. सं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEK3646

अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. सं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRU7546

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 03.05.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(रु. करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I आय			
अर्जित ब्याज	13	62039.43	55649.73
अन्य आय	14	10011.45	8581.95
कुल		72050.88	64231.68
II व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	36826.25	32340.76
परिचालनगत व्यय	16	16123.15	14952.80
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		8106.61	8808.97
कुल		61056.01	56102.53
III समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		10994.87	8129.15
सहयोगी संस्थाओं में आय का अंश		269.52	293.37
अल्पांश पूँजी की कटौती से पूर्व अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		11264.39	8422.52
घटाएं: अल्पांश पूँजी		2.92	3.11
समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		11261.47	8419.41
अग्रानित लाभ/(हानि)		1918.42	1365.84
कुल		13179.89	9785.25
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित निधियां		2729.58	2015.74
पूँजी आरक्षित निधियां		0.72	0.00
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		467.34	362.22
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां		199.21	328.11
राजस्व आरक्षित निधियां		5250.00	3250.00
स्टाफ कल्याण निधि		60.00	40.00
निवेश आरक्षित निधियां		0.00	254.40
इक्विटी लाभांश		2188.82	1616.36
समेकित तुलन पत्र में अग्रेषित शेष		2284.22	1918.42
कुल विनियोजन		13179.89	9785.25
प्रति शेयर अर्जन, रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		83.61	66.03

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं 112318W

कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं 001526C

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं 000376S/S200073

सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. सं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTG2186

मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(एम. सं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKJ2607

राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. सं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUL6111

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं 000112N
नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. सं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEK3646

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं 003917N
अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. सं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRU7546

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 03.05.2025

अनुसूची 1 - पूँजी

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
(i) प्राधिकृत पूँजी रु. 10/- प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
(ii) जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी ए. केंद्र सरकार द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर शामिल हैं) बी. जनता द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	994.55 352.41	994.55 352.41
कुल	1346.96	1346.96

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां व अधिशेष

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. सांविधिक आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	12972.13	10956.39
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	2729.58	2015.74
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल	15701.71	12972.13
II. आरक्षित पूँजी		
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	5975.19	6106.90
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	1510.28	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	284.69	131.71
कुल (ए)	7200.78	5975.19
बी) अन्य		
ए) अथशेष	1111.16	1111.02
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.72	0.14
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.28	0.00
कुल (बी)	1111.60	1111.16
कुल II (ए+बी)	8312.38	7086.35
III शेयर प्रीमियम		
ए) अथशेष	6290.02	2391.55
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	3898.47
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल III	6290.02	6290.02
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां		

ए) राजस्व आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	21398.09	18072.38
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	5250.00	3250.00
सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां से अंतरित	284.69	106.29
डी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	213.63	30.58
कुल (ए)	26719.15	21398.09
बी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	2843.65	2481.43
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	467.34	362.22
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	3310.99	2843.65
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	58.20	58.20
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (सी)	58.20	58.20
डी) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	1360.01	1031.90
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	639.99	328.11
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (डी)	2000.00	1360.01
ई) निवेश आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	440.78	186.38
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	254.40
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	440.78	0.00
कुल (ई)	0.00	440.78
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	524.77	490.57
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	58.49	34.20
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (एफ)	583.26	524.77
जी) आईआरएस आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	1.91	1.91
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (जी)	1.91	1.91
कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	32673.51	26627.41
V. समामेलन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	4006.91	4006.91
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल V	4006.91	4006.91

VI एएफएस आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	0.00	0.00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	897.20	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल VI	897.20	0.00
VII लाभ एवं हानि लेखा		
अथशेष	1918.42	1365.84
अवधि के दौरान परिवर्धन	11261.47	8419.41
अवधि के दौरान कटौतियाँ	10895.67	7866.83
कुल VII	2284.22	1918.42
कुल (I+II+III+IV+V+VI+VII)	70165.95	58901.24

अनुसूची 2 ए - अल्पांश पूँजी

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
मूल उद्यम - अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तिथि को अल्पांश पूँजी	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / कमी	28.96	26.04
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश पूँजी	32.23	29.31

अनुसूची 3 - जमाराशियां

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
(ए) I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	179.18	138.47
ii. अन्य से	39442.50	38853.11
कुल	39621.68	38991.58
II. बचत बैंक जमाराशियां	243223.14	241494.02
III. सावधि जमाराशियां		
i. बैंकों से	25875.83	19947.53
ii. अन्य से	428377.67	387519.94
कुल	454253.50	407467.47
कुल (I+II+III)	737098.32	687953.07
(बी) I. भारत में शाखाओं की जमाराशियां	702910.44	661778.93
II. भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	34187.88	26174.14
कुल बी (I+II)	737098.32	687953.07

कुल जमाराशियों में से, जिन जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार अंकित है, उनकी राशि 48567.03 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष - 37564.25 करोड़ रुपये)

अनुसूची 4 - उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	8178.00	0.00
(ii) अन्य बैंक	0.85	0.61
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियों	31870.61	20447.87
कुल	40049.46	20448.48
II. भारत के बाहर उधार**	1502.84	2694.40
कुल (I + II)	41552.30	23142.88
उपर्युक्त शामिल प्रतिभूत उधार	23045.00	12272.38

*एटी-1 पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु. 2000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2000 करोड़) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 4000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 6000 करोड़) को शामिल करते हुए।

** नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. देय बिल	1995.02	1663.84
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	0.00
III. उपचित ब्याज	1776.63	1845.99
IV. अन्य (प्रावधान सहित)*	23071.19	20825.53
कुल (I+II+III+IV)	26842.84	24335.36

*रु. 8883.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु.8026.39 करोड़) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी व शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1312.61	1304.15
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष -	30635.04	31398.61
(i) चालू खातों में	24768.04	31134.61
(ii) अन्य खातों में	5867.00	264.00
कुल (I+II)	31947.65	32702.76

अनुसूची 7 - बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	139.29	25.64
(बी) अन्य जमा खातों में	1336.69	1619.95
कुल (i)	1475.98	1645.59
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों के साथ)	0.00	1997.06
कुल (ii)	0.00	1997.06
कुल I (i+ii)	1475.98	3642.65
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	1638.14	743.35
(ii) अन्य जमा खातों में	19895.37	5084.58
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	4.26	3.57
कुल II (i+ii+iii)	21537.77	5831.50
कुल योग (I+II)	23013.75	9474.15

अनुसूची 8 - निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	226521.68	217376.28
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	600.20	4203.55
निवल निवेश	225921.48	213172.73
i. सरकारी प्रतिभूतियां	197083.95	180909.67
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	64.31	52.84
iii. शेयर	1366.09	836.60
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	16572.54	16252.67
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	1817.78	1548.27
vi. अन्य जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	9016.81	13572.68
कुल	225921.48	213172.73
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2635.17	2209.48
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	135.79	140.39
निवल निवेश	2499.38	2069.09

i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2498.67	2068.87
ii. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00
iii. अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है)		
ए) शेयर	0.71	0.22
बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
कुल	2499.38	2069.09
कुल योग (I+II)	228420.86	215241.82

अनुसूची-9 अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
ए. (i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल	4243.20	5886.14
(ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	294077.39	252022.14
(iii) मीयादी ऋण	272750.59	256980.79
कुल (ए)	571071.18	514889.07
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	436378.06	425795.50
(ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	64082.89	41042.06
(iii) अप्रतिभूत	70610.23	48051.51
कुल (बी)	571071.18	514889.07
सी. I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र#	220040.52	199112.44
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	74627.61	71191.36
(iii) बैंक	0.00	0.00
(iv) अन्य	234695.70	209056.19
कुल (सी. I)	529363.83	479359.99
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय	27439.64	22002.07
(ii) अन्य से देय		
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2203.84	2150.02
(ख) समूहन ऋण	7312.80	6617.88
(ग) अन्य	4751.07	4759.11
कुल (सी. II)	41707.35	35529.08
कुल योग (सी. I+ सी. II)	571071.18	514889.07

#आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	7462.97	7470.69
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	1332.08	0.06
उप कुल	8795.05	7470.75
अवधि के दौरान कटौती	183.61	7.77
उप कुल	8611.44	7462.98
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास	1664.53	1584.21
कुल	6946.91	5878.77
II. पट्टाकृत आस्तियाँ		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	523.44	549.38
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	181.14	0.04
उप योग	704.58	549.42
अवधि के दौरान कटौती	0.35	25.98
उप योग	704.23	523.44
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास	123.87	95.14
कुल योग	580.36	428.30
III. निर्माणाधीन भवन	28.11	14.98
IV. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर / फ़िक्सचर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	5670.93	5120.49
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	523.20	619.50
उप योग	6194.13	5739.99
अवधि के दौरान कटौती	64.52	69.06
उप योग	6129.61	5670.93
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास	4830.61	4455.36
कुल योग	1299.00	1215.57
V. पूंजी निर्माणाधीन कार्य	2.95	2.28
कुल: (I+II+III+IV+V)	8857.33	7539.90

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	128.04	239.94
II. उपचित ब्याज	4761.83	4286.15
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	0.00	2937.49
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप	6.74	12.68
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	51.38	51.38
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	5101.44	4933.62
VII. अन्य*	3678.40	3399.86
कुल	13727.83	15861.12
* जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/ एनएचबी जमा राशियां शामिल हैं।	389.24	582.10

अनुसूची 12 - समाश्रित देयताएँ

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2025	यथास्थिति 31.03.2024
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2221.58	2177.15
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	264.12	281.95
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व*	229350.45	279768.99
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां*		
क. भारत में	26618.50	29491.56
ख. भारत के बाहर	194.57	198.57
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	7365.86	9081.76
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	14743.29	13331.19
कुल	280758.37	334331.17

*समाश्रित देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / मितीकाटा	44856.39	40618.85
II. निवेशों पर आय	15347.78	13434.82
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में जमाशेष पर ब्याज	1589.50	1388.15
IV. अन्य	245.76	207.91
कुल	62039.43	55649.73

अनुसूची 14 - अन्य आय

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1735.73	1638.08
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1064.80	1018.84
घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि	144.26	148.23
निवल	920.54	870.61
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	138.85	446.58
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	5.91	0.00
निवल	132.94	446.58
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों* के विक्रय पर लाभ	2.96	2.82
घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों* की बिक्री पर हानि	1.26	4.73
निवल	1.70	-1.91
IV. विनिमय संव्यवहारों संबंधी लाभ (निवल)	369.05	451.51
V. पट्टा-वित्त / किराया खरीद से आय	0.00	0.00
VI. विविध आय	6851.49	5177.08
कुल	10011.45	8581.95

*सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित राशि

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. राशियों पर ब्याज	34698.86	30491.12
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	361.72	330.78
III. अन्य	1765.67	1518.86
कुल	36826.25	32340.76

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	9974.61	9319.90
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	679.05	640.02
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	98.70	89.16
IV. विज्ञापन और प्रचार	46.78	31.99
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	542.94	531.14
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	2.47	2.16
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	49.33	49.06
VIII. विधि प्रभार	38.60	21.68
IX. डाक, तार और टेलीफोन	131.64	110.60
X. मरम्मत और रखरखाव	274.02	252.83
XI. बीमा	930.96	874.01
XII. अन्य व्यय	3354.05	3030.25
कुल	16123.15	14952.80

अनुसूची -17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (समेकित)

1. लेखांकन प्रथा

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा गया हो, परंपरागत लागत परिपाटी पर कार्यशील संस्था अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शी नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं से संबंधित लेखांकन संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को यथास्थिति वित्तीय विवरणियों की तिथि को रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुए आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

3. समेकन प्रक्रिया

ए. बैंक (मूल संस्था और उसकी अनुषंगी कंपनियों एवं उसके संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगी कंपनियों, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, (3) इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड एवं इसके संयुक्त उद्यम अर्थात् (1) यूनिवर्सल सोम्पो जेनेरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2) एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड, के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार, अंतर समूह लेनदेनों को एवं अप्राप्त लाभ / हानियों को त्यागने के उपरांत यथावश्यक समायोजन, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, करके तैयार किया गया है। मूल संस्था की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण भी तैयार किए गए हैं।

बी. अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तिथि को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी आरक्षित निधि/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की आस्ति में अल्पांश हित से लाभ एवं निवल आस्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसिएट्स में निवेश का लेखांकन, एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-23 (एएस-23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1. भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2. भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन विगत कार्यदिवस की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली दर समापन दर होती है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को हर सप्ताहांत एफईडीआई द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक माह/ तिमाही/वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित समापन दरों/पुनर्मूल्यांकन दरों पर अंतरित किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताओं और गारंटियों को माह/तिमाही/वर्षांत पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर अंतरित किया जाता है।

ई) तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतर को, उस अवधि में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में यह अंतर पाया जाता है।

एफ) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का प्रकटीकरण संविदागत दरों पर किया जाता है तथा एफईडीएआई की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यन किया जाता है एवं उसके परिणामी प्रभाव को लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात किया जाता है।

4.3 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया जाता है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

ए) समाश्रित देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन एफईडीएआई द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

बी) आय एवं व्यय का परिवर्तन एफईडीएआई द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

सी) निवल निवेशों के निपटान तक होने वाले सभी विनिमय अंतर को "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक लेखे में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

मूल संस्था

5.1. निवेशों का वर्गीकरण

बैंक संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को छोड़ कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात्, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)।

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) को एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी के तहत रखा जाएगा। निवेश की श्रेणी बैंक द्वारा अधिग्रहण से पहले या उसके समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा। अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग ऐसे निवेशों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। सभी निवेशों को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- लाभ और हानि माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
 - ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)
- अनुषंगी, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम (एसएजेवी)

बैंक, बीआर अधिनियम की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) में यथानिर्धारित अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगा:

- सरकारी प्रतिभूतियाँ
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- शेयर
- डिबेंचर और बॉन्ड
- अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा

- प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है, अर्थात् वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के उद्देश्य से धारित किया जाता है; और
- प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं, जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') हैं।

(बी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि

वह अंश, जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

- वर्गीकरण के लिए निर्धारित किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय साधनों के अंतर्निहित पूल को दृष्टिगत रखे बिना) नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।
- वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।
- अंश का ऋण जोखिम संयुक्त अंतर्निहित आस्तियों के पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।

बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस):

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा

- प्रतिभूति को एक ऐसे उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों के बिक्रय, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 में दिए गए 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव कर सकता है, जिसे ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है।

(बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां शामिल होंगी, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

(सी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस आशय के साथ अधिग्रहित किया गया है, उसके निरपेक्ष वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे:

- अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या समाश्रित रूप से संपरिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत।
- संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले लिखत जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमन के तहत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लिखत।

iii. ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के नहीं हैं।

iv. अधिमानी शेयर और इक्विटी शेयर

एफवीटीपीएल

(ए) प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (ए) अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयर, जहाँ प्रारंभिक मान्यता पर एएफएस में वर्गीकृत करने के अप्रतिसंहरणीय विकल्प का प्रयोग किया गया है, के अलावा इक्विटी शेयर।
- म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।
- प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेश की एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।
- बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहाँ भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक के उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ है।

एचएफटी

बैंक, एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाएगा। बैंक को एचएफटी के तहत निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। विवरण अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं।

अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एसोसिएट्स, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग, ऐसे निवेशों के लिए एक अलग विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

5.2 प्रारंभिक मान्यता

5.2.1 सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के साथ उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप

से भिन्न है, यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ अनुमान का परीक्षण किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- (ए) जब लेनदेन संबंधित पक्षों के बीच हो।
- (बी) जब लेनदेन दबाव में हो रहा हो, जहाँ एक पक्ष को लेनदेन में मूल्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- (सी) लेनदेन उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।
- (डी) अन्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान के परीक्षण की मांग करती हैं।

5.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से अधिग्रहित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।

5.2.3 जहाँ प्रतिभूतियाँ उद्धृत की जाती हैं या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रैड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी 1 दिन की लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

5.2.4 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दिन 1 की हानि को तुरंत मान्यता दी जाएगी।

5.2.5 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी 1 दिन के लाभ को आस्थगित कर दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, दिन 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

5.3 परिवर्ती मापन

5.3.1 एचटीएम

(ए) एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया जाएगा (एमटीएम)। हालांकि, वे आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के

निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

(बी) एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर किसी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।

(डी) केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ ऊपर बताए अनुसार संशोधित वहन मूल्य की गणना करना व्यावहारिक नहीं है, 31 मार्च, 2024 तक प्रतिभूतियों का उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है।

5.3.2 एएफएस

(ए) एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन, यदि निरंतर नहीं किया जाता तो, कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा।

(बी) परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) एएफएस के तहत रखे गए सभी लाभार्जक निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर इत्यादि) के मूल्यांकन लाभ और हानि का सकाल योग किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस-रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या नामे किया जाएगा।

(डी) एएफएस के तहत प्रतिभूतियाँ आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

(ई) एएफएस-रिजर्व को इन निर्देशों के खंड 28 के अधीन कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एएफएस-रिजर्व में अंतरित अप्राप्त लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

(एफ) एफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस-रिजर्व से अंतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ मद II के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

(जी) प्रारंभिक मान्यता के समय एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। इसकी बजाय, ऐसा लाभ या हानि एफएस-आरक्षित निधि से पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित किया जाएगा।

5.3.3 एफवीटीपीएल

(ए) एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, यदि निरंतर नहीं किया जाता है।

(बी) बैंक सभी एचएफटी लिखतों का दैनिक उचित मूल्यांकन करेगा और लाभ और हानि खाते में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को मान्यता देगा।

(सी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखतों के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 'अर्जित ब्याज' के मद II: 'निवेश पर आय' अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(डी) एफवीटीपीएल के तहत प्रतिभूतियां आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

5.3.4 अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

(ए) अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (यानी, ऋण और इक्विटी सहित) आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार आवश्यकताओं के अधीन अधिग्रहण लागत पर

धारित किए जाएंगे।

(बी) अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: अर्जित ब्याज के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) ऐसे मामले में, जहां पहले से ही किसी इकाई में निवेश है जो अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं है, और बाद में निवेशित इकाई एक अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- I. जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा जाता है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- II. जहां निवेश एफएस के तहत रखा जाता है, वहां एफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ-साथ संशोधित वहन मूल्य की गणना के लिए निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा।
- III. जहां निवेश एफवीटीपीएल में रखा जाता है, वहां निवेशक के अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(डी) जब कोई निवेशक अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

- I. जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी भी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
- II. जहां निवेश को एफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में एफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

(ई) किसी अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी प्राप्ति/लाभ को पहले लाभ और हानि लेखे में मान्यता

दी जाएगी और फिर इसे लाभ और हानि लेखे के नीचे 'पूंजी आरक्षित निधि लेखे' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार, विनियोजित राशि करों को घटाकर होगी और सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की जाएगी।

(एफ) बैंक, यदि निरंतर नहीं, तो कम से कम तिमाही आधार पर अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश में मूल्यहास का मूल्यांकन करेगा। संभावित हानि के संकेतकों की एक अपरिपूर्ण सूची निम्नानुसार है:

- I. इकाई ने अपने ऋण दायित्वों की चुकौती में चूक की है।
- II. किसी बैंक के साथ इकाई की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- III. इकाई की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- IV. इकाई ने लगातार तीन वर्षों तक घाटा उठाया है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- V. छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए उल्लेखनीय शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी। बैंक, अपने बोर्ड की मंजूरी से, और भी अधिक रूढ़िवादी सीमा लागू कर सकते हैं।
- VI. इकाई की कोई या सभी बकाया प्रतिभूतियाँ असूचीबद्ध हो गई हैं, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्धता अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने के खतरे में हैं।
- VII. किसी नई इकाई/परियोजना के मामले में जहाँ ब्रेक-ईवन पॉइंट को प्राप्त करने की मूल रूप से पूर्वानुमानित तिथि बढ़ा दी गई है, अर्थात्, इकाई/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित निर्माण-पूर्व-अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है।

(जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या किसी अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान

करेगा। इस तरह की कमी को लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। यदि इस हास को प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो इसे बाद में लाभ और हानि लेखा के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

5.4 श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

- (ए) बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेशों को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।
- (बी) पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- (सी) जब कोई बैंक एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन उपचार नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार होगा। बैंक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण प्रकट करेगा।

क्रम सं.	से	तक	लेखांकन माप
ए	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में अभिज्ञात किया जाएगा।

बी	एचटीएम	एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और विगत वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभियात किया जाएगा।
सी	एएफएस	एचटीएम	निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ/हानि को वहाँ से निकाल लिया जाएगा
			और पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के सापेक्ष समायोजित करके संशोधित वहन मूल्य का परिकलन किया जाएगा। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वैसा ही होगा जैसे कि बैंक ने निवेश को एचटीएम में आरंभ से ही वर्गीकृत किया हो।

डी	एएफएस	एफवीटीपीएल	निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से अभिज्ञात संचयी लाभ या हानि को उसमें से निकाल लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद III: 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।
ई	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रेनीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।
एफ	एफवीटीपीएल	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रेनीत

5.5 एचटीएम से निवेशों की बिक्री

- (ए) एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम से बिक्री का विवरण आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्दिष्ट प्ररूप में वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
- (बी) किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से परे किसी भी बिक्री के लिए डीओएस, आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (सी) नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में निर्धारित पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखी जाएगी।
- I. आरबीआई के तरलता प्रबंधन संचालन जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) और सरकारी

प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत आरबीआई को बिक्री।

- II. भारत सरकार द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
- III. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
- IV. जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनःखरीद, बायबैक या कॉल ऑप्शन का प्रयोग।
- V. क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।
- VI. वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के तहत समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।
- VII. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

(डी) एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि, अनुसूची 14 के मद II 'अन्य आय' के तहत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात की जाएगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि लेखा से नीचे 'पूंजी आरक्षित निधि खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करों से मुक्त होगी तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि होगी।

(ई) किसी अनुषंगी कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा तथा फिर उसे लाभ और हानि खाते से नीचे 'पूंजी आरक्षित निधि लेखा' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करों से मुक्त होगी तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाएगी।

5.6 निवेशों का उचित मूल्य

इन निर्देशों के अनुसार निवेशों की प्रारंभिक मान्यता और आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से उचित मूल्य इस अध्याय में यथानिर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

5.6.1 उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत भाववाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा 31 मार्च,

2018 को आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी-डीआईआरडी-7/14.03.025/2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोटेशन से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

5.6.2 अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

- (ए) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
- (बी) अनउद्धृत केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।
- (सी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर मार्क-अप करके वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाएगा।

5.6.3 अनउद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ

I. अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड

ए) अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों बॉण्ड के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप लागू करके किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

- i. लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर/बॉण्ड को दी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:
 - रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर मार्क-अप होगा।
 - बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप, समान परिपक्वता वाले रेटेड डिबेंचर या बॉण्ड पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से प्रदर्शित करें।

- जहां डिबेंचर/बॉण्ड उद्धृत किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले लेन-देन हुए हैं, वहां अपनाया गया मूल्य उस दर से अधिक नहीं होगा जिस पर आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन दर्ज किया गया है।

बी) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (यूडीएवाई) बॉन्ड और वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड।

- यूडीएवाई बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाएगा।
- डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं डिस्कॉम के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।
- डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्डों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड (अर्थात् जब बांड की देयताएं राज्य सरकार के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

सी) विशेष प्रतिभूतियां, जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, और जिनकी एसएलआर प्राप्ति नहीं है, उनका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर

संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंकों के अंतर पर किया जाएगा।

डी) जीरो कूपन बॉण्ड (ज़ेडसीबी): बाजार मूल्य के अभाव में, ज़ेडसीबी को इसके वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जानी चाहिए।

II. अधिमानी शेयर

ए) जब अधिमानी शेयर का मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले एक्सचेंज पर क्रय-विक्रय किया गया हो, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का क्रय-विक्रय किया गया था।

बी) गैर-उद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ वाईटीएम आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक न हो। मार्क-अप को रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमानी शेयरों को दी गई रेटिंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अधीन होगा:

- मार्क-अप नकारात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात्, वाईटीएम दर समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार भारत प्रतिभूति के लिए कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी।
- बिना रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों के लिए वाईटीएम हेतु उपयोग की जाने वाली दर, समतुल्य परिपक्वता के रेटेड अधिमानी शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी और बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी।
- जहां अधिमानी शेयरों में निवेश किसी समाधान के हिस्से के रूप में किया जाता है, वहां मार्क-अप 1.5 प्रतिशत अंकों से कम नहीं होना चाहिए।

सी) जहां अधिमानी लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां उपचित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और वाईटीएम आधार पर ऊपर बताए अनुसार निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, तो 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों के लिए है, तो इसी

तरह आगे (यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि मूल्यांकन को जोखिम को दर्शाने के लिए उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी आकलन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। अनर्जक शेयरों के संबंध में प्राप्त मूल्यहास/प्रावधान आवश्यकता, जहां लाभांश बकाया हैं, को अन्य निष्पादित अधिमानी शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डी) परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में अधिमानी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन उत्पादन शुरू होने के दो वर्ष बाद या अभिदान के पांच वर्ष बाद, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए सममूल्य पर किया जाएगा।

III. इक्विटी शेयर

इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं, अर्थात्, जिन्हें अंतरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इन निर्देशों के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य ब्रेक-अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) होगा, जिसे कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से पता लगाया जाना है। जिस तिथि को नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तिथि से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी ₹ 1 पर किया जाएगा।

IV. म्यूचुअल फंड यूनिट

ए) अन-कोटेड एमएफ यूनिट्स में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

बी) लॉक-इन अवधि वाले फंड या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि के अंत तक लागत पर किया जाएगा।

V. वाणिज्यिक पत्र: वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

VI. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश एआरसी द्वारा जारी एसआर और अन्य लिखतों में निवेश के संबंध में, बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

VII. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश

ए) बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयर, बॉन्ड, एआईएफ की इकाइयों का मूल्यांकन उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए इन निर्देशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाएगा।

बी) एआईएफ के अनकोटेड उपकरणों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :

i. इकाइयाँ: मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाएगा। जहां एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 द्वारा अनिवार्य आवृत्ति के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेशों का नवीनतम प्रकटित मूल्यांकन, इसके मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।

ii. अन्य लिखत: एआईएफ द्वारा जारी अनकोटेड इक्विटी और अन्य लिखतों का मूल्यांकन, ऐसे लिखतों के लिए ऊपर निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार होगा।

iii. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24/140, दिनांक 27.03.2024 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.85/21.04.048/2023-24 के प्रावधान केवल एआईएफ योजना में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश की सीमा तक आवश्यक होगा जिसे एआईएफ

द्वारा देनदार कंपनी में आगे निवेश किया जाता है, न कि एआईएफ योजना में आरई के संपूर्ण निवेश पर।

VIII. मूलधन और अदत्त ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना मूलधन और अवैतनिक ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के मामले में बैंक समय-समय पर संशोधित परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के माध्यम से जारी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा की आवश्यकताओं का पालन करेगा।

IX. उचित मूल्य मापन और संबंधित प्रकटीकरण में स्थिरता और तुलनीयता बढ़ाने के लिए, बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि ऊपर खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। निवेश पोर्टफोलियो का विवरण उनके वित्तीय विवरणों के खातों में उनके टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा। ये प्रकटीकरण आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्रभावी होंगी।

X. बैंक अपने तुलनपत्र पर स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखे या एएफएस-आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त स्तर 3 निवेशों पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम जोखिम भारित होना आवश्यक है।

5.7 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

5.7.1 आय निर्धारण

ए) बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपचय आधार पर आय निर्धारण करेगा:

- सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्ड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं है।

- कॉर्पोरेट निकायों के शेयर बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वामित्व का अधिकार स्थापित हो।

बी) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

सी) उप-खंड (ए) के अधीन, एएफएस के तहत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को लाभ और हानि लेखा में मान्यता दी जाएगी।

5.7.2 खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन: बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेगा तथा प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में इसे लाभ एवं हानि लेखा के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में मानेगा।

5.7.3 अनर्जक निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का उपयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा। इसी तरह, किसी एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाएगा जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

- बॉण्ड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहाँ ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है।

- उप-खंड (ए) (i) उन वरीयता शेयरों पर लागू होगा, जहाँ निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी वर्ष में अधिमानी शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया/अदत्त माना जाएगा और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता की तुलनपत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए देय तिथि के रूप में माना जाएगा। इस तरह के निवेश को गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में बकाया और चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान पर बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

- iii. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण प्रति कंपनी ₹1 है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गिना जाएगा।
 - iv. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीआई है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा। हालांकि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई और इसके विपरीत: के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक ऋण सुविधा को एनपीआई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
 - v. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड आदि में परिवर्तित करने के मामले में, ऐसे उपकरणों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा। रूपांतरण के बाद, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाएगा।
- बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को कम करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेगा। आय की पहचान केवल उसी की प्राप्ति पर की जाएगी। इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम वृद्धि को अनदेखा कर दिया जाएगा।

डी) चाहे जिस भी श्रेणी (यानी, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल(एचएफटी सहित)) में निवेश रखा गया हो, हानि के प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि लेखे में निर्धारित किया जाएगा। एनपीआई पर किया जाने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर होगा:

- i. एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशियां और
- ii. एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर उसके वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यहास।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ऊपर विनिर्दिष्ट एनपीआई के लिए प्रावधान के अलावा मूल्यहास के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं होगा।

बशर्ते कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, आवश्यक प्रावधान ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एएफएस-निधि में प्रभारित करके बनाया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके सापेक्ष एएफएस-आरक्षित निधि में संचयी घाटा है, संचयी घाटे को एएफएस-आरक्षित निधि से लाभ और हानि लेखे में अंतरित की जाएगी।

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश।

- i. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- ii. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के कहने पर गारंटी को अस्वीकार नहीं कर दिया गया। एएफएस और एफवीटीपीएल में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एएफएस-आरक्षित निधि और लाभ में एमटीएम लाभ/हानि को निर्धारण किया जाना जारी रखेगा। तथापि, किसी भी आय को

केवल प्राप्ति के आधार पर ही मान्यता दी जाएगी।

- iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करेगा, जब ब्याज/मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो।

5.7.4 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

- ए) बैंक, आईएफआर में निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि अंतरित करके नियमित आधार पर तब तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाएंगे, जब तक आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए :
 - i. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
 - ii. वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।
- बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि को टियर II पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं है।
- सी) बैंक को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि लेखा में बताए गए लाभ/हानि के शेष में क्रेडिट के लिए अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि आहरण की अनुमति होगी।
- डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरण की अनुमति होगी:
 - i. आहरित राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्बंध आरक्षित निधियों में विनियोजन या हानि के शेष को कम करने के लिए किया जाता है।
 - ii. आहरित राशि उक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधानों/घाटों की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक है।

5.7.5 व्युत्पन्नी

- ए) बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी व्युत्पन्नी संविदा के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। बैंक अपनी व्युत्पन्नी आस्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के तहत अलग-अलग लाइन मद के रूप में प्रस्तुत करेगा। बैंक हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकता है।
- बी) बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और अपने वित्तीय विवरणों के लेखों में टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया जाएगा।
- सी) बैंक अपने तुलनपत्र में स्तर 3 व्युत्पन्नी आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखों में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त लेवल 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

5.7.6 संक्रमण और निरसन प्रावधान

- ए) इन निर्देशों में संक्रमण के समय (यानी, 1 अप्रैल, 2024 को), बैंक आरबीआई के अनुदेशों में निर्धारित निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को अपने निवेश पोर्टफोलियो को फिर से वर्गीकृत करेगा। 31 मार्च, 2024 तक मूल्यहास के लिए प्रावधान में शेष राशि को राजस्व/सामान्य रिजर्व में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षित निधि लेखा (आईआरए) में शेष राशि, यदि कोई हो, तो बैंक आईएफआर की न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने पर राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित कर दी जाएगी। यदि बैंक न्यूनतम आईएफआर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो आईआरए में शेष राशि आईएफआर में अंतरित कर दी जाएगी। पिछले ढांचे से संशोधित ढांचे में संक्रमण के लिए विशिष्ट निरूपण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

पूर्ववर्ती फ्रेमवर्क	संशोधित फ्रेमवर्क	1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभिक लेखांकन विनियोजन
एचटीएम	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचटीएम	एएफएस	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
एचटीएम	एफवीटी पीएल	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एएफएस	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी।
		संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

एएफएस	एएफएस	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस- आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एएफएस	एफवीटी पीएल	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचएफटी	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचएफटी	एएफएस	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस- आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

एचएफटी	एफवीटी पीएल	31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

- बी) बैंक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में अपने टिप्पणियों में किए गए संक्रमणकालीन समायोजन का समुचित प्रकटीकरण करेंगे।
- सी) इन निर्देशों के कार्यान्वयन के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021 को निरस्त हो जाएंगे।
- डी) सभी निरस्त परिपत्र इन निर्देशों के प्रभावी होने से पहले लागू माने जाएंगे।
- ई) आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश) 2023 के अनुसार, परिपत्र में संशोधन, आरबीआई ने सलाह दी कि संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस- आरक्षित निधि के बजाय राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

अनुषंगी कंपनियां:

इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड:

कंपनी द्वारा धारित सभी निवेश दीर्घावधि निवेश हैं। दीर्घावधि निवेश, अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अतिरिक्त, लागत में कमी के प्रावधान के साथ किए गए हैं। कंपनी ने उद्भूत भाव वाले शेयरों के बाजार मूल्य और गैर-उद्भूत भाव वाले शेयरों के संबंध में बही मूल्य/उचित मूल्य, जो भी अधिक हो, की गणना कर शेयरों/डिबेंचर के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति का माना है।

इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घावधि निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप से, उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है।

इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

निवेश को वर्तमान और दीर्घावधि निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हो और जिन्हें अधिग्रहण की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक रखने का इरादा न हो, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, दीर्घावधि निवेश का वह हिस्सा जो तुलन पत्र की तारीख से बारह माह के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, उसे भी अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के अनुरूप 'दीर्घावधि निवेश के वर्तमान अंश' के तहत 'वर्तमान निवेश' के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। निवेश की लागत में ब्रोकरेज, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण शुल्क शामिल होते हैं।

चालू निवेश, लागत या उचित मूल्य में से निम्नतर पर वर्णित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के निवेश के संबंध में लागत और उचित मूल्य की तुलना अलग-अलग की जाती है। दीर्घावधि निवेश को लागत में कमी के लिए प्रावधान स्वरूप लगाया गया है। दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है, जब प्रबंधन की राय में ऐसी गिरावट अस्थायी न हो। इस प्रकार के ह्रास प्रावधान को तब प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में वृद्धि होती है, या गिरावट के कारण अब मौजूद नहीं होते।

किसी निवेश के निपटान पर, उसकी वहन राशि और निवल प्रयोज्य आय के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी(एससी) / पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

मूल संस्था:

6.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को उनके मोचन मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद को एससी/आरसी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- I. एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- II. अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण आनुमानिक रूप से बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

6.2. आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय का निर्धारण, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ और हानि लेखा में नामे किया जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

6.3. यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

7. अग्रिम

मूल संस्था:

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -

ए) अवमानक:

- i. कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- ii. प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान, जो प्रारम्भ से ही अप्रतिभूत है।

(अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:

- i. प्रतिभूत भाग के लिए 25 प्रतिशत
- ii. अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:

- i. प्रतिभूत भाग के लिए 40 प्रतिशत
- ii. अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

7.3. पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

7.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि, मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश अनर्जक/ह्रासित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

7.5 अनर्जक आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खातों में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं भुनाये गए बिलों के लिए प्रकट किए गए अग्रिमकृत प्रावधानों का निवल है।

8. अचल आस्तियां/ मूल्यहास

8.1. मूल संस्था:

8.1.1 संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर अचल संपत्तियों को लागत/पून्मूल्यन राशि पर वहन किया जाता है।

8.1.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और आस्ति का उपयोग करने से पूर्व उन पर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियां उनकी कार्य

क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

8.1.3 भारत में भवनों एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) स्ट्रेट लाइन पद्धति से, जैसा कि नीचे वर्णित है, मूल्यहास दरें/ उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाएगा:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/ उपयोगी जीवनकाल
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष

7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है : परिसर : 60 वर्ष तिजोरियां / लॉकर / दरवाजे (स्टील) : 20 वर्ष वाहन : 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष सोने की निवलता जांचने की मशीन: 7 वर्ष

8.1.4 वर्ष के दौरान बेची गई/अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

8.1.5 रु.5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

8.1.6 पुनर्मूल्यन के समय मूल्यांकित की गई आस्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि लेखा के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यन हेतु आरक्षित निधि लेखा में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के सापेक्ष प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

8.1.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाएगा और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।

8.1.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाएगा और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

8.1.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाएगी।

8.1.10 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

अनुषंगी कंपनियां:

8.2. इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर अकथित किया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन लेखा में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यहास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

कंपनी पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर, अन्य आस्तियों पर स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) के आनुपातिक आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान करती है। साफ्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि में एसएलएम पर परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर:-

कंपनी परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर घटते मूल्य पद्धति के आनुपातिक आधार पर, मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार)। सांविधिक मूल्यहास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

अचल आस्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

8.4. इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

मूर्त आस्तियां

मूर्त अचल आस्तियों में, यदि कोई संचित मूल्यहास और हानि हो, तो इसे लागत से घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में, खरीद मूल्य और आस्तियों को उपयोगी बना कर कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी स्रोतजन्य लागत शामिल होती है। किसी भी व्यवसायिक छूट एवं रिबेट को खरीद मूल्य निर्धारण में घटाया जाता है। पीपीई के किसी मद की लागत को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि

और केवल यदि, यह संभावना है कि मद से जुड़े आर्थिक लाभ भविष्य की अवधि में कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। पीपीई के परिचालन में आने के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव व्यय, उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में दर्शाए जाते हैं जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोग अवधि की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निस्तारण या निपटान से होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

कंपनी के स्वामित्व वाली अचल आस्तियों को रिकॉर्ड करने और उन्हें ट्रेक करने के लिए एक स्थायी आस्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। अचल संपत्तियों की स्थिति का पता लगाने के लिए वार्षिक आधार पर निरीक्षण किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को प्रारंभिक लागत के अनुसार मापा जाता है। व्यवसाय के अधिग्रहण पर उभरने वाली अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की तिथि के अनुसार इसके उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के निपटान पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण के अनुसार मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत प्रगति पर

बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार इच्छानुरूप उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली संपत्तियों की लागत को कार्यशील पूंजी के रूप में दर्शाया गया है। यदि परिसंपत्ति को उपयोग में लाया जाता है, तो परिसंपत्ति को आस्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए लेखांकन मानकों (एएस 10) के अनुसार मान्यता दी जाती है।

मूल्यहास

सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प् के भाग 'सी' में निर्धारित दरों पर, स्ट्रेट लाइन विधि के तहत, उपयोग की अवधि के अनुपात में किया जाता है। अमूर्त संपत्तियां उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित यूजफूल लाइफ (पाँच वर्ष से अधिक नहीं) पर एक सीधी

रेखा के आधार पर परिशोधित की जाती हैं, जो उस तारीख से शुरू होता है जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित अचल संपत्तियों की यूजफूल लाइफ, अधिनियम की अनुसूची प् के भाग सी के अनुसार समान होती है।

किसी आस्ति पर लागू मूल्यहास की समीक्षा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के मामले में, बदले हुए पैटर्न को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को बदल दिया जाता है। इस परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है।

9. राजस्व निर्धारण

9.1. मूल संस्था:

9.1.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

9.1.2 अनर्जक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है। पीएसएलसी की बिक्री पर अर्जित कमीशन/शुल्क आय को उपचय आधार पर गणना लेखांकित किया जाता है और पीएसएलसी की शेष अवधि को तिमाही के दौरान आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना जाता है।

9.1.4 एनपीए खातों में किसी भी वसूली को पहले बही शेष (मूलधन) में और फिर अदत्त कानूनी व्यय (एमएलई), अदत्त अन्य व्यय (एमओएक्स), अदत्त शुल्क और उसके बाद अदत्त ब्याज (एमओआई) में विनियोजित किया जाना चाहिए। हालांकि, पुनर्गठित एनपीए खातों के मामले में, जहां मंजूरी की शर्तों के अनुसार, ब्याज तुरंत चुकाया जाना है और मूलधन की चुकौती बाद की तारीख में शुरू होनी है, ऐसे

खातों में किए गए ब्याज की वसूली को आय खाते में लिया जाना चाहिए और इसे मूलधन की चुकौती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में एनपीए प्रबंधन नीति में तत्पश्चात् हुए बदलावों के संदर्भ में, यह बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का एक हिस्सा होगा।

अनुषंगी कंपनियां :

9.2. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क - समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हमीदारी कमीशन और दलाली - अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि बही खातों में बकाया राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।

ई) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपाजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

ए) आय की पहचान और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु कंपनी द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की चुकौती, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध-वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध-वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के संवितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती है। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई-पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

9.4 इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

इस राजस्व को लेखांकन मानक - 9 के अनुसार 'राजस्व मान्यता' के रूप में पहचाना जाता है।

ए) ऐसे राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और इससे अंतिम संग्रह की उम्मीद करना उचित होता है तथा सिवाय जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इसके आय और व्यय का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जा सकता है।

बी) ब्याज से अर्जित आय को बकाया राशि और लागू दर पर विचार करते हुए समय सीमा के अनुपात के आधार चिह्नित किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड रिवाइड प्वाइंट्स

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित रिवाइड प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

11. निवल लाभ/हानि

लाभ और हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात हैं:

- अनर्जक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

12. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 मूल संस्था:

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। उपदान देयता का बैंक द्वारा निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3 पेंशन

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 को या उसके बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4 प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार छुट्टी और चिकित्सा छुट्टी, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.1.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबन्धी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखांकित किए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ:

12.2 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

अल्प कालिक कर्मचारी हितों / बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

उपदान - उपदान, जोकि पात्र कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी कंपनी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के

वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित उपदान निधि को अनुषंगी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। उपदान के प्रति अनुषंगी कंपनी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि - अनुषंगी कंपनी के पात्र कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी नकदीकरण: इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, पात्र भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

समूह उपदान योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा उपदान देयता का भुगतान का बीमा किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह उपदान पॉलिसी खरीदी है और इसका वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.4 इंडबैंक ग्लोबल स्पोर्ट सेवाएं लि.

कर्मचारियों को लाभ

अल्पकालिक कर्मचारियों को लाभ

सभी कर्मचारी सुविधाओं को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें सेवा प्रदान की गई है, बारह महीनों के भीतर पूर्णतः देय अल्पकालिक कर्मचारी सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। कंपनी, प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले

अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि को, पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की कटौती करने के उपरांत, देयता (उपचित व्यय) के रूप में मान्यता देती है।

नियोजन पश्चात लाभ

सभी उपयुक्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना और सरकार प्रशासित पेंशन निधि योजना तथा पात्र कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के योगदान को उस वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं।

छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण लाभ का भुगतान/प्रदत्त वर्ष के लेखा में पूर्ण रूप से किया जाता है।

भविष्य निधि

भविष्य निधि के लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1972" कंपनी पर लागू है।

उपदान

उपदान देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसे एएस-15 के अनुसार प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और, जहाँ लागू हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की गई पिछली सेवा लागत का निर्धारण करने के लिए किया गया है। यह मूल्यांकन योजना की अंतिम लागत को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल उस समय को प्रभावित करते हैं जब लाभ लागतों को मान्यता दी जाती है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि के विवरण में ले जाया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों, उनकी कीमत में वृद्धि सहित, को पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के आधार पर लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

14. समाश्रित देयताएँ और प्रावधान:

14.1 समाश्रित देयताएं: संभावित या वर्तमान दायित्वों के कारक विगत घटनाओं को निम्नलिखित स्थितियों में समाश्रित देयता के रूप में अभिज्ञात किया जाता है:

- (ए) ऐसे दायित्वों की पुष्टि नहीं की गई है
- (बी) ऐसे बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन अपेक्षित नहीं है
- (सी) ऐसे दायित्वों की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता
- (डी) ऐसी राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं,

14.2 (ए) वर्तमान दायित्वों के संबंध में तब प्रावधान का निर्धारण किया जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें दायित्वों के निपटारे के लिए बहुत छोटे दावों को छोड़कर, शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़े।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा किए गए फ्लोटिंग निर्धारण के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

- i. अनर्जक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- ii. अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों की हानि:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि, यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 "आस्तियों की हानि" के अनुरूप अभिज्ञात किया जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है, जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर:

16.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

16.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

16.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हों, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर कानूनों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती, जब तक यह "वास्तविक निश्चितता" न मिल जाए कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की प्राप्ति हो जाएगी।

17. परिचालन बंद करना

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में बंद परिचालनों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जारी परिचालनों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

अनुलग्नक I

क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी)

1. क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की एक उप-श्रेणी है, में वे सभी लिखत शामिल होंगे जो निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित एचएफटी लिखतों के विनिर्देशों को पूरा करते हैं। अन्य सभी लिखत एचएफटी से बाहर रखे जाएंगे।
2. बैंक केवल उन वित्तीय लिखतों को एचएफटी में शामिल करेगा जब इसे बेचने या पूरी तरह से बचाव करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा नहीं है।
3. बैंक सभी एचएफटी लिखतों का दैनिक उचित मूल्य निर्धारण करेगा और लाभ और हानि लेखा में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को अभिज्ञात करेगा।
4. कोई भी लिखत जिसे बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए रखता है, जब इसे पहली बार अपनी बहियों में मान्यता दी जाती है, तो इसे एचएफटी लिखत के रूप में नामित किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न हो:

(ए) अल्पकालिक पुनर्विक्रय

(बी) अल्पकालिक मूल्य संचालन से लाभार्जन

(सी) मध्यस्थता लाभ को लॉक करना या

(डी) उपरोक्त (ए),(बी) या (सी) को पूरा करने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से बचाव

5. निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में शामिल किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए:

(ए) सहसंबंध ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लिखतों

- (बी) उपकरण जो बैंकिंग बही में निवल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे या
- (सी) हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न लिखत, जहां हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताएं केवल प्रतिभूतियों के हामीदारी अंकन को संदर्भित करती हैं, और केवल उन प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जिन्हें निपटान तिथि पर बैंक द्वारा वास्तव में खरीदे जाने की उम्मीद है।
6. कोई भी लिखत जो आरबीआई परिपत्र के अनुसार सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए शुरू में नहीं रखा गया है, और न ही इन उद्देश्यों के अनुसार रखा गया माना जाता है, उसे एचएफटी में शामिल नहीं किया जाएगा।
7. निम्नलिखित लिखत एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे:
- (ए) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश,
- (बी) प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए नामित उपकरण,
- (सी) अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग और अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग पर डेरिवेटिव
- (डी) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा नहीं करता है:
- बैंक फंड के माध्यम से अपने व्यक्तिगत घटकों को देखने में सक्षम है और फंड की संरचना के बारे में बैंक को पर्याप्त और लगातार जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है, या
 - बैंक फंड के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और उसके पास फंड के अधिदेश में या ऐसे निवेश फंडों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय विनियमों में निहित जानकारी तक पहुंच है,
- (ई) व्युत्पन्न लिखत और निधि जिनके पास अंतर्निहित आस्तियों के रूप में ऊपर (ए) से (डी) तक निर्दिष्ट लिखत श्रेणियाँ हैं, या
- (एफ) किसी स्थिति के किसी विशेष जोखिम से बचाव करने के उद्देश्य से रखे गए लिखत, जो ऊपर (ए) से (ई) तक निर्दिष्ट उपकरणों की श्रेणियों में हैं।
8. निम्नलिखित उपकरणों को एचएफटी में माना जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो:
- ए) बाजार-निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न लिखत,
- बी) एचएफटी के समनुदेशन से छूट प्राप्त को छोड़कर किसी फंड में इक्विटी निवेश, या
- सी) सूचीबद्ध इक्विटी

डी) ट्रेडिंग से संबंधित रेपो-शैली लेनदेन या

9. बैंक के पास नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई परिपत्र में निर्दिष्ट अनुमानित सूची से विचलित होने का विकल्प होगा।
- ए) यदि कोई बैंक मानता है कि उसे किसी लिखत के लिए आरबीआई परिपत्र में स्थापित अनुमानित सूची से विचलित होने की आवश्यकता है, तो उसे आरबीआई के विनियमन विभाग को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अपने अनुरोध में, बैंक यह साक्ष्य प्रदान करेगा कि लिखत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया है।
- बी) ऐसे मामलों में जहां यह अनुमोदन नहीं दिया जाता है, उपकरण को एचएफटी के रूप में नामित किया जाएगा। बैंक प्रकल्पित सूची से किसी भी विचलन का निरंतर आधार पर विस्तृत दस्तावेजीकरण करेगा।

पंजीकृत हित और मूल प्रतिभूतियों (स्ट्रिप्स) का पृथक क्रय विक्रय

- बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो के एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणियों के तहत रखे गए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और लेखांकन शून्य-कूपन बांड के रूप में और इन निर्देशों में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
- आरंभ में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें बाजार आधारित होंगी। हालाँकि, यदि ट्रेडेड शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसकी बजाय एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य-कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।
- स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्रिप्स को प्रतिभागी के खाते की बहियों में उनके छूट वाले मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी प्रतिभूति को मान्यता से हटा दिया जाएगा। पुनर्गठन के लिए लेखांकन उपचार स्ट्रिपिंग के बिल्कुल विपरीत होगा।
- स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई लाभ या हानि नहीं होगी। जीरो कूपन यील्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) का उपयोग करके छूट प्राप्त स्ट्रिप्स (कूपन और मूलधन) के वर्तमान मूल्य को एक कारक का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति के वहन मूल्य या प्रतिभूति के बाजार मूल्य (जो भी कम हो) का अनुपात प्रतिभूति से निर्मित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के योग के कुल योग से होगा।
- पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (यहां तक कि जब स्ट्रिप्स बाजार से प्राप्त की जाती हैं)।
- इन निर्देशों के अनुसार, स्ट्रिप्स (ज़ेडसीवाईसी) के बही मूल्य का मूल्यांकन और प्रतिचिह्न बाजार मूल्य के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स के बही मूल्य को एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

अनुसूची - 18 लेखा टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण (2024-25)

1. अनुषंगी संस्थाएं:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	बैंक की शेयरधारिता	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	11/08/1989	64.84%	मेसर्स ब्रह्मय्या एण्ड कं.	19.09.2024
बी	इंड बैंक हाउसिंग लि.	भारत	28/01/1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	19.09.2024
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	09/02/2024	100.00%	मेसर्स सूरी एंड शिवा	09.12.2024

2. सहयोगी संस्थाएं:

क्रम सं.	सहयोगी संस्थाओं का नाम	शेयरधारिता का स्वरूप
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	35%
सी	पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक	35%

*केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के तहत एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो अब आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक कहा जाएगा में समामेलन अधिसूचित किया है। तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सप्तगिरि ग्रामीण बैंक को 1 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया गया है।

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एस 27)

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था:

- ए) कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2025 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक के विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बकाया प्रविष्टियों के स्तर में कमी आई है।
- बी) यथास्थिति 31.03.2025 को 6 माह से अधिक अवधि से बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल क्रेडिट स्थिति के मद्देनजर, किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, बैंक ने अंतर शाखा लेखों के सकल डेबिट अवशेष राशि पर 100% का प्रावधान किया है, जिसकी राशि ₹263.79 करोड़ है (विगत वर्ष 2023-24 में ₹263.79 करोड़)।

- सी) देय ड्राफ्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियाँ, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जाती है।
- डी) कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/खाता-बहियों रजिस्ट्रों का तुलन और प्रधान खाताबही के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में लेखों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

5. लाभांश

- वित्त वर्ष 2024-25 हेतु ₹16.25 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश अर्थात् बैंक के प्रदत्त पूंजी का 162.50% प्रस्तावित है।

6. अचल आस्तियां

मूल संस्था:

6.1 बैंक के परिसर में भूमि एवं भवन शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त उचित बाजार मूल्य के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यन किया है। परिसर के पुनर्मूल्यन की राशि में ₹1510.28 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाता" में जमा किया गया है। वर्ष 2024-25 हेतु ₹107.07 करोड़ (विगत वर्ष ₹105.56 करोड़) की मूल्यह्रास राशि व्यय के तहत ली गई थी और पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर ₹100.21 करोड़ (विगत वर्ष ₹98.79 करोड़) की मूल्यह्रास राशि को "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाता" के सापेक्ष समायोजित किया गया है। परिसर की बिक्री से प्राप्त ₹184.48 करोड़ (विगत वर्ष ₹7.50 करोड़) को भी पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित किया गया था।

6.2 परिसर में 9 (7+2*) परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनकी मूल लागत ₹ 8.38 करोड़ है (विगत वर्ष 9 (7+2*) परिसंपत्तियां जिनकी लागत ₹8.38 करोड़ थी) जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य ₹83.77 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 63.71 करोड़) है, जो मूल्यह्रास घटाकर ₹0.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.44 करोड़) हो गयी हैं, की पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं।

* हैदराबाद स्थित ₹ 1.61 करोड़ की संपत्ति, जो नियमितीकरण के लिए तेलंगाना सरकार के यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी हेतु लंबित है और चेन्नै स्थित ₹ 2.32 करोड़ की संपत्ति, जहाँ कानूनी मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।

6.3. आरक्षित निधियों में गिरावट:

आरक्षित निधियां	आहरित राशि		उद्देश्य
	2024-25	2023-24	
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां	₹284.69	₹106.29	*परिसर के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्य ह्रास ₹100.21 करोड़ तथा परिसर की बिक्री के कारण ₹ 184.48 करोड़

* यह राशि एस-10 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व आरक्षित निधि खाता में जमा कर दी गई है।

7. कोविड 19 उपाय

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह स्थिति निरंतर अनिश्चित होती जा रही है तथा बैंक इस स्थिति का मूल्यांकन बदलते परिप्रेक्ष्य के आधार पर कर रहा है। कोविड -19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के अत्यधिक अनिश्चित घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां होंगी। बैंक की पूंजी और चलनिधि की स्थिति मजबूत है तथा इस अवधि के दौरान भी यह बैंक के प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे।

8. लेखा मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2025	31.03.2024
अल्पांश ब्याज से पूर्व लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	11264.39	8422.52
समायोजन हेतु :		
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	3444.03	3652.87
निवेश हेतु प्रावधान	(248.10)	(377.77)
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	853.44	1936.53
कर हेतु प्रावधान	3892.51	2914.51
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	31.78	236.25
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	542.94	531.14
पूँजीगत लिखत पर ब्याज	600.04	710.85
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(1.70)	1.91
आयकर का भुगतान	(26.02)	(889.50)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों से पूर्व लाभ	20353.31	17139.31
परिचालनगत आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(12247.37)	(26528.35)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(59626.14)	(69247.99)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	2159.32	3004.65
	(69714.19)	(92771.69)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / (कमी)		
जमा राशियों में वृद्धि /(कमी)	49145.25	66829.84
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	20409.42	2050.46
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(2797.39)	(1865.18)
	66757.28	67015.12
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	17396.40	(8617.26)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(539.94)	(626.58)
अचल आस्तियों की बिक्री	191.54	8.88
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(348.40)	(617.70)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(1616.36)	(1071.08)
टियर 2 बांडों का मोचन	(2000.00)	(1000.00)
पूँजीगत लिखत पर ब्याज	(647.15)	(733.88)
अवधि के दौरान जारी की गई इक्विटी पूँजी (शेयर प्रीमियम सहित)	0.00	4000.00

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2025	31.03.2024
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	(4263.51)	1195.04
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	12784.49	(8039.92)
अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1304.15	1242.58
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	31134.61	26670.15
(बी) अन्य जमा खातों में	264.00	4780.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	25.64	70.37
(बी) अन्य जमा खातों में	1619.95	1605.55
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	1997.06	5007.04
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	743.35	693.49
(बी) अन्य जमा खातों में	5084.58	10144.91
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	3.57	2.74
	42176.91	50216.83
अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1312.61	1304.15
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	24768.04	31134.61
(बी) अन्य जमा खातों में	5867.00	264.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	139.29	25.64
(बी) अन्य जमा खातों में	1336.69	1619.95
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.00	1997.06
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1638.14	743.35
(बी) अन्य जमा खातों में	19895.37	5084.58
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	4.26	3.57
	54961.40	42176.91
अथशेष एवं इति शेष नकदी और नकदी समकक्ष में अंतर	12784.49	(8039.92)

नोट:

- विगत अवधि के आंकड़ों को, वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि हेतु जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया गया है।

9. कार्मिकों को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

9.1. मूल संस्था

9.1.1. परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने ₹ 0.84 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1.07 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 को और उसके बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने ₹387.42 करोड़ (विगत वर्ष ₹353.34 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.1.2. परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजन के पश्चात् लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है :-

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करती है।

मूल बीमांकक अनुमान (भारत औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2025	31/03/2024
बट्टे की दर -जी -सेक - सरकारी प्रतिभूतियां	पेंशन एवं उपदान के लिए 6.82%- 15 वर्ष जी -सेक - सरकारी प्रतिभूतियां	पेंशन के लिए 7.21%- 15 वर्ष जी- सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन पुनरीक्षण हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00%और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00%और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.95% पेंशन के लिए और 7.90% उपदान के लिए	7.88% पेंशन के लिए और 7.89% उपदान के लिए
प्रयुक्त प्रणाली	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक प्रणाली	
मृत्यु दर	भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, अवकाश नकदीकरण पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में वेतन वृद्धि के आकलन पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों, जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग को ध्यान में रखते हुए और आईबीए द्वारा संप्रेषित अधिवर्षिता योजनाओं के लिए निधीयन के दिशानिर्देशों के अनुरूप विचार किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। अवकाश नकदीकरण की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
ब्याज लागत	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51

चालू सेवा लागत	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अन अभिज्ञात/अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.36	-279.14
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1115.23	1010.11	498.82	139.12	227.18	328.14
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19

(राशि ₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19070.08	17282.98	1940.98	1764.27	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
अंशदान	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.26	279.14
प्रदत्त लाभ	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.26	-279.14
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1531.58	1408.52	162.98	141.19	0.00	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

V. अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	-1115.23	-1010.11	-498.82	-139.12	-227.18	-328.14
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्तियां	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
वर्ष के दौरान अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
वर्ष के अंत में अनअभिज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष हेतु बीमांकिक हानि / (लाभ) - बाध्यता	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14

(राशि c करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में अभिज्ञात राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2024-25	2023-24	2024-25
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
अन्तर - तुलन पत्र में अभिज्ञातनिवल (देयता)/ आस्ति	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19
अनअभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनअभिज्ञात विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात देयता	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19

(राशि ₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखों में अभिज्ञातव्यय	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2024-25	2023-24	2024-25
वर्तमान सेवा लागत	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
ब्याज लागत	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1529.11	-1398.59	-162.97	-139.89	0	0.00
इस वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1112.76	990.46	498.81	137.84	227.18	328.14
इस वर्ष में अभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात	2176.00	2286.69	633.74	268.46	617.94	669.87

(राशि ₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं में संचलन	पेंशन निधि		उपदान		अवकाश नकदीकरण	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
आरंभिक शेष निवल देयता	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46
उपर्युक्तानुसार व्यय	-2176.00	-2286.69	-633.74	-268.46	-617.94	-669.87
प्रदत्त अंशदान	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.36	279.14
अंतिम निवल देयता	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	-1876.77	-1580.19

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (i) विगत वर्ष 2020-25 - पेंशन	वर्ष की समाप्ति					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61
योजना आस्तियां	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29
अधिशेष /(घाटा)	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85	-579.32
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11	-1115.23
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93	2.47

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) विगत वर्ष 2020-25 - उपदान	वर्ष की समाप्ति					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49
योजना आस्तियां	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74
अधिशेष /(घाटा)	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28	-172.75
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12	-498.82
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) विगत वर्ष 2020-25 - अवकाश नकदीकरण	वर्ष की समाप्ति					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
अधिशेष /(घाटा)	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19	-1876.77
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14	-227.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2024-25		2023-24	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	21.48%	16.81%	23.43%	21.62%
उच्च गुणवत्तावाले कापरेट बांड/पीएसयू बांड	15.06%	10.26%	17.33%	13.02%
विशेष जमा योजना	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	63.34%	72.90%	58.67%	65.12%
इक्विटी और म्युचुअल फंड	0.07%	0.00%	0.52%	0.20%
मुद्रा बाज़ार	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

i. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्ति स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹ 93.87 करोड़ की राशि (विगत वर्ष ₹ 41.96 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु किए गए प्रावधान /(अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2025	31.03.2024
1.	बीमारी अवकाश	9.39	4.55
2.	आकस्मिक अवकाश	1.54	0.97
3.	अवकाश यात्रा रियायत	82.94	36.44
कुल		93.87	41.96

नोट: शामिल किए गए खुलासे एक्चुअरी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सीमा तक सीमित हैं।

9.2. अनुषंगी कंपनियां

9.2.1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	6584663	6049835	5664782

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		विवरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	25932210	21136893	15921802	14094025
चालू सेवा लागत	1912334	1582039	702180	577123
ब्याज लागत	1795802	1571745	1073654	1004217
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	1076704	1878272	(55971)	1183018
प्रदत्त लाभ	(555783)	(852212)	(1167786)	(936581)
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	30161267	25316737	16473879	15921802

II) योजना आस्तियों के उचित मूल्य के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26053889	21136893
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	1920882	1674547

अंशदान	3330336	4020679
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	(1335292)	73982
प्रदत्त लाभ	(555783)	(852212)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	29414032	26053889
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	2411996	1804290

III) आस्तियों एवं बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	29414032	26053889	15921802	-
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	30161267	25316737	16473879	15921801
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि	-747235	737152	552077	(15921801)

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सेवा लागत	1912334	1582039	702181	577123
ब्याज लागत	1795802	1571745	1073654	1004217
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1920882)	(1674547)	-	-
बीमांकिक(अभिलाभ) /हानि	2411996	1804290	(55971)	1183018
निवल लागत	4199250	3283527	1719864	2764358

V) बीमांकक अनुमान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	6.73%	7.00%	6.73%	7.00%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	6.73%	7.00%	-	-
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
सेवात्याग दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाता है।

कंपनी ने वर्ष 2024-25 में उपदान देयता के लिए ₹34.28 लाख (विगत वर्ष- ₹ 40.44 लाख) का अंशदान दिया है।

9.2.2. इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि के प्रति कंपनी का दायित्व और बीमांकिक मूल्यांकन का विवरण:

(राशि ₹ में)

1	कुल विगत सेवा उपदान	शून्य
2	विगत सेवा उपदान बीमांकिक मूल्य	शून्य
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	शून्य
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेषराशि देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	शून्य
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	शून्य

9.2.3 इंडबैंक ग्लोबल स्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड:

परिभाषित अंशदान योजना

वर्ष के लिए व्यय के रूप में अभिज्ञात परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान निम्नानुसार है:

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-24
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	13613059	शून्य

परिभाषित लाभ योजना

III) परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और अंतिम शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निपटान लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV) योजना आस्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक और अंतिम शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
अंशदान	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य
प्रदत्त लाभ	शून्य	शून्य
निपटान लागत	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर बीमांकित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य

III) आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
चालू सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V) बीमांकिक अवधारणाएं

विवरण	उपदान (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर-निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
चालू सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाता है।

कंपनी ने वर्ष 2024-25 में उपदान देयता के लिए ₹28,27,272 (विगत वर्ष- शून्य) का योगदान किया है।

10. खंडवार रिपोर्टिंग (समेकित) (एएस 17)

10.1. खंड की पहचान

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग *
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

*आरबीआई के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के अनुसार रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष

राजकोष खंड में संपूर्ण निवेश संविभाग और विदेशी विनिमय संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः निवेश संविभाग से संबंधित ट्रेडिंग परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट /थोकबैंकिंग

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-राजकोषीय परिचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

- (i) डिजिटल बैंकिंग - आरबीआई के दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू किया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के परिचालन से संबंधित है।
- (ii) अन्य रिटेल बैंकिंग इस खंड में खुदरा शाखाएं, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत जिन खंडों को वर्गीकृत नहीं किया गया है उन खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

- i. देशी परिचालन - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय
- ii. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां

III. व्यय, आस्ति एवं देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। जो व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजन्य नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें अनाबंटित माना जाता है।

10.2 समेकित खंड जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

भाग ए व्यवसाय खंड	राजकोष		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	17176.79	15616.08	23857.74	22165.82	29125.71	24927.68	1.30	0.18	29124.41	24927.50	1890.64	1522.10	72050.88	64231.68
परिणाम	6136.63	5658.69	5427.66	5046.07	6519.33	5545.69	0.26	(0.27)	6519.07	5545.96	1017.86	687.67	19101.48	16938.12
अनाबंटित व्यय													4214.10	5894.46
परिचालनगत लाभ													14887.38	11043.66
अल्पांश हित													2.92	3.11
अन्य अनाबंटनीय आय													269.52	293.37
आय कर													3892.51	2914.51
अपवाद स्वरूप मद													0.00	0.00
निवल लाभ													11261.47	8419.41
अन्य सूचनाएं														
खंड आस्तियां	264753.70	233839.17	272792.42	259620.22	330784.34	291324.65	23.85	9.88	330760.49	291314.77	3606.71	3053.67	871937.17	787837.71
अनाबंटित आस्तियां													5101.43	7871.11
कुल आस्तियां													877038.60	795708.82
खंड देयताएं	243744.04	216613.46	251144.84	240495.35	304534.78	269864.28	23.59	10.15	304511.19	269854.13	1424.97	1229.62	800848.63	728202.71
अनाबंटित देयताएं													4677.06	7257.91
पूँजीगत आरक्षित निधि एवं अधिशेष													71512.91	60248.20
कुल देयताएं													877038.60	795708.82

भाग बी भौगोलिक खंड	देशी		विदेशी		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	69618.35	62168.23	2432.53	2063.45	72050.88	64231.68
आस्तियां	832165.23	756854.91	44873.37	38853.91	877038.60	795708.82

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्ड राजस्व और व्ययों को खण्ड आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।
जहाँ भी आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित किया गया।

11. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस18)

11.1. मूल संस्था

11.1.1 अनुषंगी

क्र.सं.	अनुषंगी संस्था का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	स्वामित्व का हिस्सा	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक के नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	11/08/1989	64.84%	मेसर्स ब्रह्मय्या एण्ड कं.	19.09.2024
बी	इंड बैंक हाउसिंग लि.	भारत	28/01/1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	19.09.2024
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	09/02/2024	100.00%	मेसर्स सूरी एंड शिवा	09.12.2024

11.1.2 सहयोगी संस्थाएं :

क्रम सं.	सहयोगी संस्थाओं का नाम	शेयरधारिता का स्वरूप
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	35%
सी	पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक	35%

*केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के तहत आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक नामक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सप्तगिरि ग्रामीण बैंक को 1 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया गया है।

11.1.3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एस27)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

11.1.4. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्री बिनोद कुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	16.01.2025
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024

11.1.5. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	वर्ग	समाप्ति की तिथि	कारण
1.	श्री शांति लाल जैन	एमडी एंड सीईओ	01.01.2025	अधिवर्षिता/नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
2.	डॉ. एम पी तंगिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	13.05.2024	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6/2 (ii)/2022-बीओ.आई दिनांक 13.05.2024
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	29.10.2024	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
4.	श्री विश्वेश कुमार गोयल*	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21.12.2024	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
5.	श्री बालमुकुंद सहाय *	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21.12.2024	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति

* दिनांक 11.04.2025 से एकवर्षकी अवधि हेतु आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक, गैर-सरकारी के रूप में पुनः नामित किया गया।

11.1.6. शेयरधारक गैर-कार्यपालक निदेशक:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	205
2	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	250

11.1.7. संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान ₹314.07 लाख (विगत वर्ष ₹232.60 लाख) पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।

विवरण	2024-25	2023-24
श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (16.01.2025 से 31.03.2025)	₹ 8.68 लाख	-
श्री शांति लाल जैन, पूर्व एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.12.2024)	₹ 84.38* लाख	₹ 47.53 लाख
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 56.11 लाख	₹ 35.17 लाख
श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 61.62 लाख	₹ 45.82 लाख**
श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 46.23 लाख	₹ 19.70 लाख
श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 31.03.2025)	₹ 36.90 लाख	₹ 1.96 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दिकी^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	₹ 17.06 लाख^	₹ 67.30 लाख\$
श्री अश्विनी कुमार ^^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	₹ 3.09 लाख^^	₹ 15.12 लाख#

* छुट्टी, उपदान, पीएफ और पेंशन संराशिकरण के नकदीकरण सहित

\$ ₹ 30.00 लाख के नकदीकरण सहित

पीएलआई और अन्य भत्ते सहित

** ₹ 10.47 लाख का मकान किराया भत्ता सहित

^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 09.03.2024 तक, प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

^^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 01.06.2023 तक, प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

11.1.8. संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹लाख में)

मद / संबंधित पक्ष	संयुक्तकृत उद्यम
सेवाएं प्रदान करना	20.10
सेवाएं प्राप्त करना	0.38

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार "सरकार-नियंत्रित उद्यम" हैं। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंधों के लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

11.2. अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(राशि ₹लाख में)

नाम	पदनाम		2024-25
श्री वी हरिबाबू	अध्यक्ष एवं पूर्ण कालिक निदेशक	वेतन	
		पीएफ में अंशदान	1.77
श्री तौसिफ़ इनामदार	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ	वेतन	21.65
		पीएफ में अंशदान	1.55
श्रीमती चित्रा एम ए	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	वेतन	12.49
		पीएफ में अंशदान	1.37
गैर-पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क			7.29

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियम के अनुसार व कंपनी के शेयरधारकों द्वारा "पूर्णकालिक निदेशक" के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें कथित बैंक के सेवानियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए नियोजन प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

11.2.2. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री वी हरिबाबू	प्रबंध निदेशक
ला. हैरेन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
एस कृष्णन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी - दिनांक 21.03.2025 को त्यागपत्र दिया।

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के लिए प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

(राशि ₹ लाख में)

लेनदेन/शेष	वि.व 2024-25	वि.व 2023-24
केएमपी को दिया गया पारिश्रमिक:		
अकांक्षा व्यास	-	4.44
ला. हैरेन	20.47	19.93
एस कृष्णन	8.76	0.41
केएमपी को दिया गया स्टाफ एडवांस:		
ला. हैरेन	शून्य	0.97
केएमपी द्वारा स्टाफ अग्रिम की चुनौती	शून्य	0.39
अंतिम शेष:		
केएमपी को दिया गया स्टाफ एडवांस:		
ला. हैरेन	शून्य	0.58
केएमपी को दिया गया रेंट एडवांस:		
ला. हैरेन	1.38	1.38

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड से पारिश्रमिक ले रहे हैं। इसलिए इस कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

कंपनी के सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और इंडियन बैंक के सेवा नियमों के अनुसार कंपनी (इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड) से पारिश्रमिक ले रहे हैं।

अन्य संबंधित पक्ष सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इसलिए एएस 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेन के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

11.2.3. इंड ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(राशि ₹ लाख में)

नाम	पदनाम		2024-25
श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	एमडी एवं सीईओ	वेतन	91.53
		पीएफ में नियोक्ता का योगदान	5.88
राजा गणपति	सीएफओ	वेतन	35.58
		पीएफ में नियोक्ता का योगदान	2.31
अभिनय बी	सीएस	वेतन	9.51
		पीएफ में नियोक्ता का योगदान	0.62

12. पट्टा (एस 19)

12.1 मूल संस्था

- ए) पट्टा / किराया आधार पर ली गई परिसंपत्तियां, बैंक के विकल्प के अनुसार नवीकरणयोग्य / निरसनयोग्य हैं।
- बी) बैंक द्वारा किया गया करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेंडर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किए जाने का विकल्प है।
- सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराया को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में अभिज्ञात है। वर्तमान वर्ष के दौरान अभिज्ञात पट्टा किराया ₹456.93 करोड़ है। (विगत वर्ष - ₹ 426.22 करोड़)।

डी) वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि एवं भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-निरसनयोग्य होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टा किराया और न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	न्यूनतम पट्टा भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	यथास्थिति 31 मार्च 2025	यथास्थिति 31 मार्च 2024	यथास्थिति 31 मार्च 2025	यथास्थिति 31 मार्च 2024
1 वर्ष से अनधिक पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष से अनधिक एवं 5 वर्षों के अनधिक पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम: भावी वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

12.2. अनुषंगी कंपनियां

12.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

पट्टे पर ली गई आस्तियों के मामले में

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर मूल संस्था के साथ कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे हैं। वर्ष के अंत में गैर-निरसन योग्य परिचालनगत पट्टों के तहत भावी आवश्यक न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹लाख में)

विवरण	यथास्थिति 31 मार्च 2025	यथास्थिति 31 मार्च 2024
वर्ष के लिए पट्टे का भुगतान	22.29	21.49
न्यूनतम पट्टा भुगतान: 1 वर्ष के अनधिक पूर्व देय	0.00	0.00
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के अनधिक पूर्व देय	0.00	0.00
5 वर्षों के बाद देय	0.00	0.00

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	11261.47	8419.41
इक्विटी शेयरों की संख्या	1346963981	1346963981
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1346963981	1275121314
प्रति शेयर मूल अर्जन ₹	83.61	66.03
प्रति शेयर अवमिश्रित आय ₹	83.61	66.03
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹	10.00	10.00

14. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण को लेखा मानक (एएस 21) भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी “समेकित वित्तीय विवरणों” और समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप तैयार किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगियों जैसे (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और नव निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (3) इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

दिनांक 31.03.2025 को समेकित आंकड़ों में 3 सहयोगियों यथा मेसर्स पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और मेसर्स तमिलनाडु ग्राम बैंक के ₹ 269.52 करोड़ का लेखापरीक्षित लाभ शामिल है और ₹ 74.56 करोड़, दो संयुक्त उद्यमों अर्थात् 1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखापरीक्षित लाभ में हिस्सा है।

15. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

15.1 मूल संस्था

ए) **चालू कर** - चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालन के लिए आयकर हेतु प्रावधान की राशि ₹ 4015.69 करोड़ है, इसमें विगत वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में आय कर हेतु प्रदान किए गए ₹ 48.91 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में आयकर के लिए किया गया प्रावधान ₹ 11.53 करोड़ है। चालू कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर** - बैंक के पास ₹ 5080.20 करोड़ की निवल कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹ 4921.62 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति), जिसमें ₹ 1243.51 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹ 1116.56 करोड़) और ₹ 6323.71 करोड़ की आस्थगित कर देयता (विगत वर्ष ₹ 6038.18 करोड़) शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए)/आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	521.69	376.55
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि)	145.89	131.17
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.04
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3864.41
5	पुनर्चित आस्तियों, एक्जुआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1694.40	1569.60
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	97.28	96.41
	कुल डीटीए	6323.71	6038.18

	आस्थगित कर देयताएं		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	44.41	44.41
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण पुनःप्राप्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i) (Viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि	831.84	704.90
	कुल - डीटीएल	1243.51	1116.56
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	5080.20	4921.62

सी) वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कराधान के लिए प्रावधान-वैश्विक (आस्थगित कर सहित आयकर)	3868.64	2888.20

दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न विगत मूल्यांकन वर्षों हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त / समायोजित विवादित आयकर मांग ₹ 3953.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3953.36 करोड़)। यथास्थिति दिनांक 31.03.2025 तक विवादित कर मामलों से संबंधित ₹10,522.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 9761.82 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी इसमें शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

15.2. अनुषंगी कंपनियां :

15.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

ए) आस्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ में)

	आस्थगित कर			
	यथास्थिति 31.03.2025		यथास्थिति 31.03.2024	
	आस्ति	देयता	आस्ति	देयता
i) मूल्यहास-योग्य आस्तियों में समय का अंतर		8685271		8975695
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	20617195		19880927	
iii) अन्य	4447619		4133582	
कुल	25064814	8685271	24014509	8975695
निवल डीटीए / (डीटीएल)	16379543		15038814	

बी) वर्ष में कर के लिए ₹304.82 लाख का निवल प्रावधान किया गया है।

ग) मामलों से संबंधित पर न्यायिक घोषणाओं और/या कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) का प्रावधान ₹-13.41 लाख (विगत वर्ष- ₹87.01 लाख) है जिसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ई) पूर्व अवधि के कर : ₹12.19 लाख

15.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

- ए. भविष्य की कर योग्य आयके विरुद्ध समायोजन के लिए पात्र अनवशोषित मूल्यहास और अग्रेषित घाटे को आभासी अनिश्चितता के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों के लिए नहीं माना गया है।
- बी. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए ब्याज सहित ₹ 4.32 करोड़ की माँग सूचना भेजी है। मांग गैर-अनर्जक आस्तियों पर आय को उपचय आधार पर ध्यान में रख कर लगाई गई है, जिसे एनएचबी के निर्देशोंके अनुसार आय के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सका था। कंपनी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मांग का प्रतिरोध किया है और दिनांक 29.11.2021 को कंपनी के पक्ष में निर्णय जारी किया गया है। आयकर विभाग द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। आईबीएचएल ने अपने कर सलाहकार के माध्यम से प्रभावी आदेश देने के लिए आयकर विभाग को दिनांक 17.04.2023 को एक पत्र प्रस्तुत किया। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।
- सी. आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि ₹26.34 लाख से अधिक का दावा किया गया प्रावधान वापस ले लिया गया था, जिसे गलत पाया गया था और ब्याज सहित कर भुगतान की मांग की गई है। आयकर विभाग ने इस मांग को टीडीएस रिफंड के सापेक्ष समायोजित करना शुरू कर दिया। आईबीएचएल ने आयकर विभाग को दिनांक 05.08.2024 और 20.02.2025 को नए कर निर्धारण आदेश पारित करने और वित्तीय वर्ष 2006-07 में आईबीएचएल द्वारा दाखिल किए गए मूल रिटर्न नुकसान को बहाल करने के लिए जवाब प्रस्तुत किया, क्योंकि विभाग द्वारा प्राप्त आईटीएटी आदेश 31.03.2024 को परिसीमन द्वारा वर्जित हो गया था। आयकर विभाग से जवाब की प्रतीक्षा है।

15.2.3 इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

- ए) वर्ष में कर के लिए ₹88.23 लाख का निवल प्रावधान किया गया है।
- बी) वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) का प्रावधान ₹-0.74 लाख (विगत वर्ष - ₹शून्य लाख) है, जिसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

16. एस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं -बंद किए गए परिचलान

16.1 अनुषंगी कंपनियां

16.1.1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

संसाधन आबंटन के प्रयोजनों और खंडवार निष्पादन के आकलन हेतु मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम -निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना समग्रतः कंपनी पर केंद्रित है। अतः, प्रबंधन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक खंड है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को करने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्सपोजर उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। सावधि जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं का आईईपीएफ को अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। कंपनी अब केवल सेबी नियमों द्वारा शासित है।

17. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एस -27)

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है: (राशि ₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत		38.26 %	37.50

एस 27 के आवश्यकतानुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की सकल राशि निम्नानुसार दी गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
देयताएं		
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	561.82	496.03
जमा	0.00	0.00
उधारी	44.38	11.40
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1389.20	1211.02
कुल	1995.40	1718.45
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद एवं शेष	0.00	0.01
बैंक में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर धन	46.00	33.95
निवेश	1554.88	1393.41
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	25.44	21.08
अन्य आस्तियां	369.08	270.00
कुल	1995.40	1718.45
पूँजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य समाश्रित देयताएं	61.57	63.65
आय		
अर्जित ब्याज	10.06	6.42
अन्य आय	799.74	731.00
कुल	809.80	737.42
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	3.59	1.81
परिचालन व्यय	714.93	645.43
प्रावधान और आकस्मिकताएं	22.59	29.58
कुल	741.11	676.82
लाभ	68.69	60.60

18. आस्तियों का ह्रास (एएस-28)

मूल संस्था

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार, जिस वर्ष के दौरान लेखा मानक 28 –“आस्तियों का ह्रास” लागू होता है, उसमें आस्तियों में ह्रास का संकेत नहीं है।

19. प्रावधान, समाश्रित देयताएं और समाश्रित आस्तियां (एएस -29):

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2024 को अथशेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान प्रतिवर्तित / समायोजित	दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष
ऋण के रूप में अन-अभिस्वीकृत बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधानों का संचलन	223.64	6.71	0.12	230.23

20. बैंक - बीमा व्यवसाय

20.1 मूल संस्था

चालू वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न बैंक - बीमा उत्पादों/म्यूचुअल फंडों की बिक्री/विपणन पर ₹ 180.58 करोड़ तक कमीशन आदि अर्जित किया है (विगत वर्ष ₹163.21 करोड़)।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	आय की प्रकृति	2024-25	2023-24
1	जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री हेतु	144.30	127.03
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री हेतु	31.88	32.17
3	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	4.40	4.01
	कुल	180.58	163.21

20.2. अनुषंगी कंपनियां :

20.2.1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

चालू वर्ष और विगत वर्ष दोनों के लिए उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक - बीमा व्यवसाय से संबंधित अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण प्रकट किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2024-25	2023-24
1	जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु	शून्य	शून्य
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु	शून्य	शून्य
3	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की बिक्री से	शून्य	शून्य
4	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	शून्य	शून्य
5	अन्य - बैंक के गृह ऋण उत्पादों के लीड संग्रहण हेतु	शून्य	0.02
	कुल	शून्य	0.02

21. विधि

मूल संस्था

आकस्मिक देयताओं में मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड का खाता शामिल है, संघीय बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में ₹1602.44 करोड़ की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने संघीय बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें बैंक के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल ₹ 406.47 करोड़ का दावा किया गया था। वाद में ₹400 करोड़ का भुगतान करने पर बचाव के लिए सशर्त रियायत दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा ₹100 करोड़ है। हमारे बैंक के ₹100 करोड़ के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के पास किया गया था। बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सारांश वाद निर्णय के लिए लंबित है। बैंक द्वारा किए गए ₹ 100 करोड़ के उक्त विप्रेषण को वर्ष के दौरान मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चालू खाते और एफडी खाते (₹ 84.09 करोड़) को डेबिट करके दिनांक 31.03.2024 को बकाया शेष ₹15.94 करोड़ छोड़कर समायोजित किया गया है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के खिलाफ इस दावे के लिए बैंक के पास कुल ₹ 31.26 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 31.26 करोड़) का प्रावधान है।

22. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

- ए) समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। इस तरह के समाधान का चालू वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।
- बी) वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल संस्था और उसकी सहायक कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणियों में उन मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- सी) बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा चिह्नित एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है, जो एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे लंबित हो और वर्ष के दौरान ऐसे पक्षों हेतु मूलधन या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान की स्वीकृति देयता का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।
- डी) चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
इंडियन बैंक के सदस्यगण
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

- हमने इंडियन बैंक ('मूल संस्था/बैंक' के रूप में संदर्भित) एवं 31 मार्च, 2025 के समेकित तुलन-पत्र में समाहित इसके सहयोगियों (मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ समूह के रूप में अभिहित किया जाएगा।) और इनके एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों के अर्जन की हिस्सेदारी सहित इसकी अनुषंगी कंपनियों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें इस वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ और हानि लेखों के विवरण व समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

ए) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण ;

बी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 3 अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ; एवं

सी) 3 एसोसिएट्स और 2 संयुक्त उद्यमों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, जैसा कि संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय एवं हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगी कंपनियों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों संबंधी अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम की अलेखा परीक्षित पृथक वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों (आरबीआई दिशानिर्देश) की आवश्यक जानकारी देते हैं और समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक एवं लागू लेखांकन मानक तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

ए) समेकित तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2025 तक समूह और उसके सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति के टिप्पणियों के साथ पठित वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

बी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान समूह और उसके सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का सही शेष; और

सी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह के सही और निष्पक्ष रूप में दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश और आवश्यकताओं के अनुसार हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि नीचे दिए गए "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करने पर हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

- लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस

पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है :

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य	लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को किस रूप में दर्शाया गया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्ति का 65.38% है, जो एकल वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ("आरबीआई") दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) तात्विक रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि या तो अलग-अलग या समेकित रूप से, आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जाता है। लेनदेन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा व्यावसायिक माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह एकल वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में सुनिश्चित किया है।	नियंत्रण के परीक्षण ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। वस्तुपरक परीक्षण - ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आबंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की - आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। - चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। - इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध समेकित वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। - आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। - आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। - आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। - एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता।

2.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान - निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। - निवेश बैंक की कुल आस्ति का 25.80% है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। - पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, निवेश और विनियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	आरबीआई के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, - हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। - हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पूनर्मूल्यन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि ये निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने हैं। - हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया; - हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; - उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

4. अन्य मामले

- (ए) हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1975 शाखाओं (जिनमें 3 विदेशी शाखाएँ हैं) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2025 तक ₹ 3,11,810.30 करोड़ की कुल आस्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 20,628.19 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएं 31 मार्च 2025 को 42.07% अग्रिम, 40.99% जमा और 51.71% अनर्जक आस्तियां और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.77% कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के मामले में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय केवल ऐसी शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(बी) हमने उन तीन (3) अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को ₹ 72.50 करोड़ की कुल आस्ति एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 24.52 करोड़ का कुल राजस्व और इस तिथि तक निवल नकदी प्रवाह ₹ 13.39 करोड़ है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन अनुषंगी कंपनियों से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण का मामला है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(सी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उन तीन (3) अनुषंगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी में संबंधित समूह के ₹267.74 करोड़ के निवल लाभ जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, शामिल है उनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षा हमने नहीं की है। हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 को समूह के ₹ 1994.98 करोड़ की कुल आस्ति, ₹ 809.69 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 74.56 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण की बात है, वहाँ समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे अभिमत में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(डी) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की संयुक्त लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई थी, उनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने 06.05.2024 की रिपोर्ट के तहत ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

(ई) उपर्युक्त मामलों, किए गए कार्य व अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों एवं निम्नोक्त अन्य विधिक और विनियामक रिपोर्ट पर हमारी राय में कोई आशोधन नहीं किया गया है।

5. समेकित वित्तीय विवरणों एवं एतदसंबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट को जारी करने के समय प्राप्त किया है (किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं एतदसंबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट तथा कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिलर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, अध्ययन करते हैं, यदि हम ऐसा मानते हैं कि उक्त में महत्वपूर्ण असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारियों को बताया जाना अपेक्षित है।

6. समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व:

बैंक का निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत निर्धारित मान्यता और लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के

महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं और इनका उपयोग उपर्युक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित संस्था को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर उपयोग करें, जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो, या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल सामूहिक संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

7. समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य, वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों से पूर्णतः मुक्त है, पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारे अभिमत सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है, लेकिन, यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही पहचान कर सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार में हम पेशेवर निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- समेकित वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के कारण हुई महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों में महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।
- समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में काफी गलत बयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (I) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (II) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तथ्यों पर विचार करते हैं।

हम बैंक अभिशासकों को अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान करते हैं।

हम अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

8. समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ एवं हानि लेखा तथा बैंक का समेकित नकदी प्रवाह, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं।
9. उपरोक्त 4, 6 व 7 पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्ष और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्ष, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
 - (बी) समूह के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं वह समूह के अधिकारों के भीतर ही हैं, और
 - (सी) कार्यालयों एवं समूह की शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
- 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी दिनांक 17 मार्च 2020 को जारी पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 में यथाअपेक्षित और उसके साथ वित्तीय वर्ष 2019 से एससीएएस के लिए रिपोर्टिंग दायित्व- 20, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 को एक साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर अपेक्षानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि
 - (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित लेखे की समुचित बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।
 - (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
 - (सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखापरीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है;
 - (डी) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - (ई) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई प्रेक्षण या टिप्पणियाँ नहीं है, जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - (एफ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। अनुषंगी कंपनियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक किसी भी अनुषंगी कंपनियों के

निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में अनुषंगी कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(जी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(एच) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के केवल एकल वित्तीय विवरणों पर ही लागू होगी एवं पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होती। तदनुसार, यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

कृते कैलाश चंद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 112318W

कृते एस. सिंघल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 001526C

कृते जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

सौरभ चौहान
पार्टनर
(एम. नं. 167453)
यूडीआईएन: 25167453BMLKTG2186

मुकेश कुमार खण्डेलवाल
पार्टनर
(एम. नं. 074661)
यूडीआईएन: 25074661BMKOJS2607

राजा गोपालन बी
पार्टनर
(एम. नं. 217187)
यूडीआईएन: 25217187BMLWUL6111

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

नरेश कुमार
पार्टनर
(एम. नं. 082069)
यूडीआईएन: 25082069BMLXEK3646

अरुण कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. नं. 082899)
यूडीआईएन: 25082899BMMBRU7546

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि: 03.05.2025

बेसल III पूंजी विनियमों के तहत प्रकटीकरण

बेसल III विनियमों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 के अनुसार, बैंकों को बेसल III पूंजी आवश्यकताओं के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकटीकरण, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है:
<https://www.indianbank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Brick by brick, we build your dreams together **IND Digi Home Loan**



Scan for info



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD



आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

Fast-track your wheels with just a few taps **IND Digi Vehicle Loan**



Scan for info

DIRECTORS' REPORT 2024-25

To
The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended **31st March 2025**.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The **major highlights** of your **Bank's performance during FY25** are as follows:

A. RESOURCE MOBILIZATION & ADVANCES:

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.24	31.03.25	YoY (%)
Global Deposits	688000	737154	7.14
Domestic Deposits	661826	702966	6.22
Of which Current	38598	39236	1.65
Savings	241414	243140	0.72
CASA	280012	282376	0.84
CASA Mix (%)	42.31	40.17	-
Overseas Deposits	26174	34188	30.62
Global Advances (Gross)	533773	588140	10.19
Domestic Advances (Gross)	498160	546283	9.66
Overseas Advances (Gross)	35613	41857	17.53
Total Business	1221773	1325294	8.47
Total Assets	792619	873411	10.19

- Global Deposits grew by 7.14% YoY and stood at ₹7.37 lakh Cr in March 2025.
- Domestic Deposits grew by 6.22% to ₹7.03 lakh Cr. Domestic CASA increased to ₹2.82 Lakh Cr and CASA share was at 40.17%. In order to augment the CASA portfolio, Bank has mobilized 36.08 lakh new CASA accounts (excluding BSBD Savings account) during FY25.
- Gross Advances of the Bank (Global) grew by 10.19% YoY and stood at ₹5.88 lakh Cr as on March 31, 2025 from ₹5.33 lakh Cr as on March 31, 2024.
- Priority Sector Advances were at **₹2.04 lakh Cr** as on

March 31, 2025. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY25 stood at **44.12%** as against the mandatory target of **40.00%**.

- Agriculture Credit (Priority Sector) was at **₹90,476 Cr** and as a percentage to ANBC the same stood at **19.55%** as against the mandatory target of 18.00%.
- All mandatory targets under priority sector stipulated by RBI have been surpassed during FY25.
- Gross NPA and Net NPA reduced to **₹18,179 Cr (3.09%)** and **₹1,110 Cr (0.19%)** respectively as on March 31, 2025 as against **₹21,106 Cr (3.95%)** and **₹2,223 Cr (0.43%)** respectively as on March 31, 2024.
- Total recovery of NPAs (cash recovery including recovery in AUC accounts, upgradation and MoI) during FY25 amounted to **₹7,651 Cr** as against **₹8,799 Cr** in the previous year.
- Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank improved by **176 bps** to 98.10% in FY25 as against 96.34% in FY24.
- Domestic Branch network of the Bank expanded to 5901, comprising of 1992 Rural, 1555 Semi Urban, 1182 Urban and 1172 Metropolitan branches. Besides, Bank has 3 overseas branches and 1 IFSC Banking unit (GIFT City). Total number of Bank's ATMs and BNAs stood at 5268 which include 608 offsite ATMs/BNAs and 3 mobile ATMs. Bank is also having 14667 Business Correspondents taking the Pan India touch points to **25837**.

B. INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.24	31.03.25	YoY (%)
Interest Earned	55615	62002	11.49
Interest Expended	32341	36826	13.87
Net Interest Income (NII)	23274	25176	8.18
Other Income	7867	9223	17.25
Of which - Fee Income	3298	3528	6.96
Operating Revenue (NII + Other income)	31141	34399	10.46

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.24	31.03.25	YoY (%)
Operating Expenses	14301	15401	7.69
Of which Employee Expenses	9265	9883	6.68
Other operating Expenses	5036	5518	9.57
Operating Profit	16840	18998	12.82
Provisions Other Than Tax	5889	4211	(28.49)
Profit before Tax	10951	14787	35.02
Provision for Tax	2888	3869	33.95
Net profit	8063	10918	35.41

- Interest income of the Bank grew by 11.49% to ₹62,002 Cr in FY25 from ₹55,615 Cr in FY24.
- Net Interest Income grew by 8.18% to ₹25176 Cr in FY25 from ₹23274 Cr in FY24.
- Fee based Income grew by 6.96% to ₹3528 Cr in FY25 from ₹3298 Cr in FY24.
- Operating Profit increased by 12.82% at ₹18998 Cr in FY25 from ₹16840 Cr in FY24.
- Profit before Tax grown by 35.02% to ₹14787 Cr in FY25 from ₹10951 Cr in FY24.
- Net Profit up by 35.41% YoY to ₹10918 Cr in FY25 from ₹8063 Cr in FY24.

C. KEY RATIOS FOR FY25:

(in %)

Parameters	31.03.24	31.03.25
Yield on Advances	8.72	8.75
Cost of Deposits	4.88	5.12
Net Interest Margin	3.47	3.41
Net Interest Margin (Domestic)	3.54	3.51
Cost Income ratio	45.92	44.77
Return on Assets	1.07	1.32
Return on Equity	19.24	20.76
Average Business per employee (₹ in lakh)	2657	2922
Profit per employee (₹ in lakh)	20.03	27.25

- Yield on Advances (YoA) up by 3 bps to 8.75% in FY25 from 8.72% in FY24.
- Return on Assets (RoA) increased by 25 bps to 1.32% in FY25 from 1.07% in FY24.

- Return on Equity (RoE) up by 152 bps to 20.76% in FY25 from 19.24% in FY24.
- Average Business per employee increased by ₹265 lakh to ₹2922 lakh in FY25 from ₹2657 lakh in FY24.
- Profit per employee increased by ₹7.22 lakh to ₹27.25 lakh in FY25 from ₹20.03 lakh in FY24.

D. NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank stood at **₹57,029 Cr** as on March 31, 2025 as against **₹47,491 Cr** in March 31, 2024.
- During FY25, Bank had raised Long Term Infrastructure Bond aggregating to ₹10,000 Cr and shareholding of Govt. of India (GoI) is 73.84%.

(in %)

CRAR as per BASEL III	As on	
	31.03.2024	31.03.2025
CET- I	13.52	15.36
Tier- I Capital	14.03	15.85
Tier-II Capital	2.41	2.09
Total	16.44	17.94

- As per Basel III norms, the CET- I ratio was at **15.36%** on 31.03.2025 compared to **13.52%** on 31.03.2024 as against minimum requirement of 8.00%.
- The Tier-I Capital was at **15.85%** as on March 31, 2025 as against **14.03%** as on March 31, 2024.
- The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) was at **17.94%** as on March 31, 2025, compared to **16.44%** in March 31, 2024 as against the regulatory requirement of **11.50%**.

E. RECRUITMENT / TRAINING

As per Government guidelines, Bank implemented the rule of reservation in direct recruitment for SC/ ST/EWS/OBC/PwBD category and pre-promotion trainings were offered to employees belonging to SC/ST/OBC and PwBD category during the process of internal promotions.

F. CHANGES IN THE BOARD DURING THE FINANCIAL YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors. DFS has appointed/nominated,

- Dr. Alok Pande as GoI Nominee Director of the Bank with effect from 13.05.2024.
- Shri Binod Kumar as Managing Director and CEO of the Bank with effect from 16.01.2025.
- Shri Sanjeev K Maheshwari was elected as shareholder Director of the Bank for a period of three years with effect from 21.12.2024 to 20.12.2027.

The details regarding the completion or cessation of the term of appointment are as follows,

- The term of appointment of Shri Shanti Lal Jain, as Managing Director of the Bank ceased on 01.01.2025 on his completion of term of appointment.
- The term of appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel as Part Time Non-Official Director of the Bank ceased on 21.12.2024 on his completion of term of appointment.
- The term of appointment of Shri Balmukund Sahay as Part Time Non-Official Director of the Bank ceased on 21.12.2024 on his completion of term of appointment.
- The term of appointment of Ms. Papia Sengupta as Shareholder Director of the Bank ceased on 29.10.2024 on her completion of term of appointment.
- The term of appointment of Dr. M P Tangirala as GoI Nominee Director of the Bank ceased on 13.05.2024 vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Notification No. 6/2(ii)/2022-BO.I dated 13.05.2024.

G. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025: –

1. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view on the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year ended March 31, 2025.
4. Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
5. The accounts have been prepared on a going concern basis.

H. ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, State Governments, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board is also grateful to the financial institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unwavering support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by

Shri Shanti Lal Jain, Dr. M P Tangirala, Ms. Papia Sengupta, Shri Vishvesh Kumar Goel and Shri Balmukund Sahay who ceased to be members during the financial year.

The Board also places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

(Binod Kumar)

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

The global economy is entering a new, more uncertain phase driven by rising tariffs and policy unpredictability. Tariffs are causing widespread disruptions, but the effect varies across regions. The IMF predicts a modest growth of 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026, indicating a challenging economic environment.

Uncertainty, especially that regarding multiple waves of tariffs by the US against trading partners, has surged to unprecedented levels. The degree of impact across countries, will depend on exposures to protectionist measures, geopolitical relationships, and financial linkages.

Global headline inflation continues to rule above the target for most economies with persistent services and core inflation hindering the pace of disinflation. IMF in its April 2025 'World Economic Outlook' predicts global inflation to reach 4.3% in 2025 and 3.6% in 2026, with notable upward revisions for advanced economies and slight downward revisions for EMDEs (Emerging Market and Developing Economies) in 2025.

The growing divergence in growth-inflation dynamics across countries resulted in varying monetary policy responses. Most central banks have become less restrictive but continue to remain vigilant and data dependent. Nevertheless, the pace of divergence increased further in the second half of 2024 and early 2025, when some countries extended easing cycle, some maintained status quo while some tactically started hiking rates to control any surge in inflation.

Going ahead, geopolitical conflicts, uncertainty surrounding tariffs, individual policy responses and financial market volatility can lead to lower investment spending, subdued consumer confidence and a slowdown in global trade. These may pose downside risks to global economic growth.

2. Indian Economy

Despite facing various global economic challenges such as trade disputes and geopolitical uncertainties, India's resilience shines through with a GDP growth of 6.2% in Q3FY25 compared to 5.6% in Q2FY25. The growth was driven by an improvement in consumer demand, higher export growth and increased government expenditure. However, it is lower than the growth rate of 9.51% YoY (revised) in the same period last year. RBI forecasts India's

GDP to be at 6.5% for FY26. While the YoY GDP growth of the country is below potential, India still remains one of the fastest growing economies in the world.

On the inflation front, domestic inflation declined from 5.36% YoY in FY24 to 4.63% YoY in FY25 – indicating moderation in overall price levels. This is the lowest annual inflation since FY20. This milestone highlights the effectiveness of the RBI's pro-growth monetary policy – balancing growth and price stability. Notably, the year-on-year inflation for Mar'25 fell to 3.34% - the lowest monthly inflation rate since Aug 2019. RBI projects that India's CPI-inflation will progressively align towards the inflation target of 4% in FY26. Assuming a normal monsoon, the inflation is predicted to be at 4.0% in FY26.

The high-frequency indicators during FY25 showed mixed trends. While the industrial growth (IIP) slowed, the PMI for manufacturing and services remained in the expansionary zone (above 50-mark). Some of the indicators performed well in the last quarter of FY25 suggesting steady growth in economic activity. For instance, the manufacturing PMI rose to 8-month high in Mar'25. GST collection rose to ₹22.1 lakh Cr in FY25, compared to ₹20.2 lakh Cr in FY24, recording a YoY growth of 9.4%. Further to this, Q4FY25 recorded a highest YoY growth of 19.4% in e-way bill generation. This indicates heightened economic activity in the last quarter of FY25 compared to previous quarters.

On the external sector front, India's merchandise trade deficit expanded in FY25 compared to that in FY24, due to a pickup in gold imports. Services surplus expanded, as services exports rose at a faster pace than imports. Going forward, net services and remittance receipts are expected to remain in large surplus, partly offsetting the trade deficit. The CAD for FY25 and FY26 are expected to remain well within the sustainable level. The Indian rupee, after months of depreciation, demonstrated relative strength and stability in Mar'25. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators stay robust.

Going forward, Government's push for consumption and capex through measures announced in Union Budget, record GST collections, robust outlook of agricultural sector, strong corporate and bank balance sheets will provide impetus to growth momentum. With cyclical recovery already underway, monetary policy support in terms of rate cuts, liquidity support and regulatory easing

will further help strengthen India's domestic growth amid rising uncertainties (especially the US trade policies and risk of reciprocal tariffs on India).

Union Budget FY25

The Union Budget 2025-26 promises to continue Government's efforts to accelerate growth, secure inclusive development, stimulate private sector investments, uplift household sentiments and enhance spending power of India's rising middle class. It highlights that **Agriculture, MSME, Investment and Exports** are four **engines of development**. With the theme – **Sabka Vikas**, the budget 2025-26 aims to stimulate balanced growth across all regions.

The nominal GDP for FY26 is estimated at ₹357 lakh crore, a 10.1% growth over FY25. The fiscal deficit for FY25 is estimated at 4.8% of GDP, with FY26 target at 4.4%. A lower fiscal deficit will reduce the fiscal impulse to the economy. Expectations on strong tax collections and contribution from disinvestment revenue and a large dividend from the RBI and other central public sector undertakings will help reduce the fiscal deficit.

The Government has emphasized agriculture as the foremost engine of India's development, focusing on improving productivity, farmer incomes, rural infrastructure and self-sufficiency in key commodities. It has focused on leveraging technology, institutional and capacity development and enabling credit availability.

MSMEs are described as the second power engine for development as they contribute 45% of exports. To help MSMEs achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs enhanced to 2.5 and 2 times, respectively.

Investment is categorized into three key areas – investment in people, economy and innovation. Under investment in people, setting up of Atal Tinkering Labs and enhanced financial support under PM Research Fellowship Scheme will bring improvement in learning outcomes amongst students. It will boost productivity through better research in new technologies like AI. Under the investment in Economy, infrastructure-related ministries will come up with a 3-year pipeline of projects in PPP mode. Under the investment in innovation, an allocation of ₹20,000 Cr is announced to implement private sector driven Research, Development and Innovation initiative.

With **exports** as the fourth engine of growth, the government announced that a dedicated Export Promotion Mission, headed by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance, aims to integrate MSMEs into global supply chains. A digital public infrastructure, 'BharatTradeNet' (BTN) for international trade was proposed as a unified platform for trade documentation and financing solutions. The Government continues to focus on the 'Make in India, Make for the World' initiative, with specific assistance to industries such as toys, leather, food processing, electric vehicles, and electronics through customs tariff rationalisation.

In the **banking and financial** sector, increased insurance penetration with raised FDI limit, will increase investments in India. The move will facilitate technology transfer and enhance India's ease of doing business. It will create job opportunities and potentially lower insurance premiums. Further, NaBFID will support infrastructure companies by providing partial credit enhancement for their corporate bond issuances.

It has introduced several reforms that are set to shape the banking sector in India. Some of the key trends are expected to emerge in the banking sector include:

Lessen tax burden

- The revision in individual income tax structure (rebate for incomes up to ₹12 lakh, with 5% tax for the ₹4-8 lakh bracket compared with ₹3-7 lakh earlier) will raise the purchasing power of the urban middle class. These measures are expected to boost household consumption next fiscal, due to increase in disposable incomes. Some of this increase would be channeled towards household savings, (which has softened in recent years) and towards repayment of household debt.
- The new tax proposals may lead to an additional deposit mobilisation of around ₹45,000 crore by the banks in 2025-26, boosting their liquidity for enhancing credit flows.

Boosting MSMEs

- Enhancement of the investment and turnover limits for classification of all MSMEs by 2.5 and 2 times respectively, is expected to improve efficiency, technological adoption and employment generation.
- To improve credit access for MSMEs, credit guarantee cover will be increased from ₹10 Cr to ₹20 Cr for startups. For micro and small enterprises, the cover

has been enhanced from ₹5 Cr to ₹10 Cr leading to an additional credit of ₹1.5 lakh Cr in next five years. Enhancing credit guarantee cover for micro enterprises and scheme for startups can play a vital role in addressing the considerable funding gap faced by MSMEs, which impacts micro enterprises the most.

Customized Credit Cards with ₹5 lakh limit for micro enterprises registered on Udyam portal and 10 lakh cards to be issued in the first year. This will address working capital needs of Udyam – registered micro enterprises.

RBI Monetary Policy

RBI's Monetary Policy Committee (MPC) at its first meeting of FY26 held during 7-9th Apr'25 decided to **cut the repo rate by 25 bps** to 6% and **shifted stance to 'accommodative'**. The decision came amid cooling inflation and slowing growth momentum.

This is the second time in a row that the central bank has cut repo rate to aid growth amid global uncertainties. Last time in Feb policy, the RBI had cut repo rate for the first time in five years.

Recent developmental and regulatory policy measures taken by RBI

During FY25, the Reserve Bank of India (RBI) has announced several developmental and regulatory policy measures aimed at fostering a transparent and digitally advanced financial sector.

The RBI **cuts CRR** of all banks by 50 bps in two equal tranches of 25 bps each to 4% of net demand and time liabilities (NDTL). This is the first CRR cut since Mar'20. The move led to an injection of ₹1.16 lakh Cr into the banking system.

RBI released revised **Priority Sector Lending (PSL) guidelines** effective from 1st Apr'25 – aiming to expand credit access to priority sectors. These include:

- Reduction of lending targets: Urban co-operative banks' priority sector lending target reduced from 75% to 60% of adjusted net bank credit or off-balance sheet exposures.
- Renewable energy loans: Limits set at ₹350 million for power generators/public utilities and ₹1.00 million for individual households.
- Housing sector limits: Categorized by population size - ₹5.0 million (5 million and above population), ₹4.50 million (1 to below 5 million population), and ₹3.50 million (below 1 million population); some exclusions apply.

- Weaker Sections: Expanded borrower eligibility and removal of loan caps for individual women beneficiaries by urban cooperative banks.
- Broader coverage: Enhancements aimed at better targeting priority sectors, facilitating economic growth.

RBI proposed **new LCR norms** wherein banks would be required to maintain a higher stock of high-quality liquid assets to manage sudden withdrawals. A key part of these norms was an additional 2.5% run-off factor for retail deposits accessed through internet and mobile banking.

The **draft project finance norms**, which were issued on May 3, proposed tighter guidelines on project financing under which lenders would have to make provisions of up to 5% on the outstanding exposures during construction, as against 0.4% currently, which would be reduced to 2.5% once the asset turns operational. As per the proposed norms, lenders are required to make the 5% provision in a phased manner-2% in 2024-25 (Apr-Mar), 3.5% in FY26 and 5% in FY27.

The above two proposed norms were initially scheduled to take effect from 1st Apr'25. However, it has been deferred by a year now; the earliest implementation date is now set for 31st Mar'26, on concerns raised by both public and private sector banks regarding potential liquidity challenges that these norms could introduce.

The **enhancement of UPI Limits** is intended to encourage wider adoption of UPI. The per-transaction limit for UPI123Pay is being increased from ₹5,000 to ₹10,000, and the limits for UPI Lite are also being raised. UPI Lite wallet limit increased to ₹5,000 from existing ₹2000 and per-transaction limit to ₹1,000 from ₹500.

The increase in interest rate ceilings on **Foreign Currency Non-Resident Bank (FCNR(B))** deposits will allow banks to offer rates not exceeding the Overnight Alternative Reference Rate (ARR) plus 400 bps for deposits of 1 year to less than 3 years from existing 250 bps, and ARR plus 500 bps for deposits with maturities between 3 to 5 years from existing 350 bps. This adjustment aims to attract more capital inflows.

3. Banking Sector:

Global economic factors, such as the pause in rate cuts by the U.S. and the ongoing tariff war, have triggered an outflow of foreign direct investment (FDI), leading to tight liquidity conditions in the country. However,

timely intervention by the Reserve Bank of India (RBI) through various measures including CRR reduction, repo rate cuts, regulatory adjustments, Open Market Operations (OMO), Variable Rate Repos (VRR), and currency swaps etc., effectively stabilized the situation. The liquidity crunch and higher base impacted credit growth in banks. Bank credit was driven by government-led capital expenditure and robust demand for housing and vehicle loans. However, the rollback of the risk weight circular on bank lending to Non-Banking Financial Companies (NBFCs), combined with a reduction in the repo rate, improved liquidity conditions and measures in the Union Budget, are expected to bolster credit expansion in FY26.

Over the past decade, household savings have undergone a significant transformation. Rising inflation has played a key role in this shift, diminishing the appeal of traditional bank deposits and encouraging savers to explore alternative asset classes such as capital markets, real estate and gold, which offer higher returns. Additionally, advancements in banking technology have empowered customers with greater flexibility in managing their funds, further slowing deposit growth.

To counterbalance the gap between credit growth and deposit accumulation, banks have introduced innovative deposit products, such as green deposits, auto-sweep facilities, and floating-rate deposits, alongside increased interest rates on fixed deposits. Additionally, recent tax initiatives in the Union Budget are anticipated to enhance deposit growth.

The Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio improved for the banks attributed to lower slippage and stronger recoveries. Improved asset quality has also positively influenced banks' Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR).

Looking ahead, banks may face margin pressure in FY26 due to an anticipated decline in interest income on average assets. Slower deposit growth has compelled banks to offer higher interest rates on term deposits, keeping deposit rates elevated. Simultaneously, the expected repo rate reduction by the end of this fiscal year may further weigh on interest income.

Year Ahead

Overall, the outlook for the Indian economy appears positive. In the face of a turbulent global environment, the country continues to demonstrate resilience. The growth momentum of the domestic economy

is supported by easing inflationary pressure, stable currency, proactive monetary support, growing consumption demand, fiscal discipline and a resilient financial sector. Having said that, uncertainties surrounding global developments pose a key risk to domestic growth outlook for FY26.

4. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business recorded a YoY growth of 8.5% reaching a level of ₹13,25,294 Cr in Mar'25 as against ₹12,21,773 Cr in Mar'24. Domestic Business recorded a growth of 7.7% and reached ₹12,49,249 Cr as against ₹11,59,986 Cr in Mar'24.
- Global Deposits grew by 7.1% YoY to ₹7,37,154 Cr in Mar'25 as compared to ₹6,88,000 Cr in the previous year. Domestic Deposits also grew by 6.2% to ₹7,02,966 Cr in Mar'25 as against ₹6,61,826 Cr in Mar'24. Overseas Deposit grew by 30.6% (YoY) to ₹34,188 Cr as on 31.03.25 as against ₹26,174 Cr on 31.03.24.
- Savings Bank Deposits (Domestic) stood at ₹2,43,140 Cr as on 31.03.25 as against ₹2,41,414 Cr as on 31.03.24 with a flat YoY growth of 0.7%.
- CASA Deposits stood at ₹2,82,854 Cr as on 31.03.25 as against ₹2,80,487 Cr as on 31.03.24 registering a subtle growth of 0.8% YoY. CASA ratios were at 38.37%(Global) and 40.17%(Domestic).
- Total Term Deposit grew by 11.5% (YoY) to ₹4,54,300 Cr as on 31.03.25 as against ₹4,07,513 Cr as on 31.03.24.
- Global Advances grew by 10.2% to ₹5,88,140 Cr in Mar'25 over ₹5,33,773 Cr a year ago. Domestic Credit grew by 9.7% YoY and stood at ₹ 5,46,283 Cr. (₹4,98,160 Cr as on March 31, 2024). Standard Advances have grown by 11.18% YoY.
- Global Credit-Deposit Ratio stood at 79.79%.

4(a) DOMESTIC DEPOSITS:

- Domestic Deposit is ₹702966 Cr, CASA is ₹282376 Cr and Term Deposit is ₹420590 Cr.
- Domestic Deposits grew by 6.22% (YoY), CASA grew by 1% (YoY) & CASA ratio stood at 40.17%.
- Under Savings Bank, Individual deposit grew by 2.41%, Institutional by 41.11% and Govt. Deposits de-grew by 15.98%, NRI deposit grew by 3.65%, FI SB Segment grew by 10.06% on YoY basis.
- Bank has added 54.59 lakh new CASA accounts

during FY25 including 18.51 lakh BSBD accounts.

- Bank is focusing on "CUSTOMER CENTRIC – DIGITAL CENTRIC" measures to strengthen market share.
- Liability Vertical has been remodeled for driving business on a segment basis viz., Government, Institutions, Individuals, NRI and FI
- Bank has expanded R&GR Cells by adding 3 new R&GR cells at Shimla, Jaipur & Raipur during FY25. 18 R&GR Cells are functional at all important State Capitals for mobilizing resources from Government Segment through offering Product Suites, Payment Solutions, Dashboards, etc.
- 100 RACs have been established across the country with dedicated 403 Relationship Managers (RMs), targeting deposit mobilization under Savings Bank from ETB & NTB Customers of Household / Individual from HNI, NRIs, Senior Citizens, Salaried Accounts of State / Central Govt. / Railways / PSUs/ IT employees & Institutions Accounts.
- Bank has entered partnership with various Government departments viz., Urban Local Bodies (15 Municipal Corporations have been provided with customized Fintech solutions along with the payment gateway for collection) etc. in order to increase penetration.
- Tab banking leveraged: with additional 36 SB products, 15 CA products, 4 RTD products, 15 New services, Tab penetration at branches is 100% and NTB Customer on-boarding through TAB has reached 94%.

4(b) RETAIL CREDIT:

₹ in Cr

Retail	31.03.2024	31.03.2025	YoY (%)
Home Loan (incl. Mortgage loans)	66423	74480	12%
Auto Loan	8016	11536	44%
Educational Loan	4485	4503	0.40%
Personal Loan	8566	7288	-15%
Jewel Loan (Non-Priority)	5366	9706	81%
Other Retail Loans	11879	11584	-2%
Total	104735	119097	14%

Highlights

- Bank has disbursed ₹45,742 Cr of Retail advances in FY25.
- Competitive rate of interest (RoI) & attractive product features in tune with market trends offered for customers in all Retail products
- RoI is based on CIBIL score irrespective of Loan amount for Home Loan, Vehicle Loan, Home Loan Plus and Ind Mortgage Loan.
- To strengthen the Mortgage lending portfolio, Bank has established Builder Relationship Teams (BRT) across 11 key locations, focusing on cultivating partnerships to generate high-quality Housing loan opportunities.
(Locations: Mumbai, Delhi/Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, Noida, Chennai, Lucknow, Coimbatore, Pune, Ahmedabad)
- Launched Home Loan Scheme for Economically Weaker Section (EWS), Low Income Group (LIG) and Middle-Income Group (MIG) individuals in Urban Areas with maximum Loan amount of ₹35 Lakh and Credit Guarantee Cover upto ₹20 Lakh.
- Launched PMAY 2.0 Home Loan Interest Subsidy Scheme to Economically Weaker Section (EWS-income upto ₹3.00 Lakh), Low Income Group (LIG-income upto ₹6.00 Lakh) and Middle-Income Group (MIG - income upto ₹9.00 Lakh) individuals in Urban Areas facilitating maximum interest subsidy of ₹1.80 Lakh for the 1st House.
- A new education loan scheme PM Vidyalaxmi for students of 860 Quality Higher Education Institutions (QHEI) has been launched by Government which will help the Bank in augmenting Education Loan business. To focus on Education Loan portfolio, Bank has introduced Education Loan digital journey integrated with PM Vidyalaxmi portal.
- Fintech partner has been on-boarded for developing digital platform to manage Pool/Co-Lending Model Portfolio.

4(c) AGRICULTURE

Performance under Agriculture Advances

- Agriculture credit of the Bank grew at 13.68 % YoY from ₹121062 Cr (Mar'24) to ₹137627 Cr (Mar'25)

Agricultural Disbursement:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLC), farm loans to the tune of

₹119679 Cr have been disbursed during FY25 against the target of ₹90000 Cr.

- Of the above, ₹90132 Cr was disbursed to 61.57 Lakh Small and Marginal farmers.

Performance under RBI mandatory targets under Priority Sector Advances in FY25

- Priority Sector Advances was at ₹204230 Cr as on 31.03.2025. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) stood at 44.12% as against the mandatory target of 40%.
- Agriculture Credit under priority sector was at ₹90476 Cr as on 31.03.2025 and the percentage to ANBC stood at 19.55% as against the mandatory target of 18%.
- Lending to SF/MF stood at ₹57679 Cr as on 31.03.2025 and constituted 12.46% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory target of 10%.
- Lending to Weaker Sections stood at ₹67315 Cr as on 31.03.2025 and constituted 14.54% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory target of 12%.
- Lending to MSE-Micro Enterprises (including PSLC) stood at ₹58832 Cr as on 31.03.2025 and constituted 12.71% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory target of 7.50%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹83759 Cr as on 31.03.2025 and constituted 18.10% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory target of 13.78%.

Credit flow to Self Help Groups:

- Self Help Group is one of the most important movements for women empowerment in India. Lending to Self Help Groups/Joint Liability Groups present an excellent opportunity to promote micro enterprises in rural areas leading to increased employment generation and in turn income to the rural masses.
- The advent of Self Help Group (SHGs) concept has ensured seamless delivery of credit to the poor and has boosted the rural economy. Indian Bank is pioneer in SHG linkage and was the 1st Bank to fund SHG way back in the year 1989.
- The outstanding credit to SHGs stood at ₹22224 Cr covering 5.04 lakh SHGs as on Mar'25. During the current financial year, the Bank had disbursed ₹15210

Cr to 3.22 Lakh SHGs (37.96 Lakh members).

- Bank has surpassed the Target set by National Rural Livelihood Mission under both disbursement of ₹13822 Cr and outstanding of ₹20908 Cr for FY25 as against targets of ₹10499 Cr and ₹16861 Cr respectively.

Microsate Branches:

- Bank has opened 5 new Microsate Branches during FY25. As on 31.03.2025, totally 57 Microsate Branches – Specialized branches available for focused lending under SHG and the outstanding in these branches constitutes 20% of total SHG portfolio of the Bank.
- These branches are serving as 'One Stop Shop' - providing credit as well as credit plus services like training, maintaining accounts/books etc. During the financial year 2024-25, credit amounting to ₹3245 Cr has been extended to 49789 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹4461 Cr covering 65508 SHGs as on March 2025.

Lakhpati Didi

- In line with the Govt initiative, Bank has launched a specific tailor-made product under "Lakhpati Didi" for financing individual women members for taking up individual Agri / MSME business enterprises.
- Bank has financed 17931 Women Led Enterprises amounting to ₹191 Cr and Bank is the Top Performer among PSBs under "Lakhpati Didi Scheme" for FY25.

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- Credit to Weaker Sections stood at ₹67315 Cr as at the end of March 2025, which works out to be 14.54% of ANBC as against stipulated norm of 12%.
- **Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns:** Special campaigns were conducted on quarterly basis for improving credit to Minorities and SC/STs beneficiaries.
- Credit to SC/ST and Minority beneficiaries under priority sector stood at ₹7212 Cr and ₹15878 Cr respectively as on 31.03.2025.



Best Performance Award Under Self Help Group Linkage Programme Awarded to Indian Bank For FY2023-24 by NABARD for the State of Tamilnadu.



The Best Performing Public Sector Bank Award In Tamil Nadu For SHG Bank Linkage Programme for the year 2022-23 & 2023-24 from Govt of Tamilnadu.

Awards and Accolades:

- Best Bank Award for SHG credit linkage from Tamil Nadu State Government continuously since 2010.
- Best performance award from NABARD continuously for the past 23 years.

4(d) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- MSME portfolio of the Bank has registered a YoY growth of 12% and reached ₹94,152 Cr in Mar'25 as against ₹84,121 Cr in Mar'24.
- Micro, Small & Medium MSME segments grew by 6.25%, 24.87% and 11.05% YoY respectively.
- Standard MSME grew by 14.75% YoY to ₹86,682 Cr in Mar'25 as against ₹75,539 Cr in Mar'24.
- Micro MSME under priority sector (including PSLC) was at ₹58,832 Cr as on 31.03.2025 and the percentage to ANBC stood at 12.71% as against the mandatory target of 7.50%.
- The NPA percentage under MSME portfolio reduced by 227 bps to 7.93 % in Mar'25 from 10.20% in Mar'24.
- Bank opened 85 MSME processing centres (MAPC) for improving Turn Around Time (TAT) and ensuring

quality lending. Out of which, "4" New MAPCs opened at Bahraich, Mysore, Kumbakonam and Berhampore.

- Total of 3.12 Lakh accounts amounting to ₹11119 Cr have been sanctioned/ renewed digitally under MSME segment during the FY25.
- For extending short-term working capital finance to Dealers / Vendors, Supply Chain Financing (SCF) has been launched. Business under SCF(MSME) has reached ₹909 Cr as on 31.03.2025.
- To address liquidity issues of MSMEs, our Bank is actively participating in all the '3' TReDS platform. Bills amounting to ₹5062 Cr were discounted during FY25.

MSME Clusters:

- Comprehensive Cluster schemes to cater the needs of NER (North East Region) & Southern States including Coastal regions covering 74 districts have been formulated to tap the untapped potential in those areas.
- RoI under cluster schemes has been rationalized in line with peer banks. "74" Relationship Mangers (RMs) have been identified across all clusters for close and constant monitoring.
- Business under MSME Clusters stood at ₹6,782 Cr as on Mar'25 registering a growth of 18% on YoY basis.

PMSVANIDHI Scheme – Loans to Street Vendors

Bank has extended credit facility to 7.47 lakh street vendors with sanctioned amount of ₹891 Cr and disbursement of ₹881 Cr.

MUDRA Scheme

During FY25, Bank has disbursed MUDRA loans amounting to ₹8760 Cr against target of ₹8400 Cr achieving 104% of the target.

Stand Up India Scheme

Bank has provided credit assistance to 13,393 SC / ST / Women entrepreneurs against target of 11,384 achieving 118% of the target.

PM Vishwakarma Scheme:

Bank has sanctioned loans to 11944 artisans amounting to ₹65 Cr under the scheme. Digital Journey for PM Vishwakarma scheme has been launched for enhanced customer experience.

MSME PRERANA

Till Mar'25, 'MSME Prerana' - business mentoring programme for MSMEs has been conducted for 64 batches and 1956 entrepreneurs (of which 897 are Women) have

been trained in 8 languages across 12 states/UTs viz., Tamil Nadu, Pondicherry, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra, Telangana, Gujarat, Odisha, West Bengal, Bihar, Rajasthan, and Karnataka.

STARTUP Financing

- 'Ind Spring Board' has been designed to extend credit assistance for specific needs of Startup companies.
- Bank has opened "10" innovative Start-Up cells across major start up hubs of the country - Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Delhi, Gurgaon, Guwahati, Hyderabad, Kanpur and Mumbai.
- Bank has entered MoUs with 13 Premier Institutes (IITs, IIMs etc.). Business under Start-ups has grown by 59 % from ₹207 Cr as on 31.03.24 to ₹330 Cr as on 31.03.2025.

Awards & Accolades:

- Awarded **"Best Bank CSR Initiative & Business Responsibility - Winner"** by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME)
- Awarded **"Best Bank for Creating Awareness - Runner up"** by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME)

New Initiatives taken during FY25:

A. Digital Initiatives:

- During FY25, 8 Journeys have been launched, viz., MSME LAP, IND SME Secure, General MSME, IND MSME DIGI, GST SAHAY, IB Trade well, PM Vishwakarma and MSME SHG.
- Total 14 Digital Journeys are live under MSME segment, which constitutes to 60% of MSME portfolio.
- IND MSME DIGI Journey (Business Rule Engine) has been launched in line with Budget announcement - Score Card based Credit Assessment model by leveraging digitally fetched and verifiable data in the ecosystem.
- Digital Journey for PM Vishwakarma launched for enhancing customer experience and quick disposal of applications.

B. Other Initiatives:

- Bank has opened Government Sponsored Schemes Processing Centres (GSSPC) at 5 locations opened for processing MSME Govt Sponsored Schemes and to improve asset quality. (Bhopal, Gonda, Gorakhpur, Salem, and Tirunelveli)
- Customized loan schemes were launched, aimed to

meet the specific financing needs of MSMEs across the entire ecosystem viz., Equipment Finance, Health Care Sector and Professional Special.

- Collaborated with Dun & Brad Street & CIBIL for driving partnership driven business growth under MSME segment.
- MoU has been inked to provide affordable financing to MSMEs acquiring Commercial Vehicles and to increase our portfolio.
- Green Financing: New MSME loan product "Scheme for financing Manufacturers / Suppliers / Vendors of Solar Panels" for funding empaneled vendors under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana along with MSE SPICE & MSE GIFT schemes has been launched to promote circular economy and green lending.
- "71" new Corporates have been on boarded under TReDS Platform to address the liquidity issues of MSMEs, totaling to 369 Corporates (Anchors).

4(e) CORPORATE CREDIT

- Corporate Credit of the Bank stood at ₹1,95,407 Cr (Mar'25) constituting 36% of the overall domestic credit of the Bank. During FY25, Corporate Credit has grown by 4% YoY. 9 Large Corporate Branches & 29 Mid Corporate Branches located at centers with high business potential are catering to the needs of corporate customers.
- Focus is on Emerging & designated Champion sectors viz., Data Center, Chemical, Pharma, Tourism, Hospitality, Defence, Oil & Gas, Electric Vehicles, Renewable Energy, to add value to the credit portfolio and achieve growth. Special Focus is also on other infrastructure like solar module manufacturing, City Gas Distribution (CGD), smart metering, and cash flow-based lending.

4(f) OVERSEAS CREDIT

Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna and one IFSC Banking Unit (IBU) at GIFT City, Gandhi Nagar, Gujarat. Total outstanding Advances (gross) of the foreign branches (including IBU) as on March 31, 2025 was ₹ 41857 Cr as against ₹ 35613 Cr a year ago with a YoY growth of 17.5%.

4(g) FOREX BUSINESS

- Turnover in Merchant Foreign Exchange business of the Bank increased 10% QoQ to ₹26,415/- Cr in Q4FY25. Total merchant turnover amounted to ₹85,752 Cr during FY25.
- Export credit (standard) business of the Bank increased by 5% QoQ to ₹2,869 Cr in Mar'25.

- Forex Transaction processing has been revamped by integrating multiple portals for speedy disposal of customer transactions. All branches are now enabled to handle forex transactions, and thus the customers can submit documents for forex transactions to their home branch.

4(h) NON-RESIDENT BUSINESS

Non-Resident (NR) business is a thrust area which offers significant growth potential. Realizing the future of NR and Remittance Business, Bank took a proactive step of creating a separate NR Vertical. During the fiscal, NR Vertical has taken several steps to take Bank's NR services and business to the next level, the significant ones among them being:

1. Refined processes and system capabilities to take care of all Regulatory guidelines.
2. Digitalisation drive for catering to almost all requirements of the Non-Resident customers through mobile / internet platforms. NRI customers can now send inward and outward remittance instructions to the Bank through Internet Banking, open and close Term Deposits through the digital channels.
3. Acceptance of request for opening new NRE/NRO SB accounts through the digital channel is facilitated.
4. Imparted training to branches to improve knowledge level and sales skills. Around 3000 NR centric branches have been covered so far.
5. 24x7 client support centre launched in the year comes as a boon to the clients located at different parts of the globe.
6. Bank has brought in new products which are comparable to the best in the industry viz., the innovative IND Rupee Gain, a product with the combination of Foreign Currency Deposit and Forward Contract that offers a return way higher than the traditional deposit.
7. Bank has developed a Rupee Remittance portal for RDA and on-board Exchange Houses / Banks abroad as channel partners.
8. IND NR Connect - a meet of Non-Resident clients, held across the country with huge customer participation.
9. Dedicated Relationship Managers were recruited and placed in NR Centric centres to provide personalised service to the clients.



NR Connect New Delhi 09.01.2025



NR Connect Mumbai 10.01.2025



NR Connect Chandigarh 21.12.2024



NR Connect Ernakulam 27.12.2024

4(i) FINANCIAL INCLUSION

Progress in opening of PMJDY Accounts:

- As on 31.03.2025, Bank has 235.29 lakh PMJDY Accounts.
- Balance outstanding in PMJDY accounts as on 31.03.2025 is ₹12,223.36 Cr with a YoY growth of 10%.
- The average balance in PMJDY accounts of the Bank stands at ₹5,195 which is more than industry average of ₹4,719 as on 31.03.2025.

BC Network

- Bank is having 20 Corporate Business Correspondents (CBCs) with total 14,667 BCs as on 31.03.2025.
- During FY25, Bank has deployed 3,725 new BCs.

YOY growth in key FI parameters since Mar'24 is as under.

IB Cumulative (Standalone): (Numbers in Lakhs)

Name of the Scheme	Mar'24	Dec'24	Mar'25	YoY
PMJDY	224.25	235.22	235.29	5%
PMJJBY	64.35	79.78	85.52	33%
PMSBY	157.39	183.77	190.81	21%
APY	38.44	43.28	44.82	17%

Market Share in Social Security Schemes PMJJBY & PMSBY compared to industry:

Name of the Scheme	Mar'24	Dec'24	Mar'25	Improvement in bps (YTD)
PMJJBY	3.24%	3.60%	3.64%	40
PMSBY	3.60%	3.78%	3.76%	16

- Under Social Security Schemes, Bank enrolled 21.02 Lakh Customers in PMJJBY and 33.05 Lakh Customers in PMSBY till 31.03.2025.
- In Micro Pension Scheme – APY, during FY25, Bank has added 6.38 lakh fresh enrolments with an Average Account Per Branch (AAPB) of 106 against proportionate target of 90 as on 31.03.2025.

Skill Development and Financial Literacy

- INDSETI (Indian Bank Self Employment Training Institute):** During FY25, 36,565 candidates were trained as against the target of 35,601 (Achievement 103%) through 1,203 programmes.
- Financial Literacy Centres (FLC)** conducts awareness camps, on various aspects of financial literacy viz. modes of operation and benefits of bank

accounts, social security schemes, digital banking, banking products, cyber-security, etc. During FY25, 42 FLCs have conducted 3,184 camps which were attended by 1,62,351 participants.

- Centre for Financial Literacy (CFL):** A total of 40,285 camps were conducted by 142 CFLs during FY25 which were attended by 12,52,629 participants.

Awards/ Appreciations:

S No	Campaign	Period	Ach %	Award Qualified for
1	APY Trendsetters	5 th Jun-31 st Jul'24	107.62 %	Trendsetter of the Year
2	APY Mega Milestone Awards	5 th Jun-5 th Oct'24	110.28 %	Par Excellence Milestone
3	Retirement Revolutionaries	5 th Aug-5 th Oct'24	107.02 %	Exemplary Revolutionary
4	APY Olympics	20 th Nov-31 st Dec'24	115.89 %	Gold Medal Winner
5	Annual Awards Campaign FY25	FY25	118 %	APY Annual Award of Excellence Achiever



PAR EXCELLENCE MILESTONE Award for APY Mega Milestone from PFRDA on 25.04.25



APY Annual Award of Excellence Achiever for FY24 from PFRDA on 21.06.24

4(j) BANCASSURANCE & MUTUAL FUND

- Bank has earned an income of ₹181 Cr through Bancassurance business in FY25 as against ₹163 Cr in FY24.
- Bank has tied up with M/s Fisdom and M/s IBMBS for Mutual Fund distribution and Demat & Trading services through IndSMART Mobile banking application.
- Bank has its Board approved Policy on Bancassurance and Wealth Management that defines the manner of customer solicitation, servicing, grievance redressal for insurance and wealth management products.
- Automation of Bancassurance vertical by introduction of Digital Insurance Platform (ISNP certification) with aim to achieve 100% digitisation of this channel. Presently, General and Health Insurance journeys are live on Bank's Digital Insurance Platform.

4(k) GOVERNMENT DEPOSIT/SAVINGS SCHEMES

SUKANYA SAMRIDDHI SCHEME

30179 new accounts were opened during FY25, taking the total number of accounts to 174766. The amount collected during FY25 was ₹27.71 Cr and the outstanding amount was ₹1618.53 Cr.

PUBLIC PROVIDENT FUND

16745 new accounts were opened during FY25, taking the total number of accounts to 544469. The amount collected during FY25 was ₹43.64 Cr and the outstanding amount was ₹11458.13 Cr.

SENIOR CITIZEN SAVINGS SCHEME (SCSS)

14194 new accounts were opened during FY25, taking the total number of accounts to 160650. The amount collected during FY25 was ₹2194.09 Cr and the outstanding amount was ₹10732.39 Cr.

MAHILA SAMMAN SAVINGS CERTIFICATE (MSSC)

3173 new accounts were opened during FY25, taking the total number of accounts to 8488. The amount collected during FY25 was ₹32.79 Cr and the outstanding amount was ₹92.24 Cr.

KISAN SAVINGS CERTIFICATE

2277 new accounts were opened during FY25, taking the total number of accounts to 3122. The amount collected during FY25 was ₹16.08 Cr and the outstanding amount was ₹24.38 Cr.

NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE VIII ISSUE (NSC)

2643 new accounts were opened during FY25, taking the

total number of accounts to 3933. The amount collected during FY25 was ₹27.07 Cr and the outstanding amount was ₹36.44 Cr.

5. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

Domestic Branch network of the Bank stood at 5901 branches as on 31.03.2025, comprising of 1992 Rural, 1555 Semi Urban, 1182 Urban and 1172 Metropolitan branches. Apart from the above, the Bank has 3 overseas branches viz., in Singapore, Colombo, Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City Gandhi Nagar, Gujarat.

During FY25, the Bank has expanded its branch network by 65 customer interface banking outlets (64 branches and an extension counter) which included 2 Mid Corporate branches and 5 Microsate branches for SHG, 5 Specialized MSME branches, 7 branches opened in Unbanked Rural Centres, 6 branches in Left Wing Extremist districts and 1 branch in North-Eastern State of Arunachal Pradesh.

The Bank rationalized 10 branches during the financial year, towards consolidation of banking outlets.

6. DIGITAL TRANSFORMATION AND ADOPTION

- Bank has achieved **₹1,67,390.39 Cr** of Digital Business for FY25 as against **₹ 81,250.34 Cr** during FY24 through 121 Digital Journeys/utilities/processes.
- Registered more than 2 times growth in Digital Business on YoY basis for FY25.
- Bank has surpassed targets under Retail, AGRI and Digital Liability segments for FY25.
- Digital Retail Asset business was at **₹26670.91 Cr**, Digital AGRI business was at **₹94,444.59 Cr** and Digital MSME business was at **₹15,848.27 Cr** for FY25
- Under Liability segment, Bank has achieved **₹29,439.11 Cr** of digital liability business for FY25, registering 2.7 times growth in Digital Business on YoY basis.
- Overall Digital Adoption rate stands at **84%** (in terms of Accounts) & **68%** (in terms of Amount) for FY25.
- Under Retail, Agriculture and MSME Segments, Bank has achieved 81%, 90% & 81% Digital Adoption respectively for FY25.
- Bank has focused on enhancing its mobile banking capabilities to provide customers with a seamless and secure banking experience across devices of



their choice. This includes providing enhanced UI/UX with Omni-Channel experience having integrated mobile payment solutions, such as UPI, BBPS, Digital market place etc. to facilitate quick and convenient transactions. The implementation extends across all channels in both Retail and Corporate Banking, including Mobile Banking, TAB Banking, Kiosks, and Internet Banking



- Bank is driving customer outreach for adoption of **new digital offerings** through various channels besides conducting internal outreach through employee engagement sessions. The digital adoption for the year ended Mar'25 is 68%.



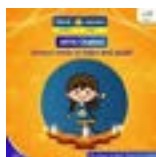
- Bank has implemented **Cash Management Services (CMS)** digital platform to cater to Corporate customers for managing their cash flows more effectively and fund management without Brick & Mortar Banking approach. Presently, implemented for Closed User Group (CUG) and scheduled for roll-out in a phased manner with enhanced functionalities such as virtual account, Door-step banking, cash forecast, etc.



- Bank has implemented **Digital Co-Lending and pool buy-out platform** to onboard pool buy-out and co-lending of loans in partnership with NBFCs. Pool data migration successfully carried out and new on-boarding journey is under progress.



- Bank has implemented various **enhancements in the existing chatbot "ADYA"** with advanced features. Enhancements made for UI/UX, WhatsApp integration, guided menus, automated voice, view account details, account balance, mini statement through e-mail, apply cheque book, stop cheque, term deposit enquiry, stop cheque payment, Debit card blocking and CIF blocking.



- Digital Lending journeys are successfully **migrated to micro-services enabled cloud platform**



for achieving scale of operations, with a robust and resilient system.

- Digital insurance platform** is integrated with

Internet Banking/Mobile Banking/Omnichannel Platform since August 2024 for sales and servicing of Bancassurance products. Health and General insurance products (including Vehicle: 2W/4W/ Commercial vehicles, Bharat Graha Raksha, Commercial insurance: building/stocks)



- More than ₹5100 Cr digital business has been done through **RBIH's ULI platform integration** with our DLP journeys.



- A Generative AI powered conversational Chatbot "Employee Assist" is launched for support of field functionaries for Digital journeys. The bot functionality is being scaled across other products and processes

- Jewel appraiser App released for digital jewel appraisal process, to strengthen controls and improve TAT



7. ANALYTICS CENTRE OF EXCELLENCE (ACoE)

Initiatives taken for improvement of Data Quality:

As per directions of IBA EASE, Data Governance framework has been implemented in the Bank. Few of the key initiatives taken for improving data quality are:



- Establishment of Data Governance Policy and SOP on various areas of Data Governance
- Creation of a dedicated cell for Data Governance/ Data Management at the Corporate level
- Development of dedicated dashboard for tracking Data Quality Index in new and legacy CIFs / accounts

Initiatives taken to drive Data-driven decision making and Business Intelligence:

- 40+ Data Analytical models have been developed

in the areas of business growth, compliance, risk management, cost optimization, etc.

- 200+ Power BI management dashboards have been developed to track performance of bank in various matrices and KPIs.
- Key achievements using data analytical models are:
- Lead generation related AI/ML models such as Cross/Up sell, Churn Prediction, Win-back model, Retail Assets – Lead Net etc. have helped to improve Bank's business by ~ ₹8186 Cr during FY25.
- Improved Bank's overall performance in EASE evaluations on analytical capability from 45% (Baseline Mar'24) to 75% (Q4 FY25)
- Money Mule identifier analytical model has been developed for identification of suspected money mule accounts.

8. CREDIT MONITORING

Credit Monitoring commences from scrutiny of sanctions covering the entire loan lifecycle. Containment of Fresh Slippages and upgradation of Fresh NPAs coupled with maintenance of asset quality during the life span of the asset, right from disbursal of the loan, till the loan is closed or to the stage of NPA falls within the ambit of Credit Monitoring Department.

SMA Ratio					₹ Cr
FY =>	Mar-21	Mar-22	Mar-23	Mar-24	Mar-25
Total SMA	75,694	74,932	72,061	79,931	45,923
Standard Advance	351862	380411	445408	512666	569962
Share in Standard Advances	21.51%	19.70%	16.18%	15.59%	8.06%

Both under QoQ and YoY basis, total SMA ratio is under reducing trend. It has reduced from 15.59% to 8.06% on YoY basis and 11.88% to 8.06% on QoQ basis. Quality of assets is improving year on year.

Slippage Ratio					₹ Cr
FY =>	Mar-21	Mar-22	Mar-23	Mar-24	Mar-25
Fresh NPA	9,152	9,807	6,642	6,636	5,683
Standard Advance of Previous FY	326666	351862	380411	445408	512666
Share in Standard Advances	2.80%	2.79%	1.75%	1.49%	1.11%

- Fresh NPA during FY25 is ₹5683 Cr with Slippage ratio of 1.11%.

- Received SKOCH Corporate Excellence Award Gold for SMA Collection Proclivity Predictor – It is a tool to forecast the likelihood of an SMA account becoming NPA so that a borrower specific risk based customized approach can be adopted to prevent these accounts from slipping into NPAs.
- A new initiative aimed at enhancing our customer service through an OTP-validated feedback mechanism is implemented to improve the customer service in more efficient manner.
- Implementation of New Gen Call Centre in 8 FGMOs and Feet on Street in 30 Zones by on-boarding collection agents through Bank's wholly owned subsidiary – IGSSL, which will be implemented in PAN India basis in phased manner.

9. ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Asset quality of Bank has improved as reflected through GNPA of 3.09% as on Mar'25 against 3.95% as on Mar'24 and Net NPA ratio of 0.19% as on Mar'25 improved from 0.43% as on Mar'24.
- The Provision coverage ratio of the Bank as on Mar'25 was 98.10% which has improved from 96.34% as on Mar'24,
- Bank has made recovery of ₹486 Cr during FY25 from NCLT admitted accounts.
- Under the SARFAESI Act, during the year, 9726 properties with reserve price amounting to ₹14133.58 Cr brought for sale and 1501 properties were sold with sale price of ₹1398.12 Cr.
- Bank has actively participated in all National Lok Adalat and organized various Lok Adalats at Mandal level. 34657 accounts were settled with settlement amount of ₹245.35 Cr.
- From Bad Debts Written off accounts (AUC), an amount of ₹3019 Cr was recovered during the year.

10. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

FY25 Achievements

- 129% YoY growth in total income (FY24 – ₹102 Cr).
- 218% YoY growth in Supply Chain Finance Assets Under Management (AUM) to ₹1,316 Cr (FY24 - ₹414 Cr).
- Exceeded Supply Chain Finance Interest Income target by 40% to ₹68.84 Cr.
- 74% YoY growth in fee income (Direct Debits/NACH) to ₹162 Cr (FY24 - ₹93 Cr).

- 78% YoY growth in Direct Debits & NACH transaction volume to 3.81 Cr (FY24 – 2.14 Cr).
- 22% YoY growth in total value of transactions processed for all collection products including Direct Debits & NACH to ₹72,000 Cr (FY24 – ₹59,000 Cr)
- Achieved average CASA growth of ₹837 Cr.

A) Supply Chain Finance

- Initiated 10 new SCF programs during FY25 with an overall program limit of ₹1300 Cr .
- 132% YoY growth in on-boarding of new dealers to 172 (FY24-74) with 82% growth in sanctioned limits to ₹1038 Cr (FY24 - ₹569 Cr). Additionally, on boarding of 33 dealers are in progress with a sanctioned limit of ₹200 Cr.
- Loan Origination System (LOS) for new Supply Chain Finance programs was launched in Mar'25.

B) IND Cash Optima

- IND Cash Optima – MVP -1 launched for CUG customers in the month of March 2025. The product offers the following market differentiating features to Large Corporate and Government business.
 - One of only 3 Banks with cloud-native application built on microservices architecture
 - New Corporate Internet Banking portal
 - Payment workflows including alerts required in the complex “procure-to-pay” process
 - Tracking payments against the approved financial budgets during the financial year
 - Virtual Account wallets, eliminating the need for maintaining large number of accounts
 - Collections dashboard providing quick insights on receivables
 - Collection and payment reports with Report Writer capability for ease of customization
 - New invoicing and billing capability
 - Integrated with Enterprise Fraud Risk Management System.
 - Governance over pricing through monitoring of CASA
- **Corporate Cash Handling Services** for Cash Pickups launched on a Pan-India basis in Sept 2024.

C) Direct Debits & NACH

New Direct Debits / NACH/e-NACH relationships initiated with Corporate customers.

D) Collection Business

- 18% YoY growth in on-boarding of new merchants to 400 (FY24 – 339) with 300% growth in collection amount to ₹6000 Cr (FY24 – ₹1500 Cr).
- Standard Pricing established for Merchant Acquiring business after renegotiation with existing Payment Aggregators resulting in an additional revenue of ₹50 lakh.
- Dynamic MIS Dashboard has been created for field functionaries to effectively monitor business transactions, CASA, Active/Inactive accounts etc.
- Total Large Payment Aggregators stand at 15.
- Conducted Virtual Training Program on CMS Collection products & trained over 350 field level functionaries.

11. RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of the Bank.

The Board has also constituted a Risk Management Committee (RMC) which oversees the different type of risks. The Bank has put in place various policies to manage the risks, viz., Integrated Risk Management Policy, Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy. All the policies are reviewed at regular intervals by Board.

The following specific committees have been constituted to facilitate focused oversight on various risks viz., (i) Asset Liability Committee (ALCO) (ii) Credit Risk Management Committee (CRMC) (iii) Operational Risk Management Committee (ORMC) (iv) Market Risk Management Committee (MRMC) & (v) New Product Process Approval Committee (NPPAC). These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

Credit Risk:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. Losses arise from outright default or reduction in portfolio value. Bank has a comprehensive credit risk architecture, policies, procedures, and systems

for managing credit risk in its retail and corporate portfolio. Systems are in place to ensure credit quality and minimize default losses at front and back-end. The factors considered for underwriting of retail loans includes due diligence, income characteristics, banking behaviour, demographics, credit history, loan tenure, loan to value etc. In addition, multiple credit risk score card models are developed and used to assess different segments of customers based on portfolio behaviour. Selection of borrowers with prime CIC scores at on boarding is adopted by the Bank. In Corporate loans, credit risk is managed by capping exposures and entry barriers based on borrower group, industry, rating grades, facility and country etc. credit Risk Management is also backed by portfolio diversification, Risk rating, stringent credit approval processes, documentation check, periodic post-disbursement monitoring measures. Robust model is in place to assess industry outlook to decide the negative sector or the industry to be focused for financing. Variety of stress scenarios beyond the regulatory prescription like macroeconomic / sectoral and other trends are being adopted for stress testing of the portfolio. Portfolio study is being conducted on regular basis to understand the built-up stress in portfolio and to initiate corrective measures. Credit portfolio is well diversified in bank, with no single industry having a high concentration. Bank has a conservative and prudent policy for specific provisions on NPAs as well as additional provisions beyond the regulatory prescription for standard assets. Digital lending has emerged as a convenient and quick method for customers to secure loans with just pressing the button. Bank has implemented appropriate measures to manage these risks effectively through proper evaluation of loan eligibility. Business Rule Engines are made robust with integration of APIs to collect information from various sources to access the risk profile of the borrower. Digital loan portfolio analysis is being conducted on quarterly basis to understand the portfolio behavior and to introduce corrective measures in the business rule engine.

Credit Review Framework

Under PSB Reforms Agenda - Ease of Access and Service Excellence (EASE) - Banks are mandated to achieve defined action points for improving the credit risk assessment and underwriting. In view of the same and given the dynamic & volatile market environment and plethora of external and internal risk factors inherent in credit proposals, Bank has adopted the Credit Review Framework to strengthen

the underwriting process and to categorize risk level of the credit proposals into Low, Medium, High and No-go (Very high) categories. Under this structure, risk is being quantified based upon matrices on risk factors embedded in seven broad parameters namely Borrower, Promoter and Group Entities, Activity/Industry, Security Coverage, Conduct of facilities, Ratings and Compliance position along with subjective parameters. The framework is applicable for loan proposals of ₹50 Cr and above for Corporates and ₹10 Cr and above for MSME segments providing additional tool/ dimension in processing/ sanctioning.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management framework facilitates the Bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for Asset Liability Management. The Asset Liability Management framework consists of the following key components:

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and Scenario Analysis
- Contingency funding plan

Asset - Liability Management aims to achieve two primary objectives as listed below:

- **Short Term Objective:**
 - To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
 - To provide adequate liquidity
 - To manage re-pricing risk
- **Long Term Objective:**
 - To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, review of product pricing of deposits and advances, maturity profile of the assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank and overall, Balance Sheet Management.

Automation of ALM reports is completed for placing the same to Funds and Investment Committee (FIC) on daily basis and to Asset Liability Management Committee (ALCO). Bank has also automated the computation process of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB).

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by adverse movements in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets. Market Risk Management (MRM) Framework includes, Risk Identification, Risk Measurement and Limits, Risk Monitoring & Risk Reporting.

Mid Office monitors treasury operations on day-to-day basis. A weekly summary note is placed to Chief Risk Officer and to MRMC, at least, on quarterly basis.

Operational Risk:

Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) to develop a common understanding of Operational Risks across the Bank and inculcate risk culture/awareness ensuring effective governance, identification, assessment, measurement, monitoring and risk controls/mitigation by usage of various Operational risk management tools/techniques. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods, established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analyzed and corrective actions, if required, are initiated.

Bank has put in place framework for Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk areas and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Outcome of RCSA exercise helps in identifying High residual risk areas and build controls to address control gaps. From Control deficiencies identified during the RCSA exercise, KRIs are evolved to monitor and improve the process. KRIs are early warning signals, to monitor operational risks that are reaching beyond acceptable levels.

Loss data analysis is a source of identification of key risks. The inherent risk rating & residual risk rating of operational risk would serve as an indicator in identification of KRI.

Key Performance Indicators (KPIs) are also monitored to identify risk indicators that essentially tracks the potential risk drivers affecting the business objectives. Root Cause Analysis of major operational loss events is done to find out the modus operandi, failed controls and control gaps. Based on the findings, suitable mitigation strategies are designed, such as automation of process wherever possible, reiteration of guidelines & sensitization of field functionaries for being alert to avoid such recurrences from the lessons learnt out of the event etc.

Risk officers have been designated in each zone, Field General Manager's Office and Overseas to act as an extended arm of Risk Management Department to bridge between First line of defence and Second line of defence.

Primary role of Risk Officers would be to coordinate with Risk Management Department to support and manage various types of risks namely, Credit risk, Portfolio monitoring, Operational risk, Capital conservation, Assets Liability Management emanating from business units. Suitable training and hands on workshops are arranged for the officers to enable them understand and spread risk culture in the field.

Model Risk Management Framework is in place covering the Model life cycle such as Model Governance, Maintenance of model inventory, Model identification criteria, Model documentation, Model Risk tiering, Model validation, Model on going monitoring, Model health assessment and Model Risk assessment wherein internal and external Model validation shall be carried out periodically.

Operational Resilience Framework has been designed in line with RBI guidance note on Operational Risk and Operational Resilience.

The objective of Operational Resilience policy document is to establish a comprehensive and systematic approach to enhance the Bank's ability to withstand and recover from disruptions, thereby ensuring the continued delivery of important business services to customers, safeguarding the Bank's reputation, and fulfilling regulatory obligations.

Information Technology Risk:

Use of Information Technology and Digital Adoption has changed the way, the Bank conducts its business, carries out its operations and provides customer services. As adoption of the new emerging Information technology

is increasing, risks relating to the use of IT also increase. IT risk refers to the potential for adverse events or consequences resulting from the use, ownership, operation/management of IT systems, applications, data and infrastructures of the Bank.

To Monitor, Assess, Manage & Control IT related risks and to develop the risk culture, Bank has prepared the framework for IT risk management in line with the latest RBI directions/guidelines. Following new initiatives & measures have been implemented for managing the IT related risks.

- Separate IT vertical is created under Risk Management Department, which is now functional and working for developing/managing the IT risk management frameworks, policies, and procedures.
- Bank has also created and published new Information Technology Risk Management Policy, which contains the role/responsibilities of the three lines of defense, guidelines for IT related risk assessment and methods/models to be adopted.
- New processes have been defined and implemented for risk assessment of the critical and non-critical IT applications.
- Enhancing the monitoring of the IT related risk by introducing the new KRIs and/or evolving the existing KRIs for IT related verticals.

Climate Risk:

The banking industry faces risks in relation to the transition to a carbon-neutral economy, due to considerable exposures to high-emission sectors. These exposures make them vulnerable to new climate policies, rapidly advancing carbon-neutral technology and changing market conditions. Bank is actively lending to Green Energy initiatives viz., Solar / Wind / Other renewable energy etc., under wholesale lending.

The Bank is committed to lending responsibly, maximizing impact, and minimizing climate risks in an inclusive and sustainable manner. Climate risk management policy has been introduced in the Bank with short / medium and long term strategies /approach for adoption.

ESG Steering committee has been constituted for setting quantitative and qualitative targets and strategy. Initially, in the short term, the Bank shall assess the climate risks for loan proposal each involving more

than ₹100 Cr (for listed borrowers) and ₹250 Cr (for unlisted borrowers) to promote responsible lending. Bank has also leveraged a GHG calculator for calculating the Scope 1 and Scope 2 emissions of the borrower based on their sectoral revenue. Bank has developed a Climate Risk Assessment Tool in the form of sectoral heat map for assessing the sectoral transition risk as well as the district level physical risk vulnerability (flood, drought, cyclone, landslide etc). This heat map will be the indicative factor for entry barrier for credit decision on borrowers at the time of on-boarding or renewal of facilities.

Incorporating ESG risks into its lending strategy, the Bank has adopted a risk-based pricing mechanism that applies a sector premium to borrowers operating in the top five greenhouse gas (GHG) emitting industries. Reflecting its strategic intent to gradually reduce exposure to high-carbon sectors, the Bank has revised its internal exposure limits for the petroleum and petroleum products sector from 5% to 4%, the exposure limit for renewable energy sector has been increased from 0.5% to 3%, the Bank has maintained limited exposure to environmentally intensive sectors such as mining and quarrying i.e., only 0.52%. Some of the key industry segments which have been focused for financing are Renewable Energy- Solar and Wind power generation, Hydroelectric power generation, Electric Vehicle and Ethanol.

Basel III Capital Regulations:

The Basel III Capital Regulations became effective in India since 1st April, 2013 and fully implemented since 1st October, 2021. Common Equity Tier 1 Capital of the Bank is 15.36%, Additional Tier 1 at 0.49% and Total Capital Adequacy Ratio stands at 17.94% as on 31.03.2025.

Bank has adequate headroom to raise capital in all forms in case of need.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) as a part of Basel III disclosures.

A holistic capital conservation module is developed by the Bank for monitoring and taking corrective action towards capital conservation.

12. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

a) Manpower Position as on 31.03.2025:

Cadre/Category	Total	OBC	SC	ST	Male	Female
Officers	25496	7754	4880	1980	18223	7273
Clerks	12299	3965	2698	640	7897	4402
Sub Staff	1983	485	942	121	1716	267
Full Time Sweepers*	224	21	175	10	170	54
Total	40002	12225	8695	2751	28006	11996

(*Domestic excluding Part Time Sweeper)

b) Recruitment Drive

Bank has inducted 1357 employees (POs - 184, Specialized Officers - 177, Clerk - 947, Sub-staff - 49) during FY25.

c) Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Persons with Benchmark Disability (PwBDs) and Ex-Servicemen (EXS) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per Government guidelines.
- The Bank has a Chief Liaison Officer for SC/ST/PwBD/EXS and a Chief Liaison Officer for OBC in the rank of General Manager to redress the grievances (if any) of SC/ST/OBC/PwBD/EXS employees. A separate dedicated Cell is functioning at Corporate Office, HRM Department to look after the grievances of SC/ST/OBC/PwBD/EXS employees.
- Reservation for PwBD candidates has been extended in promotions from Sub-Staff to Clerical cadre & clerical cadre to officer in JMG Scale-I.

d) HR Initiatives during the year:

- New Age Performance Management System (PMS): Aimed at periodical assessment of performance with interactive dashboard and robust Individual development plan. A digital initiative to develop performance-oriented culture. During FY25, the following initiatives have been implemented:
- Integration of IND PRIDE with Flagship LDP Program "Rising Star" to nurture future leaders in the Bank.

- Digital Platform for LDP participants to help them in leadership grooming journey.
- Seamless integration of NICE with IND-PRIDE to ensure timely deliverance of Compliance kartavya.
- Under Rewards & Recognition Scheme, recognition based leadership board made live.
- Health Care - Tie up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members: 40726 enrolled
- Review of Staff Welfare Schemes - Opening of new Holiday Homes/Med Transit Guest Houses and Introduction of Monthly Financial relief for family members of staff dying in harness aged below 40 years.

13. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

- Indian Bank Learning Academy - Credit and Collections was launched at Lucknow as a part of Creation of 09 Centres of Excellences linked to 11 Job Families to conduct Flagship training programs and encompassing leadership development for Senior Management Grade Executives.
- 45 Zonal Training Centres (ZTCs) were opened for conducting locational training program for Officers up to scale-III and for clerical and sub-staff employees.
- Summit 1 of Rising Star - Leadership Development program was conducted for 420 Officers.
- 203 Women Officers have been trained at Chennai and Lucknow in Women Business Leadership Programs.
- Continuous Learning Culture - 21023 Employees have completed Self-Learning Programs through Learning Management System (LMS) in FY25.
- 782 employees have been certified by IIBF on AML, KYC & Compliance during 2024-25.
- 23196 unique employees have been trained through classroom / online mode (2 days or more) during FY25.

14. CUSTOMER SERVICE

Bank is launching various products & services from time to time to meet the Customer needs and to improve the level of Customer satisfaction.

MODES OF GRIEVANCE REDRESSAL:

- National Helpline available 24X7 with Toll free

number **1800 425 00000**.

- Customers can lodge complaint through online 24x7 in CGRS portal.
- All the complaints received through Branches/Zones/CO, if not resolved within 24 hours are registered in the Customer Grievance Redress System (CGRS) for redressal.

STATUS OF COMPLAINTS POSITION:

FY24	FY25		
Pending (as on 31.03.2024)	Received	Resolved	Pending (as on 31.03.2025)
569	111167	108719	3017

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005:

RTI Cell under Customer Service Department at Corporate Office is handling the applications, first appeals & second appeals. All the Applications are disposed within the stipulated timeline.

15. INFORMATION SYSTEM SECURITY

Indian Bank believes in providing services to its customers safely and securely by keeping customer data security as the paramount goal without compromising the quality of banking services. The CIA triad of Confidentiality, Integrity, and Availability is at the heart of architecting the comprehensive information security framework. The Bank also emphasizes and implements protection from a plethora of hacktivist attempts which spans from phishing simulation, multi-factor authentication, and awareness initiatives, and provides simple and secure solutions to the customers.

The key elements of the security strategy at the Bank include:

- Layered 'Defense-in-Depth' strategy providing multiple lines of defense across the technology layer.
- Strong framework of governance in the technology landscape is put in place.
- Dedicated teams focusing on cybersecurity and fraud risk management are put in place.
- Working towards zero-trust architecture and state of art security systems.

- 24x7 monitoring and surveillance of systems through cybersecurity operations centre.
- Stringent security and gating controls at the time of inducting new applications or servers.
- Periodic external security assessments by CERT-In empaneled service providers to ensure confidence in the internal controls.
- Bank is certified for ISO 27001:2013 Information Security management system.
- Bank is a critical infrastructure as declared by NCIIPC.
- Bank conducts extensive training and awareness programs for the employees to keep them updated about emerging cyber threats and mechanisms to combat with them.

16. INTERNAL CONTROLS

a) INSPECTION

- Risk based Internal Audit encompasses branches and business units.
- 1382 branches have been covered under concurrent audit covering 73.85% of domestic advances, in addition to all specialized verticals and select Departments of Corporate Office.
- Concurrent Auditors have also conducted verification of Asset classification for FY25 in 1772 branches to increase the audit coverage to 90 % of the total funded credit exposure of the Bank.
- Revenue Audit was carried out in 5813 branches for Half year ended March 2025 and 5778 branches for the Half year ended September 2024 (Branches with business of ₹10 Cr and above) to identify leakage of income.
- Management Audit was conducted in 90 Zones, 14 FGMOs, 14 ICs and 2 RICs & 34 CO: Departments during FY25.
- Information System Audit, Vulnerability Assessment and Penetration testing of post amalgamation IT infrastructure including Hardware, Operating System, Database Application(s), Network, Security Devices and Process & People were carried out by external Audit firm during the period of review.
- Offsite monitoring software has been implemented to raise 47 types of alerts to branches.
- We have conducted 100% verification of jewel loans covering all the Jewel loan financing branches.
- Bank has conducted 100% verification of jewel loans covering all the Jewel loan financing branches.

b) FRAUD RISK MANAGEMENT:

Enterprise Fraud Risk Management (EFRM):

To provide safe and secure digital banking transactions, Bank has integrated Enterprise Fraud Risk Management Solution with all digital banking channels in real time preventive mode which monitors and prevents suspicious fraudulent transactions and cyber frauds. EFRM has been integrated with IVRS for alerting the customers and taking their inputs on real time basis in case of suspicious transactions. Customers have been given an option for blocking all digital banking channels through IVRS, SMS, INDSmart, Call Center and branches. Using EFRMS Risk Score and ML Models, detection of mule accounts is also being carried out.

Cyber Police Portal Management (CPPM) Cell:

To combat cybercrimes, the Ministry of Home Affairs has rolled out a dedicated cybercrime reporting portal (www.cybercrime.gov.in) and a helpline number 1930. CPPM Cell is working in multiple shifts on 24x7 basis to attend complaints reported in the cybercrime reporting portal. The process of attending alerts on Cyber Police Portal has been automated through API integration of National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) with Bank.

Cyber Fraud Awareness is being created through regular e-mail, SMS, educational video on social media, Bank's website, customer meet etc. amongst customers for doing safe digital transactions to prevent cyber fraud.

17. COMPLIANCE

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by General Manager & Chief Compliance Officer has been set up in the Bank which monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning.

18. VIGILANCE

A) Vigilance Hierarchy in the Bank

- Chief Vigilance Officer (CVO) heads the Vigilance Division of the Bank and acts as an advisor to the Chief Executive Officer in all matters pertaining to vigilance. Vigilance functions required to be performed by the CVO are widespread and include collecting intelligence about the corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank. CVO heading the Vigilance machinery, helps take appropriate

preventive and punitive measures in the matters pertaining to vigilance.

- CVO receives complaints from various sources and examines the same and provide necessary directions and wherever vigilance overtone is observed, complaints are being taken up for detailed investigation.
- CVO is assisted by Assistant CVO and by a team of Executives/ Officers at Corporate office headed by DGM & AGM.
- There are 14 Field Vigilance Units (FVUs) at each Field General Manager Office and is headed by Chief Manager with one or more Vigilance Officers for various vigilance functions.
- There is also an Internal Advisory Committee at Corporate Office headed by Senior Most GM (Minimum Quorum 3). The committee sends its recommendations to the CVO. The CVO while taking a decision on each case will consider the advice of the Committee.
- CVO provides Case Classification Advice (CCA) either as Vigilance or Non- Vigilance by considering the facts of the case and based on the broad guidelines provided by CVC.
- CVO presents Fraud cases with amount involving ₹3 Cr and above before Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABBBF) to examine criminality on the part of Bank officials.
- CVO also acts as nodal officer for interaction with CBI, ED or other investigating agencies.

Three Aspects of Vigilance Administration:

- Preventive Vigilance
- Surveillance & detection
- Punitive Vigilance

B) Preventive Vigilance Visit by CVO:

CVO had undertaken select Preventive Vigilance Field Visits based on the inputs received through Surveillance Vigilance. During the visit, review of Vigilance administration was undertaken.

C) Vigilance Awareness Week 2024:

As a prelude to Vigilance Awareness Week 2024, Bank has conducted a three month campaign (16th August 2024 – 15th November 2024) with following Preventive Vigilance measures as focus areas:

- ◆ Capacity Building programs.
- ◆ Identification and implementation of Systemic Improvement measures.
- ◆ Updation of circulars / guidelines / Manuals
- ◆ Disposal of complaints received before 30.06.2024
- ◆ Dynamic Digital presence
- Vigilance Awareness Week was organized with much zeal and enthusiasm in the Bank with the theme of **“Culture of Integrity for Nation’s Prosperity.”**
- Special bulletin of **“IND-Vigil”** magazine, covering various reports and articles featuring initiatives and preventive vigilance activities undertaken during Vigilance Awareness Campaign 2024 as per the directions of CVC, was released by MD & CEO.

19. SECURITY

- All Branches are equipped with Electronic Burglar Alarm systems and Fire Alarm systems, High-Definition DVR / NVR based CCTV solutions. Security Inspection of Branches undertaken by Zonal Security Officers with specific emphasis on High Jewel Loan Branches.
- Select High Jewel Loan Branches have been provided with 24X7 Electronic Surveillance systems to augment the Security.
- Electronically concentrated work spaces in Branch / ATM premises and specialized offices like DR Site are installed with Automatic (Modular) Powder based Fire Extinguishers / Gas based Fire Suppression Systems to mitigate fire hazards.
- GPS based Tracking devices are installed in Bank’s Cash Vans. Bank’s own guards are provided in Currency Chests.
- Bi-Annual Fire Audits conducted in all Currency Chests, as per RBI Guidelines.
- 24 x 7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) with centralized monitoring is implemented in Bank’s own ATMs, across the country.
- Remote monitoring of Branches through CCTV connected via Bank’s Intranet implemented in 5877 Branches, as an enhanced security measure.
- Mock Evacuation Drill including Fire Fighting Demonstrations undertaken at Head Office and Corporate Office premises annually.

20. PREMISES

Green Initiatives:

Bank has undertaken several Green initiatives given as under:

- Installation of Roof Top Solar Panel at 85 locations across India in Bank’s own buildings with a total capacity of 1252 KWP, generating 17.52 lakh units per annum.
- All branches/Offices/ATMs are fitted with energy saving LED lightings.
- Lighting sensors have been installed at Corporate Office & Head office, Chennai. The same will be extended to other controlling offices and branches across the country.
- All the payments to vendors, suppliers are now being made through electronic channel viz., direct credit/ NEFT/RTGS.
- Periodical Energy audit is being conducted in branches and offices to identify the opportunities to reduce energy consumption and costs.
- Surrendering of Diesel Generators to reduce carbon emission.

21. MARKETING:

Social Media Branding Initiatives

The Bank is proactively present on its official social media platforms viz. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and LinkedIn to effectively promote its products besides engaging with users by sharing various achievements, commemorative events and customer facing activities. It helped the Bank to surpass a followers count of more than 3.83 million by the end of FY25.

Digital Marketing Campaigns

The Bank has successfully conducted digital marketing campaigns aimed at creating brand awareness, enhancing brand recall, and promoting products on various digital platforms such as AAJ Tak Live TV, Disney Hotstar platform, IRCTC, New Indian Express group of portals etc.

Automated Digital Signage (ADS) Implementation

Bank has strategically deployed 2229 ADS units across potential branches and offices to keep the internal and external audiences updated about its products, services, regulatory updates and cyber security aspects.

Ind Navya Newsletter

The Bank publishes a monthly newsletter named IndNavya. It is an informative monthly newsletter covering Bank's products/services/advisories and customer-centric initiatives/developments like launch of new products and services, features, promotion offers, campaigns, achievements, events, government directives, advisories, etc.

Cybersecurity Film Series

Considering the increasing incidents of cyber fraud, the Bank launched a targeted advertising campaign titled 'Khabar Nahi Khabardar Bano' to raise public awareness about the latest financial scams. The campaign features five films that focus on various scams, including OTP Scam, QR Code Scam, KYC Scam, AI Voice Cloning Scam, and Digital Arrest & Parcel Scam.

Corporate Blog

The Bank publishes blogs on its official website covering various topics related to Banking and Finance, with an aim to deliver content that is both informative and engaging for our customers, covering our products/services, industry trends, financial strategies, banking basics and the latest market developments.

22. CORPORATE COMMUNICATION:

External Communication

- During FY25, the Bank initiated various activities to improve customer engagement by offering customer centric products and services; publicizing various welfare schemes of the Government and achievements of the Bank.
- The Bank utilized physical and virtual platforms to facilitate communication to various stakeholders through press conferences, meets and special interviews of Top Management on various occasions.
- Wide coverage was received from major national dailies and TV channels during various occasions such as declaration of Financial Results, Launch of products, outreach activities, Swachhata Pakhwada, CSR activities, 118th Foundation Day Celebrations etc.
- Advertisement campaigns were carried out by way of Out of Home(OOH) across major cities in the country through LED Digital Screens, Hoardings, Trivision boards, Glow Ball Towers etc.

Corporate Social Responsibility (CSR):

- Bank's commitment to make a positive difference in the lives of marginalized sections of the society in the country has been demonstrated through various Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives.
- For carrying out CSR activities the major focus areas are Inclusive Growth, Financial literacy & Enhancing Vocational Skills, Green Initiative and Environmental Sustainability reducing carbon foot-prints, Gender Equality and Women Empowerment and Health and wellness.



CSR Highlights:

The various CSR initiatives of the Bank solidify Bank's commitment towards the betterment of communities as well as natural environment.

Some of the CSR activities undertaken by the Bank are shared below:



Support to The Little Flower Convent Higher Secondary School for the Blind, Chennai by providing Braille styluses, mobility canes and arithmetic type sets and other braille materials.



Provided aids and appliances to physically challenged women and girl beneficiaries from Akshaya Trust, Chennai.



Sponsored ambulance to Rajiv Gandhi Govt. General Hospital, Chennai.



Support to differently abled women and mothers of differently abled children by providing sewing machines.



Sponsored three Battery Operated Electric Vehicles to transport senior citizens visiting District Collector Office, Tiruvallur



Support to 5000 families affected by Cyclone 'Fengal', which hit coastal areas of Puducherry



Provided Ambulance to Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar.



Sponsored Phaco Emulsifier Machine to Gurupriya Vision Research Foundation, Chennai.



Sponsored school bus to Ambika Higher Primary School, Shravanabelagola.



Sponsored Ventilator to Shankara Super Specialty Hospital, Chennai.



Support to Aparajitha Foundations for providing life skills training to students under project 'TIM TIM TARE'.



Sponsored two units of 15-seater E-Vehicle to Indira Gandhi Institute of Medical Sciences (IGIMS), Patna.



Provided groceries to inmates of old age home, Dehradun.



Support to District Administration, Alappuzha by sponsoring sports camp.

23. SPORTS

BASKETBALL

International

1. Bank's Basketball Players Mr. H. Muinbek, Mr. P. Baladhaneswar, Mr. Pranav Prince, Mr. Prashant Singh Rawat, represented Indian Senior Men's Team in FIBA Asia Cup 2025 Asian Qualifiers.
2. Mr. Pranav Prince from our Indian Bank Basketball Team represented Senior Indian team for the FIBA 3x3 Asia Cup 2024.

National and State Level

1. Bank's team secured Winners in 18th State Level Basketball tournament conducted by Rising Star Basketball Club at Chennai in April 2024: 1st All India Invitation Sri Bobbili Kondala Rao Memorial Basketball Tournament at Nuzwid, Andhra Pradesh (March 2024): 63rd P D Chidambara Sourya Narayanan Memorial Ever Rolling Trophy for men at Periyakulam, Theni in May 2024: 58th All India Basketball Tournament for PSG Trophy (August 2024) and 57th All India Basketball Tournament for Nachimuthu Gounder Trophy, Coimbatore in June 2024.
2. Bank's 5 Basketball Players Mr. H. Muinbek, Mr. P. Baladhaneswar, Mr. Prashant Singh Rawat, Mr. Pranav Prince and Mr. R Karthik representing Senior Tamil Nadu team, were instrumental in Tamil Nadu's Silver medal winning performance at 38th National Games at Dehradun during January- February 2025. These players also represented Tamil Nadu State team, which won 74th Senior National Basketball Championship at Bhav Nagar, Gujarat in January 2024, wherein Mr. Pranav Prince was awarded the Most Valuable Player Title.



18th State Level Basketball tournament by Rising Star Basketball Club at Chennai (Winners)



20th Annual State Level Basketball Tournament - Mayor Radhakrishnan Memorial Trophy, Egmore, Chennai (Winners)



57th All India Basketball tournament for Nachimuthu Gounder Trophy, Coimbatore (Winners).

CRICKET

National and State Level



Mr. Karan Shinde

Mr. Karan Shinde representing Andhra Pradesh State in Ranji Trophy competitions for the season 2024-25.



Bank's Cricket team has won the Vellore Cricket Academy 25 Overs State Level Cricket Tournament during October 2024.

HOCKEY

1. Bank's Hockey team has brought laurels by securing Runners in the Reserve Line Sports Club State Level Hockey Tournament at Madurai in July 2024.
2. Bank secured Bronze medal in the MEJO Memorial Axilatorz Cup All India Hockey Tournament held in December 2024 in Kerala.
3. Bank's Hockey Team secured third place in the BMJP State Level Hockey Tournament at Thirunagar, Madurai in February 2025.



Reserve Line Sports Club State Level Hockey Tournament at Madurai, 2024 (Runners)

PARASHOOTING



Ms. Pooja Agarwal won the Silver medal in 67th National Parashooting Championship held at New Delhi in December 2024.

VOLLEYBALL

International



Mr. M. Kabilan

Bank's Volleyball Player Mr. M. Kabilan represented 14th Under-20 International Volleyball Championship held at Indonesia in July 2024

National and State Level

1. Bank's Volley Ball Team bagged 2nd Runner up in the South Zone Invitation All India Volleyball Tournament at Bargur held in June 2024
2. Bank's Volleyball Team Won the State Level Invitational Volleyball Tournament for Indian Bank Trophy in the month of July 2024
3. Bank's Volleyball Team Won the Kumta Uppina Ganapathi Friends Memorial Volleyball Tournament, Kumta in February 2025.
4. Bank's Volleyball team secured the First place in the VII State Level Volleyball tournament at Keeramangalam in March 2025.
5. Bank's Volleyball Team finished Runners in the C Baskaran Memorial All India Volleyball Tournament, Vengad, Kannur in February 2025.
6. Two of Bank's Volleyball players (Mr. L M Manoj and Mr. Mithun Kumar) represented Tamil Nadu volleyball team in the 38th National Games 2025 held at Uttarakhand during January- February 2025 and secured Bronze medals.



Kumta Uppina Ganapathi Friends Memorial Volleyball Tournament, Kumta - February 2025 Karnataka.

CHESS



Bank's Chess player Mrs. Rajasurya secured Silver medal in the National Chess Championship held at Ahmedabad from 5th March 2025 to 11th March 2025. She also won the Sri M S Venkataraman Memorial 9th International FIDE Rating Chess Tournament - 2024 held at New Prince Shri Bhavani College of Engineering and Technology, Chennai, held from 10th October 2024 to 13th October 2024. Ms. Rajasurya secured First place (Women) in the Sacred Heart International Open Chess Tournament held at Tirupattur during November 2024.

24. OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT



Indian Bank was awarded '**First Prize**' for best performance in Implementation of Official Language in Region 'C' for the financial year 2023-24 by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on **22.08.2024**.



Indian Bank was awarded '**Third Prize**' under **Rajbhasha Kirti Puraskar** Scheme for the year 2023-24 by the Department of Official Language, Government of India during 4th All India Official Language Conference held on **14.09.2024** at Bharat Mandapam, New Delhi.



In compliance with the guidelines issued by the Department of Official Language, Government of India, the Bank organized an **All India Official Language Conference** on **10.02.2025** at Lucknow.



Bank published various books & booklets in Hindi during the year 2024-25 viz., 'Aao Odia Sikhen', 'Grahak Seva Evam Vyavasay ke Vistar me Bharatiya Bhashaon ki Bhumika', 'Samvad Chalisa' (Second Edition), 'Nutan Shabd Sankalan', 'Ind-Chhavi' etc.



Siliguri Zone has been awarded **First Prize** for excellent implementation of Official Language during the financial year 2023-24 by the Regional Implementation Office, Department of Official Language, Government of India during the Joint Regional Official Language Conference held in Guwahati on **05.03.2025**.



Ranchi Zone, Convenor of Town Official Language Implementation Committee, Ranchi has been awarded **Second Prize** for the financial year 2023-24 by Regional Implementation Office, Department of Official Language, Government of India during Joint Regional Official Language Conference held at Guwahati on **05.03.2025**.

25. AWARDS & ACCOLADES



EASE 6.0 Reforms Index
Top Improver #2 and People & HR Operations #3



Prestigious SKOCH Award for
Project WAVE & SMA Collection Proclivity Predictor



• CEO of the Year Award • Best Public Sector Bank Award
at Tamil Nadu Leadership Awards 2024.



IBA Annual Banking Technology Conference, 2024 -Special
Mention under Large Bank Segment:

- Best Digital Sales, Payments & Engagement; Best Tech
Talent & Organization
- Best AI & ML Adoption; and Best FI



Best CFO Award for Indian Bank CFO at ASSOCHAM 3rd
Vibrant Bharat CFO Summit & Awards, New Delhi



The Economic Times CIO Award for Enterprise IT Excellence
2025 – Excellence in Technology Implementation - Future
Proof Digital Infrastructure.

26. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

- As on 31.03.2025, the Bank had three sponsored Regional Rural Banks viz., Tamil Nadu Grama Bank (TNGB) headquartered at Salem (Tamil Nadu), Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh) and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- In respect of three RRBs, the branch network has increased by 13 from 955 (March 2024) to 968 Branches (March 2025). The total business of the three RRBs was ₹80,696 Cr as on March 2025 as compared to ₹74,534 Cr as on March 2024 (YoY growth of 8.27%).
- All the three are profit making RRBs.

Business position as on 31.03.2025 (Unaudited)

(₹ in Cr)

S. No.	Name of the RRB	No. of Branches	Deposits	Advances	Business	Net Profit	Net NPA %	CRAR %
1	Tamil Nadu Grama Bank	675	23255	27509	50764	357	0	13.49
2	Saptagiri Grameena Bank*	246	13528	13244	26772	387	0	22.71
3	Puduvai Bharathiar Grama Bank	47	1518	1642	3160	27	0	10.39
	Total	968	38301	42395	80696	771	0	-

*As per GOI Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025, Saptagiri Grameena Bank, sponsored by our Bank has been amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank with effect from 1st May, 2025.

- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt. of India. The three RRBs were covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 18.24 lakh accounts under the scheme. The RRBs have

also covered 22.24 lakh beneficiaries under PMSBY, 10.87 lakh beneficiaries under PMJJBY and 4.40 lakh under APY Scheme.

27. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

Universal Sompo General Insurance (P) Limited:

- A Consortium of credible Public & Private Corporate entities from India and Sompo of Japan as promoter - Incorporated and licensed in 2007.
- Bank's shareholding is 28.52%
- Net Profit witnessed YoY growth of 4.52% from ₹182 Cr in Mar'24 to ₹189 Cr in Mar'25.

Indbank Merchant Banking Services Limited:

- In the business of Stock Broking & DP
- Listed on NSE and BSE
- Bank's shareholding is 64.84%.
- The subsidiary witnessed Net Profit of ₹8.28 Cr in FY25 and earned income of ₹16.57 Cr under stock broking.

IndBank Global Support Services Limited:

- A Wholly Owned Subsidiary (WOS) of Indian Bank, incorporated on 09.02.2024 with an authorized and paid-up Capital of ₹10 Cr to offer comprehensive outsourcing solution for various banking operations as permitted by RBI.
- The WOS has completed 13 months of live operations and has setup offices across the country.
- The WOS is active in garnering deposits, sourcing housing, vehicle loans, improving digital penetration and recovery of SMA Accounts.
- The subsidiary witnessed Net Profit of ₹2.59 Cr for the 1st FY ended on 31.03.25 (Feb'24 - Mar'25).



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Your savings journey starts with a tap.

Online SB Account



MESSAGES

Just now

Account opened successfully. Enjoy banking!



Scan for info

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Power your profession, the smart way

IB Professional Current Account



Scan for info

Business Responsibility & Sustainability Report

Business Responsibility and Sustainability Report for the FY 2024-25 is available on the Bank's website [www.indianbank.in](https://www.indianbank.in/departments/annual-reports/) under the following link: <https://www.indianbank.in/departments/annual-reports/>

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and four Executive Directors are the Whole Time Directors appointed by the Government of India. The Board of Directors is constituted as per the provisions under section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Directors other than Shareholder Director are nominated /appointed by Govt. of India.

2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.3 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.4 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2025 was as under:

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
1	Shri Binod Kumar	MD & CEO	16.01.2025	1. Management Committee (Chairman) 2. Customer Service Committee (Chairman) 3. IT Strategy Committee	-	-

				4. Committee for Monitoring of Recovery (Chairman) 5. HR Committee (Chairman) 6. Review Committee for Willful Defaulters (Chairman) 7. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 8. Committee of Directors – Vigilance (Chairman) 9. Credit Approval Committee (Chairman)		
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Share Transfer Committee (Chairman) 6. HR Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 9. Committee of Directors (Vigilance) 10. Credit Approval Committee	(i) Universal Sampo General Insurance Company Ltd. (ii) National Payments Corporation of India.	1290
3	Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Share Transfer Committee 6. HR Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 9. Committee of Directors (Vigilance) 10. Credit Approval Committee 11. Risk Management Committee	(i) Indbank Merchant Banking Services Ltd (ii) Indbank Global Support Services Limited (IGSS)	-

4.	Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Share Transfer Committee 6. HR Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 9. Committee of Directors (Vigilance) 10. Credit Approval Committee	Ind Bank Housing Ltd	-
5.	Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Share Transfer Committee 6. HR Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 9. Committee of Directors (Vigilance) 10. Credit Approval Committee	-	-
6.	Dr. Alok Pande	Govt. Nominee Director	13.05.2024	1. Board Committee for Performance Evaluation (Chairman) 2. IT Strategy Committee 3. Committee for Monitoring of Recovery 4. HR Committee 5. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 6. Committee of Directors (Vigilance) 7. Risk Management Committee	1. ITC Ltd. 2. Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI)	-
7.	Smt. K. Nikhila	RBI Nominee Director	14.07.2023	1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Committee of Directors (Vigilance)	-	-

8.	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	09.03.2024	1. Customer Service Committee 2. IT Strategy Committee (Chairman) 3. Audit Committee of the Board 4. Stakeholders relationship Committee (Chairman) 5. Review Committee for Willful Defaulters 6. Board Committee for Performance Evaluation 7. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (Chairman) 8. Nomination and Remuneration Committee 9. Risk Management Committee	1. IDBI Trusteeship Services Ltd. 2. Trustees Association of India	205
9.	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	21.12.2024	1. Customer Service Committee 2. Share Transfer Committee 3. H R Committee 4. Audit Committee of the Board (Chairman) 5. Review Committee for Wilful Defaulters 6. Board Committee for Performance Evaluation 7. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow -up of cases of Frauds 8. IT Strategy Committee	1. Trust AMC Trustee Pvt. Ltd. 2. MSSBL Traders LLP	250

Note:

- (i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.
- (ii) There is no inter-se relationship between Directors.
- (iii) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2024-25 and that the reporting structures of the Bank, formal and informal are in consistent with the same.
- (iv) In the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.
- (v) During FY 2024-25, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.
- (vi) Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (vii) Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director attended meeting of Audit Committee of the Board as invitee.

- (viii) Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (ix) Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.

2.6. The profiles of the directors who were appointed / nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2024-25 are furnished hereunder:

2.6.1 Shri Binod Kumar, MD & CEO:

Shri Binod Kumar assumed charge as Managing Director and Chief Executive Officer of Indian Bank on 16th January 2025. Prior to this, he served as Executive Director of Punjab National Bank (PNB) from 21st November 2022 to 15th January 2025.

Shri Kumar is a science graduate from Ranchi University and holds a Post Graduate Diploma in Banking & Finance from NIBM. He is a Financial Risk Manager (FRM) certified by GARP (USA) and a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Beginning his banking career as a Management Trainee with PNB in 1994, Shri Kumar brings over 30 years of extensive and diverse banking experience. His expertise spans various domains, including Branch and Administrative Office operations, Risk Management and Corporate Credit. As Executive Director of Punjab National Bank (PNB) he was holding responsibility of Corporate Banking, Treasury Division, International Banking Division, Finance Division, Data Analytics & Data warehousing.

He has served as the Chief Executive Officer of PNB's Dubai International Financial Centre (DIFC) branch and previously held the position of Chief General Manager, heading the Corporate Credit Division of PNB.

Shri Kumar also holds Diploma in Treasury, Investment & Risk Management, and Banking & Finance from the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF). Additionally, he has completed Leadership Skills Development Program at IIM Bangalore.

2.6.2 Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director:

Dr. Alok Pande is a Senior Civil Servant specializing in the world of Finance. An officer of the 1994 batch of the Indian Postal Service (Civil Services Exam, 1993) he is currently working as Additional Secretary to Government of India in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance. He has earlier worked as Joint Secretary DIPAM (2019-23), and Director DFS (2011-16), in the Ministry of Finance.

Dr. Pande did his Bachelors in Engineering (Mechanical) from NIT Allahabad where he was a Gold medallist and his FPM(Doctorate) from IIM Bangalore in the area of Capital Markets. His FPM thesis was awarded the NSE Award for "Best Thesis in Financial Economics". He also won the Marie Curie Fellowship to go to Manchester Business School (UK) as a part of his Doctorate.

In his present assignment he is handling a crucial assignment of the disinvestment of Government and LIC's equity from IDBI Bank.

As Joint Secretary, he handled the prestigious IPO of Life Insurance Corporation of India in May 2022 which was India's largest IPO. In 2020-21, amidst Covid times, he was instrumental in the listing of 3 companies-Mazagon Dock Limited, IRFC and RAILTEL.

With an experience of more than 29 years, Dr. Pande has handled various positions in the Government of India. Before moving to the Ministry of Finance, he was handling the IT project of Department of Posts as Deputy Director General. This IT Project has enabled digitisation to reach more than 128000 villages in the country.

Prior to that, he was instrumental in the launch and execution of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) as Director in the Department of Financial Services of the Ministry of Finance. The Jan Dhan Aadhar Mobile (JAM) Trinity

today has transformed not only the payments landscape but also that of Direct Benefit Transfers and stands out in the world as a fine example of the Digital Public Infrastructure (DPI).

He has been a Board Member of the Indian Overseas Bank from 2011-16 and is presently on the Board of Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI).

Dr. Pande has published in two of the prestigious Journals in the world of Finance-Journal of Corporate Finance and Journal of Financial Markets.

2.6.3 Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director:

Shri Sanjeev Maheshwari is a Chartered Accountant and has more than 38 Years' experience of practice in the field of Audit, Taxation and Management Consultancy. He was a member of the Central Council of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for 9 years, and Chairman of Accounting Standards Board of ICAI, for 3 years during which he was instrumental in formulation of Ind AS and played a key role in rolling out of Standards. He has served on most of the technical committees as Chairman or member at ICAI. He has also served as the member of Quality Review Board constituted by Ministry of Corporate Affairs and been a member on several committees of South Asian Federation of Accountants.

He was Part Time Non-Official Director on the Central Board of State Bank of India from 20.12.2019 to 19.12.2022.

2.7 The details of cessation of directorship during FY 2024-25 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Shanti Lal Jain	MD& CEO	01.01.2025	Superannuation/Completion of term of appointment
2.	Dr. M P Tangirala	Govt. Nominee Director	13.05.2024	As per GOI, MoF, DFS Notification No.6/2 (ii)/2022-BO.I dated 13.05.2024
3.	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	29.10.2024	Completion of term of appointment
4.	Shri Vishvesh Kumar Goel *	Part-time Non Official Director	21.12.2024	Completion of term of appointment
5.	Shri Balmukund Sahay *	Part-time Non Official Director	21.12.2024	Completion of term of appointment

* Re-nominated as Part-time, Non-Official Director for a period of one year or until further orders, whichever is earlier with effect from 11.04.2025

3. Credentials of members of Board of Directors (as on 25.04.2025) :

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
1.	Shri Binod Kumar	MD & CEO	Executive	B.Sc.(H), Post Graduate Diploma in Banking & Finance, Financial Risk Manager, Diploma in Banking & Finance, Diploma in Treasury, Investment & Risk Management, CAIIB	Banker

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	Executive	B.Sc., M.Sc. in applied Mathematics, B.Ed., CAIIB, Leadership Programme from IIM , Bangalore, Program on Corporate Affairs from Indian Institute of Corporate Affairs.	Banker
3.	Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	Executive	MBA, Executive Leadership Development Program from IIM Bangalore	Banker
4.	Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	Executive	MA, MBA, CAIIB, Certificate in Rural Banking, Leadership Development Programme for Senior Management of Public Sector Banks at IIM Bangalore	Banker
5.	Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	Executive	B.Sc. (Agri) MBA (Finance), CAIIB, Leadership Development Programme for Senior Management of Public Sector Banks at IIM Bangalore	Banker
6.	Dr. Alok Pande	GOI Nominee Director	Non Executive- GOI Nominee Director	B.E. (Mechanical), FPM (Doctorate)	Govt. Service, Additional Secretary, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) , Ministry of Finance
7.	Smt. K. Nikhila	RBI Nominee Director	Non Executive- RBI Nominee Director	M.Sc., Certified Associate of IIB&F	Chief General Manager-in-Charge, RBI, Premises Department
8.	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	Non Executive- Independent Director	B.E. (CIVIL), Fellow of Insurance Institute of India (FIII), NCFM (Level 5), CS (Executive Level)	Managing Director & CEO, IDBI Trusteeship Services Limited
9.	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	Non Executive- Independent Director	B.Com.(Hons), FCA, DISA	Practicing Chartered Accountant
10.	Shri Balmukund Sahay	Part-Time Non Official Director	Non Executive- Independent Director	M.Com.	Social Activist
11.	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-Time Non Official Director	Non Executive- Independent Director	B.Com. CA	Practicing Chartered Accountant

3.1 Details of the Board / Committee meeting held during financial year 2024-25:

Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2024- 31.03.2025):

Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	IT Com	SCB MF	CSC	H R Com	STC	CAC	CF MR	NRC	RC WD	BC PE
1	Shri Shanti Lal Jain*	11	18	-	7	3	-	3	3	4	2	-	20	2	-	3	-
2	Shri Binod Kumar**	4	5	-	-	1	-	3	1	1	3	-	10	1	-	1	-
3	Shri Mahesh Kumar Bajaj	15	23	12	6	4	1	6	4	5	5	1	31	3	-	-	-
4	Shri Ashutosh Choudhury	16	23	12	7	4	1	6	4	4	5	1	31	2	-	-	-
5	Shri Shiv Bajrang Singh	14	20	12	6	4	1	6	4	5	5	1	29	3	-	-	-
6	Shri Brajesh Kumar Singh	16	22	12	7	4	1	6	4	5	5	1	30	2	-	-	-
7	Dr M P Tangirala#	1	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dr. Alok Pande##	14	-	-	3	3	-	5	3	-	4	-	-	2	-	-	2
9	Ms. K Nikhila	16	20	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Shri Balmukund Sahay^	10	3	6	7	-	1	1	3	4	2	1	-	-	2	1	-
11	Shri Vishvesh Kumar Goel^^	10	-	9	7	-	-	3	-	1	-	-	-	2	2	-	1
12	Ms. Papia Sengupta @	6	15	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	1
13	Shri Pradeep Kumar Malhotra	9	-	12	1	-	-	5	4	1	2	-	-	-	2	4	2
14	Shri Sanjeev Maheshwari @@	6	-	3	-	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-	1	-

* MD & CEO upto 31.12.2024

** MD & CEO w.e.f. 16.01.2025

GOI Nominee Director upto 12.05.2024

GOI Nominee Director from 13.05.2024

^ Part-time NOD upto 20.12.2024

^^ Part-time NOD upto 20.12.2024

@ Shareholder Director upto 28.10.2024

@@ Shareholder Director w.e.f 21.12.2024

During the financial year 2024-25, 16 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Board	Number of Directors Attended the meeting
1	06.05.2024	11	11
2	22.05.2024	11	10
3	31.05.2024 & 01.06.2024* (Strategy Board meeting)	11	10
4	24.06.2024	11	11
5	29.07.2024	11	11
6	26.09.2024	11	10
7	26.09.2024 Seq Brd#	11	9
8	28.10.2024	11	11
9	24.11.2024 & 25.11.2024 ** (Strategy Board meeting)	10	9

10	20.12.2024	10	9
11	27.12.2024	9	8
12	06.01.2025	8	8
13	29.01.2025	9	9
14	20.03.2025	9	7
15	20.03.2025 Seq Brd#	9	7
16	31.03.2025	9	8

* Strategy Board Meeting started on 31.05.2024 and ended on 01.06.2024

** Strategy Board Meeting started on 24.11.2024 and ended on 25.11.2024

Board has sequence Board meeting on 26.09.2024 & 20.03.2025

4. Committees of the Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank:

- (i) Management Committee of the Board (MCB)
- (ii) Audit Committee of the Board (ACB)
- (iii) Risk Management Committee (RMC)
- (iv) IT Strategy Committee (IT Com)
- (v) Customer Service Committee (CSC)
- (vi) Committee of Directors (Vigilance) (COD Vig)
- (vii) Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) {Previously: Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)}
- (viii) Share Transfer Committee (STC)
- (ix) Stakeholders Relationship Committee (SRC)
- (x) H R Committee (HR com)
- (xi) Committee for Monitoring of Recovery (CMR)
- (xii) Review Committee for Wilful Defaulters (RCWD)
- (xiii) Review Committee for Non Co-operative Borrowers (RCNCB)- **Committee was discontinued as per RBI Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters dated 30.07.2024**
- (xiv) Credit Approval Committee (CAC)
- (xv) Nomination and Remuneration Committee (NRC)
- (xvi) Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
- (xvii) Committee of Directors for Capital Raising

4.1 Management Committee of the Board:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The committee is re-constituted from time to time. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise, write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member

4.1.2 Details of meetings:

The Committee met 23 times during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	29.04.2024	7	7
2	15.05.2024	7	6
3	27.05.2024	7	7
4	11.06.2024	7	7
5	26.06.2024	7	6
6	28.06.2024	7	6
7	11.07.2024	7	7
8	25.07.2024	7	6
9	17.08.2024	7	7
10	29.08.2024	7	6
11	10.09.2024	7	7
12	20.09.2024	7	6
13	25.09.2024	7	7
14	16.10.2024	7	7
15	26.10.2024	7	7
16	30.11.2024	7	6
17	13.12.2024	7	7
18	19.12.2024	7	7

19	22.01.2025	6	6
20	17.02.2025	6	6
21	27.02.2025	6	6
22	06.03.2025	6	6
23	26.03.2025	6	6

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and the same is reconstituted from time to time. Its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports and all the issues/concerns raised in the inspection reports of RBI.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The members of Audit Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Chairman
2	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member
3	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

Invitees:

1. Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director
2. Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director
3. Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director
4. Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director

4.2.2 Details of meetings:

During the period from 01.04.2024 to 31.03.2025, 12 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	06.05.2024	4	4
2	11.06.2024	4	3
3	29.07.2024	4	4
4	10.09.2024	4	4
5	26.09.2024	4	4
6	28.10.2024	4	4
7	13.11.2024	3	3
8	07.12.2024	3	3
9	08.12.2024	3	3
10	29.01.2025	3	3
11	27.02.2025	3	3
12	25.03.2025	3	3

4.3 Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003 and the committee was reconstituted from time to time. The functions/ responsibilities of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
- Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Chairman
2.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3.	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member

Invitees:

- (i) Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director
- (ii) Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director
- (iii) Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director
- (iv) Shri Himadri Bhattacharya, domain expert (Special Invitee)

4.3.2 Details of meetings:

The Committee met 7 times during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Risk Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	03.05.2024	6	5
2	06.06.2024	6	5
3	20.06.2024	6	5
4	25.07.2024	6	6
5	06.09.2024	6	6
6	26.10.2024	6	5
7	06.12.2024	6	6

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee is reconstituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The members of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
7	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member

4.4.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1	22.05.2024	7	7
2	19.09.2024	7	7
3	27.12.2024	7	6
4	25.02.2025	7	6

4.5 Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.5.1 Composition of the Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The composition of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2025 stands as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member

4.5.2 Function of Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The role of the committee, inter-alia, include the following:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

4.5.3 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	22.05.2024	6	5

4.5.4 Compliance Officer:

Shri Dina Nath Kumar, Asst. General Manager & Company Secretary has been designated as Compliance Officer of the Bank.

4.6 IT Strategy Committee:

IT Strategy Committee was set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones. The committee is reconstituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Strategy Committee (ITSC):

The members of the IT Strategy Committee (IT Com.) as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Chairman
2	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Member
3	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
4	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
5	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
6	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
7	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
8	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

Representative of IDRBT, domain expert and IT consultant are Special Invitee to Committee meetings. CISO is also an invitee to the committee.

4.6.2 Details of meetings:

This Committee held 6 meetings during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	24.06.2024	9	9
2	21.08.2024	9	9
3	05.12.2024	8	8
4	17.02.2025	8	8
5	15.03.2025	8	7
6	26.03.2025	8	8

4.7 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) {Previously: Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)}

RBI has come up with a notification DOS.CO.FMG.SEC.No.5/23.04.001/2024-25 dated July 15, 2024, repealing "Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)" and all relevant previous circulars issued by RBI in this regard. Consequently, RBI has directed for re-constitution of 'Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds' (SCBMF). This will replace the existing Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds). In line with the above guideline, Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds' (SCBMF) was reconstituted on 29.07.2024.

SCBMF shall oversee the effectiveness of the fraud risk management in the bank and review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds. Also, the coverage may include categories/trends of frauds, industry/sectoral/ geographical concentration of frauds, delay in detection/classification of frauds and delay in examination/conclusion of staff accountability, etc.

4.7.1 Composition of Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) {Previously: Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)}:

The members of the Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Chairman
2	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Member
3	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
4	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
5	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
6	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
7	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
8	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.7.2 Details of meetings:

The Special Committee of the Board for Monitoring and follow up of cases of frauds (SCBMF) {Previously: Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)} held 4 meetings during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)	Number of Directors Attended the meeting
1	29.04.2024	8	8
2	11.06.2024	8	8
3	21.08.2024	8	8
4	17.02.2025	8	8

4.8 Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004 and was reconstituted from time to time. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons

- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member
7	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.8.2 Details of meetings:

The Committee held 5 meetings during the period 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	05.06.2024	6	5
2	11.09.2024	6	6
3	25.09.2024	6	6
4	26.11.2024	7	7
5	27.02.2025	7	7

4.9 Nomination and Remuneration Committee of the Board:

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 based on RBI / DFS guidelines for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board. The Committee is reconstituted from time to time.

4.9.1 Composition of Nomination and Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

Note: NRC has been reconstituted on 19.04.2025 with four independent Directors as members

4.9.2 Details of meetings:

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the NRC Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	29.04.2024	4	4
2	20.12.2024	3	3

4.10 Board Committee for Performance Evaluation

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs, CGMs and EDs and to set up KRAs of MD&CEO for recommending to Board. The Committee is re-constituted from time to time.

4.10.1 Composition of Board Committee for Performance Evaluation:

The members of the Board Committee for Performance Evaluation as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Chairman
2	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member
3	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.10.2 Details of meetings:

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Performance Evaluation	Number of Directors Attended the meeting
1	19.09.2024	3	3
2	07.12.2024	3	3

4.11 Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation 2A of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee is reconstituted from time to time.

4.11.1 Composition of Share Transfer Committee:

The members of the Share Transfer Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.11.2 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Share Transfer Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	20.12.2024	6	5

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by the Government of India. The Committee is reconstituted from time to time.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Composition of Credit Approval Committee as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Chief General Manager/ General Manager (Corporate Credit)	Member
7.	General Manager (CFO)	Member
8.	CGMs / GMs / DHs presenting the Credit / Expenditure / other proposals)	Member
9.	CGM / GM (CRO) and CCO - Attendees	

4.12.2 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held 31 meetings during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025, as detailed below:

Sl. No.	Date of Meeting	Number of WTDs on the Credit approval Committee of Board	Number of WTDs Attended the meeting
1	20.04.2024	5	5
2	08.05.2024	5	5
3	23.05.2024	5	5
4	07.06.2024	5	5
5	27.06.2024	5	5
6	16.07.2024	5	5
7	31.07.2024	5	5
8	16.08.2024	5	5
9	31.08.2024	5	5
10	05.09.2024	5	5
11	23.09.2024	5	5
12	27.09.2024	5	4
13	08.10.2024	5	5
14	19.10.2024	5	5
15	29.10.2024	5	5
16	13.11.2024	5	5
17	29.11.2024	5	5
18	05.12.2024	5	5
19	24.12.2024	5	5
20	30.12.2024	5	4
21	13.01.2025	4	4
22	21.01.2025	5	4

Sl. No.	Date of Meeting	Number of WTDs on the Credit approval Committee of Board	Number of WTDs Attended the meeting
23	30.01.2025	5	5
24	06.02.2025	5	5
25	14.02.2025	5	5
26	19.02.2025	5	5
27	28.02.2025	5	5
28	07.03.2025	5	5
29	15.03.2025	5	5
30	27.03.2025	5	5
31	29.03.2025	5	5

4.13 Review Committee for Non Co-operative Borrowers:

As per RBI Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters dated 30.07.2024 (Page No. 4, Chapter I Section 2, point no. 05) instructions on Non-Cooperative Borrowers contained in RBI circular DBR. No. CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated December 22, 2014 stands repealed. Accordingly, **Review Committee for Non Cooperative Borrowers stands repealed.**

4.14 HR Committee:

The HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The committee is reconstituted from time to time.

4.14.1 Composition of the HR Committee:

The members of the HR Committee of the Board as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
7	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.14.2 Details of meetings:

The Committee met 5 times during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on HR Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	17.10.2024	8	8
2	05.12.2024	8	8
3	25.02.2025	7	7
4	15.03.2025	7	6
5	26.03.2025	7	7

4.15 Review Committee for Wilful Defaulters:

Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 23.01.2015. The Committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters. The Committee was reconstituted from time to time.

4.15.1 Composition of the Review Committee of Willful Defaulters:

The members of the Review Committee of Willful Defaulters as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member
3	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.15.2 Details of meetings:

The Committee met 4 times during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Review Committee of Willful Defaulters	Number of Directors Attended the meeting
1	29.04.2024	3	3
2	11.09.2024	3	3
3	07.12.2024	3	3
4	14.02.2025	3	3

4.16 Committee for Monitoring of Recovery:

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as Sale of Assets Committee (SAC) and other field level functionaries in the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Committee for Monitoring of Recovery:

The members of Committee for Monitoring of Recovery as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member

4.16.2 Details of meetings:

The Committee held 3 meetings during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Monitoring of Recovery	Number of Directors Attended the meeting
1	05.06.2024	8	6
2	19.09.2024	8	7
3	18.03.2025	6	6

4.17 Committee of Directors for Capital Raising:

The Committee of Directors for Capital Raising was constituted on 28.10.2024 by the Bank for the purpose of deciding about mode/type of issue, amount of the Issue, timing, proportion, basis of allotment and issue price in compliance with applicable SEBI, RBI, and other applicable laws, Rules and Regulations and within the overall limit approved by the Board of Directors for raising equity capital; and for deciding about approval /finalization of the quantum of capital to be raised through issuance of Basel III Compliant AT1/Tier 2 Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre-issue/post-issue formalities, modification in terms and conditions of issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/Trustee, Arrangers/Advisors, intermediaries, Registrar to the Issue and other requisite Intermediaries and to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary and expedient for issuance AT1/Tier 2 Bonds.

4.17.1 Composition of the Committee of Directors for Capital Raising:

The members of Committee of Directors for Capital Raising as on 31.03.2025 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member

4.17.2 Detail of Meeting:

No Meeting of the committee was held during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025

5. Senior Management :

(a) Particulars of Senior Management (Chief General Manager/ Vertical Head) as on 31.03.2025 is as under:

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Satish Kumar	Chief General Manager - Corporate Credit and International Banking Division
2.	Shri Sujit Kumar Dey	Chief General Manager - Chief Risk Officer (CRO) & FRMC
3.	Ms. V. N. Maya	Chief General Manager - Recovery & Legal
4.	Shri Deepak Sarda	Chief General Manager - IT & Partnership (Chief Technology Officer / Chief Information Officer)
5.	Ms. Vallery Rath	Chief General Manager - TMO & Digital Business, Planning & Business Intelligence, Marketing & Corporate Communication
6.	Shri Ganesaraman A	Chief General Manager - CDO & CLO (HRM & HRD)
7.	Shri Sujay Mallik	Chief General Manager - Mid Corporate Credit, Retail Assets & MSME
8.	Shri Sudhir Kumar Gupta	Chief General Manager - FGM Lucknow
9.	Shri Sukh Sagar Prasad Roy	Chief General Manager - BOD, Estate, ES to MD & CEO & Secretary to Board
10.	Shri Ashok Patnaik	Chief General Manager - R&GR
11.	Shri Ram Kumar Das*	General Manager - Recovery
12.	Shri Suresh Kumar S	General Manager - Compliance / CCO (Chief Compliance Officer)
13.	Shri Sunil Jain	General Manager - Chief Financial Officer

14.	Shri Rakesh Sehgal	General Manager - Inspection & Audit
15.	Shri Shashank Jain	General Manager - Treasury
16.	Shri Deepak Govind	Vertical Head - NRI Business
17.	Shri Saurabh Dalmia	Vertical Head - CMS
18.	Shri Sarvesh Kumar Gupta	Chief Information Security Officer (CISO)
19.	Ms. M Swarajya Lakshmi	Internal Ombudsman

* Promoted to Chief General Manager w.e.f. 01.04.2025

(b) Details of Change in Senior Management during the FY 2024-25:

Sl. No.	Name	Previous Assignment	Changes/ New Assignment	Effective date of Change
1.	Shri Ganesaraman A	Chief General Manager (CGM)- Field General Manager (FGM) Hyderabad	CGM-CDO & CLO (HRM & HRD)	15.04.2024
2.	Shri Vikas Kumar	Chief General Manager (Retail Assets & MSME)	Demitted office on Superannuation	01.07.2024
3.	Shri Sudhir Kumar Gupta	General Manager- FGM Lucknow	Chief General Manager (CGM)-FGM Lucknow	09.07.2024
4.	Shri Satish Kumar	Chief General Manager (CGM)- Treasury & International Banking Division	Chief General Manager (CGM)- Corporate Credit	05.08.2024
5.	Shri Sujay Mallik	Chief General Manager (CGM)- Corporate Credit	Chief General Manager (CGM)- Retail Assets, MSME & International Division	06.08.2024
6.	Shri Sudhakara Rao K S	Chief General Manager (Government Business / R&GR / Current Account / KYC / AML / Customer Service)	Demitted office on Superannuation	01.09.2024
7.	Shri Sukh Sagar Prasad Roy	General Manager (GM) -FGM Mumbai	Chief General Manager (CGM)-FGM Mumbai	02.09.2024
8.	Shri Ashok Patnaik	General Manager (GM) -Government Business/ R&GR/ Current Accounts	Chief General Manager (CGM)- Government Business/ R&GR/ Current Accounts	04.11.2024
9.	Shri Rakesh Sehgal	Field General Manager FGMO Patna	General Manager, Inspection & Audit	13.11.2024
10.	Shri Ashok Patnaik	Chief General Manager (CGM)- Government Business/ R&GR/ Current Account	CGM (DH)- R&GR	28.11.2024
11.	Shri Satish Kumar	Chief General Manager (CGM)- Corporate Credit	CGM- Corporate Credit & IBD	28.11.2024
12.	Shri Sujay Mallik	Chief General Manager (CGM)- Retail Assets, MSME & International Division	CGM- Retail Assets, MSME & Mid Corporate	28.11.2024
13.	Shri Sukh Sagar Prasad Roy	Chief General Manager (CGM)-FGM Mumbai	CGM – BOD, Estate, ES to MD & CEO, Secretary to Board	02.12.2024
14.	Shri Deepak Gupta	General Manager- CO: BOD & Estate	Field General Manager (FGM) -Mumbai	11.12.2024

15.	Ms. Vallery Rath	Chief General Manager, TMO & Digital Business and ES to MD & CEO, Sect. to Board	Chief General Manager- TMO & Digital Business	01.01.2025
16.	Shri Balaji S	Deputy General Manager, CO: Marketing	DGM / DH (Marketing and CCD)	13.01.2025
17.	Ms. Vallery Rath	Chief General Manager- TMO & Digital Business	Chief General Manager- TMO & Digital Business and Planning & Business Intelligence	21.01.2025
18.	Shri Ram Kumar Das	General Manager- CO: Recovery	Chief General Manager- CO: Recovery	01.04.2025
19.	Shri Venkatachalam Anand	-	Appointed as Chief Vigilance Officer	01.04.2025
20.	Shri Sarvesh Kumar Gupta	-	Appointed as Chief Information Security Officer (CISO)	17.01.2025
21.	Ms. M Swarajya Lakshmi	-	Appointment as Internal Ombudsman	10.03.2025

6. Remuneration to Directors:

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (Whole Time Directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director(s) are as under:

Sl. No.	Name	Basic Pay (Rs.)	Dearness Allowance (Rs.)	Arrear (Rs.)	Incentives /Other allowances (Rs.)	1 day Leave Encashment to PM Relief Fund (Rs.)	Total (Rs.)	PF/NPS Bank Contribution (Rs.)	Grand Total (Rs.)
1	Shri Binod Kumar (MD & CEO)	529212.90	280482.84	4896.00	0.00	0.00	814591.74	53241.29	867833.03
2	Shri S.L. Jain (ex-MD & CEO)	2000100.00	1020246.00	46344.00	5171780.00	0.00	8238470.00	200010.00	8438480.00
3	Shri Mahesh Kumar Bajaj	2234700.00	1151118.00	38736.00	1962842.00	0.00	5387396.00	223470.00	5610866.00
4	Shri Ashutosh Choudhury	2406000.00	1239360.00	41790.00	1962356.00	0.00	5649506.00	512857.80	6162363.80
5	Shri Shiv Bajrang Singh	2301600.00	1185576.00	39900.00	865462.00	0.00	4392538.00	230160.00	4622698.00
6	Shri Brajesh Kumar Singh	2201700.00	1134123.00	27049.77	106832.00	0.00	3469704.77	220546.13	3690250.90
7	Shri Imran Amin Siddiqui*	0.00	0.00	0.00	1706208.00	0.00	1706208.00	0.00	1706208.00
8	Shri Ashwani Kumar#	0.00	0.00	0.00	309120.00	0.00	309120.00	0.00	309120.00

Incentive/Other Allowances for Shri Shanti Lal Jain includes amount paid to him for Encashment of Leave on Separation, Gratuity, PF and Pension Commutation.

*Executive Director upto 09.03.2024

#Executive Director upto 31.05.2023

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its Directors.

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

Government of India vide communication dated 30.08.2019 given flexibility to Boards of Large Public Sector Banks (PSBs) having total business (being the summation of gross loans and advances and total deposit of the Bank, reckoned as per the last declared results of the Bank) of Rs.10 lakh crore or higher, to decide sitting fees payable to Non-Executive Directors. Accordingly, Board of Directors of the Bank in its meeting held on 25.04.2023 accorded approval for sitting fees (per meeting) as under:

1.	For attending Board Meeting	Rs. 70,000.00
2.	For attending meeting of Board level committees	Rs.35,000.00
3.	For chairing Board Meeting	Rs.20,000.00
4.	For Chairing meeting of Board level Committees	Rs.10,000.00

Subject to overall ceiling of Rs.25 lakh per annum.

The Sitting fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government of India guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the year 2024-25 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & Reserve Bank of India):

Sr. No.	Name of the Director	(Amount in Rs.)
01	Smt. Papia Sengupta	22,95,000
02	Shri Balmukund Sahay	21,50,000
03	Shri Vishvesh Kumar Goel	18,05,000
04	Shri Pradeep Kumar Malhotra	17,95,000
05	Shri Sanjeev Maheshwari	7,30,000

7. General Body Meetings:

7.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank:

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Sixteenth Annual General Meeting	Wednesday, the 22 nd June, 2022 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. - To declare dividend on Equity Shares of the Bank. - To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof (passed through special resolution)

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Seventeenth Annual General Meeting	Monday, the 19 th June, 2023	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2023, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. - To declare dividend on Equity Shares of the Bank. - To approve the appointment of Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director (DIN: 08080244). - To approve appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Non-Executive Director (Government of India's Nominee Director) (DIN: 03609968). - To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof
Eighteenth Annual General Meeting	Saturday, the 15 th June, 2024	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2024, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. - To declare dividend on Equity Shares of the Bank. - To approve the appointment of Shri Brajesh Kumar, Executive Director of the Bank. - To approve appointment of Dr. Alok Pande, Non-Executive Director (GOI Nominee Director) of the Bank. - To raise equity capital aggregating upto Rs.5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof

7.2 In the 16th and 17th Annual General Meeting held on 22nd June 2022 and 19th June 2023 respectively, a special resolution approving raising equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof was passed. In the 18th Annual General Meeting held on 15th June 2024, a special resolution approving raising equity capital aggregating upto Rs.5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof was passed.

7.3 No Special Resolution was passed in Extraordinary General Meeting (EGM) or through postal ballot during the financial year 2024-25.

7.4 The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 15.06.2024:

Shri S.L. Jain	MD & CEO (in the chair)
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director
Smt. K Nikhila	RBI Nominee Director
Smt. Papia Sengupta	Shareholder Director
Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director
Shri Balmukund Sahay	Part Time Non Official Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Shri Vishvesh Kumar Goel	Part Time Non Official Director and Chairman of Audit Committee of Board

8. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly / half yearly / annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely, NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2024-25, the quarterly / half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Business Standard, English & Hindi edition and Dinamani (Tamil). The results are also displayed on the website of the Bank www.indianbank.in.

The presentation made to the analysts / institutional investors, is also hosted on the Bank's website, www.indianbank.in.

9. General Shareholders Information:

9.1 Particulars of 19th Annual General Meeting:

Day and Date	Tuesday, 17 th June 2025
Time	11:00 AM
Venue	AGM will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), as such, the Bank's Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 will be the deemed venue for AGM.

9.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results:

The Financial Year of the Bank is April to March.

9.3 Dividend payment date:

Dividend payment date : within 30 days from date of declaration

9.4 Dividend:

The Board of directors of the Bank has recommended a dividend of Rs 16.25 per equity share i.e. 162.50 % of paid up equity capital of the Bank for Financial Year 2024-25.

9.5 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE).

Stock Exchange	Stock Code	Date of Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C.1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.	INDIANB	01.03.2007
BSE Ltd. (BSE), P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	INDIANB/532814	01.03.2007

The advance Annual Listing fee for the financial year 2025-26 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

9.6 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2024-25 were as under:

Month	NSE			BSE			Total Volume (Nos. in lakh)
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	
Apr-24	565.75	500.40	343.23	565.15	496.10	14.66	357.89
May-24	596.90	500.40	527.29	596.70	500.80	24.44	551.73
Jun-24	632.70	481.45	549.56	626.35	481.85	22.29	571.85
Jul-24	610.90	524.80	366.71	610.00	521.65	13.83	380.54
Aug-24	613.20	531.05	277.10	612.90	531.30	11.43	288.53
Sep-24	574.30	504.15	422.81	573.80	504.25	15.96	438.77
Oct-24	597.00	487.35	377.89	597.45	488.00	13.86	391.75
Nov-24	598.00	504.50	285.77	597.75	504.60	9.74	295.51
Dec-24	615.15	525.70	355.55	615.00	525.95	10.79	366.34
Jan-25	561.30	473.90	447.83	561.10	474.05	10.89	458.72
Feb-25	559.80	496.80	245.34	559.45	497.40	5.43	250.77
Mar-25	558.00	478.00	238.56	557.65	478.35	5.57	244.13

9.7 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty- 50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

Date	Closing Share Price of Bank at NSE (Rs.)	Nifty-50 (Closing)	S&P BSE Sensex (Closing)
Apr-24	548.25	22604.85	74482.78
May-24	567.50	22530.70	73961.31
Jun-24	545.50	24010.60	79032.73
Jul-24	608.80	24951.15	81741.34
Aug-24	567.30	25235.90	82365.77
Sep-24	524.05	25810.85	84299.78
Oct-24	592.55	24205.35	79389.06
Nov-24	574.30	24131.10	79802.79
Dec-24	529.95	23644.80	78139.01
Jan-25	555.75	23508.40	77500.57
Feb-25	510.80	22124.70	73198.1
Mar-25	541.30	23519.35	77414.92

9.8 Registrar and Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai - 600 002 is the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for equity shares of the Bank.

9.9 Share Transfer System:

- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, requests for effecting transfer, transmission or transposition of Shares/Securities shall not be processed by the Bank's RTA / Bank unless the Shares/Securities are held in dematerialized form.
- Shareholders who are holding shares in physical form and desirous of transferring the same can do so only after the shares are dematerialized

9.10 Distribution of shareholding as on 31.03.2025:

Shareholding	Number of shareholders	Percentage of Total shareholders (%)	No. of Shares	Percentage of Total Shares (%)
1 - 500	307389	94.5757	22437883	1.6658
501 - 1000	11550	3.5536	8224208	0.6105
1001 - 2000	3711	1.1417	5188808	0.3852
2001 - 3000	852	0.2621	2114883	0.1570
3001 - 4000	347	0.1067	1220994	0.0906
4001 - 5000	241	0.0741	1117604	0.0829
5001 - 10000	343	0.1055	2493298	0.1851
10001 & above	586	0.1802	1304166303	96.8226
Total	325019	100.00	1346963981	100.00

9.11 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE562A01011**.

As on 31.03.2025, 134,55,52,591 equity shares constituting 99.90% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2025 are as under:

Shares held in		Number of shareholders	% of shareholders	Number of shares	% of shareholding
Physical form		40,909	12.59	1411390	0.10
Dematerialized form	NSDL	1,64,354	50.57	328057852	24.36
	CDSL	1,19,756	36.84	1017494739	75.54
Total		3,25,019	100.00	1346963981	100.00

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2025 is 99,45,49,600 equity shares of Rs.10/- each, which constitutes 73.84% of the paid up capital of the Bank.

9.12 There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible instruments as on date.

9.13 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim

maturities. With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of Rs.40.50 Crore up to 31 March, 2025 (previous year Rs.35.10 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI direction RBI/2022-23/131: DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated 11 October 2022. The entire estimated amount has been fully provided for.

9.14 Details of Bonds / Debt Instruments issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2025:

Details of Bonds issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2025 are as under:

Particulars	ISIN	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2025	Name of Credit Rating Agency (ies)	Name & Address of Bond Trustee
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series II	INE562A08057	1048	CARE AA+/ Stable CRISIL AA+/ Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	Axis Trustee Services Ltd. The Ruby, 2 nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028.
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series III	INE562A08065	560			
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series IV	INE562A08073	392			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series II	INE428A08044	1000	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable CARE AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. CARE Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable	CARE Ratings Ltd. CRISIL Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series V	INE562A08081	2000			
Infrastructure Bond Series I	INE562A08099	5000			
Infrastructure Bond Series I	INE562A08107	5000			
Total		16000.00			

Other Credit Ratings:

In addition to the above, the Bank has also obtained Credit Rating for its Certificate of Deposits from CRISIL Ratings and issuer rating from S&P Global Ratings and CARE Ratings Ltd. The details are as under:

Sl. No.	Name of Credit Rating Agency (ies)	Type of Instrument / Type of Rating	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2025
1.	CRISIL Ratings Ltd.	Certificate of Deposits	45000	CRISIL A1+
2.	S & P Global Ratings	Issuer Credit Rating	-	BBB- / Positive / A-3
3.	CARE Ratings Ltd.	Issuer Credit Rating	-	AAA/Stable

10. Other Disclosures:

- Related party transaction of the Bank are disclosed in the notes to accounts Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2025. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- The Bank has complied with the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI during the last three financial year.
- The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.
- The Bank has formulated a 'Policy for determining Material Subsidiary' and the same is available on Bank's website, www.indianbank.in.
- The Bank is having two listed subsidiaries namely, Indbank Merchant Banking Services Limited and Ind Bank Housing Limited and one unlisted subsidiary namely Indbank Global Support Services Ltd. None of them are 'material subsidiary of the Bank. Besides three subsidiaries, the Bank also has two joint ventures namely, Universal Sampo General Insurance Company Ltd. and Asrec (India) Ltd.
- In line with the Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. The details of complaints received and resolved during the financial year 2024-25 and pending as on 31.03.2025 are as follows: -

	Received during FY 2024-25	Resolved during FY 2024-25	Pending as on 31.03.2025
Number of Complaints	07	03	04

- A Certificate from a Company Secretary in practice certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/Regulatory Authority is attached and form part of the report.
- The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed to this report.
- Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Central Auditors for the Financial Year 2023-24 is Rs.615.87 lakhs.
- A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.

(k) Commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.

(l) Discretionary requirements:

The details regarding adoption of discretionary requirements specified in Part E of Schedule II of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, is as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties.	Not Applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results are published in the newspapers, uploaded in Bank's website and are available on the websites of Stock Exchanges, NSE & BSE.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for FY 2024-25 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Managing Director or the Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and the Managing Director or Chief Executive Officer. such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013	Presently the Bank does not have regular Non-Executive Chairperson. As per the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, appointment of Chairman is made by the Government of India.
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee.	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee of the Bank periodically.

(m) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff / officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely '**Whistle Blower Policy**' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website, www.indianbank.in

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

(n) Utilization of Fund raised by the Bank through issuance of Long Term Infrastructure Bond:

During FY 2024-25, the Bank has raised Long Term Infrastructure Bonds aggregating to Rs.10,000 Crore in two tranches having tenor of 10 years, Rs.5000 Crore on 13.09.2024 (Q2) at a coupon of 7.24% p.a. and Rs.5000 Crore on 25.10.2024 (Q3) at a coupon of 7.12% p.a. through private placement using electronic Bidding platform of BSE (BSE-EBP).

The proceeds of the issue have been utilized for funding/refinancing long term projects in infrastructure sub-sectors and affordable housing as prescribed by RBI.

(o) During the financial year 2024-25 there were no instances where the Board didn't accept recommendations of the committee of the Board which were mandatory for according approval by the Board.

11. Bank is in compliance of requirement of Corporate Governance Report of Sub para (2) to (10) of Sub para C of Schedule V of SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirement 2015.

11.1 Bank is in compliance with Corporate Governance Requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation 2 of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 except composition of Board of Directors, constitution of Nomination & Remuneration Committee, non-availability of Independent Woman Director and non-availability 50% of independent Directors on the Board, as prescribed under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

12. Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website, under the link <https://indianbank.in/investors-services-ib/>

13. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed Cameo Corporate Services Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer / transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai. Pursuant to extant SEBI guidelines, transfer requests for shares held in physical form are not being processed with effect from 01.04.2019.

Shareholders should contact their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.) for shares held in Dematerialized form.

The shareholders may lodge their requests / complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address :

Cameo Corporate Services Limited (Unit: Indian Bank) P Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai – 600 002. Telephone: 044-28460718 Email:investor@cameoindia.com	The Company Secretary Investor Services Cell Indian Bank, Corporate Office , 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone: 044-28134484/4698 Email: investors@indianbank.co.in

13.1 Number of Investor complaints received, resolved and pending:

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests / complaints received and resolved during the financial year 2024-25 and pending as on 31.03.2025 are as follows:

Number of Complaints / requests	Pending as on 01.04.2024	Received during FY 2024-25	Resolved during FY 2024-25	Pending as on 31.03.2025
	0	120	120	0

13. Disclosure with respect to Demat Suspense Account / Unclaimed Suspense Account:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2024	Shareholders - 33 Shares - 3862
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Nil
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Nil
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying at the end of the year i.e. 31.03.2025	Shareholders - 33 Shares - 3862

The voting rights in respect of the unclaimed / outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner, the shares lying in the Demat Suspense account are credited in the demat account of claimant.

15. Shareholding Pattern (as on 31.03.2025):

Shareholder Category	No. of Shareholders	No. of Shares held	Shareholding %
Government of India (President of India) -Promoter	1	994549600	73.84
Mutual Funds*	32	170908925	12.69
Foreign Portfolio Investor(FPI) and Foreign Institutional Investor (FII)*	222	63793865	4.74
Alternate Investment Funds	16	4573199	0.34
Insurance Companies*	16	63666007	4.73
Financial Institutions/ Banks	5	267472	0.02
Resident Individual	290556	38709872	2.87
Body Corporate	1387	2478995	0.18
Directors and their relatives	3	1745	0.00
Employees	17074	4887526	0.36
Clearing Members	6	11674	0.00
Hindu Undivided Family(HUF)	3240	982783	0.07
NRI	4897	2031042	0.15
Trust	23	93393	0.01
Central Government/ State Government(s)/ President of India- Non Promoter	1	4021	0.00
Unclaimed shares demat suspense Account	2	3862	0.00
Total	317481	1346963981	100.00

* Consolidated on common PAN basis

16 Dividend through National Automated Clearing House (NACH):

National Automated Clearing House (NACH) is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his / her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

17. Unclaimed Dividend, if any:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No. F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividend amount of the Bank are transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government in compliance of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for Financial Year 2020-21 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with their Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to them through NEFT/Direct Credit. For FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20, no dividend was declared by the Bank.

Further, in terms of the Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules;

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund under Sub-section (3), shall be entitled to claim the transfer from the said Fund, in accordance with the rules made under section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013."

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in.

18. Related Party Transactions:

The Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2024-25. The policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website, www.indianbank.in.

19. Code of Conduct:

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank's website viz. www.indianbank.in.

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

20. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 03.05.2025
Place: Chennai

(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is hereby declared that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. Chief General Managers/ Vertical Head) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2025 in terms of Regulation 26 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.indianbank.co.in.

Date: 03.05.2025

Place: Chennai

(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **INDIAN BANK** for the Financial year ended on March 31st, 2025, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- We certify that the Bank has generally complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with exception as mentioned in Para 11.1 of the Corporate Governance Report.
- We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

For M/s Kailash Chand Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN: 112318W

For M/s S. SINGHAL & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001526C

For M/s G Balu Associates LLP,
Chartered Accountants
FRN: 000376S / S200073

Saurabh Chouhan
Partner
(M. No.167453)
UDIN: 25167453BMLKTC7667

Mukesh Kumar Khandelwal
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 25074661BMKOJT1940

Raja Gopalan B
Partner
(M. No.217187)
UDIN: 25217187BMLWUM4270

For M/s Dass Gupta & Associates,
Chartered Accountants
FRN: 000112N

**For M/s Arun K Agarwal
& Associates,**
Chartered Accountants
FRN: 003917N

Naresh Kumar
Partner
(M. No. 082069)
UDIN: 25082069BMLXEL3675

Arun Kumar Agarwal
Partner
(M. No. 082899)
UDIN: 25082899BMMBRV1842

Date: 03.05.2025

Place: Chennai

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To,

**The Board of Directors
Indian Bank**

This is to certify that:

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the Financial Year 2024-25 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
 - (i) that no significant changes in internal control over financial reporting have been made during the Fourth Quarter and Financial Year ended on March 31, 2025;
 - (ii) that there have been no significant changes in accounting policies during the Financial Year ended on March 31, 2025 as compared to those followed in preceding financial year 2023-24 except for (a) Classification and Valuation of Investments which is as per the Master Direction No. RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 issued by Reserve Bank of India dated September 12, 2023 applicable w.e.f April 01, 2024. (b) Recording of foreign currency transactions at the exchange rate prevailing at preceding business day closing rate instead of weekly average rate.
 - (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sunil Jain)
Chief Financial Officer

(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date: 03.05.2025

SECRETARIAL AUDIT REPORT For the Financial Year 2024-25

To,

The Members,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai 600 001.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Bank (hereinafter called the Bank)**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Indian Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2025, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indian Bank ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2025 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; (to the extent applicable)
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
(Not applicable to the Bank during the audit period)

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018;
(Not applicable to the Bank during the audit period)
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
(Not applicable to the Bank during the audit period)
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
(Not applicable)
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
(Not applicable to the Bank during the audit period)
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
(Not applicable to the Bank during the audit period)
- (i) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

(vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

(vii) The Banking Regulations Act, 1949

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. **(Not Applicable to the Bank, as the Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956/2013)**
- (ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and amendments from time to time.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and not incorporated under Companies Act.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following Observations:

- 1) In terms of Section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank was required to have one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government but this position is vacant on the Board of the Bank.
- 2) In terms of Section 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the

Bank was required to have one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India but the position is vacant on the Board of the Bank.

- 3) In terms of Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank was required to have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank but the position is vacant on the Board of the Bank.
- 4) The term of appointment of two Directors, namely, Shri Vishvesh Kumar Goel and Shri Balmukund Sahay nominated by Central Govt. under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ended on 20.12.2024. As such the position of Director under such category was vacant on the Board of the Bank as on 31.03.2025. The Central Government vide Gazette Notification dated 11.04.2025 has re-nominated Shri Vishvesh Kumar Goel and Shri Balmukund Sahay as Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank with effect from 11.04.2025.
- 5) In terms of amended provisions of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank being a listed entity is required to appoint a qualified Company Secretary as the compliance officer who shall be an officer in whole time employment of the Bank, not more than one level below the Board of directors. Presently the Company Secretary designated as Compliance Officer of the Bank is Assistant General Manager (four level below the Board as per present organisational hierarchy of the Bank).
- 6) In terms of Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, atleast half of the Board of Directors of the Bank shall comprise of independent Directors and the Board shall have atleast one independent women Director on the Board. As on 31.03.2025, the Bank has one Women Non-Executive Director namely Smt. K Nikhila on the Board. The composition of Board is not in line with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- 7) In terms of Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with RBI circular RBI/2021-22/24DOR.GOV. REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 on Corporate Governance in Banks, the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Bank shall comprise of at least three Directors and all the Directors of the Committee shall be Non-Executive Directors. As on 31.03.2025, the NRC of the Bank comprise of only one Independent Director. The constitution of NRC of the Bank as on 31.03.2025 was not in line with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and RBI Circular. NRC of the Bank has been reconstituted on 19.04.2025 with four independent Directors.

We further Report That:

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that, During FY 2024-25, the Bank has raised Long Term Infrastructure Bonds aggregating to Rs.10,000 Crore in two tranches having tenor of 10 years, Rs.5000 Crore on 13.09.2024 (Q2) at a coupon of 7.24% p.a. and Rs.5000 Crore on 25.10.2024 (Q3) at a coupon of 7.12% p.a. through private placement using electronic Bidding platform of BSE (BSE-EBP).

During the Financial Year 2024-25, Bank has exercised Call Option on Tier 2 Bonds Series IV (ISIN-INE428A08101) amounting to Rs.1500 crore on 27.12.2024 and redeemed Tier 2 Bonds Series I (ISIN- INE428A08028) amounting to Rs.500 crore (Tenor 10 years) on 20.01.2025 on maturity.

During the Financial Year 2024-25, RBI imposed penalty of

- Rs.0.46 Cr (257 instances), of which Rs.0.29 Cr (163 instances) is related to discrepancies in soiled notes remittances, Rs.0.01 Cr (02 instances) is due to delayed/wrong reporting in eKuber and Rs.0.12 Cr (52 instances) is due to irregularities observed in RBI inspection at currency chests and Rs.0.03 Cr (26 instances) is due to irregularities observed in incognito visit of branches by RBI.
- Rs.0.01 crore (no of instances: 14) is related to Cash Out ATM.

Further, the Central Bank of Sri Lanka - Financial Intelligence Unit has imposed a monetary penalty of Sri Lankan Rupees (LKR) Two Million (LKR 2,000,000) i.e. approx. Indian Rupees (INR) Five Lakh Eighty Five Thousands (INR 5.85 Lakh) on the Bank for failure to conform to the provisions of Financial Transactions Reporting Act, No.6 of 2006 (FTRA) of Sri Lanka and rules, regulations issued thereunder. The Bank has operation in Sri Lanka through its two Branches one in Colombo and one in Jaffna.

The Reserve Bank of India on 25.04.2025, has imposed a monetary penalty of Rs.1,61,40,000 (Rupees one crore sixty one lakh forty thousand only) on the Bank for contravention of provisions of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 regarding non transfer of eligible amount to Depositor Education and Awareness Fund within the prescribed period and non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Interest Rate on Advances', 'Kisan Credit Card (KCC) Scheme' and 'Lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector'.

**For V Gopalan & Associates
Practising Company Secretaries**

**Gopalan Varadarajan
M. No. F12087 / COP No.24926
Peer Review Certificate No.5361/2023
UDIN: F012087G000257321**

Place: Chennai
Date: 03.05.2025

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Indian Bank
Chennai - 600 014.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For V Gopalan & Associates
Practising Company Secretaries**

Place: Chennai
Date: 03.05.2025

**Gopalan Varadarajan
M. No. F12087 / COP No.24926
Peer Review Certificate No.5361/2023
UDIN: F012087G000257321**

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **INDIAN BANK** having registered office at 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory/Regulatory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN/PAN	Date of appointment in Bank
1	Mr. Binod Kumar	07361689	16.01.2025
2	Mr. Mahesh Kumar Bajaj	08080244	21.11.2022
3	Mr. Ashutosh Choudhury	09245804	03.05.2023
4	Mr. Shiv Bajrang Singh	10597820	09.10.2023
5	Mr. Brajesh Kumar Singh	ANBPS0315E	10.03.2024
6	Dr. Alok Pande	10631871	13.05.2024
7	Ms. K Nikhila	AAMPK5889M	14.07.2023
8	Mr. Pradeep Kumar Malhotra	09817764	09.03.2024
9	Mr. Sanjeev Maheshwari	02431173	21.12.2024

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For V Gopalan & Associates
Practising Company Secretaries**

Place: Chennai
Date: 03.05.2025

**Gopalan Varadarajan
M. No. F12087 / COP No.24926
Peer Review Certificate No.5361/2023
UDIN: F012087G000258124**

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Bring solar power to your doorstep

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana Roof Top Solar Loan Scheme



Scan for info



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Building your dream Medical facility starts here! **Ind Health Care**



Scan for info

STANDALONE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2025

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2025 (Audited)	As on 31.03.2024 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1346 96 40	1346 96 40
Reserves and Surplus	2	67962 97 67	57041 15 97
Deposits	3	737153 56 39	688000 00 37
Borrowings	4	41507 92 45	23131 48 70
Other Liabilities & Provisions	5	25439 23 21	23099 50 83
TOTAL		873410 66 12	792619 12 27
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	31947 64 88	32702 75 93
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	22920 22 73	9406 37 45
Investments	8	225303 12 38	212554 47 66
Advances	9	571071 19 09	514889 06 82
Fixed Assets	10	8826 69 30	7515 47 29
Other Assets	11	13341 77 74	15550 97 12
TOTAL		873410 66 12	792619 12 27
Contingent Liabilities	12	280676 21 35	334247 11 14
Bills for Collection	-	14159 47 18	15934 58 28

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No. 112318W

For M/S. S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FR No. 001526C

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

SAURABH CHOUHAN
Partner
(M. No. 167453)
UDIN: 25167453BMLKTF8234

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 25074661BMKOJR8226

RAJA GOPALAN B
Partner
(M. No. 217187)
UDIN: 25217187BMLWUK7042

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N
NARESH KUMAR
Partner
(M. No. 082069)
UDIN: 25082069BMLXEJ7885

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N
ARUN KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No. 082899)
UDIN: 25082899BMMBRT1772

Date: 03.05.2025
Place: Chennai

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2025 (Audited)	Y. E. 31.03.2024 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	62002 15 80	55614 77 76
Other Income	14	9223 48 10	7866 72 06
TOTAL		71225 63 90	63481 49 82
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	36825 78 82	32341 49 51
Operating expenses	16	15401 64 46	14300 45 59
Provisions & Contingencies	-	8079 91 22	8776 60 81
TOTAL		60307 34 50	55418 55 91
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit / Loss (-) for the year		10918 29 40	8062 93 91
Profit / Loss (-) Brought forward		329 34 23	133 23 45
TOTAL		11247 63 63	8196 17 36
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		2729 58 00	2015 74 00
Capital Reserves		29 19	0
Special Reserves u/s 36(1)(viii) of IT Act		467 34 00	362 22 00
Investment Fluctuation Reserve		199 20 78	328 11 00
Investment Reserve		0	254 40 45
Revenue Reserves		5250 00 00	3250 00 00
Staff Welfare Fund		60 00 00	40 00 00
Equity Dividend		2188 81 65	1616 35 68
Bal. carried over to Balance Sheet		352 40 01	329 34 23
TOTAL		11247 63 63	8196 17 36
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		81.06	63.23

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No. 112318W

SAURABH CHOUHAN
Partner
(M. No. 167453)

UDIN: 25167453BMLKTF8234

For M/S. S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FR No. 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)

UDIN: 25074661BMKOJR8226

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

RAJA GOPALAN B
Partner
(M. No. 217187)

UDIN: 25217187BMLWUK7042

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

NARESH KUMAR
Partner
(M. No. 082069)

UDIN: 25082069BMLXEJ7885

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

ARUN KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No. 082899)

UDIN: 25082899BMMBRT1772

Date: 03.05.2025
Place: Chennai

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. - 99,45,49,600 Equity shares of Rs. 10/- each)	994 54 96	994 54 96
b) 35,24,14,381 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. - 35,24,14,381 Equity shares of Rs.10/- each)	352 41 44	352 41 44
TOTAL	1346 96 40	1346 96 40

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	12972 13 51	10956 39 51
b) Additions during the period	2729 58 00	2015 74 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL I	15701 71 51	12972 13 51
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	5975 19 08	6106 89 86
b) Additions during the period	1510 27 80	0
c) Deductions during the period	284 69 33	131 70 78
TOTAL (A)	7200 77 55	5975 19 08
B) Others		
a) Opening Balance	1060 90 74	1060 90 74
b) Additions during the period	29 19	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	1061 19 93	1060 90 74
TOTAL II (A + B)	8261 97 48	7036 09 82
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	6290 02 15	2391 54 44
b) Additions during the period	0	3898 47 71
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL III	6290 02 15	6290 02 15
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	21183 15 65	17826 86 85
b) Additions during the period	5250 00 00	3250 00 00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	284 69 33	106 28 80
d) Deductions during the period	213 62 98	0
TOTAL (A)	26504 22 00	21183 15 65
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2837 82 00	2475 60 00
b) Additions during the period	467 34 00	362 22 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	3305 16 00	2837 82 00
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58 20 00	58 20 00
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (C)	58 20 00	58 20 00

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1360 01 00	1031 90 00
b) Additions during the period	639 99 00	328 11 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (D)	2000 00 00	1360 01 00
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	440 78 22	186 37 77
b) Additions during the period	0	254 40 45
c) Deductions during the period	440 78 22	0
TOTAL (E)	0	440 78 22
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	524 77 21	490 56 66
b) Additions during the period	58 48 80	34 20 55
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (F)	583 26 01	524 77 21
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1 90 63	1 90 63
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (G)	1 90 63	1 90 63
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	32452 74 64	26406 64 71
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006 91 55	4006 91 55
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL V	4006 91 55	4006 91 55
VI. AFS RESERVE		
a) Opening Balance	0	0
b) Additions during the period	897 20 33	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL VI	897 20 33	0
VII. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	329 34 23	133 23 45
b) Additions during the period	10918 29 40	8062 93 91
c) Deductions during the period	10895 23 62	7866 83 13
TOTAL VII	352 40 01	329 34 23
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	67962 97 67	57041 15 97

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	179 17 68	138 46 54
ii) From Others	39451 19 32	38854 56 63
TOTAL	39630 37 00	38993 03 17
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	243223 13 76	241494 02 33
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	25875 83 16	19947 53 38
ii) From Others	428424 22 47	387565 41 49
TOTAL	454300 05 63	407512 94 87
TOTAL A (I+II+III)	737153 56 39	688000 00 37

B. I) Deposits of branches in India	702965 68 20	661825 86 15
II) Deposits of branches outside India	34187 88 19	26174 14 22
TOTAL B (I+II)	737153 56 39	688000 00 37

Out of Total Deposits, deposits against which lien is marked amounts to Rs. 48567 03 41 (P.Y. - Rs. 37564 24 54)

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	8178 00 00	0
ii) Other Banks	1 99	1 94
iii) Other Institutions and Agencies*	31827 06 20	20441 40 20
TOTAL	40005 08 19	20441 42 14
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	1502 84 26	2690 06 56
TOTAL (I+II)	41507 92 45	23131 48 70
Secured Borrowings included above	23002 22 00	12272 38 00

* includes AT-1 Capital-Perpetual Debt Instrument of Rs. 2000 00 00 (P.Y. - Rs. 2000 00 00) and Tier II Capital-Subordinated Debt of Rs. 4000 00 00 (P.Y. - Rs. 6000 00 00).

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Bills Payable	1995 01 67	1663 84 44
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	1777 03 10	1846 00 13
IV. Others (including Provisions)*	21667 18 44	19589 66 26
TOTAL (I+II+III+IV)	25439 23 21	23099 50 83

* includes Contingent Provisions against Standard Assets of Rs. 8883 20 21 (P.Y. - Rs. 8026 39 38)

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1312 60 97	1304 15 13
II. Balances with Reserve Bank of India:	30635 03 91	31398 60 80
(i) in Current Accounts	24768 03 91	31134 60 80
(ii) in Other Accounts	5867 00 00	264 00 00
TOTAL (I+II)	31947 64 88	32702 75 93

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	133 40 38	4 20 32
b) in Other Deposit Accounts	1249 05 00	1573 60 00
TOTAL (i)	1382 45 38	1577 80 32
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	0	1997 06 53
TOTAL (ii)	0	1997 06 53
TOTAL I (i + ii)	1382 45 38	3574 86 85
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	1638 14 04	743 35 55
ii) in Other Deposit Accounts	19895 37 47	5084 57 73
iii) Money at Call and Short Notice	4 25 84	3 57 32
TOTAL II (i + ii + iii)	21537 77 35	5831 50 60
GRAND TOTAL (I + II)	22920 22 73	9406 37 45

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	223371 33 96	214662 93 45
Less: Provision for Depreciation & NPI	567 59 62	4177 55 01
Net Investments	222803 74 34	210485 38 44
i) Government Securities	196565 38 97	180453 94 00
ii) Other approved Securities	0	0
iii) Shares	1253 42 93	775 26 62
iv) Debentures and Bonds	16246 11 18	15772 54 15
v) Subsidiaries and/or Joint Ventures (including Associates)	256 75 25	256 75 25
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds)	8482 06 01	13226 88 42
TOTAL	222803 74 34	210485 38 44
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2635 17 33	2209 48 31
Less: Provsion for Depreciation & NPI	135 79 29	140 39 09
Net Investments	2499 38 04	2069 09 22
i) Government Securities (including local authorities)	2498 66 63	2068 87 26
ii) Other investments		
a) Shares	71 41	21 96
b) Debt Securities	0	0
TOTAL	2499 38 04	2069 09 22
NET GRAND TOTAL (I+II)	225303 12 38	212554 47 66

SCHEDULE 9 -ADVANCES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
A. i) Bills purchased and discounted	4243 19 53	5886 14 36
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	294077 40 84	252022 14 37
iii) Term Loans	272750 58 72	256980 78 09
TOTAL (A)	571071 19 09	514889 06 82
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	436378 07 10	425795 49 69
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	64082 89 13	41042 06 28
iii) Unsecured	70610 22 86	48051 50 85
TOTAL (B)	571071 19 09	514889 06 82
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	220040 51 84	199112 44 30
ii) Public Sector	74627 61 46	71191 35 87
iii) Banks	0	0
iv) Others	234695 72 07	209056 18 01
TOTAL (C.I)	529363 85 37	479359 98 18
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Dues from Banks	27439 63 53	22002 07 43
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	2203 83 63	2150 02 44
b) Syndicated loans	7312 79 87	6617 87 67
c) Others	4751 06 69	4759 11 10
TOTAL (C.II)	41707 33 72	35529 08 64
GRAND TOTAL (C.I + C.II)	571071 19 09	514889 06 82

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 -FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	7452 85 13	7460 62 43
Additions/Adjustments during the period	1332 08 32	0
Sub-Total	8784 93 45	7460 62 43
Deductions during the period	183 60 76	7 77 30
Sub-Total	8601 32 69	7452 85 13
Depreciation to date	1661 05 62	1580 89 69
TOTAL	6940 27 07	5871 95 44
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	505 10 80	530 52 79
Additions/Adjustments during the period	178 98 40	0
Sub-Total	684 09 20	530 52 79
Deductions during the period	0	25 41 99
Sub-Total	684 09 20	505 10 80
Depreciation to date	105 70 23	76 83 10
TOTAL	578 38 97	428 27 70
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	28 10 53	14 98 43
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost as per the last Balance Sheet	5627 71 41	5087 93 85
Additions/Adjustments during the period	507 30 02	604 39 18
Sub-Total	6135 01 43	5692 33 03
Deductions during the period	61 37 98	64 61 62
Sub-Total	6073 63 45	5627 71 41
Depreciation to date	4796 33 62	4428 76 07
TOTAL	1277 29 83	1198 95 34
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	2 62 90	1 30 38
GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)	8826 69 30	7515 47 29

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Inter Office Adjustment (net)	128 03 58	239 94 20
II. Interest Accrued	4758 34 54	4251 78 49
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	0	2913 46 33
IV. Stationery and Stamps	6 72 12	12 62 98
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51 38 26	51 38 26
VI. Others*	8397 29 24	8081 76 86
TOTAL	13341 77 74	15550 97 12
*includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	389 24 33	582 09 61

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	2221 57 72	2177 15 38
II. Liability for partly paid investments	264 12 31	281 95 06
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	229350 45 07	279768 99 15
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	26618 50 26	29491 56 10
b) Outside India	194 56 86	198 56 58
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	7365 85 82	9081 75 70
VI. Other items for which the bank is contingently liable	14661 13 31	13247 13 17
TOTAL	280676 21 35	334247 11 14

*Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Interest/Discount on Advances/Bills	44856 39 03	40618 84 59
II. Income on Investments	15315 39 44	13401 85 32
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	1585 42 74	1386 20 36
IV. Others	244 94 59	207 87 49
TOTAL	62002 15 80	55614 77 76

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Commission, Exchange and Brokerage	1066 47 88	1018 29 76
II. Profit on Sale of Investments	1050 90 10	1010 73 50
Less: Loss on Sale of Investments	142 86 62	147 88 16
Net	908 03 48	862 85 34
III. Profit on revaluation of Investments	137 50 36	444 94 91
Less: Loss on revaluation of Investments	1 14	0
Net	137 49 22	444 94 91
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets*	2 95 22	2 82 30
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets*	1 25 90	4 71 85
Net	1 69 32	-1 89 55
V. Profit on exchange transactions (Net)	369 08 29	451 51 04
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	26 03 33	29 27 27
VII. Miscellaneous Income	6714 66 58	5061 73 29
TOTAL	9223 48 10	7866 72 06

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Interest on deposits	34701 98 43	30493 66 47
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	361 72 10	330 78 02
III. Others	1762 08 29	1517 05 02
TOTAL	36825 78 82	32341 49 51

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Payments to and provisions for employees	9883 97 94	9264 58 80
II. Rent, Taxes and Lighting	674 34 25	635 64 07
III. Printing and Stationery	97 74 61	87 80 55
IV. Advertisement and Publicity	44 20 07	30 62 68
V. Depreciation on Bank's property	532 15 16	524 28 76
VI. Directors' fees, allowance and expenses	1 59 67	1 88 56
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	49 01 05	48 70 87
VIII. Law charges	22 98 24	17 31 17
IX. Postage, Telegrams and Telephones	130 09 17	109 35 94
X. Repairs and Maintenance	271 15 30	250 42 94
XI. Insurance	930 90 27	873 98 26
XII. Other Expenditure	2763 48 73	2455 82 99
TOTAL	15401 64 46	14300 45 59

SCHEDULE-17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (STANDALONE)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the exchange rate prevailing at preceding business day closing. The rate to be used is closing rate.
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the Weekly Average Rates notified by FEDAI every Weekend.
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates/Revaluation Rates

notified by FEDAI at every Month/Quarter/Year end.

- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the Month/Quarter/Year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the respective Quarter/Year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

- 4.1 Bank shall classify the entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS), Fair Value through Profit and Loss (FVTPL).

Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub- category within FVTPL. The category of the investment shall be decided by the bank before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented. All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). All the investments will be classified in the following category:

- (i) Held to Maturity (HTM)
- (ii) Available for Sale (AFS)
- (iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)
- (i) Held for Trading (HFT)
- (iv) Subsidiaries, associates and joint ventures (SAJV)

Bank shall continue to present the investments in the Balance Sheet as set out in The Third Schedule to the BR Act (Form A, Schedule 8 - Investments) as under:

- (i) Government securities
- (ii) Other approved securities
- (iii) Shares
- (iv) Debentures & Bonds
- (v) Subsidiaries and/or joint ventures
- (vi) Others (to be specified)

Held to Maturity (HTM):

- (a) Securities that fulfill the following conditions shall be classified under HTM
 - (i) The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and
 - (ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- (b) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the

SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:

- (i) The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- (ii) The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.
- (iii) The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

Available for Sale (AFS):

- (a) Securities that meet the following conditions shall be classified under AFS
 - (i) The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - (ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading.

- (b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.
- (c) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.

- (ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
- (iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (iv) Preference shares and Equity shares.

FVTPL

- (a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:
 - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
 - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
 - (iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
 - (iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

HFT

Bank shall create a separate sub-category called HFT within FVTPL. Bank shall comply with the requirements specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 for classifying investments under HFT. Details in Annexure 1

Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

4.2 INITIAL RECOGNITION

4.2.1 All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption shall be tested include where:

- (a) The transaction is between related parties.
- (b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- (c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- (d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

4.2.2 In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

4.2.3 Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss shall be recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

4.2.4 Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognised immediately.

4.2.5 Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments,

the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

4.3 SUBSEQUENT MEASUREMENT

4.3.1 HTM

- a) Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (b) Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (c) The acquisition cost adjusted for any premium/ discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024, shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/General Reserve.
- (d) Only in exceptional circumstances, where it is not practicable to calculate revised carrying value as above, the fair value of the securities as of March 31, 2024, may be taken as the revised carrying value.

4.3.2 AFS

- a) The securities held in AFS shall be fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised

over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

- (b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- (c) Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (d) The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1 subject to clause 28 of these Directions. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- (e) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS- Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- (f) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

4.3.3 FVTPL

- a) The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL shall be fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL shall be fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- (b) Bank shall fair value daily all HFT instruments and recognise any valuation change in the profit and loss account.
- (c) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (d) Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023

4.3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint ventures

- a) All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost, subject to the requirements as per RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

- (c) In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:
 - i. Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
 - ii. Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
 - iii. Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.
- (d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under
 - i. Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.
 - ii. Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

- (e) Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.
- (f) Bank shall evaluate investments in subsidiaries, associates or joint ventures for impairment at least on a quarterly, if not more frequent basis. A non-exhaustive list of indicators of potential impairment is as under:
- The entity has defaulted in repayment of its debt obligations.
 - The loan amount of the entity with any bank has been restructured.
 - The credit rating of the entity has been downgraded to below investment grade.
 - The entity has incurred losses for a continuous period of three years and the net worth has consequently reduced by 25 per cent or more.
 - There is a significant decline in the fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more. For the purpose of this sub-clause the term significant shall be interpreted as at least 20 per cent. Bank, with the approval of their Boards, may apply even more conservative thresholds.
 - Any or all of the entity's outstanding securities have been delisted, are in the process of being delisted, or are under threat of being delisted from an exchange due to noncompliance with the listing requirements or for financial reasons.
 - In the case of a new entity/ project where the originally projected date of achieving

the breakeven point has been extended i.e., the entity/ project has not achieved break-even within the gestation period as originally envisaged.

- (g) When the need to determine whether impairment has occurred arises in respect of a subsidiary, associate or joint venture, the bank shall obtain a valuation of the investment by an independent registered valuer and make provision for the impairment, if any. Such diminution shall be provided by recognising it as an expense in the Profit and Loss Account. It may be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

4.4 RECLASSIFICATION BETWEEN CATEGORIES

- (a) Bank shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.
- (b) The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.
- (c) When a bank reclassifies investments from one category to another category, the accounting treatment shall be as given in the table below. The bank shall disclose the details of such reclassification including the reclassification adjustments in the notes to the financial statements

S. No	From	To	Accounting Treatment
a	HTM	AFS	The fair value measured at the reclassification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be recognised in AFS-Reserve.

b	HTM	FVTPL	The fair value measured at there classification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of Investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
c	AFS	HTM	The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognised in the AFS-Reserve shall be withdrawn there from and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. Thus, the revised carrying value shall be the same as if the bank had classified the investment in HTM ab initio itself.
d	AFS	FVTPL	The investments shall continue to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS- Reserve shall be withdrawn there from and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
e	FVTPL	HTM	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.
f	FVTPL	AFS	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.

4.5 SALE OF INVESTMENTS FROM HTM

- Any sales from HTM shall be as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM shall be disclosed in the notes to accounts of the financial statements in the format specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed five per cent of the opening carrying value of the

HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.

- Sales of securities in the situations given below shall be excluded from the regulatory limit of five per cent prescribed in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023
 - Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
 - Repurchase of Government Securities by Government of India from Bank under buyback or switch operations.
 - Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
 - Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
 - Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
 - Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.
 - Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

- Any profit or loss on the sale of investments in HTM shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investments in HTM shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.
- Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint

venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves

4.5 FAIR VALUE OF INVESTMENTS

The fair value for the purpose of initial recognition and periodical valuation of investments as required by these Directions shall be determined as per the valuation norms laid down in this Chapter.

4.6.1 Quotes Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL) in accordance with RBI circular FMRD.DIRD.7/14.03.025/2017-18 dated March 31, 2018, as amended from time to time. For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

4.6.2 Unquoted SLR Securities

- (a) Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- (b) Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices/ YTM rates published by the FBIL.
- (c) Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

4.6.3 Unquoted Non-SLR Securities

I. Unquoted debentures & Bonds

- a) Unquoted debentures and bonds shall be valued by applying the appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government

Securities as put out by FBIL/FIMMDA, subject to the following:

- i. The mark-up applied shall be determined based on the ratings assigned to the debentures/ bonds by the credit rating agencies and shall be subject to the following:
 - The mark up shall be at least 50 basis points above the rate applicable to a Central Government security of equivalent maturity for rated debentures/ bonds.
 - The mark-up for unrated debentures or bonds shall not be less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity.

Provided that the mark-up for the unrated debentures or bonds should appropriately reflect the credit risk borne by the bank.

- Where the debentures/ bonds are quoted and there have been transactions within 15 days prior to the valuation date, the value adopted shall not be higher than the rate at which the transaction has been recorded on the Exchanges/trading platforms/reporting platforms authorized by RBI/ SEBI.
- b) Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds and bonds issued by state distribution companies (DISCOMs) under financial restructuring plan.
 - i. UDAY bonds shall be valued on basis of prices/yields published by FBIL.
 - ii. State government guaranteed bonds issued and serviced by DISCOM (i.e., when bonds' liabilities are with the DISCOMs) shall be valued by applying a mark-up of 75 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
 - iii. Other bonds issued and serviced by DISCOMs shall be valued by applying a

mark-up of 100 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.

- iv. Bonds issued and serviced by the State Government (i.e., when bonds' liabilities are with the State Government) shall be valued by applying a mark-up of 50 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
- c) Special securities, which are directly issued by Government of India, and which do not carry SLR status shall be valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity.
- d) Zero coupon bonds (ZCBs): In the absence of market value, the ZCBs shall be marked to market with reference to the present value of the ZCB. The fair value so determined should be compared with the carrying cost to determine valuation gain or loss.

II. Preference Shares

- a) When a preference share has been traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value shall not be higher than the price at which the share was traded.
- b) The valuation of unquoted preference shares shall be done on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by the FBIL subject to such preference share not being valued above its redemption value. The mark-up shall be graded according to the ratings assigned to the preference shares by the rating agencies and shall be subject to the following:
 - i. The mark-up cannot be negative i.e., the YTM rate shall not be lower than the coupon rate/ YTM for a Central Government India security of equivalent maturity.

- ii. The rate used for the YTM for unrated preference shares shall not be less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and shall appropriately reflect the credit risk borne by the bank.

- iii. Where the investment in preference shares is made as part of a resolution, the mark-up shall not be lower than 1.5 percentage points.

- c) Where preference dividends/coupons are in arrears, no credit should be taken for accrued dividends/coupons and the value determined as above on YTM basis should be discounted further by at least 15 per cent if arrears are for one year, 25 per cent if arrears are for two years, so on and so forth (i.e., with 10 percent increments). The overarching principle should be that valuation shall be based on conservative assessment of cash flows with appropriate discount rates to reflect the risk. Statutory Auditors should also specifically examine as to whether the valuations adequately reflect the risk associated with such instruments. The depreciation/provision requirement arrived at in respect of non-performing shares where dividends are in arrears shall not be allowed to be set-off against appreciation on other performing preference shares.
- d) Investments in preference shares as part of the project finance shall be valued at par for a period of two years after commencement of production or five years after subscription whichever is earlier.

III. Equity Shares

Equity shares for which current quotations are not available i.e., which are classified as illiquid or which are not listed on a recognised exchange, the fair value for the purposes of these directions shall be the break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as

on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹ 1 per company.

IV. Mutual Fund Units

- a) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme.
- b) In case of funds with a lock-in period or any other Mutual Fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

V. Commercial paper

Commercial paper shall be valued at the carrying cost.

VI. Investment in security receipts (SRs) and other instruments issued by an Asset Reconstruction Company (ARC) In respect of investments in SRs and other instruments issued by ARCs, Bank shall comply with the requirements of Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021, as amended from time to time.

VII. Investment in Alternative Investment Funds (AIFs)

- a) Quoted equity shares, bonds, units of AIFs in the bank's portfolio shall be valued mutatis mutandis as per instructions given in these directions for quoted securities.
- b) Unquoted instruments of AIFs shall be valued as under:
 - i. Units: The valuation shall be done at the NAV as disclosed by the AIF. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as per the frequency mandated by SEBI

(Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions.

- ii. Other instruments: The valuation of unquoted equity and other instruments issued by an AIF shall be as per the methodology specified for such instruments above.
- iii. As per RBI Circular dated 27.03.2024, RBI/2023-24/140

D.O.R.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 Provisioning shall be required only to the extent of investment by the Regulated entities (REs) in the AIF scheme which is further invested by the AIF in the debtor company, and not on the entire investment of the RE in the AIF scheme

VIII. Conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity shares In cases of conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity instruments bank shall follow the requirements of the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets issued vide circular DBR. No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019, as amended from time to time.

IX. To increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the bank shall categorize its investment portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in Clause 4 above. The details of the investment portfolio shall be disclosed in their notes to accounts of their financial statements. These disclosure requirements shall become effective from the audited financial statements for the financial

year ending March 31, 2026, onwards.

- X.** Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy.

4.7 Income Recognition, Asset Classification and Provisioning

4.7.1 Income Recognition

- a) Bank shall recognize income on accrual basis for the following investments:
 - i. Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
 - ii. Shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.
- b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds shall be recognized on cash basis.
- c) Subject to sub-clause (a) above, dividend income on equity investments held under AFS shall be recognised in the Profit and Loss Account.

4.7.2 Accounting for Broken Period Interest: Bank shall not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of

investments in securities.

4.7.3 Non-Performing Investments (NPI)

- a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances shall be used to classify an investment as a Non-Performing Investment (NPI). Similarly, an NPI shall only be upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.
 - i. In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - ii. Sub-clause (a)(i) above shall apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it shall be treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular year shall be reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.
 - iii. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, those equity shares shall be reckoned as NPI.

The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.

- iv. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer shall also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation shall not be applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- v. In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments shall be classified in the same asset classification category as the loan and provision shall be made as per the norms. In case of post conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment shall be categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) as per the RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- b) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- c) Bank shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.
- d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the

Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI shall be the higher of the following amounts:

- i. The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and
- ii. The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation shall be required over and above the provision for NPI as specified above.

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment.
 - i. Investments in Central Government Securities and State Government Securities shall not be classified as NPI.
 - ii. Investments in Central Government guaranteed securities shall also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, bank shall continue to recognise MTM gains/losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively.

However, any income shall be recognised only on realisation basis.

- iii. Investment in State Government guaranteed securities, shall attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the bank remains unpaid for more than 90 days.

4.7.4 Investment Fluctuation Reserve

- a) Banks shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:
 - i. Net profit on sale of investments during the year.
 - ii. Net profit for the year, less mandatory appropriations.
- b) IFR shall be eligible for inclusion in Tier II capital. The cap applicable on recognition of General Provisions and Loss Reserves as Tier II capital is not applicable on IFR.
- c) Bank shall, be permitted to draw down the balance available in IFR in excess of two percent of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year.
- d) In the event the balance in the IFR is less than two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) investment portfolio, a draw down shall be permitted subject to the following conditions:
 - i. The drawn down amount is used only for meeting the minimum CET 1/Tier 1 capital requirements by way of appropriation to free reserves or reducing the balance of loss.

- ii. The amount drawn down shall not be more than the extent the MTM provisions/losses during the aforesaid year exceed the net profit on sale of investments during that year.

4.7.5 Derivatives

- a) Bank shall comply with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Bank shall present their derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively. Bank may make adjustments to the carrying value of their investments in compliance with the hedge accounting requirements.
- b) Bank shall categorize their derivatives portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 and disclose the same in the notes to accounts of their financial statements.
- c) Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account shall be deducted from CET 1 capital.

4.7.6 Transition and Repeal Provisions

- a) At the time of transition to these directions (i.e., on April 1, 2024), Bank shall re- classify their investment portfolio as at March 31, 2024, as per the directions laid down in RBI Directions. The balance in provision for depreciation, as at March 31, 2024, shall be reversed into the Revenue/ General Reserve. The balances in Investment Reserve Account (IRA), if any, as of March 31,

2024, shall be transferred to the Revenue/ General Reserve if the bank meets the minimum regulatory requirements of IFR. If the bank does not meet the minimum IFR requirements, the balances in IRA shall be transferred to IFR. The specific treatment for transition from the previous to the revised framework is given in the table below:

Previous Frame work	Revised Frame work	Opening Accounting Adjustments on April 1, 2024
HTM	HTM	The acquisition cost adjusted for any premium/ discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024, shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/General Reserve.
HTM	AFS	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in AFS- Reserve.
HTM	FVTPL	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/ General Reserves.
AFS	HTM	The acquisition cost adjusted for any premium/ discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in Revenue/ General Reserve.
AFS	AFS	The fair value of the investment as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.

AFS	FVTPL	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/ General Reserves.
HFT	HTM	The acquisition cost adjusted for any premium / discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in Revenue/ General Reserve.
HFT	AFS	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.
HFT	FVTPL	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/ General Reserves.

- Bank shall make suitable disclosures of the transitional adjustment made in their notes to the financial statements for the financial year ending March 31, 2025.
- With the implementation of these Directions, Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks) Directions, 2021 dated August 25, 2021, shall stand repealed.
- All the repealed circulars are deemed to have been in force prior to the coming into effect of these Directions.
- As per RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions) 2023, the modification to the

Circular, RBI advised that the difference between the revised and previous carrying value shall be adjusted in Revenue/General Reserve rather than AFS-Reserve. However, in the case of equity instruments designated under AFS difference between the revised and previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.

• **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:**

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 – 'Advances' under the following heads:

- i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
- ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
- iii. C.(I).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

- (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- (b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April 01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of
 - (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
 - (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6. ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non-performing advances as under:

a) Sub Standard:

- i) A general provision of 15% on the total outstanding
- ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

- i) 25 % for Secured portion.
- ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

- i) 40 % for Secured portion.
- ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.
- In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIS.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

7.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year

4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine etc.	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes/Locker/ Doors(Steel): 20 years Vehicles: 5 years Furniture and Fixtures: 10 years Cell phones: 1 year Gold Purity Testing Machine: 7 years

7.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.

7.5 Assets costing upto 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

7.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

7.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

7.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis. Commission / Fees Income earned on sale of PSLCs are accounted on accrual basis and recognized proportionately during the quarter over the remaining period of PSLCs.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

8.4 Any Recovery in NPA accounts should be first appropriated to Book Balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE), Unpaid Other Expenses (MOX), Unpaid Charges and thereafter to Unpaid Interest (MOI). However, in the case of restructured NPA accounts where, as per sanction terms, interest is to be serviced immediately and the principal repayment to start at a later date, recovery of interest made in such accounts should be taken to income account and not to be treated as principal repayment.

In case of subsequent changes in NPA management policy with regard to appropriation of recovery in NPA

accounts, the same will be a part of the Significant Accounting policy of Bank.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognized as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed

- (b) No outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) A reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) Such amounts are not material

13.2(a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

Annexure I

HELD FOR TRADING (HFT)

1. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT instruments set out in the following paragraphs. All other instruments shall be excluded from HFT.
2. Bank shall only include those financial instruments in HFT when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.
3. Bank shall fair value daily all HFT instruments and recognise any valuation changes in the profit and loss account.
4. Any instrument that a bank holds for one or more of the following purposes shall, when it is first recognised on its books, be designated as a HFT instrument, unless specifically otherwise:
 - (a) short-term resale;
 - (b) profiting from short-term price movements;
 - (c) locking in arbitrage profits; or
 - (d) Hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above
5. The following instruments shall be included in HFT, unless specifically otherwise:
 - (a) instruments in the correlation trading portfolio
 - (b) instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book; or
 - (c) Instruments resulting from underwriting commitments, where underwriting

commitments refer only to securities underwriting, and relate only to securities that are expected to be actually purchased by the bank on the settlement date.

6. Any instrument which is not held for any of the purposes listed as per RBI Circular at inception, nor seen as being held for these purposes according to, shall not be assigned to HFT.

7. The following instruments shall not be included in HFT category:

- (a) unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures;
- (b) instruments designated for securitisation warehousing;
- (c) direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate;
- (d) equity investments in a fund, unless the bank meets at least one of the following conditions:
 - i. the bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the bank regarding the fund's composition; or
 - ii. the bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds;
- (e) derivative instruments and funds that have instrument types specified from (a) to (d) above as underlying assets; or
- (f) Instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (a) to (e) above.

8. The following instruments shall be presumed to be in HFT unless specifically otherwise provided:

- a) Instruments resulting from market-making activities;
 - b) equity investments in a fund excluding those exempted from assignment to HFT in accordance; or
 - c) Listed equities.
 - d) trading-related repo-style transaction; or
9. Bank shall have the option to deviate from the presumptive list specified in RBI Circular according to the process set out below.
- a) If a bank believes that it needs to deviate from the presumptive list established in RBI Circular for an instrument, it shall submit a request to Department of Regulation, RBI and receive explicit approval. In its request, the bank shall provide evidence that the instrument is not held for any of the purposes.
 - b) Incases where this approval is not given, the instrument shall be designated as HFT. Bank shall document any deviations from the presumptive list in detail on an on-going basis.

Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities (STRIPS)

1. Bank can strip eligible Government Securities held under the AFS or FVTPL (including HFT) categories of their investment portfolio. STRIPS shall be valued and accounted for as zero-coupon bonds and in the manner prescribed in in these Directions.
2. The discount rates used for valuation of STRIPS at inception shall be market-based. However, in case traded zero-coupon rates are not available, the zero-coupon yields published by FBIL shall be used instead.
3. On the day of stripping, the STRIPS shall be recognised in the books of account of the participant at their discounted value and at the same time, the Government Security in question shall be derecognised. The accounting treatment

- for reconstitution shall be exactly the opposite of stripping.
4. The stripping/reconstitution shall not result in any profit or loss. The present value of the STRIPS (coupon as well as principal) discounted using the Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) shall be normalized using a factor that will be the ratio of the carrying value of the security or market value of the security (whichever is lower) to the sum total of the market value of all STRIPS created out of the security.
 5. Normalisation shall also be applied in the case of reconstitution (even when STRIPS are acquired from the market).
 6. The book value of the STRIPS (ZCBs) shall be valued and marked to market as per these Directions. Accordingly, the book value of the STRIPS shall be marked up to the extent of accrued interest before MTM.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS (2024-25)

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	62983.29	53031.19
ii)	Additional Tier 1 capital	2000.00	2000.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	64983.29	55031.19
iv)	Tier 2 capital	8588.08	9453.25
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	73571.37	64484.44
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	410098.03	392245.58
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.36%	13.52%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	15.85%	14.03%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.09%	2.41%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.94%	16.44%
xi)	Leverage Ratio	7.03%	6.50%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.84%	73.84%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	--	101.52
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	--	--
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	--	--

b) Draw down from Reserves

(₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2024-25	2023-24	
Revaluation Reserve	284.69	106.29	*Depreciation on revalued portion on Premises Rs. 100.21 crore and Rs. 184.48 crore on account of sale of premises

*The amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS-10.

2. Asset liability management

a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	30815.35	28395.61	14767.32	25202.24	37833.93	32554.77	59074.02	86553.68	71957.74	56445.77	293553.13	737153.56
Advances	4739.57	32677.83	8849.51	23741.18	20509.93	21698.14	47457.51	88125.28	183832.92	45039.03	94400.29	571071.19
Investments*	59145.02	9675.39	8718.42	11208.27	6937.78	6288.49	12374.55	15299.53	17586.90	16223.51	61813.17	225271.03
Borrowings	221.19	8186.65	183.67	0.72	183.39	2413.00	2649.23	9131.81	8510.17	28.11	10000.00	41507.92
Foreign Currency assets	349.40	5700.18	2276.42	3772.23	5575.40	6612.42	10304.35	3815.54	3850.69	2278.56	306.27	44841.46
Foreign Currency liabilities	271.05	7206.49	1629.71	3777.97	3652.89	3850.03	7944.19	3830.39	3598.59	1044.65	1014.27	37820.22

* Excludes 50% of listed equities of Rs. 32.09 crore

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(₹ in Crore)

SL. No.	Parameter	Q1: 2024-25		Q2: 2024-25		Q3: 2024-25		Q4: 2024-25	
		Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		157707.81		170451.08		175193.89		169525.26
Cash-Outflows									
2	Retail deposits and deposits from Small business customers of which:	3,88,680.73	33,060.23	4,14,601.76	34,455.00	4,20,367.40	34,929.97	428410.66	35,596.86
(i)	Stable Deposits	1,16,156.95	5,807.85	1,40,103.45	7,005.17	1,42,135.40	7,106.77	144884.05	7,244.20
(ii)	Less Stable deposits	2,72,523.78	27,252.38	2,74,498.31	27,449.83	2,78,232.00	27,823.20	283526.61	28,352.66
3	Unsecured wholesale funding, of which:	1,95,738.41	1,09,195.56	2,12,365.82	1,25,499.24	2,03,297.58	1,22,528.07	1,99,997.91	1,21,586.48
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1,45,351.53	58,808.68	1,44,777.64	57,911.06	1,34,615.84	53,846.33	1,30,685.72	52,274.29
(iii)	Unsecured debt	50,386.88	50,386.88	67,588.18	67,588.18	68,681.74	68,681.74	69,312.19	69,312.19
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which	64,458.79	46,438.24	71,090.26	52,118.82	56,115.46	3,7097.02	74,261.38	56,496.39
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	44,324.59	44,324.59	49,649.49	49,649.49	34,805.58	34,805.58	54,736.60	54,736.60
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	20,134.20	2,113.64	21,440.77	2,469.33	21,309.88	2,291.44	19,524.78	1,759.79

SL. No.	Parameter	Q1: 2024-25		Q2: 2024-25		Q3: 2024-25		Q4: 2024-25	
		Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*
6	Other contractual funding obligations	5,011.68	5,011.68	7,077.06	7,077.06	5,839.54	5,839.54	4,965.09	4,965.09
7	Other contingent funding obligations	1,07,172.43	4,495.61	1,15,267.53	4,867.66	1,16,765.53	4,941.80	1,12,438.13	4,765.87
8	Total Cash Outflows		1,98,201.31		2,24,017.77		2,05,336.40		2,23,410.69
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1,946.32	0.00	1,980.94	0.00	1,049.10	0.00	462.85	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	35,879.30	22,429.66	44,681.17	29,954.42	38,990.01	25,693.40	44,983.01	31,687.13
11	Other cash inflows	46,810.47	45,891.98	55,115.51	52,644.17	39,244.30	37,313.00	59,762.73	57,833.33
12	Total Cash Inflows	84,636.09	68,321.64	1,01,777.62	82,598.58	79,283.41	63,006.40	1,05,208.59	89,520.45
			Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value
13	Total HQLA		1,57,707.81		1,70,451.08		1,75,193.89		1,69,525.26
14	Total Net Cash Outflows		1,29,686.96		1,41,419.19		1,42,330.00		1,33,890.24
15	Liquidity Coverage Ratio		121.61%		120.53%		123.09%		126.62%

*The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking simple average based on daily observations for the respective quarter.

Un-weighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the circular and LCR template.

Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows)

Adjusted values calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on Level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2024-25 on a daily basis is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines updated on time to time.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits viz Retail, Small Business customers (deposits upto Rs. 7.50 crore), unsecured and secured wholesale borrowings) as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2025 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 1,69,525 crores. HQLA primarily includes SLR securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2025 was 126.62%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 54.42% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 15.93% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.



Bank has no significant counterparty (Deposit / Borrowing) as on 31.03.2025. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2025 is 5.31% of the total deposits. The significant domestic product / instruments includes Savings deposit, Current deposit and Term deposit which are 32.99%, 5.38% and 61.63% of bank's total deposits respectively, the funding from which are widely spread and there is no major concentration risk under Liquidity front for bank.

C. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(₹ in Crore)

₹ in Crore)		30.06.2024				30.09.2024				Weighted value	
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	59003.14	0.00	0.00	6000.00	65003.14	59549.56	0.00	0.00	6000.00	65549.56
2	Regulatory capital	59003.14	0.00	0.00	4600.00	63603.14	59549.56	0.00	0.00	4600.00	64149.56
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	197781.45	101730.05	125441.18	946.89	390483.42	199563.98	76923.88	154840.62	920.35	396257.33
5	Stable deposits	75834.56	32730.14	33017.68	0.00	134503.27	76317.86	26421.16	40087.90	0.00	135685.58
6	Less stable deposits	121946.89	68999.91	92423.50	946.89	255980.15	123246.11	50502.72	114752.72	920.35	260571.75
7	Wholesale funding: (8+9)	67709.09	118425.28	68994.03	155.30	103319.23	69369.10	131758.93	59623.51	5115.08	107375.91
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	67709.09	118425.28	68994.03	155.30	103319.23	69369.10	131758.93	59623.51	5115.08	107375.91
10	Other liabilities: (11+12)	22552.48	17794.34	4717.03	5316.06	7424.57	26530.24	10777.80	5793.27	5796.77	8443.41
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	22,552.48	17794.34	4717.03	5316.06	7424.57	26530.24	10777.80	5793.27	5796.77	8443.41
13	Total ASF (1+4+7+10)					566230.37					577626.21
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					8479.28					8596.17
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	68.60	307.28	0.00	0.00	187.94	54.48	299.26	0.00	0.00	176.87
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1638.19	222187.24	103168.07	244600.19	361003.54	2297.97	219539.34	116010.92	244244.20	363500.22
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	46044.37	13004.04	38319.02	51727.77	0.01	47410.00	15014.70	34503.57	49122.46

(₹ in Crore)	30.06.2024				30.09.2024			
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity			
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr
19 Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	168129.21	84913.05	130970.97	0.00	160918.79	96200.85	136097.65
20 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel III Standardised Approach for credit risk	0.00	15118.42	1578.37	18598.32	0.00	3131.82	1597.03	17815.93
21 Performing residential mortgages, of which:	0.00	1130.25	1017.79	44567.77	0.00	1127.82	992.48	43604.43
22 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	919.33	848.56	34487.14	0.00	931.62	829.01	33843.18
23 Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1638.19	6883.41	4233.20	30742.42	2297.96	10082.72	3802.88	30038.54
24 Other assets: (sum of rows 25 to 29)	25614.10	1795.54	43.30	2159.19	22600.86	2305.99	40.97	1590.76
25 Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00			
26 Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0.00	1791.90	0.00	0.00	0.00	2292.33	0.00	0.00
27 NSFR derivative assets	0.00	-8.06	39.71	32.48	0.00	5.12	40.45	33.46
28 NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	11.70	3.59	0.15	0.00	8.54	0.52	0.06
29 All other assets not included in the above categories	25614.10	0.00	0.00	2126.55	22600.86	0.00	0.00	1557.24
30 Off-balance sheet items	126012.67	0.00	0.00	0.00	129306.28	0.00	0.00	0.00
31 Total RSF (14+15+16+24+30)					5394.29			5571.47
32 Net Stable Funding Ratio (%)					404408.39			404039.45
					140.01%			142.96%

(₹ in Crore)

	31.12.2024				31.03.2025					
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr		≥ 1yr
ASF Item										
1	Capital: (2+3)	59651.38	0.00	0.00	3000.00	62651.38	69371.37	0.00	1000.00	70371.37
2	Regulatory capital	59651.38	0.00	0.00	2400.00	62051.38	69371.37	0.00	200.00	69571.37
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	200877.41	80979.11	155930.31	888.66	402154.33	206034.46	112045.60	130919.95	412269.80
5	Stable deposits	77587.96	27380.24	40182.25	0.00	137892.93	70190.01	34704.52	42824.77	140333.34
6	Less stable deposits	123289.45	53598.87	115748.06	888.66	264261.40	135844.46	77341.08	88095.17	271936.46
7	Wholesale funding: (8+9)	68303.99	139096.18	55876.95	10329.69	102955.83	76825.30	135394.19	74510.91	113488.27
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	68303.99	139096.18	55876.95	10329.69	102955.83	76825.30	135394.19	74510.91	113488.27
10	Other liabilities: (11+12)	28307.13	6723.77	6624.71	6188.86	8032.94	25377.80	13837.82	9131.81	9604.20
11	NSFR derivative liabilities	0.00	52.99	-2.41	-30.52	0.00		0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	28307.13	6670.78	6627.12	6219.38	8032.94	25377.80	13837.82	9131.81	9604.20
13	Total ASF (1+4+7+10)					575794.48				605733.64
RSF Item										
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					8867.18				8909.11
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	54.72	1867.70	0.00	0.00	961.21	170.54	1525.10	0.00	847.82
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	3485.93	213163.44	130647.11	245244.23	367861.67	4326.66	243790.47	138071.23	385772.29
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.20	49678.85	12862.29	33356.38	47239.58	0.00	68235.41	13541.42	54310.15
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	425.15	154455.32	113068.68	133683.73	244861.47	1943.22	163853.88	120938.27	253804.99

		31.12.2024					31.03.2025				
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	425.15	16402.34	5016.47	16528.28	21729.21	365.33	23478.41	4692.06	17012.50	25326.33
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	1136.21	1109.45	48063.07	35592.82	0.00	1125.21	1156.77	49724.02	36575.77
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	931.98	929.41	36998.45	25928.77	0.00	919.45	963.05	37855.25	26227.59
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	3060.58	7893.06	3606.68	30141.06	40167.80	2383.43	10575.96	2434.77	30228.98	41081.38
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	23256.90	2111.07	807.45	1100.97	26847.46	22144.90	3229.59	821.37	1150.26	26793.56
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0.00	2064.70	794.84	0.00	2430.61	0.00	2886.84	796.85	0.00	3131.13
27	NSFR derivative assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.25	2.15	40.28	354.67
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	46.37	12.61	0.00	58.98	0.00	30.50	22.37	0.42	53.30
29	All other assets not included in the above categories	23256.90	0.00	0.00	1100.97	24357.87	22144.90	0.00	0.00	1109.56	23254.46
30	Off-balance sheet items	128205.70	0.00	0.00	0.00	5504.92	124753.58	0.00	0.00	0.00	5406.49
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					410042.44					427729.25
32	Net Stable Funding Ratio (%)					140.42%					141.62%

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a significant component of the Basel III reforms. The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. As per the latest RBI Guidelines, NSFR is effective from October 01, 2021.

NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF)

ASF is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered (viz. up to 1 year) by the NSFR. The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding.

Required Stable Funding (RSF)

RSF is the amount of stable funding required based on the liquidity characteristics and residual maturities of various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. RSF is computed by multiplying the outstanding amount of the specified component with the prescribed and associated RSF Factor.

The objective of NSFR is to ensure that banks maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. The NSFR limits over-reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

Bank's NSFR stands at 138.84% as on 31.03.2024 and 141.62% as on 31.03.2025. NSFR is above the minimum regulatory requirement of 100%. As on 31.03.2025, the Available Stable Funding (ASF) was Rs. 605734 crore and the Required Stable Funding (RSF) was Rs. 427729 crore.

Bank also computes Liquidity Coverage Ratio and prepares Structural Liquidity Statements on a daily basis to assess the liquidity needs of the Bank.

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio (As on 31.03.2025)

(₹ in Crore)

	Investments in India								Investments outside India					Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India			
Held to Maturity														
Gross	133887.15	0.00	0.00	2794.62	262.10	0.00	136943.88	132.71	0.00	0.00	132.71	137076.59		
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35		
Net	133887.15	0.00	0.00	2794.62	256.75	0.00	136938.53	132.71	0.00	0.00	132.71	137071.24		
Available for Sale														
Gross	54754.47	0.00	730.27	8370.30	0.00	4307.89	68162.93	2365.95	0.00	128.66	2494.61	70657.54		
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	10.55	56.11	0.00	68.46	135.13	0.00	0.00	127.98		263.11		
Net	54754.47	0.00	719.72	8314.18	0.00	4239.43	68027.80	2365.95	0.00	0.68	2366.63	70394.43		
Held for Trading														
Gross	7923.77	0.00	536.87	5511.43	0.00	4292.46	18264.54	0.00	0.00	7.85	7.85	18272.39		
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	3.16	374.12	0.00	49.83	427.12	0.00	0.00	7.81	7.81	434.93		
Net	7923.77	0.00	533.71	5137.31	0.00	4242.63	17837.42	0.00	0.00	0.04	0.04	17837.46		
Total Investments	196565.39	0.00	1267.15	16676.35	262.10	8600.35	223371.34	2498.66	0.00	136.51	2635.17	226006.51		
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	13.72	430.24	5.35	118.29	567.60	0.00	0.00	135.79		703.39		
Net	196565.39	0.00	1253.43	16246.11	256.75	8482.06	222803.74	2498.66	0.00	0.72	2499.38	225303.12		

As on 31.03.2024

(₹ in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	149985.66	0.00	0.00	813.98	262.10	162.89	151224.63	293.53	0.00	0.08	293.61	151518.24
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
Net	149985.66	0.00	0.00	813.62	256.75	149.06	151205.09	293.53	0.00	0.08	293.61	151498.70
Available for Sale												
Gross	30037.61	0.00	1734.13	17054.67	0.00	13498.96	62325.37	1775.34	0.00	140.53	1915.87	64241.24
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	963.35	2234.81	0.00	959.78	4157.94	0.00	0.00	140.39	140.39	4298.33
Net	30037.61	0.00	770.78	14819.86	0.00	12539.18	58167.43	1775.34	0.00	0.14	1775.48	59942.91
Held for Trading												
Gross	430.67	0.00	4.49	139.14	0.00	538.64	1112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.94
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
Net	430.67	0.00	4.49	139.07	0.00	538.64	1112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.87
Total Investments	180453.94	0.00	1738.62	18007.78	262.10	14200.49	214662.93	2068.87	0.00	140.61	2209.48	216872.41
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	140.39	140.39	159.93
Less: Provision for Depreciation and NPI	0.00	0.00	963.35	2234.88	0.00	959.78	4158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.01
Net	180453.94	0.00	775.27	15772.54	256.75	13226.88	210485.38	2068.87	0.00	0.22	2069.09	212554.47

b. Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	4210.37	3837.57
b) Less: as per new RBI policy on valuation, book value of NPI investment and depreciation provision on investment was reduced	3159.27	-
c) Net balance (a-b)	1051.10	3837.57
d) Add: Provisions made during the year	45.12	3045.70
e) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	503.26	2672.89
f) Closing balance	592.96	4210.37
ii) Movement of Investment Fluctuation reserve		
a) Opening balance	1360.01	1031.90
b) Add: Amount transferred during the year	639.99	328.11
c) Less: Drawdown	0.00	0.00
d) Closing balance	2000.00	1360.01
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category (Domestic)	2.33%	2.29%

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the Balance sheet

c. Sale and transfers to/from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2024-25, a sum of Rs. 0.16 crores (previous year Rs. 0.16 crores) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

d. Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24
a)	Opening balance	2658.38	2821.92
b)	Less: As per new RBI policy on valuation, book value of NPI investment was reduced	1546.36	0.00
c)	Net balance (a-b)	1112.02	2821.92
d)	Additions during the year since 1 st April	42.03	468.92
e)	Reductions during the above period	495.20	632.46
f)	Closing balance	658.85	2658.38
g)	Total provisions held	658.85	2658.38

ii. Issuer composition of non-SLR investments

(₹ in Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24	31.03.25	31.03.24
a)	PSUs	22725.41	23825.42	20007.95	19818.91	39.00	0.00	1289.38	348.57	19175.10	573.22
b)	FIs	9514.08	8568.38	2974.11	1051.80	0.00	0.00	538.80	748.60	1224.56	923.59
c)	Banks	8928.90	14293.95	1081.83	1413.87	0.00	0.00	23.57	0	4549.30	374.42
d)	Private Corporates	1908.44	4300.74	1220.84	3354.39	208.99	248.61	978.49	532.49	910.17	632.15
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	262.10	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	183.23	183.23
f)	Others	4029.19	3094.87	1381.56	215.93	0.00	0.00	1530.53	611.38	948.99	0.00
g)	Less: Provision held towards depreciation	703.39	4317.94	135.79	132.32	135.79	132.32	135.79	132.32	135.79	132.32
	Total	46664.73	50027.52	26792.60	25984.68	112.20	116.29	4224.98	2108.72	26855.55	2554.29

e. Repo transactions

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	0.00	0.00	2479.00	2514.84	101.57	103.94	0.00	0.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	0.00	0.00	9286.58	9454.27	695.67	702.65	0.00	0.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(f) Government Securities Lending (GSL) transactions (in market value terms)

(₹ in Crore)									
	Minimum outstanding during the current year	Minimum outstanding during the previous year	Maximum outstanding during the current year	Maximum outstanding during the previous year	Daily Average outstanding during the current year	Daily Average outstanding during the previous year	Total volume of transaction during the current year	Total volume of transaction during the previous year	Outstanding as on March 31 of the current financial year
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4. Asset quality

a. Classification of advances and provisions held

(₹ in Crore)

	2024-25						2023-24					
	Standard		Non-Performing				Standard		Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total	Total Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs												
Opening Balance	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.53	473586.50
Add: Additions during the year					5786.46	5786.46					6769.93	6769.93
Less: Reductions during the year					8713.91	8713.91					13843.15	13843.15
Closing balance	569961.64	1727.22	7663.89	8787.75	18178.86	588140.50	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80
Reductions in Gross NPAs due to:												
i) Upgradation					921.24	921.24					1026.19	1026.19
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts & incl others as exchange diff)					2917.83	2917.83					4095.74	4095.74
iii) Technical/ Prudential Write-offs					4169.54	4169.54					7952.82	7952.82
iv) Write-offs other than those under (iii) above					705.30	705.30					768.40	768.40
v) COVID moratorium Int reversal					0.00	0.00					0.00	0.00
Provisions (excluding Floating Provisions)												
Opening balance of provisions held	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65
Add: Fresh provisions made during the year					3444.03	3444.03					3652.87	3652.87
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					5043.25	5043.25					8745.47	8745.47
Closing balance of provisions held	8857.97	543.84	7596.30	8671.95	16812.09	25670.06	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45
Net NPAs												
Opening Balance		2210.30	12.29	0.00	2222.58			2723.44	1319.64	0.00	4043.07	
Add: Fresh additions during the year					2342.43						3117.06	
Less: Reductions during the year					3455.45						4937.55	
Closing Balance		1109.56	0.00	0.00	1109.56			2210.30	12.29	0.00	2222.58	

Ratios (in percent)	31.03.2025	31.03.2024
Gross NPA to Gross Advances	3.09	3.95
Net NPA to Net Advances	0.19	0.43
Provision coverage ratio With AUC	98.10	96.34
Provision coverage ratio Without AUC	93.90	89.47

b. Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	31.03.2025			31.03.2024		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	135202.70	8582.31	6.35%	119813.51	8484.49	7.08%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	35837.11	2940.65	8.21%	31584.21	3139.19	9.94%
c)	Services	53325.39	3817.28	7.16%	50783.53	5429.76	10.69%
d)	Personal loans	10818.42	432.89	4.00%	12463.67	814.43	6.53%
	Sub-total (i)	235183.62	15773.13	6.71%	214644.92	17867.87	8.32%
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	2424.76	19.87	0.82%	1248.94	26.86	2.15%
b)	Industry	84859.59	411.13	0.48%	125311.37	1487.05	1.19%
c)	Services	157393.46	841.58	0.53%	63648.34	298.11	0.47%
d)	Personal loans	108279.07	1133.16	1.05%	128919.23	1426.42	1.11%
	Sub-total (ii)	352956.87	2405.73	0.68%	319127.88	3238.44	1.01%
	Total (i + ii)	588140.50	18178.86	3.09%	533772.80	21106.31	3.95%

c. Overseas assets, NPAs and revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total Assets	44873.37	38853.91
Total NPAs	1324.37	1265.52
Total Revenue	2432.53	2063.45

d. Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2025, out of (b) classified as NPA (c)	Addl. provision required for loans covered under RBI circular (d)	Provision out of (d) already made by 31.03.2025* (e)
9799.12	9481.87	9481.87	557.75	557.75

* including provision of Rs.276.15 Crore on Non Fund outstanding of the NPA account as on 31.03.2025.

Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process & exempted from regulatory ceilings / restrictions on Capital Market Exposures, investment in Para-Banking activities and intra-group exposure during the FY 2024-25: NIL

e. Divergence in asset classification and provisioning

In our Bank, divergence are within threshold limit specified in terms of RBI circular no DOR.ACC.REC.No. 45/21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 11.10.2022), hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPA is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2023-24.

f. Disclosure of transfer of loan exposures

In accordance with RBI Circular No DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021 (Updated as on December 28, 2023) the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2025 are given below:

i. Details of loans not in default acquired:

Mode of Acquisition: Direct Assignment

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NA	1500.00	603.69
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NA	15.61	4.64
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NA	3.22	0.93
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NA	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	NA	131%	174%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value (Rs. in Crore)	NA	AAA: Rs.1500.00 Cr	AAA: Rs.458.90 Cr AA: Rs.97.28 Cr A: Rs.47.51 Cr

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2024 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	199.54	2507.75	1631.15
Weighted Average Residual Maturity (in years)	1.75	5.52	4.75
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	0.25	0.31	0.41
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	10%	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	NIL	140.58%	55%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value (Rs. in Crore)	AA-	AAA: Rs.258.21 Cr AA: Rs.2106.22 Cr A: Rs.143.32 Cr	AAA: Rs.297.91 Cr AA: Rs.1033.87 Cr A: Rs.299.37 Cr

In accordance with RBI Circular No DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021 (Updated as on December 28, 2023) the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2025 are given below:

Mode of Acquisition: Co-Lending / Loan Participation

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NIL	NIL	NIL
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	NIL	NIL
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NIL	NIL	NIL
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NIL	NIL	NIL
Tangible Security Coverage (%)	NIL	NIL	NIL
Rating Wise Distribution of loans acquired by value (Rs. in Crore)	NIL	NIL	NIL

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2024 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	0.60	270.98	NIL
Weighted Average Residual Maturity (in years)	5	6.64	NIL
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NA	0.00	NIL
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	20%	20%	NIL
Tangible Security Coverage (%)	125%	60.62%	NIL
Rating Wise Distribution of loans acquired by value (Rs. in Crore)	A+	AAA: Rs.59.68 Cr AA: Rs.96.32 Cr A: Rs.114.98 Cr	NIL

ii. Details of loans not in default transferred: NIL

iii. Details of stressed loan transferred:

(₹ in Crore except number of accounts)

Details of Stress loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2024 to 31.03.2025			
Particular	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of Accounts	7	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding loans transferred	716.06		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-		
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-		
Aggregate Consideration	615.54		
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-		

The Bank has reversed the amount of Rs.194.30 Crores of excess provision to the profit and loss account on account of sale of stressed loans.

iv. Details of loans acquired during the year: NIL

- v. The distribution of Security Receipts (SRs) held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the Credit Rating Agencies as on 31.03.2025 is given as under:

In terms of revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs) issued by RBI on March 29, 2025, Banks can reverse any excess provision to the Profit and Loss Account in the year of transfer, if a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), and the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

As on March 31, 2025, the Bank is holding in Government guaranteed SRs having Face Value of Rs.491.95 Crores. The Bank is valuing its Investment in SR at a lower of Net Book Value of the stressed loans at the time of transfer to ARC or NAV declared by such ARC. The Bank, on a prudent basis, will continue to value SRs in this manner and book revenue on SRs only on actual receipts of recoveries/redemption or approval of claims, if any, by the Government.

Recovery Rating	Book Value	
	Amt. in Rs.	Amt. in Crores
RR1+ (Above 150%)	7.45	0.00
RR1 (Above 100% up to 150%)	97.99	0.00
RR2 (Above 75% up to 100%)	7.48	0.00
RR3 (Above 50% up to 75%)	12.14	0.00
RR4 (Above 25% up to 50%)	5.74	0.00
RR5 (up to 25%)	7.47	0.00
SR NPI Unrated	331.35	0.00
Closed	5.00	0.00
Unrated	3.06	0.00
Fully Redeemed	10.33	0.00
TOTAL	488.01	0.00

g. Book Value of Security Receipts (without netting hived off provision)

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	0.00	891.31
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	NIL
Total	0.00	891.31

(₹ in Crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs Issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (i)	0.00	0.00	0.00
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i) + (ii)	0.00	0.00	0.00

h. Fraud accounts

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Number of frauds reported	2169*	6059
Amount involved in fraud (₹ crore)	2112.39*	204.91
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	228.08*	158.89
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.	0	0

* Includes 113 cases (P.Y. 96 cases) Advance related frauds amounting to ₹2,080.31 Crores (P.Y. ₹152.88 Crores). Outstanding balance as on 31.03.2025 in such accounts is ₹210.96 Crores (P.Y. ₹148.15 Crores) against which adequate provision of ₹209.51 Crores (P.Y. ₹132.84 Crores) is maintained.

i. MSME DISCLOSURE

In accordance with the RBI Circulars DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020, DOR.No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on 'Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances', the details of MSME restructured accounts under the Scheme are as under:

No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2025 (₹ in Crores)
28981	1449.16

j. Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

A special window under the Prudential Framework was extended vide circular DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2021-22 dated August 6, 2020 and RBI/2022-23/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2022-23 dated May 5, 2021 to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures, and personal loans, while classifying such exposures as Standard. Details of resolution plan implemented under the resolution framework for covid-19 related stress as given below

(₹ in Crore)

Sl. No.	Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 30.09.2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended 31.03.2025	Of (A) amount written off during the half-year ended 31.03.2025	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended 31.03.2025	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 31.03.2025
1	Personal Loans	4097	84	0	288	3725
2	Corporate persons*	992	41	0	464	487
	Of which MSMEs	320	41	0	43	236
3	Others	736	56	0	113	567
	Total (1+2+3)	5825	181	0	865	4779

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

K. Covid Measures:

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

5. Exposures

a. Exposure to real estate sector

(₹ in Crore)

Category	31.03.2025	31.03.2024
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector**	68824.09 (8694.68)	60395.04 (9037.83)
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)**	18575.93	19132.00
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
i) Residential	NIL	NIL
ii) Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	19386.61	19902.89
Total Exposure to Real Estate Sector	106786.63	99429.93

**Exposure also include non-fund based (NFB) limits;

b. Exposure to capital market

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1289.57	2032.61
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.04	0.70
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL

v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	964.91	919.21
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	190.06	173.58
Total exposure to capital market	2444.58	3126.10

c. Risk category-wise country exposure

(₹ in Crore)

Risk category	Exposure (Net) as at 31.03.2025	Provision held as at 31.03.2025	Exposure (Net) as at 31.03.2024	Provision held as at 31.03.2024
Insignificant	19814.45	12.57	17686.84	12.57
Low	7847.27	-	3467.50	-
Moderately Low	789.87	-	701.40	-
Moderate	517.13	-	50.92	-
Moderately High	595.17	-	596.79	-
High	0.61	-	1.53	-
Very High	636.71	-	383.47	-
Total	30201.21	12.57	22888.44	12.57

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2025 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank.

In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of Rs.12.57 Crores (Previous year Rs.12.57 Crores) for 'Insignificant' risk category) is available.

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL), if any, exceeded by the Bank

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of total exposure
NIL				

d. Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2025 branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2025 is NIL. Accordingly, there is no financial impact.

During the year ended 31.03.2025, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) and GIFT City Branch is NIL and Outstanding as on 31.03.2025 is NIL

As per the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, Bank to ensure that Singapore Branch maintains sound liquidity and a sound financial position at all times. Accordingly, the Bank continues to maintain deposits to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 367.54 crore) with Singapore Branch.

Bank has issued LOU for Sri Lankan branches favouring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. Bank undertakes to provide funds as may be necessary to meet all obligations incurred in or in connection with its business in Sri Lanka. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on account of this LOU.

Bank has issued LOC for our IBU/ FBU in IFSC, SEZ Gift City, Gujarat Favouring International Financial Service Centres Authority (IFSCA) as per the mandatory requirement of IFSCA. Bank undertakes to provide the necessary financial assistance as and when required in the form of Capital and liquidity support for our IBU/FBU in IFSC, GIFT city. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on account of this LOC.

e. Unsecured advances

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total unsecured advances of the bank	70610.23	48051.51
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

f. Factoring exposures:

The Banks factoring exposures as at 31st March 2025 is NIL (Previous Year: Rs. 2400 Cr)

g. Intra-group exposures

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Total Amount of intra group exposures	1311.85	1311.85
2	Total Amount of top 20 intra group exposures	1311.85	1311.85
3	Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.17%	0.18%
4	Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

h. Unhedged foreign currency exposure

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of Unhedged Foreign Currency Exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, Bank is ensuring that all the exposures (fund based and non-fund based including Letter of comfort/ Letter of

undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts, unhedged exposure are captured and impact is analysed in credit proposals.

The Bank has provided for Rs.40.50 Crore and Capital of Rs.107.27 Crore for the year ended 31st March 2025 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular dated October 11, 2022.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	39204	40833
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	5.32%	5.92%

b) Concentration of advances

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total advances to the twenty largest borrowers	65616.89	71196.34
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	8.83%	10.39%

c) Concentration of exposures

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	69839.83	75935.87
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	9.04%	10.56%

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total Exposures to the Top Twenty Accounts	1069.83	1791.34
Percentage of exposures to the Twenty largest NPA exposures to the total Gross NPAs	5.89%	8.49%

7. Derivatives

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
i) The notional principal of swap agreements	NIL	896.60
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swap	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	896.60
v) The fair value of the swap book	NIL	-0.96

b) Exchange traded interest rate derivatives

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	425.00
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives (instrument wise)	400.00	425.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	200.00
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	0.08**	0.07*

**Positive MTM is Rs. 2.29 Crore and Negative MTM is Rs. 2.21 Crore.

* Positive MTM is Rs. 0.85 Crore and Negative MTM is Rs. 0.78 Crore.

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

ii) Quantitative disclosures

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particular	31.03.2025		31.03.2024	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging	0.00	0.00	0.00	746.60
	ii) For trading	0.00	400.00	0.00	575.00
b)	Marked to Market Positions				
	i) Asset (+)	0.00	2.29	0.00	0.85
	ii) Liability (-)	0.00	2.21	0.00	0.78
c)	Credit Exposure	0.00	3.98	0.00	10.30
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	i) on hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives	0.00	0.06	0.00	0.06
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	i) on hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	0.00	0.00	0.00	0.00

d) Credit default swaps: NIL

8. Disclosures relating to securitisation

(Number/ ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	No. of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL

	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
5	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL
7	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a) Amount paid b) Repayment received c) Outstanding amount	NIL	NIL
8	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored

Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	3234.22	2510.66
Add : Amounts transferred to DEA Fund during the year	513.76	911.64
Less : Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	113.99	188.08
Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	3633.99	3234.22

Note: Closing Balance of the amount transferred to DEA Fund i.e. Rs.3633.99 as on 31.03.2025 (Rs.3234.22 as on 31.03.2024), which is disclosed above, are also included under schedule-12-Contingent Liabilities-Others' for which the Bank is contingently liable.

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman*

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24
Complaints received by the Bank from its Customers			
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	569	838
2	Number of complaints received during the year	111167	89229
3	Number of complaints disposed during the year	108719	89498
3.1	of which, number of complaints rejected by the Bank	10081	3301
4	Number of complaints pending at the end of the year	3017	569
Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman			
5	Number of maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman	5118	5165
5.1	of 5, Number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	4958	5099
5.2	of 5, Number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	99	77
5.3	of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	3	0
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.			

* Previously Offices of Banking Ombudsman

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of which complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of (5), Number of complaints pending beyond 30 days
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2024-25					
ATM Debit card	135	29796	-5.55%	337	14*
Internet / Mobile / Electronic Banking	193	45610	150.37%	1764	48*
Account opening / difficulty in operation of the Account	60	12990	65.62%	301	0
Loans and Advances	54	6090	40.38%	166	0
Credit Card	7	1998	92.85%	7	0
Others	120	14683	-44.06%	442	0
Total	569	111167	24.58%	3017	62
2023-24					
ATM Debit card	411	31547	-38.20%	135	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	71	18217	60.61%	193	0
Account opening / difficulty in operation of the Account	35	7843	116.47%	60	0
Loans and Advances	23	4338	74.63%	54	0
Credit Cards	2	1036	-7.74%	7	0
Others	296	26248	-21.67%	120	0
Total	838	89229	-10.14%	569	0

*Note: Technology complaints pending beyond 30 days are within the stipulated TAT defined by the regulators (NPCI/RBI)

12.1. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(₹ in Crore)

Description	F.Y. 2024-25		F.Y. 2023-24	
	No. of Instances	Amount	No. of Instances	Amount
Discrepancies in Soiled Notes Remittances	163	0.29	102	0.08
RBI Inspection at Currency Chests	52	0.12	56	0.11
Incognito Visit of Branches by RBI	26	0.03	23	0.04
Delayed/ Wrong Reporting in e-Kuber	02	0.01	6	0.03
ATM Cash Out	14	0.01	23	0.02
Total	257	0.46	210	0.28

12.2 Disclosure of penalties imposed by the GOI / State Govt.:

For the F.Y. 2024-25, Government has imposed Nil penalty (In F.Y. 2023-24 penalty of Rs.1.24 Crore- 19 instances was imposed pertaining to the year 2005-2023 by the Government for which Bank had made representation to various ministries. Considering the representation, penal interest amount has been reduced to Rs.85.86 lakhs for which Bank has made representation again with the concerned ministries/department).

12.3 Central Bank of Sri Lanka -Financial Intelligence Unit has imposed a monetary penalty of Sri Lankan Rupees (LKR) Two Million (LKR 2,000,000) i.e. approx. Indian Rupees (INR) Five Lakh Eighty Five Thousands (INR 5.85 Lakh) on the Bank for failure to conform to the provisions of Financial Transactions Reporting Act, No.6 of 2006 (FTRA) of Sri Lanka and rules, regulations issued thereunder.

13. Cash Flow Statement (AS 3):

Standalone Cash Flow statement for the Year ended March 31, 2025

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Net Profit as per Profit and Loss Account	10918.29	8062.94
Adjustments for:		
Provision for NPA	3444.03	3652.87
Provision for Investment	(252.65)	(382.06)
Provision for Standard Assets	853.44	1936.53
Provision for Tax	3868.64	2888.20
Other Provisions and Contingencies	28.96	236.12
Depreciation on Fixed Assets	532.15	524.29
Interest on Capital Instrument	600.04	710.85
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(1.69)	1.90
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	(2.63)	(2.63)
Income taxes paid	0.00	(870.00)
Profit before working Capital Changes	19988.58	16759.01
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(11812.43)	(26184.17)
(Increase) / Decrease in Advances	(59626.15)	(69245.20)
(Increase) / Decrease in Other assets	2209.20	2943.14
	(69229.38)	(92486.23)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	49153.56	66834.25
Increase / (Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	20376.44	2058.46
Increase / (Decrease) in Other liabilities	(2938.17)	(1778.58)
	66591.83	67114.13

Particulars	Year ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Net cash generated from operations (A)	17351.03	(8613.09)
Cash flow from Investing activities		
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	2.63	2.63
Purchase of fixed assets	(522.54)	(616.88)
Sale of fixed assets	191.14	8.85
Net cash generated from Investing Activities (B)	(328.77)	(605.40)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(1616.36)	(1071.08)
Redemption of Tier 2 Bonds	(2000.00)	(1000.00)
Interest on Capital Instrument	(647.15)	(733.88)
Equity Capital Issued during the period (incl. Share premium)	0.00	4000.00
Net cash generated from financing activities (C)	(4263.51)	1195.04
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	12758.75	(8023.45)
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1304.15	1242.48
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	31134.61	26670.15
b) in other deposit accounts	264.00	4780.00
Balances with Banks		
a) in current accounts	4.20	18.13
b) in other deposit accounts	1573.60	1573.64
Money at Call and short notice with Banks	1997.07	5007.04
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	743.35	693.49
b) in other deposit accounts	5084.58	10144.91
Money at call and short notice	3.57	2.74
	42109.13	50132.58
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1312.61	1304.15
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	24768.04	31134.61
b) in other deposit accounts	5867.00	264.00
Balances with Banks		
a) in current accounts	133.40	4.20
b) in other deposit accounts	1249.05	1573.60
Money at Call and short notice with Banks	0.00	1997.07
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	1638.14	743.35
b) in other deposit accounts	19895.38	5084.58

Particulars	Year ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Money at call and short notice	4.26	3.57
	54867.88	42109.13
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	12758.75	(8023.45)

Note: 1) Figures of previous periods have been regrouped /reclassified wherever considered necessary to conform to current period classification.

2) The Cash flow Statement for the year ended 31st March 2025 has been prepared by Indirect method.

14. Employee Benefits (AS 15)

i. Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2024-25, the Bank has contributed ₹ 0.84 crores (previous year ₹ 1.07 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2024-25, the Bank has contributed ₹ 387.42 crores (previous year ₹ 353.34 crores)

ii. Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank.

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2025	31/03/2024
Discount Rate -G-Sec Rate	6.82% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	7.21% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets*	7.95% for Pension and 7.90% for Gratuity	7.88% for Pension and 7.89% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
PVO as at the beginning of the year	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
Interest Cost	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
Current service cost	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.36	-279.14
Actuarial loss/ (gain) on obligation	1115.23	1010.11	498.82	139.12	227.18	328.14
PVO as at the end of the year	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19

(₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	19070.08	17282.98	1940.98	1764.27	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
Contributions	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.26	279.14
Benefits paid	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.26	-279.14
Actuarial gain/(loss) on plan assets	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00

(₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Expected return on plan assets	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1531.58	1408.52	162.98	141.19	0.00	0.00

(₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1115.23	-1010.11	-498.82	-139.12	-227.18	-328.14
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14

(₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present value of the obligation	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
Fair value of plan assets	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19

(₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Current Service Cost	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
Interest Cost	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
Expected return on plan assets	-1529.11	-1398.59	-162.97	-139.89	0	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1112.76	990.46	498.81	137.84	227.18	328.14
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	2176.00	2286.69	633.74	268.46	617.94	669.87

(₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Opening net liability	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46
Expense as above	-2176.00	-2286.69	-633.74	-268.46	-617.94	-669.87
Contribution paid	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.36	279.14
Closing net liability	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	-1876.77	-1580.19

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2020-25 - Pension	Year ended					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Present Value of obligation	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61
Plan Assets	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29
Surplus/ (Deficit)	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85	-579.32
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11	-1115.23
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93	2.47

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2020-25 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Present Value of obligation	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49
Plan Assets	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74
Surplus/ (Deficit)	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28	-172.75
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12	-498.82
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2020-25 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Present Value of obligation	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19	-1876.77
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14	-227.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ in Crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2024-25		2023-24	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	21.48%	16.81%	23.43%	21.62%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	15.06%	10.26%	17.33%	13.02%
Special Deposit Scheme	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%
Funds managed by Insurer	63.34%	72.90%	58.67%	65.12%
Equity and Mutual Funds	0.07%	0.00%	0.52%	0.20%
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

iii. Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 93.87 crore (previous year ₹ 41.96 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31.03.2025	31.03.2024
1.	Sick Leave	9.39	4.55
2.	Casual Leave	1.54	0.97
3.	Leave Travel Concession	82.94	36.44
Total		93.87	41.96

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

15. Property, Plant and Equipment (AS-10)

15.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2024-25 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs. 1510.28 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account." For the year 2024-25, depreciation amounting to Rs. 107.07 Crore (previous year Rs. 105.56 Crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 100.21 Crore (previous year Rs. 98.79 Crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve Account." Also Rs. 184.48 Cr (previous year Rs.7.50 Crore) was transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve on account of Sale of Premises.

15.2 Premises include 9 (7+2*) properties original costing Rs. 8.38 crores (previous year 9 (7+2*) properties costing Rs. 8.38 crores) having revalued book value of Rs. 83.77 crores (previous year Rs. 63.71 Crores), net of depreciation at Rs. 0.79 Crore (Previous year Rs.0.44 crore) for which registration formalities are pending.

* Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority at Govt of Telangana for regularization and at Chennai costing Rs.2.32 Crore, where the legal case is pending in High Court of Madras.

16. Lease (AS 19)

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.

- C) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 456.93 Crore. (Previous year Rs. 426.22 Cr).

D) Finance lease

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance leases are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2025	As at 31 st March 2024	As at 31 st March 2025	As at 31 st March 2024
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

17. Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD) has been set up by the Bank in 22.09.2008 to pay focused attention on Rural Development initiatives. IBTRD sponsors the following institutes across the country in accordance with the guidelines / directives issued by Ministry of Rural Development (Government of India) & Reserve Bank of India (RBI).

- As per the direction of Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, our Bank has established 38 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs) in the name of Indian Bank Self-Employment Training Institutes (INDSETIs) through the Trust to imparting training on skill development and entrepreneurship for promoting self-employment among rural youth. These Institutes are engaged in extending handholding support for the purpose of settlement of trained candidates and facilitating credit linkage through bank branches to enable the candidates to set up entrepreneurial ventures.
- 42 Financial Literacy Centres (FLCs) for imparting awareness on financial literacy at district-level among predominantly rural population. These FLCs are operated in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India and impart awareness to various target groups viz. senior citizens, women, school children, SHG members, farmers, micro & small entrepreneurs, etc. on various aspects of financial literacy viz. modes of operation and benefits of bank accounts, social security schemes, digital banking channels, banking products, cyber-security, etc.
- 142 Centres of Financial Literacy (CFLs) set up in collaboration with RBI-appointed Non-Government Organizations (NGOs) in selected districts as per RBI directives. These CFLs, operating at block-level, are partly funded by RBI / NABARD. The CFLs, which have been established with the objective of exploring innovative and participatory approaches to financial literacy, conduct sessions among various target groups such as women, young adults, working population as well as vulnerable sections of the population on opening of accounts, usage of debit/ATM card, online banking transactions, social security schemes, etc.

The present number of INDSETIs, Financial Literacy Centres (FLCs) and Centres of Financial Literacy (CFLs) sponsored by the Trust pan-India are summarized below:

Particulars	No. of Centres	Candidates Trained / Participants Attended during FY 2024-25
INDSETIs	38	36565
FLCs	42	162351
CFLs	142	1252629

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Board of Trustees of IBTRD.

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025*

(₹ in Crore)

Expenditure		Income	
Operating Expenses for INDSETIs	19.14	Reimbursement of Expenses by Bank towards CSR	10.00
Expenses for FLCs	0.86	Training Cost Reimbursement by various agencies	20.58
Expenses for CFLs	5.28		
Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.05		
Excess of Income over Expenditure	5.25		
TOTAL	30.58		30.58

PROVISIONAL RECEIPT AND PAYMENT A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025*

(₹ in Crore)

Receipt		Payment	
Opening Balance	9.17	Capital Expenses for INDSETIs	0.37
CSR Contribution from Bank	10.00	Reimbursements to INDSETIs, FLCs & CFLs	24.91
Direct Income	20.58	Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.05
Interest Received	0.25	Closing Balance	14.67
TOTAL	40.00		40.00

* Figures are subject to change on final audit of Trust

18. Legal

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claim aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank during FY 2011-12. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made during FY 2012-13 with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay. The

said remittance of Rs. 100 Crore made by the Bank has been adjusted during F.Y. 2023-24 by debiting the current account and FD account (Rs.84.09 Crore) of M/s Nimbus Communications Ltd. leaving O/s balance as on 31.03.2025 of Rs.15.94 Crore.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having total provision of Rs.31.26 Crore (previous year Rs. 31.26 Crore).

19. Accounting standard-17 "Segment Reporting"

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

* Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT.REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking -

- (i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking Business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. **Domestic Operations** - Branches/Offices having operations in India
- ii. **Foreign Operations** - Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

(₹ in Crore)

Part A Business Segment	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	17176.79	15616.08	23857.74	22165.82	29125.71	24927.68	1.30	0.18	29124.41	24927.50	1065.40	771.92	71225.64	63481.50
Result	6136.63	5658.69	5427.66	5046.07	6519.33	5545.69	0.26	(0.27)	6519.07	5545.96	914.58	589.10	18998.20	16839.55
Unallocated expenses													4211.27	5888.41
Operating profit													14786.93	10951.14
Other unallocable income													0.00	0.00
Income Taxes													3868.64	2888.20
Exceptional item													0.00	0.00
Net Profit													10918.29	8062.94
Other information													0.00	0.00
Segment Assets	264753.70	233839.17	272792.42	259620.22	330784.34	291324.65	23.85	9.88	330760.49	291314.77	0.00	0.00	868330.46	784784.04
Unallocated assets													5080.20	7835.08
Total assets													873410.66	792619.12
Segment Liabilities	243744.04	216613.46	251144.84	240495.35	304534.78	269864.28	23.59	10.15	304511.19	269854.13	0.00	0.00	799423.66	726973.09
Unallocated liabilities													4677.06	7257.91
Capital reserves & Surplus													69309.94	58388.12
Total Liabilities													873410.66	792619.12

Part B Geographic Segments

	Domestic		International		Total	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	68793.11	61418.05	2432.53	2063.45	71225.64	63481.50
Assets	828537.29	753765.21	44873.37	38853.91	873410.66	792619.12

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary

20. Related Party Disclosures (AS 18):

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank

20.1 SUBSIDIARIES:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a)	Indbank Merchant Banking Services Ltd.	India	11/08/1989	64.84%	M/s Brahmayya & Co.	19.09.2024
b)	Ind Bank Housing Ltd.	India	28/01/1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	19.09.2024
c)	Indbank Global Support Services Limited	India	09/02/2024	100.00%	M/s Suri & Siva	09.12.2024

20.2 ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a)	Tamilnadu Grama Bank	35%
b)	Saptagiri Grameena Bank*	35%
c)	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

* Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank into a single Regional Rural Bank, called as Andhra Pradesh Grameena Bank under the sponsorship of Union Bank of India. Accordingly, Saptagiri Grameena Bank, sponsored by our Bank has been amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank with effect from 1st May, 2025.

20.3 Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

(₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52%	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26%	37.50

20.4.1 Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment
Shri Binod Kumar	Managing Director & Chief Executive Officer	16.01.2025
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022
Shri Ashutosh Choudhary	Executive Director	03.05.2023
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024

20.4.2 The details of cessation of directorship during FY 2024-25 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.01.2025	Superannuation/Completion of term of appointment
2.	Dr. M P Tangirala	Govt. Nominee Director	13.05.2024	As per GOI, MoF, DFS Notification No.6/2 (ii)/2022-BO.I dated 13.05.2024
3.	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	29.10.2024	Completion of term of appointment
4.	Shri Vishvesh Kumar Goel*	Part-time Non Official Director	21.12.2024	Completion of term of appointment
5.	Shri Balmukund Sahay*	Part-time Non Official Director	21.12.2024	Completion of term of appointment

*Re-nominated as Part-time, Non-Official for a period of one year or until further orders, whichever is earlier with effect from 11.04.2025.

20.5 Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1.	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	205
2.	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	250

20.6 Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹314.07 lakhs (Previous- Year ₹ 232.60 lakhs)

Details	2024-25	2023-24
Shri Binod Kumar, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (16.01.2025 to 31.03.2025)	₹ 8.68 lakhs	-
Shri Shanti Lal Jain, Ex-MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.12.2024)	₹ 84.38* lakhs	₹ 47.53 lakhs
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 56.11 lakhs	₹ 35.17 lakhs
Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 61.62 lakhs	₹ 45.82 lakhs**
Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 46.23 lakhs	₹ 19.70 lakhs
Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 36.90 lakhs	₹ 1.96 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	₹ 17.06 lakhs^	₹ 67.30 lakhs^
Shri Ashwani Kumar^^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	₹ 3.09 lakhs^^	₹ 15.12 lakhs#

*Including encashment of leave, Gratuity, PF and Pension Commutation

\$ Including PI encashment of Rs 30.00 Lakhs

including PLI and Other allowances

**Including House Rent Allowance of Rs 10.47 lakhs

^ Executive Director upto 09.03.2024, Incentive/ Other allowances

^^ Executive Director upto 01.06.2023, Incentive/ Other allowances

20.7 Other disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ in Crore)

Items/Related Party	Joint Ventures
Rendering of services	20.10
Receiving of services	0.38

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

21. Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2024-25	2023-24
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	10918.29	8062.94
Number of Equity Shares	1346963981	1346963981
Weighted Number of equity shares	1346963981	1275121314
Basic Earnings Per Share	81.06	63.23
Diluted earnings per share	81.06	63.23
Nominal value per Equity Share	10.00	10.00

22. Accounting for taxes on income (AS 22):

- a) Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs. 4015.69 Crore including provision for tax relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 48.91 Crores. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs. 11.53 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- b) Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs. 5080.20 Crore (Previous year net DTA of Rs. 4921.62 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs. 1243.51 Crore (Previous year Rs. 1116.56 Crore) and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs. 6323.71 Crore (Previous Year Rs. 6038.18 Crore). The major components of DTA and DTL (including foreign branches) is given below:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	521.69	376.55
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	145.89	131.17
3	Provision for Gratuity	0.04	0.04
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3864.41
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	1694.40	1569.60
6	Depreciation on Fixed Assets	97.28	96.41
	Total DTA	6323.71	6038.18

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	44.41
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	831.84	704.90
	Total DTL	1243.51	1116.56
	Net DTA/(DTL)	5080.20	4921.62

c) Provision for Income Tax for the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provision for Taxation-Global (Income tax including Deferred Tax)	3868.64	2888.20

The disputed income tax demand paid by the Bank/ adjusted by the department for various earlier assessment years amounting to Rs.3953.36 crore as on 31.03.2025 (previous year Rs. 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs. 10,522.44 Crore (previous year Rs. 9761.82 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2025. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

23. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs. in Crore)
Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52%	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(₹ in Crore)

Particular	31.03.2025	31.03.2024
Liabilities		
Capital & Reserves	561.82	496.03
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	44.38	11.40
Other Liabilities & Provisions	1389.20	1211.02
TOTAL	1995.40	1718.45

Particular	31.03.2025	31.03.2024
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.00	0.01
Balances with Banks and money at call and short notice	46.00	33.95
Investments	1554.88	1393.41
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	25.44	21.08
Other Assets	369.08	270.00
TOTAL	1995.40	1718.45
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	61.57	63.65
Income		
Interest earned	10.06	6.42
Other Income	799.74	731.00
TOTAL	809.80	737.42
Expenditure		
Interest expended	3.59	1.81
Operating expenses	714.93	645.43
Provisions & Contingencies	22.59	29.58
TOTAL	741.11	676.82
Profit	68.69	60.60

24. Impairment of Assets (AS-28):

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

25. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2024	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2025
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	223.64	6.71	0.12	230.23

26. Other Disclosures

a) Business ratios

	Particular	2024-25	2023-24
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds ¹	7.51	7.37
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds ¹	1.12	1.04
iii)	Cost of Deposits (%)	5.12	4.88
iv)	Net Interest Margin (%) ²	3.41	3.47
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds ¹	2.30	2.23
vi)	Return on Assets(%) ³	1.32	1.07
vii)	Business (deposits plus advances) per employee ⁴ (in ₹ crore)	32.42	29.85
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.27	0.20

¹ Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X for Commercial Banks and Form IX for UCBs., during the 12 months of the financial year.

² Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

³ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

⁴ For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

b) Bancassurance Business

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.180.58 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs. 163.21 Crore).

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2024-25	2023-24
1	For Selling Life Insurance Policies	144.30	127.03
2	For Selling Non-life insurance policies	31.88	32.17
3	Others – For selling Mutual Fund Products	4.40	4.01
	Total	180.58	163.21

c) Marketing and distribution

The Bank does not undertake marketing and/or distribution of any product of other entities (other than products under Bancassurance Business). Therefore, the Bank has not earned any fees/remuneration from the stated activities.

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year:

(₹ in Crore)

Sl. No.	PSLC Category	Purchase Position		Sale Position	
		No. of Units	Amount	No. of Units	Amount
1	PSLC AGRICULTURE	-	-	10000	2500
2	PSLC SMALL AND MARGINAL FARMER	-	-	169976	42494
3	PSLC GENERAL	28000	7000	-	-
4	PSLC MICRO	28000	7000	-	-
	Total	56000	14000	179976	44994

e) Provisions and contingencies

(₹ in Crore)

Provision debited to Profit and Loss Account		2024-25	2023-24
i)	Provisions for NPI	(115.16)	62.89
ii)	Provision towards NPA	3444.03	3652.87
iii)	Provision made towards Income tax	3868.64	2888.20
iv)	Other Provisions and Contingencies (with details)		
	a. Standard Advances	853.44*	1936.53*
	b. Restructured Advances	(66.88)	172.95
	c. Others	95.84	63.17
TOTAL		8079.91	8776.61

* For the FY 2025, the Bank has made incremental provision Rs. 1074.94 Crores (net) (previous year Rs. 1871.52 Crores) (net) on Standard Assets over and above the minimum regulatory requirement.

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018.
- RBI also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly, proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.
- Subsequently, RBI advised that Banks shall submit Ind AS proforma financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. The same has been duly complied with.
- From F.Y. 2021-22 onwards, RBI advised to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. The same has been complied with. The Audit Committee of the Board and Board of Directors have been periodically apprised the progress in this regard.

- v) As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019, implementation of Ind AS in Banks has been deferred till further notice. However, submission of proforma Ind AS financials to RBI has been continued and the Bank is complying with the same.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	820.06	776.42
ii)	Arrears in payment of DICGC Premium	0.00	0.00

- h) During the year ended March 31, 2025, the Bank has raised Long Term Infrastructure Bond Series I of Rs. 5000 Crore with tenor of 10 years at an annual coupon of 7.24% p.a. on 13.09.2024 and Long Term Infrastructure Bond Series II of Rs. 5000 Crore with tenor of 10 years at an annual coupon of 7.12 % p.a on 25.10.2024.

i) a) Items includes in Miscellaneous income which exceeds 1% of total income

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Recovery from bad debts	2547.61	1879.43
PSLC Income	843.19	656.77
Processing Charges	678.87*	746.67

* Processing charges income does not exceed 1% of total income during 2024-25.

b) Items includes in Schedule 5(IV)-Other Liabilities and Provisions - "Others (including provisions)" which exceeds 1% of total assets

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Provision for Standard Assets	8883.20	8026.39

Note:

- i) None of the item under the subhead "Other expenditure" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeds one per cent of total income.
- ii) None of the item under the Schedule 11(VI)-Other Assets- "Others" exceeds one per cent of the total assets.

j) Portfolio - level information on the use of funds raised from green deposits

(₹ in Crore)

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative
Total green deposits raised (A)	9.25	NIL	9.25
Use of green deposit funds			
1) Renewable Energy	9.25	NIL	9.25
2) Energy Efficiency	NIL	NIL	NIL
3) Clean Transportation	NIL	NIL	NIL
4) Climate Change Adaptation	NIL	NIL	NIL
5) Sustainable Water and Waste Management	NIL	NIL	NIL
6) Pollution Prevention and Control	NIL	NIL	NIL

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative
7) Green Buildings	NIL	NIL	NIL
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	NIL	NIL	NIL
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	NIL	NIL	NIL
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	9.25	NIL	9.25
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0	NIL	0
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	NIL	NIL	NIL

k) Reconciliation and Adjustments

- Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2025 except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2025, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 263.79 Crore (Previous Year 2023-24 Rs.263.79 Crore)
- Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

l) Dividend

- Dividend of Rs. 16.25 per equity share i.e. 162.50% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2024-25.

m) As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

n) Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Indian Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:

- i) The Corporate Office and its Departments, Treasury Branch and 20 Indian Branches audited by us;
- ii) 1972 Indian Branches (incl. GIFT City Branch) audited by respective Statutory Branch Auditors and
- iii) 3 Foreign Branches audited by respective local auditors;

The Indian branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also, incorporated in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 4443 Indian branches/offices which have not been subjected to Audit. These unaudited branches account for 25.53% of Advances, 53.02% of Deposits, 18.10% of Interest income and 45.24% of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
- a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;
 - b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
 - c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit

Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How the Key Audit Matter was addressed in our Audit
1.	Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances The net advances of the Bank constitute 65.38% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non-performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	Tests of control Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). Substantive tests A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non-performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc. in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular,

	- Investments constitute 25.80% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. - The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

Other Matters

5. a. We did not audit the financial statements / information of 1975 branches (including 3 foreign branches) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 3,11,810.30 crores as at 31st March 2025 and total revenue of Rs. 20,628.19 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 42.07% of advances, 40.99% of deposits and 51.71% of Non-performing assets as at 31st March 2025 and 28.77% of revenue for the year ended 31st March 2025. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- b. The Standalone Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2024 were audited by the joint auditors, one of them was predecessor audit firm and they have expressed unmodified opinion on such Standalone Financial Statements vide report dated 06.05.2024.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The standalone Balance Sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 7 & 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - As the Bank is not registered under the Companies Act , 2013 the disqualifications from being a director the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act 2013 do not apply to the Bank.
 - There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements as at 31st March 2025
11. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
 - the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the standalone Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For KAILASH CHAND JAIN & CO

Chartered Accountants
FR No. 112318W

SAURABH CHOUHAN

Partner
(M. No. 167453)

UDIN:25167453BMLKTF8234

For S. SINGHAL & CO

Chartered Accountants
FR No. 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL

Partner
(M. No.074661)

UDIN:25074661BMKJR8226

For G BALU ASSOCIATES LLP

Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

RAJA GOPALAN B

Partner
(M. No. 217187)

UDIN: 25217187BMLWUK7042

For DASS GUPTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FR No. 000112N

NARESH KUMAR

Partner
(M. No. 082069)

UDIN:25082069BMLXEJ7885

For ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FR No. 003917N

ARUN KUMAR AGARWAL

Partner
(M. No. 082899)

UDIN: 25082899BMMBRT1772

Date of Report : 03.05.2025

Place of Signature: Chennai

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of Indian Bank as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance

that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and Board of Directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1972 Indian branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No. 112318W

SAURABH CHOUHAN
Partner
(M. No. 167453)
UDIN:25167453BMLKTF8234

For S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FR No. 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No.074661)
UDIN:25074661BMKOJR8226

For G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

RAJA GOPALAN B
Partner
(M. No. 217187)
UDIN: 25217187BMLWUK7042

For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

NARESH KUMAR
Partner
(M. No. 082069)
UDIN:25082069BMLXEJ7885

For ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

ARUN KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No. 082899)
UDIN: 25082899BMMBRT1772

Date of Report : 03.05.2025

Place of Signature: Chennai

INDSMART

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Equip your MSMEs with smart financing! **IND Equipment & Wheels (CE/CV)**



Scan for info



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Unlock More with Every Transaction!

Ind GST Advantage



Scan for info

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2025

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2025 (Audited)	As on 31.03.2024 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1346.96	1346.96
Reserves and Surplus	2	70165.95	58901.24
Minority Interest	2A	32.23	29.31
Deposits	3	737098.32	687953.07
Borrowings	4	41552.30	23142.88
Other Liabilities & Provisions	5	26842.84	24335.36
TOTAL		877038.60	795708.82
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	31947.65	32702.76
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	23013.75	9474.15
Investments	8	228420.86	215241.82
Advances	9	571071.18	514889.07
Fixed Assets	10	8857.33	7539.90
Other Assets	11	13727.83	15861.12
TOTAL		877038.60	795708.82
Contingent Liabilities	12	280758.37	334331.17
Bills for Collection		14159.47	15934.58

BINOD KUMAR

Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No. 112318W

For M/S. S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FR No. 001526C

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

SAURABH CHOUHAN
Partner
(M. No. 167453)
UDIN: 25167453BMLKTG2186

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 25074661BMKQJS2607

RAJA GOPALAN B
Partner
(M. No. 217187)
UDIN: 25217187BMLWUL6111

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N
NARESH KUMAR
Partner
(M. No. 082069)
UDIN: 25082069BMLXEK3646

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N
ARUN KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No. 082899)
UDIN: 25082899BMMBRU7546

Date: 03.05.2025

Place: Chennai

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2025 (Audited)	Y. E. 31.03.2024 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	62039.43	55649.73
Other Income	14	10011.45	8581.95
TOTAL		72050.88	64231.68
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	36826.25	32340.76
Operating Expenses	16	16123.15	14952.80
Provisions & Contingencies		8106.61	8808.97
TOTAL		61056.01	56102.53
III. Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to group		10994.87	8129.15
Share of earnings in Associates		269.52	293.37
Consolidated Profit/ (loss) for the period before deducting minorities' interest		11264.39	8422.52
Less: Minority Interest		2.92	3.11
Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to the group		11261.47	8419.41
Profit / (Loss) Brought forward		1918.42	1365.84
TOTAL		13179.89	9785.25
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to:			
Statutory Reserves		2729.58	2015.74
Capital Reserves		0.72	0.00
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		467.34	362.22
Investment Fluctuation Reserve		199.21	328.11
Revenue Reserves		5250.00	3250.00
Staff Welfare Fund		60.00	40.00
Investment Reserve		0.00	254.40
Equity Dividend		2188.82	1616.36
Balance carried over to Consolidated Balance Sheet		2284.22	1918.42
TOTAL APPROPRIATIONS		13179.89	9785.25
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		83.61	66.03

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No. 112318W

For M/S. S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FR No. 001526C

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

SAURABH CHOUHAN
Partner
(M. No. 167453)
UDIN: 25167453BMLKTG2186

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 25074661BMKOJS2607

RAJA GOPALAN B
Partner
(M. No. 217187)
UDIN: 25217187BMLWUL6111

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N
NARESH KUMAR
Partner
(M. No. 082069)
UDIN: 25082069BMLXEK3646

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N
ARUN KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No. 082899)
UDIN: 25082899BMMBRU7546

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. 99,45,49,600 Equity Shares of Rs.10 each)	994.55	994.55
b) 35,24,14,381 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 35,24,14,381 Equity Shares of Rs.10 each)	352.41	352.41
TOTAL	1346.96	1346.96

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	12972.13	10956.39
b) Additions during the period	2729.58	2015.74
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL I	15701.71	12972.13
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	5975.19	6106.90
b) Additions during the period	1510.28	0.00
c) Deductions during the period	284.69	131.71
TOTAL (A)	7200.78	5975.19
B) Others		
a) Opening Balance	1111.16	1111.02
b) Additions during the period	0.72	0.14
c) Deductions during the period	0.28	0.00
TOTAL (B)	1111.60	1111.16
TOTAL II (A + B)	8312.38	7086.35
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	6290.02	2391.55
b) Additions during the period	0.00	3898.47
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL III	6290.02	6290.02
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	21398.09	18072.38
b) Additions during the period	5250.00	3250.00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	284.69	106.29
d) Deductions during the period	213.63	30.58
TOTAL (A)	26719.15	21398.09
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2843.65	2481.43
b) Additions during the period	467.34	362.22
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	3310.99	2843.65
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58.20	58.20
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (C)	58.20	58.20

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1360.01	1031.90
b) Additions during the period	639.99	328.11
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (D)	2000.00	1360.01
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	440.78	186.38
b) Additions during the period	0.00	254.40
c) Deductions during the period	440.78	0.00
TOTAL (E)	0.00	440.78
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	524.77	490.57
b) Additions during the period	58.49	34.20
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (F)	583.26	524.77
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1.91	1.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (G)	1.91	1.91
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	32673.51	26627.41
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006.91	4006.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL V	4006.91	4006.91
VI. AFS RESERVE		
a) Opening Balance	0.00	0.00
b) Additions during the period	897.20	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL VI	897.20	0.00
VII.PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	1918.42	1365.84
b) Additions during the period	11261.47	8419.41
c) Deductions during the period	10895.67	7866.83
TOTAL VII	2284.22	1918.42
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	70165.95	58901.24

SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/(decrease)	28.96	26.04
Minority interest on the date of balance sheet	32.23	29.31

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	179.18	138.47
ii) From others	39442.50	38853.11
TOTAL	39621.68	38991.58

II. SAVINGS BANK DEPOSITS	243223.14	241494.02
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	25875.83	19947.53
ii) From others	428377.67	387519.94
TOTAL	454253.50	407467.47
TOTAL A (I+II+III)	737098.32	687953.07
B. (I) Deposits of branches in India	702910.44	661778.93
(II) Deposits of branches outside India	34187.88	26174.14
TOTAL B (I+II)	737098.32	687953.07

Out of Total Deposits, deposits against which lien is marked amounts to Rs. 48567.03 Cr (PY. - Rs. 37564.25 Cr)

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	8178.00	0.00
ii) Other Banks	0.85	0.61
iii) Other Institutions and Agencies*	31870.61	20447.87
TOTAL	40049.46	20448.48
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	1502.84	2694.40
TOTAL (I+II)	41552.30	23142.88
Secured Borrowing included above	23045.00	12272.38

* Includes AT-1 Capital - Perpetual Debt Instrument of Rs. 2000 Cr (PY Rs. 2000 Cr) and Tier II Capital - Subordinated Debt of Rs. 4000 Cr (PY Rs. 6000 Cr).

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Bills Payable	1995.02	1663.84
II. Inter-Office adjustments (Net)	0.00	0.00
III. Interest Accrued	1776.63	1845.99
IV. Others (including Provisions)*	23071.19	20825.53
TOTAL (I+II+III+IV)	26842.84	24335.36

*Includes Contingent provisions against Standard Assets of Rs. 8883.20 Cr (PY Rs. 8026.39 Cr)

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA (₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1312.61	1304.15
II. Balances with Reserve Bank of India:	30635.04	31398.61
(i) in Current Accounts	24768.04	31134.61
(ii) in Other Deposit Accounts	5867.00	264.00
TOTAL (I+II)	31947.65	32702.76

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	139.29	25.64
b) in Other Deposit Accounts	1336.69	1619.95
TOTAL (i)	1475.98	1645.59
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	0.00	1997.06
TOTAL (ii)	0.00	1997.06
TOTAL I (i+ii)	1475.98	3642.65
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	1638.14	743.35
ii) in Other Deposit Accounts	19895.37	5084.58
iii) Money at Call and Short Notice	4.26	3.57
TOTAL II (i+ii+iii)	21537.77	5831.50
GRAND TOTAL (I+II)	23013.75	9474.15

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	226521.68	217376.28
Less : Provision for Depreciation & NPI	600.20	4203.55
Net Investments	225921.48	213172.73
i) Government securities	197083.95	180909.67
ii) Other approved securities	64.31	52.84
iii) Shares	1366.09	836.60
iv) Debentures and Bonds	16572.54	16252.67
v) Investment in Associates	1817.78	1548.27
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9016.81	13572.68
TOTAL	225921.48	213172.73

II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2635.17	2209.48
Less : Provision for Depreciation & NPI	135.79	140.39
Net Investments	2499.38	2069.09
i) Government securities (including local authorities)	2498.67	2068.87
ii) Investments in Associates	0.00	0.00
iii) Other investments		
a) Shares	0.71	0.22
b) Debt Securities	0.00	0.00
TOTAL	2499.38	2069.09
NET GRAND TOTAL (I+II)	228420.86	215241.82

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
A. i) Bills purchased and discounted	4243.20	5886.14
ii) Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	294077.39	252022.14
iii) Term Loans	272750.59	256980.79
TOTAL (A)	571071.18	514889.07
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	436378.06	425795.50
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	64082.89	41042.06
iii) Unsecured	70610.23	48051.51
TOTAL (B)	571071.18	514889.07
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	220040.52	199112.44
ii) Public Sector	74627.61	71191.36
iii) Banks	0.00	0.00
iv) Others	234695.70	209056.19
TOTAL (C.I)	529363.83	479359.99
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Due from Banks	27439.64	22002.07
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & discounted	2203.84	2150.02
b) Syndicated Loans	7312.80	6617.88
c) Others	4751.07	4759.11
TOTAL (C.II)	41707.35	35529.08
GRAND TOTAL (C.I+C.II)	571071.18	514889.07

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	7462.97	7470.69
Additions/Adjustments during the period	1332.08	0.06
Sub-Total	8795.05	7470.75
Deductions during the period	183.61	7.77
Sub-Total	8611.44	7462.98
Depreciation to date	1664.53	1584.21
TOTAL	6946.91	5878.77
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	523.44	549.38
Additions/Adjustments during the period	181.14	0.04
Sub-Total	704.58	549.42
Deductions during the period	0.35	25.98
Sub-Total	704.23	523.44
Depreciation to date	123.87	95.14
TOTAL	580.36	428.30
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	28.11	14.98
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	5670.93	5120.49
Additions/Adjustments during the period	523.20	619.50
Sub-Total	6194.13	5739.99
Deductions during the period	64.52	69.06
Sub-Total	6129.61	5670.93
Depreciation to date	4830.61	4455.36
TOTAL	1299.00	1215.57
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	2.95	2.28
TOTAL (I+II+III+IV+V)	8857.33	7539.90

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Inter Office Adjustment (net)	128.04	239.94
II. Interest accrued	4761.83	4286.15
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net)	0.00	2937.49
IV. Stationery and Stamps	6.74	12.68
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51.38	51.38
VI. Deferred Tax assets (Net)	5101.44	4933.62
VII. Others*	3678.40	3399.86
TOTAL	13727.83	15861.12
*Includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	389.24	582.10

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	2221.58	2177.15
II. Liability for partly paid Investments	264.12	281.95
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	229350.45	279768.99
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	26618.50	29491.56
b) Outside India	194.57	198.57
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	7365.86	9081.76
VI. Other items for which the bank is contingently liable	14743.29	13331.19
TOTAL	280758.37	334331.17

*Contingent Liability has been considered net of margin.

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Interest/Discount on Advances/Bills	44856.39	40618.85
II. Income on Investments	15347.78	13434.82
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	1589.50	1388.15
IV. Others	245.76	207.91
TOTAL	62039.43	55649.73

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Commission, Exchange and Brokerage	1735.73	1638.08
II. Profit on sale of Investments	1064.80	1018.84
Less: Loss on sale of Investments	144.26	148.23
Net	920.54	870.61
III. Profit on Revaluation of Investments	138.85	446.58
Less: Loss on Revaluation of Investments	5.91	0.00
Net	132.94	446.58
IV. Profit on sale of Land, Buildings and other assets*	2.96	2.82
Less: Loss on sale of Land, Buildings and other assets*	1.26	4.73
Net	1.70	-1.91
V. Profit on Exchange transactions (Net)	369.05	451.51
VI. Lease finance/ Hire Purchase income	0.00	0.00
VII. Miscellaneous Income	6851.49	5177.08
TOTAL	10011.45	8581.95

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Interest on deposits	34698.86	30491.12
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	361.72	330.78
III. Others	1765.67	1518.86
TOTAL	36826.25	32340.76

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2025	Y. E. 31.03.2024
I. Payments to and provisions for employees	9974.61	9319.90
II. Rent, Taxes and Lighting	679.05	640.02
III. Printing and Stationery	98.70	89.16
IV. Advertisement and Publicity	46.78	31.99
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	542.94	531.14
(b) Depreciation on Leased Assets	0.00	0.00
VI. Directors' fees, allowances and expenses	2.47	2.16
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	49.33	49.06
VIII. Law charges	38.60	21.68
IX. Postage, Telegrams and Telephones	131.64	110.60
X. Repairs and Maintenance	274.02	252.83
XI. Insurance	930.96	874.01
XII. Other Expenditure	3354.05	3030.25
TOTAL	16123.15	14952.80

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries, its Joint Ventures) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited / unaudited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd., (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd., (3) Indbank Global Support Services Ltd., its Joint Venture viz. (1) Universal Sampo General Insurance Co. Ltd., (2) ASREC (India) Limited after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments except wherever otherwise stated in accordance with accounting standard 21 "Consolidated Financial Statements" & accounting standard 27 "Financial Reporting of interest in joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements of the subsidiaries and Joint Ventures

are drawn up to the same reporting date of the parent.

- b. The Subsidiaries, Joint Ventures and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
- c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post-acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.
- d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
- e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard-23 (AS-23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE: PARENT:

- 4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

- a) Foreign exchange transactions are recorded at the exchange rate prevailing at preceding business day closing. The rate to be used is closing rate.

- b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the Weekly Average Rates notified by FEDAI every Weekend.
- c) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates/Revaluation rates notified by FEDAI at every Month/Quarter/Year end.
- d) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the Month/Quarter/Year end.
- e) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the respective Quarter/Year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- f) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations:

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- a) Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- b) Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

PARENT:

5.1 Categorization of Investments

Bank shall classify the entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS), Fair Value through Profit and Loss (FVTPL).

Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub- category within FVTPL. The category of the investment shall be decided by the bank before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented. All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). All the investments will be classified in the following category:

- (i) Held to Maturity (HTM)
- (ii) Available for Sale (AFS)
- (iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)
- (i) Held for Trading (HFT)
- (iv) Subsidiaries, associates and joint ventures (SAJV)

Bank shall continue to present the investments in the Balance Sheet as set out in The Third Schedule to the BR Act (Form A, Schedule 8 - Investments) as under:

- (i) Government securities
- (ii) Other approved securities
- (iii) Shares
- (iv) Debentures & Bonds
- (v) Subsidiaries and/or joint ventures
- (vi) Others (to be specified)

Held to Maturity (HTM):

- (a) Securities that meet the following conditions shall be classified under HTM
 - (i) The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and
 - (ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- (b) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are

solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

- (ii) The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.
- (iii) The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

Available for Sale (AFS):

- (a) Securities that meet the following conditions shall be classified under AFS
 - (i) The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - (ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading.

- (b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.
- (c) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - (iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
 - (iv) Preference shares and Equity shares.

FVTPL

- (a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:
 - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
 - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
 - (iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
 - (iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

HFT

Bank shall create a separate sub-category called HFT within FVTPL. Bank shall comply with the requirements specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 for classifying investments under HFT. Details in Annexure 1

Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

5.2 INITIAL RECOGNITION

5.2.1 All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption shall be tested include where:

- (a) The transaction is between related parties.

- (b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- (c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- (d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

5.2.2 In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

5.2.3 Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss shall be recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

5.2.4 Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognised immediately.

5.2.5 Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

5.3 SUBSEQUENT MEASUREMENT

5.3.1 HTM

- (a) Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (b) Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

- (c) The acquisition cost adjusted for any premium/ discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024, shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/General Reserve.
- (d) Only in exceptional circumstances, where it is not practicable to calculate revised carrying value as above, the fair value of the securities as of March 31, 2024, may be taken as the revised carrying value.

5.3.2 AFS

- (a) The securities held in AFS shall be fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II
- (b) 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (c) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS- Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- (d) Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (e) The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1 subject to clause 28 of these Directions. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- (f) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS- Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.

- (g) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

5.3.3 FVTPL

- (a) The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL shall be fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL shall be fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- (b) Bank shall fair value daily all HFT instruments and recognise any valuation change in the profit and loss account.
- (c) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (d) Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023

5.3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint ventures

- (a) All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost, subject to the requirements as per RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

- (c) In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:

- i. Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
 - ii. Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
 - iii. Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.
- (d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under
- i. Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.
 - ii. Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.
- (e) Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

(f) Bank shall evaluate investments in subsidiaries, associates or joint ventures for impairment at least on a quarterly, if not more frequent basis. A non-exhaustive list of indicators of potential impairment is as under:

- The entity has defaulted in repayment of its debt obligations.
- The loan amount of the entity with any bank has been restructured.
- The credit rating of the entity has been downgraded to below investment grade.
- The entity has incurred losses for a continuous period of three years and the net worth has consequently reduced by 25 per cent or more.
- There is a significant decline in the fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more. For the purpose of this sub-clause the term significant shall be interpreted as at least 20 per cent. Bank, with the approval of their Boards, may apply even more conservative thresholds.
- Any or all of the entity's outstanding securities have been delisted, are in the process of being delisted, or are under threat of being delisted from an exchange due to noncompliance with the listing requirements or for financial reasons.
- In the case of a new entity/ project where the originally projected date of achieving the breakeven point has been extended i.e., the entity/ project has not achieved break-even within the gestation period as originally envisaged.

(g) When the need to determine whether impairment has occurred arises in respect of a subsidiary, associate or joint venture, the bank shall obtain a valuation of the investment by an independent registered valuer and make provision for the impairment, if any. Such diminution shall be provided by recognising it as an expense in the Profit and Loss Account. It may be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

5.4 RECLASSIFICATION BETWEEN CATEGORIES

(a) Bank shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further,

reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

- The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.
- When a bank reclassifies investments from one category to another category, the accounting treatment shall be as given in the table below. The bank shall disclose the details of such reclassification including the reclassification adjustments in the notes to the financial statements

S. No	From	To	Accounting Treatment
a	HTM	AFS	The fair value measured at the reclassification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be recognised in AFS-Reserve
b	HTM	FVTPL	The fair value measured at there classification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of Investments' under Schedule 14:'Other Income'.
c	AFS	HTM	The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognised in the AFS-Reserve shall be withdrawn there from and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at therevised carrying value. Thus, the revised carrying value shall be the same as if the bank had classified the investment in HTM ab initio itself.
D	AFS	FVTPL	The investments shall continue to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS- Reserve shall be withdrawn therefrom and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14:'Other Income'.

E	FVTPL	HTM	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.
F	FVTPL	AFS	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.

5.5 SALE OF INVESTMENTS FROM HTM

- Any sales from HTM shall be as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM shall be disclosed in the notes to accounts of the financial statements in the format specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.
- Sales of securities in the situations given below shall be excluded from the regulatory limit of five per cent prescribed in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023
 - Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
 - Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback or switch operations.
 - Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
 - Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
 - Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
 - Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.
 - Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

- Any profit or loss on the sale of investments in HTM shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investments in HTM shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.
- Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

5.6 FAIR VALUE OF INVESTMENTS

The fair value for the purpose of initial recognition and periodical valuation of investments as required by these Directions shall be determined as per the valuation norms laid down in this Chapter.

5.6.1 Quoted Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL) in accordance with RBI circular FMRD. DIRD.7/14.03.025/2017-18 dated March 31, 2018, as amended from time to time. For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

5.6.2 Unquoted SLR Securities

- Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices/ YTM rates published by the FBIL.
- Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

5.6.3 Unquoted Non-SLR Securities

I. Unquoted debentures & Bonds

a) Unquoted debentures and bonds shall be valued by applying the appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL/ FIMMDA, subject to the following:

- i. The mark-up applied shall be determined based on the ratings assigned to the debentures/ bonds by the credit rating agencies and shall be subject to the following:
 - The mark up shall be at least 50 basis points above the rate applicable to a Central Government security of equivalent maturity for rated debentures/ bonds.
 - The mark-up for unrated debentures or bonds shall not be less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity.

Provided that the mark-up for the unrated debentures or bonds should appropriately reflect the credit risk borne by the bank.

- Where the debentures/ bonds are quoted and there have been transactions within 15 days prior to the valuation date, the value adopted shall not be higher than the rate at which the transaction has been recorded on the Exchanges/trading platforms/reporting platforms authorized by RBI/ SEBI.
- b) Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds and bonds issued by state distribution companies (DISCOMs) under financial restructuring plan.
- i. UDAY bonds shall be valued on basis of prices/ yields published by FBIL.
 - ii. State government guaranteed bonds issued and serviced by DISCOM (i.e., when bonds' liabilities are with the DISCOMs) shall be valued by applying a mark-up of 75 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
 - iii. Other bonds issued and serviced by DISCOMs shall be valued by applying a mark-up of 100 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.

iv. Bonds issued and serviced by the State Government (i.e., when bonds' liabilities are with the State Government) shall be valued by applying a mark-up of 50 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.

- c) Special securities, which are directly issued by Government of India, and which do not carry SLR status shall be valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity.
- d) Zero coupon bonds (ZCBs): In the absence of market value, the ZCBs shall be marked to market with reference to the present value of the ZCB. The fair value so determined should be compared with the carrying cost to determine valuation gain or loss.

II. Preference Shares

- a) When a preference share has been traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value shall not be higher than the price at which the share was traded.
- b) The valuation of unquoted preference shares shall be done on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by the FBIL subject to such preference share not being valued above its redemption value. The mark-up shall be graded according to the ratings assigned to the preference shares by the rating agencies and shall be subject to the following:
 - i. The mark-up cannot be negative i.e., the YTM rate shall not be lower than the coupon rate/ YTM for a Central Government India security of equivalent maturity.
 - ii. The rate used for the YTM for unrated preference shares shall not be less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and shall appropriately reflect the credit risk borne by the bank.
 - iii. Where the investment in preference shares is made as part of a resolution, the mark-up shall not be lower than 1.5 percentage points.
- c) Where preference dividends/coupons are in arrears, no credit should be taken for accrued dividends/ coupons and the value determined as above on

YTM basis should be discounted further by at least 15 per cent if arrears are for one year, 25 per cent if arrears are for two years, so on and so forth (i.e., with 10 percent increments). The overarching principle should be that valuation shall be based on conservative assessment of cash flows with appropriate discount rates to reflect the risk. Statutory Auditors should also specifically examine as to whether the valuations adequately reflect the risk associated with such instruments. The depreciation/provision requirement arrived at in respect of non-performing shares where dividends are in arrears shall not be allowed to be set-off against appreciation on other performing preference shares.

- d) Investments in preference shares as part of the project finance shall be valued at par for a period of two years after commencement of production or five years after subscription whichever is earlier.

III. Equity Shares

Equity shares for which current quotations are not available i.e., which are classified as illiquid or which are not listed on a recognised exchange, the fair value for the purposes of these directions shall be the break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹ 1 per company.

IV. Mutual Fund Units

- a) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme.
- b) In case of funds with a lock-in period or any other Mutual Fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

V. Commercial paper Commercial paper shall be valued at the carrying cost.

VI. Investment in security receipts (SRs) and other instruments issued by an Asset Reconstruction Company (ARC) In respect of investments in SRs

and other instruments issued by ARCs, Bank shall comply with the requirements of Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021, as amended from time to time.

VII. Investment in Alternative Investment Funds (AIFs)

- a) Quoted equity shares, bonds, units of AIFs in the bank's portfolio shall be valued mutatis mutandis as per instructions given in these directions for quoted securities.
- b) Unquoted instruments of AIFs shall be valued as under:
- Units: The valuation shall be done at the NAV as disclosed by the AIF. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as per the frequency mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions.
 - Other instruments: The valuation of unquoted equity and other instruments issued by an AIF shall be as per the methodology specified for such instruments above.
 - As per RBI Circular dated 27.03.2024, RBI/2023-24/140
D.O.R.STR.REC.85/21.04.048/2023-24
Provisioning shall be required only to the extent of investment by the Regulated entities (REs) in the AIF scheme which is further invested by the AIF in the debtor company, and not on the entire investment of the RE in the AIF scheme.

VIII. Conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity shares In cases of conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity instruments Bank shall follow the requirements of the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets issued vide circular DBR. No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019, as amended from time to time.

IX. To increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the bank shall categorize its investment portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in Clause 4 above. The details of the investment portfolio shall be disclosed in their notes to accounts of their financial statements. These disclosure requirements shall become effective from the audited financial statements for the financial year ending March 31, 2026, onwards.

X. Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy.

5.7 Income Recognition, Asset Classification and Provisioning

5.7.1 Income Recognition

- a) Bank shall recognize income on accrual basis for the following investments:
 - i. Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
 - ii. Shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.
- b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds shall be recognized on cash basis.
- c) Subject to sub-clause (a) above, dividend income on equity investments held under AFS shall be recognised in the Profit and Loss Account.

5.7.2 Accounting for Broken Period Interest: Bank shall not capitalize the broken period interest paid to the

seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

5.7.3 Non-Performing Investments (NPI)

- a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances shall be used to classify an investment as a Non-Performing Investment (NPI). Similarly, an NPI shall only be upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.
 - i. In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - ii. Sub-clause (a)(i) above shall apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it shall be treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular year shall be reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.
 - iii. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, those equity shares shall be reckoned as NPI. The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.
 - iv. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer shall also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation shall not be

applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

- v. In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments shall be classified in the same asset classification category as the loan and provision shall be made as per the norms. In case of post conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment shall be categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) as per the RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023.
- b) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- c) Bank shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.
- d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI shall be the higher of the following amounts:
 - i. The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and
 - ii. The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation shall be required over and above the provision for NPI as specified above.

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created

by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment.
 - i. Investments in Central Government Securities and State Government Securities shall not be classified as NPI.
 - ii. Investments in Central Government guaranteed securities shall also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, Bank shall continue to recognise MTM gains/losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively. However, any income shall be recognised only on realisation basis.
 - iii. Investment in State Government guaranteed securities, shall attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the bank remains unpaid for more than 90 days.

5.7.4 Investment Fluctuation Reserve

- a) Bank shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:
 - i. Net profit on sale of investments during the year.
 - ii. Net profit for the year, less mandatory appropriations.
- b) IFR shall be eligible for inclusion in Tier II capital. The cap applicable on recognition of General Provisions and Loss Reserves as Tier II capital is not applicable on IFR.

- c) Bank shall, be permitted to draw down the balance available in IFR in excess of two percent of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year.
- d) In the event the balance in the IFR is less than two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) investment portfolio, a draw down shall be permitted subject to the following conditions:
 - i. The drawn down amount is used only for meeting the minimum CET 1/Tier 1 capital requirements by way of appropriation to free reserves or reducing the balance of loss.
 - ii. The amount drawn down shall not be more than the extent the MTM provisions/losses during the aforesaid year exceed the net profit on sale of investments during that year.

5.7.5 Derivatives

- a) Bank shall comply with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Bank shall present their derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively. Bank may make adjustments to the carrying value of their investments in compliance with the hedge accounting requirements.
- b) Bank shall categorize their derivatives portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Bank (Directions), 2023 and disclose the same in the notes to accounts of their financial statements.
- c) Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account shall be deducted from CET 1 capital.

5.7.6 Transition and Repeal Provisions

- a) At the time of transition to these directions (i.e., on April 1, 2024), Bank shall re- classify their investment

portfolio as at March 31, 2024, as per the directions laid down in Chapter III of these Directions. The balance in provision for depreciation, as at March 31, 2024, shall be reversed into the Revenue/ General Reserve. The balances in Investment Reserve Account (IRA), if any, as of March 31, 2024, shall be transferred to the Revenue/ General Reserve if the bank meets the minimum regulatory requirements of IFR. If the bank does not meet the minimum IFR requirements, the balances in IRA shall be transferred to IFR. The specific treatment for transition from the previous to the revised framework is given in the table below:

Previous Framework	Revised Framework	Opening Accounting Adjustments on April 1, 2024
HTM	HTM	The acquisition cost adjusted for any premium/ discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024, shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/General Reserve.
HTM	AFS	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.
HTM	FVTPL	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/ General Reserves.
AFS	HTM	The acquisition cost adjusted for any premium/ discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in Revenue/ General Reserve.

AFS	AFS	The fair value of the investment as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.
AFS	FVTPL	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/ General Reserves.
HFT	HTM	The acquisition cost adjusted for any premium / discount amortised between date of acquisition and March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in Revenue/ General Reserve.
HFT	AFS	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.
HFT	FVTPL	The fair value as at March 31, 2024 shall be the revised carrying value. The difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be adjusted in any Revenue/ General Reserves.

- b) Bank shall make suitable disclosures of the transitional adjustment made in their notes to the financial statements for the financial year ending March 31, 2025.
- c) With the implementation of these Directions, Reserve Bank of India(Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of CommercialBanks) Directions, 2021 dated August 25, 2021, shall stand repealed.

- d) All the repealed circulars are deemed to have been in force prior to the coming into effect of these Directions.
- e) As per RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions) 2023, the modification to the Circular, RBI advised that the difference between the revised and previous carrying value shall be adjusted in Revenue/General Reserve rather than AFS-Reserve. However, in the case of equity instruments designated under AFS difference between the revised and previous carrying value shall be adjusted in AFS-Reserve.

SUBSIDIARY COMPANIES:

Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares /debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

Ind Bank Housing Ltd

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

Indbank Global Support Services Ltd.

Investments are classified into current and long-term investments. Investments that are readily realizable and intended to be held for not more than a year from the date of acquisition are classified as current investments. All other investments are classified as long-term investments. However, that part of long-term investments which are expected to be realized within twelve months from Balance Sheet date is also presented under "Current Investments" under "Current portion of long-term investments" in consonance with the current/ non-current classification of Schedule III of the Act. The cost of an investment includes acquisition charges such as brokerage, fees, and duties.

Current investments are stated at the lower of cost or fair value. The comparison of cost and fair value is done separately in respect of each category of investments. Long-term investments are stated at cost less provision

for diminution. Provision for diminution in the value of long-term investments is made only if such a decline is other than temporary in the opinion of the management. Reversal of such provision for diminution is made when there is a rise in the value of long-term investments, or if the reasons for the decline no longer exist.

On disposal of an investment, the difference between its carrying amount and net disposal proceeds is recognized in the Statement of Profit and Loss.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

PARENT:

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

- (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- (b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April, 01, 2017, provisioning requirement on SRs will be higher of
 - (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
 - (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7. ADVANCES

PARENT:

- 7.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 7.2 Provisions are made for non-performing advances as under:

a) Sub Standard:

- i) A general provision of 15% on the total outstanding
- ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (i.e., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

- i) 25 % for Secured portion.
- ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

- i) 40 % for Secured portion.
- ii) 100% for Unsecured portion.

e) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India)

will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- 7.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT:

- 8.1.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization
- 8.1.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.
- 8.1.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine etc.	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes / Locker / Doors (Steel): 20 years

		Vehicles: 5 years Furniture and Fixtures: 10 years Cell phones: 1 year Gold Purity Testing Machine: 7 years

- 8.1.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.

- 8.1.5 Assets costing upto Rs. 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

- 8.1.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

- 8.1.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

- 8.1.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

- 8.1.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

- 8.1.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

8.3 Indbank Housing Ltd.:

Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

8.4 Indbank Global Support Services Ltd

Tangible Assets

Tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the purchase price. The cost of an item of PPE is recognized as an asset if, and only if, it is probable that the economic benefits associated with the item will flow to the Company in future periods and the cost of the item can be measured reliably. Expenditure incurred after the PPE have been put into operations, such as repair and maintenance expenses are charged to

the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.

The residual value and estimated useful life of the Property, Plant and Equipment are reviewed at the end of each financial year.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of Property, Plant and Equipment are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognized as income or expense in the Statement of Profit and Loss.

A fixed asset register is maintained to record and track fixed assets owned by the company. Inspections are carried out on an annual basis to ascertain the health of the fixed assets.

Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Intangible assets arising on acquisition of business are measured at fair value as at date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any. Profit or Loss on disposal of intangible assets is recognized in the Statement of Profit and Loss.

Capital Work in Progress

Cost of Assets not ready for intended use, as on the balance sheet date, is shown as capital work in progress. If the asset is put to use, then the asset is recognized as per Accounting Standards (AS 10) for Property, Plant & Equipment.

Depreciation

Depreciation on all assets is provided pro-rata to the period of use, under Straight Line Method, at rates prescribed in Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013. Intangible assets are amortized over their respective individual estimated useful lives (not exceeding five years) on a straight-line basis, commencing from the date the asset is available for its intended use.

The useful life of fixed assets, as estimated by the management is same as per the Part C of the Schedule II to the Act.

The method of depreciation applied to an asset is reviewed at the end of the financial year. In case

of any significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method is changed to reflect the changed pattern. The change is accounted for as a change in an accounting estimate.

9. REVENUE RECOGNITION

9.1 PARENT :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis. Commission / Fees Income earned on sale of PSLCs are accounted on accrual basis and recognized proportionately during the quarter over the remaining period of PSLCs.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9.1.4 Any Recovery in NPA accounts should be first appropriated to Book Balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE), Unpaid Other Expenses (MOX), Unpaid Charges and thereafter to Unpaid Interest (MOI). However, in the case of restructured NPA accounts where, as per sanction terms, interest is to be serviced immediately and the principal repayment to start at a later date, recovery of interest made in such accounts should be taken to income account and not to be treated as principal repayment.

In case of subsequent changes in NPA management policy with regard to appropriation of recovery in NPA accounts, the same will be a part of the Significant Accounting policy of Bank

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

- Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.
- Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars.
- Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contracts.
- Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.
- Dividend income is recognized when the right to receive is established.
- Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 Indbank Housing Ltd:

- The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets.
- Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

9.4 Indbank Global Support Services Ltd:

Revenue is recognized as per Accounting Standard - 9 "Revenue Recognition".

- Revenue is recognized only when it can be reliably measured and it is reasonable to expect ultimate collection & Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.

- b. Interest Income is recognized on time proportion basis considering the amount outstanding and rate applicable.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

12.1 PARENT:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

- a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension

Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

- b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

12.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled

to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

12.3 Ind Bank Housing Ltd.:

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

12.4 Indbank Global Support Services Ltd

Employee Benefits

Short-term employee benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months from end of financial year in which service is rendered are classified as short-term employee benefits and they are recognized in the period in which the employee renders the related service. The Company recognizes the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for services rendered as a liability (accrued expense) after deducting any amount already paid.

Post-Employment Benefits

Defined contribution plans are Employees State Insurance Scheme and Government administered pension fund scheme for all applicable employees and superannuation scheme for eligible employees. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss in the financial year to which they relate.

Leave Encashment

Leave encashment benefits are paid / provided in its entirety in the accounts for the year.

Provident Fund

Provision for provident fund has been provided for since "The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1972" is applicable to the Company.

Gratuity

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided based on an actuarial valuation which has been carried out using the Projected Unit Credit Method as per AS-15 to determine the Present Value of Defined Benefit Obligations and the related Current Service Cost and, where applicable, Past Service Cost made at the end of each financial year. The valuations do not affect the ultimate cost of the plan, only the timing of when the benefit costs are recognized. Actuarial gain/loss are immediately taken to Statement of Profit & Loss and are not deferred.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

- The existence of such obligations has not been confirmed
- no outflow of resources are required to settle such obligations
- a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

- 16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.
- 16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.
- 16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

Annexure I

HELD FOR TRADING (HFT)

1. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT instruments set out in the following paragraphs. All other instruments shall be excluded from HFT.
2. Bank shall only include those financial instruments in HFT when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.
3. Bank shall fair value daily all HFT instruments and recognise any valuation changes in the profit and loss account.
4. Any instrument that a bank holds for one or more of the following purposes shall, when it is first recognised on its books, be designated as a HFT instrument, unless specifically otherwise:
 - (a) short-term resale;
 - (b) profiting from short-term price movements;
 - (c) locking in arbitrage profits; or
 - (d) Hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above
5. The following instruments shall be included in HFT, unless specifically otherwise:
 - (a) instruments in the correlation trading portfolio
 - (b) instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book; or
 - (c) Instruments resulting from underwriting commitments, where underwriting commitments refer only to securities underwriting, and relate only to securities that are expected to be actually purchased by the bank on the settlement date.
6. Any instrument which is not held for any of the purposes listed as per RBI Circular at inception, nor seen as being held for these purposes according to, shall not be assigned to HFT.
7. The following instruments shall not be included in HFT category:
 - (a) unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures;

- (b) instruments designated for securitisation warehousing;
 - (c) direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate;
 - (d) equity investments in a fund, unless the bank meets at least one of the following conditions:
 - i. the bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the bank regarding the fund's composition; or
 - ii. the bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds;
 - (e) derivative instruments and funds that have instrument types specified from (a) to (d) above as underlying assets; or
 - (f) Instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (a) to (e) above.
8. The following instruments shall be presumed to be in HFT unless specifically otherwise provided:
- a) Instruments resulting from market-making activities;
 - b) equity investments in a fund excluding those exempted from assignment to HFT in accordance; or
 - c) Listed equities.
 - d) trading-related repo-style transaction; or
9. Bank shall have the option to deviate from the presumptive list specified in RBI Circular according to the process set out below.
- a) If a bank believes that it needs to deviate from the presumptive list established in RBI Circular for an instrument, it shall submit a request to Department of Regulation, RBI and receive explicit approval. In its request, the bank shall provide evidence that the instrument is not held for any of the purposes.

- b) In cases where this approval is not given, the instrument shall be designated as HFT. Bank shall document any deviations from the presumptive list in detail on an on-going basis.

Separate Trading of Registered Interest Principal Securities (STRIPS)

1. Bank can strip eligible Government Securities held under the AFS or FVTPL (including HFT) categories of their investment portfolio. STRIPS shall be valued and accounted for as zero-coupon bonds and in the manner prescribed in these Directions.
2. The discount rates used for valuation of STRIPS at inception shall be market-based. However, in case traded zero-coupon rates are not available, the zero-coupon yields published by FBIL shall be used instead.
3. On the day of stripping, the STRIPS shall be recognised in the books of account of the participant at their discounted value and at the same time, the Government Security in question shall be derecognised. The accounting treatment for reconstitution shall be exactly the opposite of stripping.
4. The stripping/reconstitution shall not result in any profit or loss. The present value of the STRIPS (coupon as well as principal) discounted using the Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) shall be normalized using a factor that will be the ratio of the carrying value of the security or market value of the security (whichever is lower) to the sum total of the market value of all STRIPS created out of the security.
5. Normalisation shall also be applied in the case of reconstitution (even when STRIPS are acquired from the market).
6. The book value of the STRIPS (ZCBs) shall be valued and marked to market as per these Directions. Accordingly, the book value of the STRIPS shall be marked up to the extent of accrued interest before MTM.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2024-25)

1. SUBSIDIARIES:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	11/08/1989	64.84%	M/s Brahmayya & Co.	19.09.2024
b	Ind Bank Housing Ltd	India	28/01/1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	19.09.2024
c	Indbank Global Support Services Ltd	India	09/02/2024	100.00%	M/s Suri & Siva	09.12.2024

2. ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35 %
b	Saptagiri Grameena Bank*	35 %
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35 %

* Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank into a single Regional Rural Bank, called as Andhra Pradesh Grameena Bank under the sponsorship of Union Bank of India. Accordingly, Saptagiri Grameena Bank, sponsored by our Bank has been amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank with effect from 1st May, 2025.

3. Accounting for Investment in Joint Ventures (As 27)

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26 %	37.50

4. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

- Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2025 except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2025, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 263.79 Crore (Previous Year 2023-24 Rs.263.79 Crore)
- Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

- d) Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

5. DIVIDEND

- Dividend of Rs. 16.25 per equity share i.e. 162.50% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2024-25.

6. FIXED ASSETS

PARENT:

- 6.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2024-25 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs. 1510.28 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account." For the year 2024-25, depreciation amounting to Rs. 107.07 Crore (previous year Rs. 105.56 Crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 100.21 Crore (previous year Rs. 98.79 Crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve Account." Also Rs 184.48 Cr (previous year Rs.7.50 Crore) was transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve on account of Sale of Premises.
- 6.2 Premises include 9 (7+2*) properties original costing Rs. 8.38 crores (previous year 9 (7+2*) properties costing Rs. 8.38 crores) having revalued book value of Rs. 83.77 crores (previous year Rs. 63.71 Crores), net of depreciation at Rs. 0.79 Crore (Previous year Rs.0.44 crore) for which registration formalities are pending.

*Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority at Govt of Telangana for regularization and at Chennai costing Rs.2.32 Crore, where the legal case is pending in High Court of Madras.

6.3 Draw Down from Reserves:

(Amount ₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2024-25	2023-24	
Revaluation Reserve	Rs. 284.69	Rs. 106.29	*Depreciation on revalued portion on Premises Rs 100.21 crore and Rs 184.48 crore on account of sale of premises

* The amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS-10.

7. COVID 19 Measures

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

8. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

Consolidated Cash Flow statement for the Year ended Mar 31, 2025

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Net Profit as per Profit and Loss Account before minority Interest	11264.39	8422.52
Adjustments for :		
Provision for NPA	3444.03	3652.87
Provision for Investment	(248.10)	(377.77)
Provision for Standard Assets	853.44	1936.53
Provision for Tax	3892.51	2914.51
Other Provisions and Contingencies	31.78	236.25
Depreciation on Fixed Assets	542.94	531.14
Interest on Capital Instrument	600.04	710.85
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(1.70)	1.91
Income taxes paid	(26.02)	(889.50)
Profit before working Capital Changes	20353.31	17139.31
(Increase)/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(12247.37)	(26528.35)
(Increase) / Decrease in Advances	(59626.14)	(69247.99)
(Increase) / Decrease in Other Assets	2159.32	3004.65
	(69714.19)	(92771.69)
Increase/(Decrease) in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	49145.25	66829.84
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	20409.42	2050.46
Increase/(Decrease) in Other liabilities	(2797.39)	(1865.18)
	66757.28	67015.12
Net cash generated from Operations (A)	17396.40	(8617.26)
Cash flow from Investing activities		
Purchase of fixed assets	(539.94)	(626.58)
Sale of fixed assets	191.54	8.88
Net cash generated from Investing Activities (B)	(348.40)	(617.70)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(1616.36)	(1071.08)
Redemption of Tier-2 Bonds	(2000.00)	(1000.00)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Interest on Capital Instrument	(647.15)	(733.88)
Equity Capital issued during the period (incl. Share premium)	0.00	4000.00
Net cash generated from financing activities (C)	(4263.51)	1195.04
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	12784.49	(8039.92)
Cash and cash equivalents at the beginning of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1304.15	1242.58
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	31134.61	26670.15
(b) in other deposit accounts	264.00	4780.00
Balances with Banks		
(a) in current accounts	25.64	70.37
(b) in other deposit accounts	1619.95	1605.55
Money at Call and short notice with Banks	1997.06	5007.04
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	743.35	693.49
(b) in other deposit accounts	5084.58	10144.91
Money at call and short notice	3.57	2.74
	42176.91	50216.83
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1312.61	1304.15
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	24768.04	31134.61
(b) in other deposit accounts	5867.00	264.00
Balances with Banks		
(a) in current accounts	139.29	25.64
(b) in other deposit accounts	1336.69	1619.95
Money at Call and short notice with Banks	0.00	1997.06
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	1638.14	743.35
(b) in other deposit accounts	19895.37	5084.58
Money at call and short notice	4.26	3.57
	54961.40	42176.91
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	12784.49	(8039.92)

Note: 1. Figures of previous periods has been regrouped /reclassified wherever considered necessary to confirm to current period classification.

2. The Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2025 has been prepared by Indirect method.

9. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.1 PARENT:

9.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2024-25, the Bank has contributed Rs. 0.84 crores (previous year ₹ 1.07 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2024-25, the Bank has contributed Rs. 387.42 crores (previous year ₹ 353.34 crores).

9.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2025	31/03/2024
Discount Rate-G-Sec Rate	6.82% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	7.21% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	7.95% for Pension and 7.90% for Gratuity	7.88% for Pension and 7.89% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
PVO as at the beginning of the year	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
Interest Cost	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
Current service cost	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22

Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.36	-279.14
Actuarial loss / (gain) on obligation	1115.23	1010.11	498.82	139.12	227.18	328.14
PVO as at the end of the year	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19

(Amount ₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	19070.08	17282.98	1940.98	1764.27	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
Contributions	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.26	279.14
Benefits paid	-2188.90	-1837.66	-217.49	-201.27	-321.26	-279.14
Actuarial gain/(loss) on plan assets	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Expected return on plan assets	1529.11	1398.59	162.97	139.89	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1531.58	1408.52	162.98	141.19	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1115.23	-1010.11	-498.82	-139.12	-227.18	-328.14
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	2.47	9.93	0.01	1.30	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1112.76	-1000.18	-498.81	-137.82	-227.18	-328.14

(Amount ₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present value of the obligation	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
Fair value of plan assets	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	1876.77	1580.19

(Amount ₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Current service cost	1317.93	1471.19	168.56	148.04	293.95	258.22
Interest Cost	1274.42	1223.63	129.34	122.47	96.81	83.51
Expected return on plan assets	-1529.11	-1398.59	-162.97	-139.89	0	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1112.76	990.46	498.81	137.84	227.18	328.14
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	2176.00	2286.69	633.74	268.46	617.94	669.87

(Amount ₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Opening net liability	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46
Expense as above	-2176.00	-2286.69	-633.74	-268.46	-617.94	-669.87
Contribution paid	2307.53	2216.24	525.27	236.79	321.36	279.14
Closing net liability	-579.32	-710.85	-172.75	-64.28	-1876.77	-1580.19

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2020-25 - Pension	Year ended					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Present Value of obligation	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61
Plan Assets	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29
Surplus/ (Deficit)	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85	-579.32
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11	-1115.23
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93	2.47

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2020-25 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Present Value of obligation	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49
Plan Assets	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74
Surplus/ (Deficit)	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28	-172.75
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12	-498.82
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2020-25 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Present Value of obligation	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Surplus/ (Deficit)	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19	-1876.77
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14	-227.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2024-25		2023-24	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	21.48%	16.81%	23.43%	21.62%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	15.06%	10.26%	17.33%	13.02%
Special Deposit Scheme	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%
Funds managed by Insurer	63.34%	72.90%	58.67%	65.12%

Equity and Mutual Funds	0.07%	0.00%	0.52%	0.20%
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

i Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 93.87 crore (previous year ₹ 41.96 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount ₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2025	31/03/2024
1.	Sick Leave	9.39	4.55
2.	Casual Leave	1.54	0.97
3.	Leave Travel Concession	82.94	36.44
Total		93.87	41.96

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2024-25	2023-24	2022-23
Employer's contribution to Provident Fund	6584663	6049835	5664782

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Defined benefit obligation at the beginning of the year	25932210	21136893	15921802	14094025
Current service cost	1912334	1582039	702180	577123
Interest cost	1795802	1571745	1073654	1004217
Actuarial (gain)/ loss	1076704	1878272	(55971)	1183018
Benefits paid	(555783)	(852212)	(1167786)	(936581)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	30161267	25316737	16473879	15921802

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets at the beginning of the year	26053889	21136893
Expected return on plan assets	1920882	1674547
Contributions	3330336	4020679
Actuarial (gain)/ loss	(1335292)	73982
Benefits paid	(555783)	(852212)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	29414032	26053889
Actual return on plan assets	2411996	1804290

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets	29414032	26053889	15921802	-
Present value of obligation	30161267	25316737	16473879	15921801
Amount recognized in Balance Sheet	-747235	737152	552077	(15921801)

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Current Service Cost	1912334	1582039	702181	577123
Interest Cost	1795802	1571745	1073654	1004217
Expected return on plan assets	(1920882)	(1674547)	-	-
Actuarial (gain) / loss	2411996	1804290	(55971)	1183018
Net Cost	4199250	3283527	1719864	2764358

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Mortality Table (LIC)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	6.73%	7.00%	6.73%	7.00%
Expected rate of return (per annum)	6.73%	7.00%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.34.28 Lakhs (previous year- Rs.40.44 Lakhs) towards Gratuity liability in the year 2024-25.

9.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

(Amount in ₹)

1	Total past service gratuity	NIL
2	Actuarial value past service gratuity	NIL
3	Gratuity Fund with LIC	NIL
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	NIL
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	NIL

9.2.3 INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LIMITED:

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2024-25	2023-24
Employer's contribution to Provident Fund	1,36,13,059	NIL

Defined Contribution Plan

III) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Defined benefit obligation at the beginning of the year	NIL	NIL	NIL	NIL
Current service cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Actuarial (gain)/ loss	NIL	NIL	NIL	NIL
Benefits paid	NIL	NIL	NIL	NIL
Settlement cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Defined benefit obligation at the year end	NIL	NIL	NIL	NIL

IV) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets at the beginning of the year	NIL	NIL
Expected return on plan assets	NIL	NIL
Contributions	NIL	NIL
Actuarial (gain)/ loss	NIL	NIL
Benefits paid	NIL	NIL
Settlement cost	NIL	NIL
Fair value of plan assets at year end	NIL	NIL
Actual return on plan assets	NIL	NIL

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets	NIL	NIL	NIL	NIL
Present value of obligation	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount recognized in Balance Sheet	NIL	NIL	NIL	NIL

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Current Service Cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest Cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Expected return on plan assets	NIL	NIL	NIL	NIL
Actuarial (gain) / loss	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Cost	NIL	NIL	NIL	NIL

V) Actuarial assumptions

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Mortality Table (LIC)	NIL	NIL	NIL	NIL
Discount rate (per annum)	NIL	NIL	NIL	NIL
Expected rate of return (per annum)	NIL	NIL	NIL	NIL
Rate of escalation of salary(per annum)	NIL	NIL	NIL	NIL
Attrition Rate	NIL	NIL	NIL	NIL

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.28,27,272 (previous year- NIL) towards Gratuity liability in the year 2024-25.

10 SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

10.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

* Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT. REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

- (i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

10.2 Consolidated Segment Information

Part A Business Segment		Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue		17176.79	15616.08	23857.74	22165.82	29125.71	24927.68	1.30	0.18	29124.41	24927.50	1890.64	1522.10	72050.88	64231.68
Result		6136.63	5658.69	5427.66	5046.07	6519.33	5545.69	0.26	(0.27)	6519.07	5545.96	1017.86	687.67	19101.48	16938.12
Unallocated expenses														4214.10	5894.46
Operating profit														14887.38	11043.66
Minority interest														2.92	3.11
Other unallocable income														269.52	293.37
Income Taxes														3892.51	2914.51
Exceptional item														0.00	0.00
Net Profit														11261.47	8419.41
Other information															
Segment Assets		264753.70	233839.17	272792.42	259620.22	330784.34	291324.65	23.85	9.88	330760.49	291314.77	3606.71	3053.67	871937.17	787837.71
Unallocated assets														5101.43	7871.11
Total assets														877038.60	795708.82
Segment Liabilities		243744.04	216613.46	251144.84	240495.35	304534.78	269864.28	23.59	10.15	304511.19	269854.13	1424.97	1229.62	800848.63	728202.71
Unallocated liabilities														4677.06	7257.91
Capital reserves & Surplus														71512.91	60248.20
Total liabilities														877038.60	795708.82

Part B Geographic Segment		Domestic		International		Total	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue		69618.35	62168.23	2432.53	2063.45	72050.88	64231.68
Assets		832165.23	756854.91	44873.37	38853.91	877038.60	795708.82

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

11.1 PARENT:

11.1.1 SUBSIDIARIES:

SI No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Limited	India	11/08/1989	64.84%	M/s Brahmayya & Co.	19.09.2024
b	Ind Bank Housing Limited	India	28/01/1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	19.09.2024
c	Indbank Global Support Services Limited	India	09/02/2024	100.00%	M/s Suri & Siva	09.12.2024

11.1.2 ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35 %
b	Saptagiri Grameena Bank*	35 %
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35 %

*Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank into a single Regional Rural Bank, called as Andhra Pradesh Grameena Bank under the sponsorship of Union Bank of India. Accordingly, Saptagiri Grameena Bank, sponsored by our Bank has been amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank with effect from 1st May, 2025.

11.1.3 Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs in crore)
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26 %	37.50

11.1.4 Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment
Shri Binod Kumar	Managing Director & Chief Executive Officer	16.01.2025
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022
Shri Ashutosh Choudhary	Executive Director	03.05.2023
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024

11.1.5 The details of cessation of directorship during FY 2024-25 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Shanti Lal Jain	MD& CEO	01.01.2025	Superannuation/Completion of term of appointment
2.	Dr. M P Tangirala	Govt. Nominee Director	13.05.2024	As per GOI, MoF, DFS Notification No.6/2 (ii)/2022-BO.I dated 13.05.2024
3.	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	29.10.2024	Completion of term of appointment
4.	Shri Vishvesh Kumar Goel *	Part-time Non Official Director	21.12.2024	Completion of term of appointment
5.	Shri Balmukund Sahay *	Part-time Non Official Director	21.12.2024	Completion of term of appointment

* Re-nominated as Part-time, Non-Official for a period of one year or until further orders, whichever is earlier with effect from 11.04.2025

11.1.6 Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	205
2	Shri. Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	250

11.1.7 Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹314.07 lakhs (Previous- Year ₹ 232.60 lakhs)

Details	2024-25	2023-24
Shri Binod Kumar, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (16.01.2025 to 31.03.2025)	₹ 8.68 lakhs	-
Shri Shanti Lal Jain, Ex-MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.12.2024)	₹ 84.38* lakhs	₹ 47.53 lakhs
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 56.11 lakhs	₹ 35.17 lakhs
Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 61.62 lakhs	₹ 45.82 lakhs**
Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 46.23 lakhs	₹ 19.70 lakhs
Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 31.03.2025)	₹ 36.90 lakhs	₹ 1.96 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	₹ 17.06 lakhs^	₹ 67.30 lakhs\$
Shri Ashwani Kumar^^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	₹ 3.09 lakhs^^	₹ 15.12 lakhs#

*Including encashment of leave, Gratuity, PF and Pension Commutation

\$ Including PI encashment of Rs 30.00 Lakhs

including PLI and Other allowances

**Including House Rent Allowance of Rs 10.47 lakhs

^ Executive Director upto 09.03.2024, Incentive/Other allowances

^^ Executive Director upto 01.06.2023, Incentive/Other allowances

11.1.8 Other disclosures pertaining to related parties are as under

(Amount ₹ in Crore)

Items/Related Party	Joint ventures
Rendering of services	20.10
Receiving of services	0.38

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

(Amount ₹ in Lakhs)

Name	Designation		2024-25
Mr. V Haribabu	President & Whole Time Director	Salary	32.98
		Contribution to PF	1.77
Mr. Tausif Inamdar	Vice President & CFO	Salary	21.65
		Contribution to PF	1.55
Mrs. Chitra M A	Company Secretary & Compliance Officer	Salary	12.49
		Contribution to PF	1.37
Sitting Fees paid to Non – Whole Time Independent Directors			7.29

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

11.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Key Managerial persons	
Mr. V.Haribabu	Managing Director
La. Harene	Chief Financial Officer
S. Krishnan	Company Secretary & Compliance Officer- Resigned on 21.03.2025

Transactions with related parties requiring disclosure as per the relevant accounting standard.

(Amount ₹ in Lakhs)

Transaction/ Balance	FY 2024-25	FY 2023-24
Remuneration given to KMP:		
Aakanchha Vyas	-	4.44
La Harene	20.47	19.93
S.Krishnan	8.76	0.41
Staff Advances given to KMP:		
La Harene	NIL	0.97
Repayment of Staff Advances by KMP	NIL	0.39
Closing Balance: Staff Advance given to KMP:		
La Harene	NIL	0.58
Rent Advance given to KMP:		
La Harene	1.38	1.38

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from the company (Ind Bank Housing Limited) as per the service regulations of Indian Bank.

Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

11.2.3 Indbank Global Support Services Limited

Key Managerial Personnel & Managerial Remuneration:

(Amount ₹ in Lakhs)

Name	Designation		2024-25
Mr. Kanhaiyalal Agarwal	MD & CEO	Salary	91.53
		Employer Contribution to PF	5.88
Raja Ganapathi	CFO	Salary	35.58
		Employer Contribution to PF	2.31
Abhinaya B	CS	Salary	9.51
		Employer Contribution to PF	0.62

12. LEASE (AS 19)

12.1 PARENT

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 456.93 Crore. (Previous year Rs. 426.22 Cr).

d) **Finance Lease**

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

12.2 SUBSIDIARY COMPANIES

12.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(Amount ₹ in Lakhs)

Details	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Lease payments for the year	22.29	21.49
Minimum Lease payments: Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

13 EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2024-25	2023-24
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	11261.47	8419.41
Number of Equity Shares	1346963981	1346963981
Weighted Number of equity shares	1346963981	1275121314
Basic Earning Per Share (in ₹)	83.61	66.03
Diluted Earning Per Share (in ₹)	83.61	66.03
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

14. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. And unaudited financial statements of newly incorporated wholly owned subsidiary (3) Indbank Global Support Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2025 includes ₹269.52 crores being share of the unaudited profit of 3 Associates viz, M/s Pudukkottai Bharathiar Grama Bank, M/s Sathagiri Grameena Bank and M/s Tamilnadu Grama Bank, and ₹74.56 Crores being the share in unaudited profit of two joint ventures viz. 1) Universal Sampo General Insurance Company Ltd. and 2) ASREC (India) Ltd.

15. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

15.1 PARENT

- a. **Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs. 4015.69 Crore including provision for tax relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 48.91 Crores. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs. 11.53 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- b. **Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs. 5080.20 Crore (Previous year net DTA of Rs 4921.62 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs 1243.51 Crore (Previous year Rs. 1116.56 Crore) and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs 6323.71 Crore (Previous Year Rs. 6038.18 Crore). The major components of DTA and DTL (including foreign branches) is given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	521.69	376.55
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	145.89	131.17
3	Provision for Gratuity	0.04	0.04
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3864.41
5	Provision for restructured Assets, AQR, S4A, stressed Assets	1694.40	1569.60
6	Depreciation on Fixed Assets	97.28	96.41
	Total DTA	6323.71	6038.18
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	44.41
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	831.84	704.90
	Total DTL	1243.51	1116.56
	Net DTA/(DTL)	5080.20	4921.62

c. Provision for Income Tax for the year:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provision for Taxation-Global (Income tax including Deferred Tax)	3868.64	2888.20

The disputed income tax demand paid by the Bank/ adjusted by the department for various earlier assessment years amounting to Rs.3953.36 crore as on 31.03.2025 (previous year Rs. 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs 10,522.44 Crore (previous year Rs. 9761.82 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2025. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

15.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

15.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) The major components of deferred tax asset/liability are as below:

(Amount in ₹)

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2025		As on 31.03.2024	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		8685271		8975695
ii) Provision for Bad debts and NPAs	20617195		19880927	
iii) Others	4447619		4133582	
Total	25064814	8685271	24014509	8975695
NET DTA / (DTL)	16379543		15038814	

- b) A net provision of Rs.304.82 lakhs for tax has been made in the year.
- c) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.
- d) The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.-13.41 lakhs (Previous year- Rs. 87.01 lakhs) which has been charged to profit & loss account.
- e) Prior period taxes : 12.19 lakhs

15.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- a) The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.
- b) The Income Tax Department has sent a demand notice for 4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognized as income. The Company has contested the demand before the Hon'ble Madras High Court and the judgment is issued in favour of the company on 29.11.2021. Income Tax department has not gone for any appeal. IBHL through their Tax consultant submitted a letter dated 17.04.2023 to Income Tax department for giving effect order. Awaiting response from Income Tax Department.
- c) The Income Tax Department has passed revised assessment order for the assessment year 2006-07, stating excess of Rs. 26.34 lakh claimed provision was withdrawn which was found to be incorrect and raised a demand with interest. The income tax department started adjusting this demand against the TDS refund. IBHL submitted

reply to Income tax department on 05.08.2024 and 20.02.2025 for passing fresh assessment order and restoring original returned loss filed by IBHL in the A Y year 2006-07 since the ITAT order received by the department got barred by limitation on 31.03.2024. Awaiting response from Income Tax Department.

15.2.3 INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LTD: Nil

- A net provision of Rs.88.23 lakhs for tax has been made in the year.
- The provision for deferred tax (net) for the year is Rs-0.74 lakhs (Previous year- Rs. NIL lakhs) which has been charged to profit & loss account.

16. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24-DISCONTINUED OPERATIONS

16.1. SUBSIDIARY COMPANIES:

16.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF. The Company is now governed only by SEBI regulations.

17. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particular	31.03.2025	31.03.2024
Liabilities		
Capital & Reserves	561.82	496.03
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	44.38	11.40
Other Liabilities & Provisions	1389.20	1211.02
TOTAL	1995.40	1718.45
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.00	0.01
Balances with Banks and money at call and short notice	46.00	33.95

Investments	1554.88	1393.41
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	25.44	21.08
Other Assets	369.08	270.00
TOTAL	1995.40	1718.45
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	61.57	63.65
Income		
Interest earned	10.06	6.42
Other Income	799.74	731.00
TOTAL	809.80	737.42
Expenditure		
Interest expended	3.59	1.81
Operating expenses	714.93	645.43
Provisions & Contingencies	22.59	29.58
TOTAL	741.11	676.82
Profit	68.69	60.60

18. Impairment of Assets (AS-28):

PARENT

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 –“Impairment of Assets” applies.

19. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

PARENT

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2024	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2025
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	223.64	6.71	0.12	230.23

20. BANCASSURANCE BUSINESS

20.1 PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.180.58 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs.163.21 Crore).

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2024-25	2023-24
1	For Selling Life Insurance Policies	144.30	127.03
2	For selling Non-life insurance policies	31.88	32.17
3	Others – For selling Mutual Fund Products	4.40	4.01
	Total	180.58	163.21

20.2. SUBSIDIARY COMPANIES:

20.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2024-25	2023-24
1	For Selling Life Insurance Policies	NIL	NIL
2	For selling Non-life insurance policies	NIL	NIL
3	From Selling of Health Insurance policies	NIL	NIL
4	Others – For selling Mutual Fund Products	NIL	NIL
5	Others – For mobilizing leads of Bank's Home Loan Products	NIL	0.02
	Total	NIL	0.02

21. Legal

PARENT

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claim aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank during FY 2011-12. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made during FY 2012-13 with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay. The said remittance of Rs. 100 Crore made by the Bank has been adjusted during F.Y. 2023-24 by debiting the current account and FD account (Rs.84.09 Crore) of M/s Nimbus Communications Ltd. leaving O/s balance as on 31.03.2025 of Rs.15.94 Crore.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having total provision of Rs.31.26 Crore (previous year Rs. 31.26 Crore).

22. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

- Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.
- In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.
- As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.
- Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Indian Bank (hereinafter referred to as "Parent/Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the consolidated Profit and Loss statement, the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") which includes:-
 - a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank audited by us;
 - b) Audited Financial Statements of 3 Subsidiaries audited by other Auditors; and
 - c) Un-audited Financial Statements/ Financial Information of 3 Associates and 2 Joint Ventures as furnished by the respective managements.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on Separate Financial Statements and other financial information of Subsidiaries and the unaudited Separate Financial Statements and other financial information of Joint Venture and Associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the Act), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the group, its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2025;
- b. true balance of Profit of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of the cash flows of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

3. Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	In respect of Bank	
1.	Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances The net advances of the Bank constitute 65.38% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	Tests of control Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). Substantive tests A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.

2.	Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments - Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade. - Investments constitute 25.80% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. - The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular, 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

4. Other Matter

- We did not audit the financial statements / information of 1975 branches (including 3 foreign branches) included in the Consolidated financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 3,11,810.30 crores as at 31st March 2025 and total revenue of Rs. 20,628.19 crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements. These branches cover 42.07% of advances, 40.99% of deposits and 51.71% of Non-performing assets as at 31st March 2025 and 28.77% of revenue for the year ended 31st March 2025. This financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

- (b) We did not audit the financial statements / financial information of Three (03) subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 72.50 crores as at March 31, 2025, total revenues of Rs. 24.52 crores for the year ended on that date and net cash inflow of Rs. 13.39 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors.
- (c) We did not audit the financial statements / financial information of Three (03) associates whose financial statements / financial information include the Group's share of net profit of Rs. 267.74 crores for the year ended March 31, 2025, as considered in the Consolidated Financial Statements. We did not audit the financial statements of Two (02) Joint Ventures whose financial statements reflect groups share of total assets of Rs. 1994.98 crore as at March 31, 2025, groups share of total revenues of Rs. 809.69 crore for the year ended on that date and Group's share of Net Profit of Rs. 74.56 crores, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Joint ventures, is based solely on such unaudited financial statements / financial information certified by the Management. In our opinion, and according to the information given to us by the management, these financial statements are not material to the group.
- (d) The Consolidated Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2024 were audited by the joint auditors, one of them was predecessor audit firm and they have expressed unmodified opinion on such Consolidated Financial Statements vide report dated 06.05.2024.
- (e) Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited Financial Statements/financial information certified by the Management.

5. Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon and Report on Corporate Governance is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

6. Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of

Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of respective Acts and applicable guidelines for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, respective Board of Directors of the Group Entities and its associates and joint ventures are responsible for assessing the respective Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors of the Group Entities and its associates and joint ventures are also responsible for overseeing the respective Entity's financial reporting process.

7. Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of Bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow of the Bank have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 4, 6 & 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Group; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.
10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

- b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- f) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank. On the basis of the Reports of the Statutory Auditors of Subsidiaries, none of the directors of the subsidiaries are disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director of the subsidiaries in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- h) As per para 1.14 of the Technical Guide on Audit of Internal Financial Controls in Case of Public Sector Banks issued by ICAI, the reporting requirement as introduced by RBI regarding Internal Financial Control over Financial Reporting will apply only to standalone financial statements of Public Sector Banks (PSBs) and not to consolidated Financial Statements of PSBs. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2025.

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No. 112318W

SAURABH CHOUHAN
Partner
(M. No. 167453)
UDIN:25167453BMLKTG2186

For S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FR No. 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No.074661)
UDIN:25074661BMKJS2607

For G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

RAJA GOPALAN B
Partner
(M. No. 217187)
UDIN: 25217187BMLWUL6111

For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N
NARESH KUMAR
Partner
(M. No. 082069)
UDIN:25082069BMLXEK3646

For ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N
ARUN KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No. 082899)
UDIN: 25082899BMMBRU7546

Date of Report : 03.05.2025
Place of Signature: Chennai

Disclosures under Basel III Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations dated April 01, 2024, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website **www.indianbank.in** under the following link:

<https://www.indianbank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>



Left Intentionally blank



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Turn gold into growth, Instantly and digitally!

IND DIGI KCC Gold Plus



Scan for info



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU



Digital support for real agri heroes

Ind Digi Tractor



Scan for info

[illegible]

[illegible]



AN OMNICHANNEL BANKING EXPERIENCE
ACROSS PLATFORMS



Customized Dashboard
for Easy Access

Scan & Pay

Goal Planner
& Spend Analyser

Pay to Contact

Cardless Cash
withdrawal at ATM

Apply for IPO(ASBA)

e-Shopping

Instant Fund Transfer

Manage your
Credit / Debit Card

Loan Repayment at Ease

Open FD/ RD/
MMD Online

Apply for Digital Loans

Invest in PPF,
NPS, NSC, KVP

Hotel, Bus and
Flight Bookings

Invest in Mutual Funds





इन योजनाओं के साथ सहयोगिता से हम गौरवान्वित हैं / we are proud to be associated with



इंडियन बैंक  Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office:
254-260, अव्वै शन्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014.



1800 425 000 00 | www.indianbank.in | Follow us on:     